[2018] 5 एस. सी. आर *829*

कर्नाटक राज्य अपने प्रमुख सचिव द्वारा

वी.

तमिलनाडु का राज्य अपने प्रमुख सचिव और ओआरएस द्वारा।

(2007 की सिविल अपील संख्या *2453)*

फरवरी *16,2018*

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, अमिता रॉय और

ए. एम. खानविलकर, जे. जे.*]*

अंतर-राज्यीय जल विवादः

कर्नाटक राज्य के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा उठाया गया जल विवाद-यह आरोप लगाते हुए कि राज्य द्वारा की गई कार्यकारी कार्रवाई

केरल राज्य द्वारा राज्य के बाद मद्रास राज्य से इसे हस्तांतरित किए गए क्षेत्रों के कारण कावेरी नदी के पानी में पुनर्गठन अधिनियम, *1956*-केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा कावेरी नदी के पानी में दावा किया गया क्योंकि यह कावेरी बेसिन के भीतर स्थित था और कावेरी की सात शाखाएं उक्त क्षेत्र न्यायाधिकरण के माध्यम से बहती थीं, *1892* और *1924* के समझौतों को वैध माना गया और कावेरी के पानी की उपयोग करने योग्य मात्रा निर्धारित की गई।

740 हजार मिलियन क्यूबिक फीट *(*टी. एम. सी.*)*-न्यायाधिकरण ने न्यायसंगत सिद्धांत का पालन करते हुए कावेरी के पानी का आवंटन किया।

विभाजन-इसने तमिलनाडु राज्य को *419* टी. एम. सी. आवंटित किया, *270*

टी. एम. सी. ने कर्नाटक राज्य को *30* टी. एम. सी. केरल राज्य को और *7* टी. एम. सी. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को-इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण के लिए *10* टी. एम. सी. और समुद्र में अपरिहार्य पलायन के लिए *4* टी. एम. सी. आरक्षित किए-न्यायाधिकरण द्वारा कावेरी के पानी के बंटवारे के आवंटन से व्यथित, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों द्वारा एस. एल. पी. के माध्यम से अपील दायर की गई-आयोजितः एक अंतर-राज्यीय नदी का जल इसके माध्यम से गुजरता है नदी तटीय राज्यों के गलियारे एक राष्ट्रीय संपत्ति हैं और कोई भी राज्य अपने पानी के अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है-सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त न्यायसंगत विभाजन

हेलसिंकी नियम, संयोजन नियम और बर्लिन नियम जिन्हें *1987* और *2002* में राष्ट्रीय जल नीतियों में भी शामिल किया गया है, उन्हें अंतर-राज्यीय नदी के पानी के बंटवारे के विवादों को हल करने के लिए मार्गदर्शक कारक माना गया है-न्यायाधिकरण अपने दृष्टिकोण में सही था-न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु के सिंचित क्षेत्र का सही निर्धारण किया-घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु को पानी का आवंटन और केरल और केरल को पानी का आवंटन। पुडुचेरी को भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-*10* टी. एम. सी. का आरक्षण

तथ्यों और अनुभवजन्य आंकड़ों की स्वीकृति से पता चलता है कि तमिलनाडु में लगभग *20* टी. एम. सी. पानी उपलब्ध है जिसे न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है-इसलिए, भूजल के अत्यधिक निष्कर्षण से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु में उपलब्ध भूजल के *10* टी. एम. सी. को तमिलनाडु राज्य के अंतिम निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएगा-न्यायाधिकरण ने घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए कर्नाटक के हिस्से को भी काफी कम कर दिया है-इसलिए, इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक को *4.75* टी. एम. सी. प्रदान किया जाता है-इस प्रकार, तमिलनाडु में उपलब्ध पानी को न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में रखना उचित होगा। कर्नाटक राज्य एक अतिरिक्त *14.75* टी. एम. सी. *(*तमिलनाडु राज्य में भूजल की उपलब्धता के कारण *10* टी. एम. सी. और घरेलू और पेयजल उद्देश्यों के लिए *4.75* टी. एम. सी.*)*-अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* एस. *3* और *5.*

अंतर-राज्यीय जल विवादः

जल विवाद-तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच-अंतर-राज्यीय नदी कावेरी के पानी से संबंधित शिकायतकर्ता राज्य *(*तमिलनाडु राज्य*)* ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि कर्नाटक राज्य की कार्यकारी कार्रवाई *(*कर्नाटक के हितों को प्रभावित करने वाली*)*

तमिलनाडु राज्य*)* में किए गए समझौतों का उल्लंघन किया गया था

1892 और *1924* में तत्कालीन मैसूर राज्य और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच कावेरी नदी के पानी के वितरण के संबंध में कर्नाटक राज्य ने इन समझौतों की वैधता पर सवाल उठाया।

सर्वोपरि*;* और असहनीयता के आधार पर

अपील पर किए गए समझौतेः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* के लागू होने के बाद, सर्वोपरि के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है-समझौतों में न तो कोई राजनीतिक व्यवस्था थी-कर्नाटक राज्य द्वारा इसकी प्रमुख सचिव *v.*

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

न ही भारत की संप्रभुता के किसी भी पहलू को छुआ, लेकिन वे व्यापक जनहित के क्षेत्रों को शामिल करते थे-समझौते *1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद या संविधान के लागू होने के बाद समाप्त नहीं हुए-मैसूर राज्य के पास *1892* या *1924* में सौदेबाजी की शक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसी शक्ति *1947* के अधिनियम या संविधान के लागू होने के बाद जीवित हो गई-कर्नाटक राज्य ने इसकी निंदा करने का विकल्प नहीं चुना-लागू होने के बाद भी।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, *1956* के तहत, नवगठित राज्यों ने समझौतों को पलटने के लिए कोई विवाद नहीं उठाया। इस प्रकार, कर्नाटक राज्य ने राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, *1956* की कानूनी वैधता पर सवाल उठाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया।

समझौते-इसलिए, समझौते न तो निष्क्रिय हैं और न ही पूरी तरह से विलुप्त-हालांकि, *1924* के समझौते का उद्देश्य स्थायी चरित्र का नहीं था-इसमें *50* साल की एक निश्चित अवधि पर विचार किया गया था और *50* साल के बाद इसका जारी रहना कुछ पहलुओं पर निर्भर था-इसलिए, *1924* का समझौता *50* साल के बाद समाप्त हो गया, यानी वर्ष *1974*-भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* में। *7* राज्य पुनर्गठन अधिनियम, *1956*।

अंतर-राज्यीय जल विवादः

कर्नाटक राज्य के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा अंतर-राज्यीय नदी कावेरी के पानी के आवंटन के संबंध में शिकायत-शिकायत की न्याय्यता-आयोजितः जब राज्य बनाते हैं

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* के तहत अनुरोध

विवादों का न्यायनिर्णयन, राज्य के निवासियों का हित शामिल है-दोनों राज्य पैतृक सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं।

यह मामला बराबरी के आधार पर निर्णय लेने योग्य था।

राज्यों की स्थिति और समानता का सिद्धांत-अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956*।

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956:*
एस। *6* ए-आयोजित की व्याख्याः केंद्र सरकार करती है

योजना यू/एस बनाने का विवेकाधिकार नहीं है। *6* ए-योजना की रूपरेखा विशेष रूप से पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए है या इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जाता है।

भारत का संविधानः

कलाएँ। *143* , *262* और *363*-अंतर-राज्यीय जल विवाद-तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच-विवादों की अक्षमता

पूर्ववर्ती मैसूर राज्य और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच हुए समझौतों के आधार पर-आयोजितः एस के तहत बार। *363* लागू नहीं है *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में क्योंकि वर्तमान मामले के मुद्दों का भारत की संप्रभुता और अखंडता की अवधारणा से कोई संबंध नहीं है।

भारत का संविधानः

कला. *136* - अधिकारिता के तहत-इसके खिलाफ अपील पर विचार करने के लिए

एक पूर्ण यांत्रिक तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती है और "निर्णय के आदेश के रूप में एक ही बल" शब्दों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के उद्देश्य से एक आदेश या डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। विधान-इसलिए, एस। *6 (2)* उच्चतम न्यायालय को यू/आर्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारिता पर रोक नहीं लगाता है। *136* – अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* - धारा *6 (2)* क़ानूनों की व्याख्या।

क़ानूनों की व्याख्याः

व्याख्या के नियम-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-एक प्रावधान की व्याख्या एक अलग रंग देने के लिए नहीं की जानी चाहिए जिसमें एक

कानून के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय तकनीकी डिजाइन।

सिद्धांत/सिद्धांतः

सर्वोपरि सिद्धांत-इसकी प्रयोज्यता-पर चर्चा की गई।

विभाजन का सिद्धांत-चर्चा की गई।

कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करना और तमिलनाडु राज्यों द्वारा दायर अपीलों का निपटारा करना और

केरल, न्यायालय पकड़नाः *1.* भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* के लागू होने पर सर्वोच्चता का सिद्धांत और इसका विलुप्त होनाः

1.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि *1947* के अधिनियम और उसके बाद भारत के संविधान के लागू होने के बाद, समझौते

1892 और *1924* का वर्ष निष्क्रिय हो गया और पूरी तरह से विलुप्त हो गया। *[* पैरा *84] [932-ए] 1.2 1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद, सर्वोपरि के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने प्रमुख सचिव *v.*

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

भारत पूर्ण संप्रभु प्राधिकरण बन गया। *1892* और *1924* के दो समझौतों में न तो कोई राजनीतिक व्यवस्था थी और न ही

भारत की संप्रभुता के किसी भी पहलू को छुआ। इसके विपरीत, समझौतों में व्यापक लोक हित के क्षेत्र शामिल हैं जिनमें कोई राजनीतिक तत्व नहीं है और इस पृष्ठभूमि में,

समझौते न तो निष्क्रिय होते हैं और न ही पूरी तरह से विलुप्त होते हैं। *[* पैरा *404 (i)] [1120-D]*

एच. एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया

ग्वालियर के बहादुर और अन्य बनाम। भारत संघ और

दूसरा *(1971) 1* एस. सी. सी. *85: [1971] 3* एस. सी. आर. *9*-पर निर्भर।

डॉ. बाबू राम सक्सेना बनाम राज्य *[1950]* एससीआर *573:* एयर

1950 एससी *155;* हेमचंद देवचंद बनाम। आज़म साकरलाल

छोटमलाल *(1905) 33* आई ए *1: (1906)* आई. एल. आर. *33* कैल *219;*

तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और अन्य
(2014) 12 एससीसी *696: [2014] 12* एस. सी. आर. *875;* मुल्लापेरियार

पर्यावरण संरक्षण मंच *v.* भारत संघ और

सिंह और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[1955] 1* एस. सी. आर. *415:*
ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *447*-निर्दिष्ट।

"श्री वी. पी. मेनन द्वारा भारतीय राज्यों का एकीकरण

—

संदर्भित किया गया।
2. 1892 और *1924* के समझौतों की असहनीयता

अभिलेख पर साक्ष्य की गहन जांच पर, कोई नहीं है

इस बात का प्रमाण है कि मैसूर राज्य ने संबंधित समय में समझौतों की निंदा की थी। *1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद या "ठहराव समझौते" के कारण संविधान के लागू होने के बाद और इस तथ्य के कारण कि कोई निंदा नहीं की गई थी, समझौते अपने आप समाप्त नहीं हुए। मोल-तोल करने की शक्ति भले ही *1892* या *1924* में मौजूद न रही हो, लेकिन निश्चित रूप से, मोल-तोल करने या चुनने की उक्त शक्ति *1947* के अधिनियम के बाद और निस्संदेह, *1947* के अधिनियम के बाद जीवित हो गई।

संविधान अस्तित्व में आया। हालाँकि, कर्नाटक राज्य ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इसलिए समझौतों को असंवेदनशीलता के कारण अमान्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। *[पैरा 119] [957* डी, ई-जी*]*

न्यू बिहार बीरी लीव्स कंपनी और अन्य बनाम। बिहार राज्य
और अन्य *(1981) 1* एस. सी. सी. *537: [1981] 2* एससीआर *417; [2018] 5* एससीआर।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
और एक और वी। ब्रोजो नाथ गांगुली और एक और *(1986)*

3 एससीसी *156 [1986] 2* एससीआर *278;* ओ. पी. भंडारी बनाम

आईटीडीसी *(1986) 4* एससीसी *337: [1986] 3* एस. सी. आर. *923;* दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस और अन्य *1991* सप. *(1)* एससीसी *600: [1990] 1* पूरक। एस. सी. आर. *142;* बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम। पार्थ सारथी सेन रॉय और अन्य *(2* जे*) (2013) 8* एससीसी *345 [2013] 4* एससीआर *1018;* पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम। देशबंधु घोष और अन्य एआईआर *1985* एससी *722: [1985] 2* एस. सी. आर. *1014*-संदर्भित।

ब्रायन गार्नर द्वारा ब्लैक का कानून शब्दकोश, संपादक-प्रमुख *(10* वां*)*

संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स*);* रिवर्स इन इंटरनेशनल

एफ. जे. बर्बर द्वारा कानून *(1959);* एल. ओपेनहेम इंटरनेशनल
कानून *(8* वां संस्करण*);* अनुबंधों पर चिट्टी *(25* वां संस्करण, *Vol.I)*

संदर्भित किया गया।

3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, *1956* के लागू होने के बाद समझौतों की स्थितिः यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि *1892* और *1924* के समझौतों को उलटने के लिए नवगठित राज्यों द्वारा पुनर्गठन अधिनियम, *1956* लागू होने के बाद कोई विवाद उठाया गया था। जैसा कि तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, यह जारी रहा। कर्नाटक राज्य ने समझौते की कानूनी वैधता पर सवाल उठाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था। यह एक तथ्य बना हुआ है कि पुनर्गठन अधिनियम, *1956* के प्रभाव में आने के बावजूद विनियमों के साथ दोनों समझौते लागू रहे। *[* पैरा *133] [968*-एफ-एच*]*

एम/एस। डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *816: [1959]* एससीआर *729;* अमर चंद बुटैल बनाम। भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *1658;* फर्म बंशीधर प्रेमसुखदास बनाम। की स्थिति

राजस्थान एयर *1967* एससी *40: [1966]* पूरक। एससीआर *81;*
पंजाब राज्य और अन्य। वी. बलबीर सिंह और अन्य। *(1976) 3* एस. सी. सी. *242 [1976] 2* एस. सी. आर. *115;* रंजन सिन्हा बनाम अजय

कुमार विश्वकर्मा *2017 (7) SCLAE 234;* राज्य
एम. पी. बनाम भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड *[1964] 6* एससीआर *846;*

शेर सिंह और अन्य बनाम। के वित्तीय आयुक्त
योजना, पंजाब और अन्य *(1987) 2* एस. सी. सी. *439: [1987] 2* एस. सी. आर. *691*-संदर्भित।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

4. समझौतों की समाप्ति से संबंधित मुद्देः

चरित्र। इसके विपरीत, इसने *50* साल की एक निश्चित अवधि पर विचार किया। खंड को पूरी तरह से पढ़ने और इस पर विचार करने के बाद शब्द, अर्थात्, 'पुनर्विचार', 'पारस्परिक रूप से सहमत' और 'खुले रहें', यह स्पष्ट है कि समझौते के कुछ खंडों का जीवन काल सीमित था। चूंकि प्रासंगिक खंड जो पुनर्विचार के लिए खुले हैं, वे अनुबंध के बिल्कुल आवश्यक भाग हैं और उचित स्थान देना बेहद मुश्किल है।

उनके बिना अनुबंध पर निर्माण। खंडों में अनुबंध स्थायित्व का संकेत नहीं देता है, लेकिन इसके विपरीत, निश्चित अवधि का संकेत देता है। अनुबंध की निरंतरता, आगे एक व्यक्तिपरक विचार था और केवल इस पर सहमति व्यक्त की गई थी और इसलिए, यह मानना उचित नहीं होगा कि यह केवल एकत्र किए गए अनुभव के कारण जारी रहा और यह अनुबंध में खंडों को समझने की अवधारणा के विपरीत होगा। *50* वर्षों के बाद निरंतरता इस पर निर्भर थी

कुछ पहलुओं और इसलिए, समझौते की अवधि *50* वर्षों के बाद यानी वर्ष *1974* में समाप्त हो गई। *[* पारस *404 (*वी*), 146* और *147] [1121-*ए*; 975-*एच*; 976-*ए*-*डी*]*

इन रेः राष्ट्रपति संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) 1993 (*पूरक*) (1)* एस. सी. सी. *96 [1991] 2* पूरक।

एस. सी. आर. *497* संदर्भित है।

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद *363* का उल्लंघन और समझौतों के आधार पर विवाद की गैर-रखरखाव

1892 और *1924:*

वर्तमान मामले में मुद्दों का कोई संबंध नहीं है,

जो भी हो, भारत की संप्रभुता और अखंडता की अवधारणाओं के साथ और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद *363* के तहत प्रतिबंध आकर्षित नहीं होता है। यह कहना सही नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद *262* के कारण न्यायाधिकरण द्वारा जल विवाद के निर्णय के उद्देश्य से दोनों समझौतों पर विचार किया जाना चाहिए। *[* पैरा *404 (ii)* और *104] [948-*सी*; 1120-*ई*-*एफ*]*

तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और अन्य
(2014) 12 एससीसी *696: [2014] 12* एस. सी. आर. *875-*अनुसरण किया गया।

दूसरा *(1971) 1* एस. सी. सी. *85: [1971] 3* एस. सी. आर. *9-*पर निर्भर।
सेराइकेल्ला राज्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य *[1951]*

एससीआर *474:* ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *253-*प्रतिष्ठित।

न्यायाधिकरण*) 1993 (*पूरक*) (1)* एस. सी. सी. *96: [1991] 2* पूरक। एस. सी. आर. *497;* महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ *[1963]* सप. *2* एससीआर *515:* ए. आई. आर *1963* एस. सी *953* - संदर्भित किया गया।

6. शिकायत की न्याय्यताः

6.1 यह कहना सही नहीं है कि साबित चोट के अभाव में शिकायत खारिज की जानी चाहिए। शिकायत करता है

इसमें "प्रतिकूल रूप से प्रभावित" शब्द नहीं हैं, बल्कि शिकायत की पृष्ठभूमि, जल विवाद का उल्लेख करते समय केंद्र सरकार का दृष्टिकोण और * राष्ट्रपति संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*)* मामले में इस न्यायालय की राय की अभिव्यक्ति शामिल है। अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* की भाषा की पृष्ठभूमि में समय के प्रवाह की समाप्ति और इसकी भूमिका

न्यायालय, न्यायालय इस तरह की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। द. मामला *(*शिकायत*)* गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने योग्य है। *[* पैरा *149* और *150] [977-*एफ*; 978-*बी-सी, डी*]*

***** इन रेः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद*)*

न्यायाधिकरण*) 1993 (*पूरक*) (1)* एस. सी. सी. *96: [1991] 2* पूरक।

एस. सी. आर. *497* संदर्भित है।

प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा कार्य करने के लिए सामूहिक रूप से विचार किए जाने वाले कारकों को निर्धारित करना, जो समग्र नहीं हैं नदी तटीय राज्यों के उचित और न्यायसंगत हिस्से को बाहर निकालना। इंगित किए गए कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बेसिन का भूगोल, बेसिन का जल विज्ञान, जलवायु, पानी का पिछला उपयोग, इसके प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक का राज्य *v* शामिल हैं।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

प्रत्येक बेसिन राज्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएँ, प्रत्येक बेसिन राज्य में बेसिन के पानी पर निर्भर जनसंख्या, अन्य संसाधनों की उपलब्धता और किसी सह-बेसिन राज्य को पर्याप्त नुकसान पहुँचाए बिना किसी बेसिन राज्य की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि उचित और न्यायसंगत हिस्से को निर्धारित करने में, सभी प्रासंगिक कारकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए और समग्र रूप से एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। *[* पैरा *161] [985-*जी-एच*; 986-*ए-बी*]*

व्योमिंग राज्य बनाम। कोलोराडो राज्य *259* यू. एस. *419*

(1922) ; नेब्रास्का राज्य बनाम। व्योमिंग राज्य *325* यू. एस. *589 (1945);* कान्सास बनाम। कोलोराडो *206* यूएस *46 (1906);* कोलोराडो बनाम। कैनसस *206* यूएस *46 (1906);* स्टेट ऑफ न्यू जर्सी बनाम। न्यूयॉर्क राज्य *283* यू. एस. *336 (1931);* कनेक्टिकट राज्य बनाम। मैसाचुसेट्स राष्ट्रमंडल *282* यू. एस. *660 (1931);* कोलोराडो राज्य बनाम। स्टेट ऑफ न्यू

मेक्सिको *459* यू. एस. *176 (1982)*-संदर्भित।

6.3 एस में 'जल विवादों' की परिभाषा। *2 (ग)* अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, *1956* और इसमें निहित प्रावधान

धारा *3* को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। धारा *3* किसी राज्य के निवासियों के अधिकार की रक्षा करती है। *[* पैरा *165] [987-ई]*

6.4 जब राज्य अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* के तहत विवादों के निर्णय के लिए अनुरोध करते हैं, तो

इसमें राज्य के निवासियों का हित शामिल है। दोनों राज्य पैरेंट्स पेट्रिया सिद्धांत द्वारा शासित हैं। न्यायाधिकरण ने अपने दृष्टिकोण में मुख्य रूप से हेलसिंकी नियम, *1966* का उल्लेख किया। न्यायाधिकरण

अपने दृष्टिकोण में सही था। उचित और न्यायसंगत शेयरों के निर्धारण के लिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक कारकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में शामिल विभिन्न जटिलताओं और भारत के संविधान द्वारा इस न्यायालय पर निर्धारित कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, यह मामला राज्यों की समान स्थिति और समानता के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेने योग्य है। नतीजतन, यह नहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडु राज्य की शिकायत का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायनिर्णयन। *[* पैरा *165* और *404 (vi)] [987-E-F; 1121-B-D]*

7. विभाजन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:

7.1 तटवर्ती राज्यों के गलियारों से गुजरने वाली एक अंतर-राज्यीय नदी का पानी राष्ट्रीय संपत्ति और *[2018] 5* एस. सी. आर. का गठन करता है।

यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी एक राज्य में स्थित है। प्रवाह की स्थिति में होने के कारण, कोई भी राज्य ऐसे जल के अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या एक निर्धारित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है ताकि अन्य राज्यों को उनके न्यायसंगत हिस्से से वंचित किया जा सके। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि बहते पानी का अधिकार भूमि में संपत्ति के लिए एक सही घटना है और इस तरह के चरित्र का एक सार्वजनिक अधिकार है, जबकि यह उन सभी के लिए समान और समान है जिनकी भूमि पर यह अधिकार है।

दौड़ता है और कोई भी इसे बाधित या मोड़ नहीं सकता है, फिर भी प्रकृति के लाभकारी उपहारों में से एक के रूप में, प्रत्येक लाभार्थी को इसका उचित और उचित उपयोग करने का अधिकार है। *[* पैरा *363] [1092*-ए-सी*]*

7.2 यह कल्पना करना कि समानता समान बंटवारे पर टिकी हुई है

एक अंकगणितीय सूत्र के भीतर पानी, मूल रूप से न्यायसंगत विभाजन की स्थापित अवधारणा का उल्लंघन होगा। क्योंकि उक्त अवधारणा कई कारकों को समाहित करती है। इसे संबोधित करना न्यायाधिकरण का दायित्व है और इस न्यायालय का कर्तव्य उक्त निर्णय के औचित्य के अनुमेय मापदंडों के भीतर निर्णय लेना

है। इस मतभेद को राज्यों की समान स्थिति और समानता के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में संबोधित किया जाना चाहिए। *[पैरा 364] [1092-एच; 1093-ए-बी]*

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका लचीलापन, क्योंकि निर्विवाद और आवश्यक सामान्य जोर को नजरअंदाज करना मुश्किल है एक बेसिन राज्य के लिए उपलब्ध संसाधनों का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करना और आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के लिए अपनी आश्रित आबादी के लिए तार्किक रूप से। उक्त आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय, अन्य बातों के अलावा, जल का पूर्व और वर्तमान उपयोग करना होगा

ध्यान में रखें। उसी के प्रति बेखबर रहना प्रेजेंटी में न्यायसंगत वितरण के सिद्धांत के साथ खेल खेलने के बराबर होगा। निर्धारकों का ध्यान देने योग्य सार यथार्थवादी, उचित, विवेकपूर्ण और न्यायसंगत सिद्धांतों के आधार पर जरूरतों के समायोजन में एक नाजुक संतुलन के लिए भविष्यवाणी है।

ताकि एक बेसिन राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, एक सह-बेसिन राज्य को कोई महत्वपूर्ण नुकसान न हो। यद्यपि हेलसिंकी नियमों के अनुच्छेद *VI* और *VII* के संदर्भ में, कोई अन्य उपयोगकर्ताओं की श्रेणी अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य पर किसी भी अंतर्निहित वरीयता की हकदार नहीं है।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

किसी भी अन्य उपयोग या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी, फिर भी एक सह-बेसिन राज्य के प्रस्तावित भविष्य के उपयोग पर एक बेसिन राज्य के मौजूदा उचित उपयोग की प्राथमिकता को मान्यता दी गई है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद *VIII* के संदर्भ में, एक मौजूदा उचित उपयोग में जारी रह सकता है संचालन, जब तक कि इसकी निरंतरता को उचित ठहराने वाले कारक अन्य कारकों से अधिक भारी न हों, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसे संशोधित या समाप्त किया जाए ताकि एक प्रतिस्पर्धी असंगत उपयोग को समायोजित किया जा सके जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक मौजूदा उपयोग भी संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है और आवश्यकता आधारित है।

समायोजन। *[पैरा 367] [1094-एच; 1095-ए-ई]*

7.4 काफी हद तक इसी तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों पर आई. एल. ए. नियमों का कैंपियन समेकन है।

1966-1999 . इन नियमों की विशिष्ट विशेषता एक जलभृत के पानी को शामिल करना है, अर्थात, भूमिगत जल या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच की सीमा द्वारा बाधित "जीवाश्म जल" को अंतर्राष्ट्रीय भू-जल के रूप में इतना शामिल करना है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय बेसिन या उसके हिस्से का निर्माण करेगा ताकि उचित न्यायसंगत हिस्सेदारी निर्धारित की जा सके। इन नियमों में भूमिगत जल और अन्य जल की परस्पर निर्भरता का मानदंड शामिल है, जिसमें जलभृतों के बीच कोई भी परस्पर संबंध और बेसिन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में गतिविधियों के कारण जलभृतों में कोई भी रिसाव शामिल है। *[पैरा 368] [1095-ई-जी]*

7.5 अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिन पर नियमों के एक अन्य समूह को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अपनाए गए बर्लिन नियम कहा जाता है।

वर्ष *2004* में अपने बर्लिन सम्मेलन में संगठन। न्यायसंगत उपयोग के पहलू पर, इसके अनुच्छेद *12* में यह प्रावधान है कि बेसिन राज्य, अपने-अपने क्षेत्रों में, एक न्यायसंगत और उचित तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन का जल, अन्य बेसिन राज्यों और विशेष रूप से बेसिन राज्यों को महत्वपूर्ण नुकसान न पहुँचाने के दायित्व को ध्यान में रखते हुए, बेसिन के पानी का विकास और उपयोग करेगा ताकि इसका इष्टतम और टिकाऊ उपयोग प्राप्त किया जा सके। अन्य बेसिन राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियमों के अनुच्छेद *13* में एक बेसिन राज्य के न्यायसंगत और उचित उपयोग को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारकों को सूचीबद्ध किया गया है। हेलसिंकी नियमों द्वारा निर्धारित नियमों को संक्षेप में दोहराते हुए, विचार करने के लिए अतिरिक्त पहलू न्यूनतम है

पर्यावरण को नुकसान। इन नियमों के अनुच्छेद *14* में कहा गया है कि *[2018] 5* एस. सी. आर.

न्यायसंगत और उचित उपयोग का निर्धारण करते हुए, राज्य

उपयोग का कोई अन्य उपयोग या श्रेणी। अनुच्छेद *17* में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से सुलभ और किफायती पानी तक पहुंच का अधिकार है और यह राज्यों का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पानी तक पहुँच के अधिकार का कार्यान्वयन। *[*पारस *369* और *370] [1095*-जी-एच; *1096*-ए-डी*]*

7.6 इन नियमों से समझने योग्य सामान्य सूत्र न्याय के सिद्धांत की सार्वभौमिक स्वीकृति है।

प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और व्यवहार्य उपकरण के रूप में उपयोग एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन का जल। *[*पैरा *371] [1096*-डी ई*]*

7.7 1987 की राष्ट्रीय जल नीति ने इस बात पर जोर दिया कि जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, एक बुनियादी मानव आवश्यकता और एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है। इस बात पर जोर देते हुए कि यह संसाधन विकास योजना में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, नीति ने घोषणा की कि यह एक दुर्लभ और कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है जिसकी योजना बनाई जा सकती है, विकास किया जा सकता है और एकीकृत विकास पर संरक्षित किया जा सकता है।

संबंधित राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल आधार। इसने इस बात को रेखांकित किया कि जल के मामले में जलनिकासी इकाई जैसे कि संपूर्ण जल निकासी बेसिन या उप-बेसिन के लिए संसाधन योजना बनाई जानी चाहिए और सभी व्यक्तिगत विकास परियोजनाओं और प्रस्तावों को निम्न द्वारा तैयार किया जाना चाहिए -

राज्यों और एक बेसिन या उप-बेसिन के लिए ऐसी समग्र योजना के ढांचे के भीतर विचार किया जाता है ताकि विकल्पों का सर्वोत्तम संभव संयोजन किया जा सके। जैसा कि नीति से स्पष्ट है, इसने आदेश दिया कि जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से स्थानांतरित करके पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एक नदी बेसिन से दूसरे में स्थानांतरण शामिल है।

क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। इसके अलावा, पीने के पानी का प्रावधान करना एक प्राथमिक विचार होना चाहिए।

जिसे भी उजागर किया गया था। जहां तक भू-जल संसाधनों का संबंध है, यह चिह्नित किया गया कि उनके दोहन को इस तरह से विनियमित किया जाना चाहिए कि यह पुनर्भरण संभावनाओं से अधिक न हो और साथ ही सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और मीठे पानी के जलभृतों में समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए भी। प्रणालियों की योजना और संचालन के क्षेत्र में, अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.*

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

जल आवंटन प्राथमिकताओं को मोटे तौर पर *(ए)* पीने के रूप में रेखांकित किया गया था।

जल, *(बी)* सिंचाई, *(सी)* पनबिजली, *(डी)* नौवहन और *(ई)* औद्योगिक और अन्य उपयोग। *[* अनुच्छेद *372* और *373] [1096-*एफ-एच*; 1097* ए-सी*]* *7.8 1987* की नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि मानव और पशु जीवन के लिए पानी के महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सभी प्रकार की आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए और इसकी बढ़ती कमी को देखते हुए, इस संसाधन की योजना और प्रबंधन और इसके इष्टतम, किफायती और

न्यायसंगत उपयोग अत्यंत तात्कालिकता का विषय बन गया है। इसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय जल नीति की सफलता पूरी तरह से राष्ट्रीय सर्वसम्मति के विकास और रखरखाव और इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगी।

उद्देश्य। महत्वपूर्ण रूप से, नीति, जो एक राष्ट्रीय चार्टर है

इसके अनुशासित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जल संसाधनों की योजना और विकास के लिए इसे विकसित करने के लिए प्रकृति का दुर्लभ और मूल्यवान उपहार माना जाता है और स्वीकार किया जाता है।

संबंधित राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल आधार पर संरक्षित और नियोजित उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह नीति हेलसिंकी नियमों, कैम्पियोन नियमों और बर्लिन नियमों में विचार किए गए बेसिन राज्य की अवधारणा को बनाए रखती है। *[* पैरा *374] [1097-*डी-एफ*]* *7.9 2002* की राष्ट्रीय जल नीति जो पहले के मॉडल का एक संशोधित और अद्यतन रूप है, इस बात पर जोर देती है कि

योजना, विकास और प्रबंधन की आवश्यकता पर

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जल संसाधन। जल आबंटन प्राथमिकताओं से संबंधित, इस नीति को सूची में जोड़ा गया, विशेष रूप से, पारिस्थितिकी और कृषि उद्योगों और गैर-कृषि उद्योगों में, यह योग्यता रखते हुए कि क्षेत्रों/क्षेत्रों के विशिष्ट विचारों द्वारा आवश्यक होने पर गणना की गई प्राथमिकताओं को संशोधित या जोड़ा जा सकता है। पेयजल की प्रधानता को दोहराया गया। जिस पर

भूजल विकास के पहलू में यह कहा गया कि पानी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर भूजल क्षमता का आवधिक पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए उपलब्ध और इसके निष्कर्षण की आर्थिक व्यवहार्यता। भूजल के अत्यधिक दोहन के खिलाफ भी यही सावधानी बरती गई। यह अनिवार्य किया

गया था कि शहरी और *[2018] 5* एस. सी. आर. दोनों में पूरी आबादी को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्रामीण क्षेत्रों और सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जहां पीने के पानी का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है, वहां पीने के पानी के घटक को शामिल किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि मनुष्यों और जानवरों की पीने के पानी की आवश्यकता किसी भी उपलब्ध पानी पर पहला शुल्क होना चाहिए। सिंचाई के लिए, नीति में कहा गया है कि या तो एक व्यक्तिगत परियोजना में या समग्र रूप से एक बेसिन में योजना बनाने के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता, पानी के सभी उपलब्ध स्रोतों से संभव लागत प्रभावी सिंचाई विकल्प और जल उपयोग दक्षता को अनुकूलित करने के लिए उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को भी रेखांकित किया गया कि सिंचाई की तीव्रता ऐसी होनी चाहिए कि अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का लाभ अधिक से अधिक कृषक परिवारों तक पहुँचाया जा सके। यह सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रदान किया गया था कि राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

7.10 इसलिए देश की राष्ट्रीय नीतियां स्पष्ट रूप से एक अंतर-राज्यीय नदी में पानी के उचित और न्यायसंगत हिस्से के निर्धारण के मामले में हेलसिंकी नियमों, कैम्पियोन नियमों और बर्लिन नियमों के निर्देशों का पूरक और समेकित करती हैं। *[*पैरा *377] [1098-*एच*]* *7.11* हेलसिंकी नियम और अन्य नियमों में एक अंतर-राज्यीय नदी के समान विभाजन के मुद्दे पर एक बेसिन राज्य की परिकल्पना की गई है। यद्यपि नियम भविष्यवाणी करते हैं कि निर्धारित करने में

एक बेसिन राज्य और दूसरे सह-बेसिन राज्यों के हिस्से को पर्याप्त नुकसान नहीं होगा, फिर भी राज्य की आबादी और सिंचाई के क्षेत्र में किसान समुदाय की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जाता है। निर्विवाद रूप से, विभाजन का सिद्धांत किसी भी राज्य में सभी नदी बेसिनों पर समान रूप से लागू होगा। अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य के रूप में एक अंतर-राज्यीय नदी का बंटवारा।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

वितरण के मानदंडों का सुझाव है, की भावना के साथ होना चाहिए

सामंजस्यपूर्ण स्वभाव और सर्वसम्मत वितरण। सुझाए गए मानदंड या कारक कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते हैं और आवश्यकता आधारित अनुप्रयोग और आम भलाई के लिए पारस्परिक समायोजन पर अंतर-राज्यीय नदी में जल संसाधनों का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केवल व्यावहारिक उपायों का एक संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रीय चार्टर में निहित गारंटियों से बंधे कल्याणकारी राज्य के शासन में, पानी जैसी किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण के लिए कोई भी पैमाना अनिवार्य रूप से उसे आगे बढ़ाने के

लिए होना चाहिए। नियमों में पहचाने गए मानदंड और राष्ट्रीय नीतियों द्वारा अक्षर और भाव में पूरक, हालांकि काफी विस्तार से, केवल उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है और इसे एक जलडमरूमध्य सूत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है या गणितीय सटीकता के एक डिब्बे में नहीं रखा जा सकता है ताकि किसी भी अन्य विचार या अनिवार्यता को बाहर रखा जा सके जो प्रचलित संभावनाओं के आधार पर एक अंतर-राज्य नदी के पानी के वांछनीय विभाजन को प्रभावित करता है। भौगोलिक, हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोलॉजिकल के संबंध में,

समय पर जलभौगोलिक, जलवायु, पारिस्थितिक और अन्य नदी संबंधी घटनाएँ, प्राथमिकताओं का दायरा और उनसे जुड़े कारक अलग-अलग होने के लिए बाध्य हैं। *[*पैरा *377] [1099*-ए-ई*]* *7.12* जबकि कोई सटीक सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है, एक तर्कसंगत समामेलन के लिए एक ईमानदार और व्यावहारिक प्रयास होना चाहिए।

विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों और निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत पर आधारित स्थानीय आवश्यकताओं की। कारक पहले से ही

गणना में, जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर एक के ऊपर दूसरे को प्राथमिकता देने की मांग की जा सकती है, अंतिम परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक बेसिन राज्य के पक्ष में उसके आधार पर आवंटन सह-बेसिन राज्यों के लिए काफी हानिकारक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय नीति में निर्धारित आवश्यकता के क्षेत्रों में वरीयता का क्रम इसके साथ असंगत नहीं है - एक अंतर-राज्यीय नदी के उचित और न्यायसंगत हिस्से का निर्धारण करने के लिए मान्यता प्राप्त निर्धारक। फिर भी, आवश्यकता की एक वस्तु का भार किसी दी गई स्थिति में निर्भर करेगा

डिग्री और उसकी प्राथमिकता इस प्रकार पॉलिसी में निर्धारित अनुक्रम के प्रस्थान में एक दूसरे पर वरीयता देने की आवश्यकता होती है। यह फिर से अन्यथा पहचाने गए के अनुप्रयोग के दृष्टिकोण में परिवर्तनशीलता की विशेषता को रेखांकित करने के लिए है।

मानदंड, अंतिम लक्ष्य संसाधनों का समान विभाजन है। यह अवधारणा अधिक महत्व प्राप्त करती है जहाँ *[2018] 5* एस. सी. आर.

संसाधन दुर्लभ है और इसकी मांग अपर्याप्त है। यह उचित है क्योंकि विवाद में एक राज्य के निवासी शामिल हैं। दूसरे राज्य के निवासियों के साथ। वैधानिक आदेश द्वारा इस तरह की भागीदारी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए स्थितिजन्य समायोजन प्राप्त करने के सिद्धांत को शामिल करती है। *[*पैरा *377] [1099*-एफ-एच*; 1100*-ए-बी*]*

7.13 हेलसिंकी नियमों में निर्धारित और कैम्पियोन नियमों और बर्लिन नियमों द्वारा समर्थित और पूरक और हमारी राष्ट्रीय नीतियों द्वारा और अधिक समेकित किए गए कारक, जैसे कि ऊपर बताए गए हैं, उचित और उचित नियमों को निर्धारित करने के लिए किसी भी अभ्यास का संचालन करने के लिए कुशल, तर्कसंगत, उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक दिशानिर्देश हैं। कावेरी जैसी अंतर-राज्यीय नदी के पानी में बेसिन राज्यों का न्यायसंगत हिस्सा, जैसा कि वर्तमान मामले में है। इन दिशानिर्देशों के निपटारे के साथ, प्रयास अनिवार्य

रूप से बेसिन राज्यों की वास्तविक प्रतिस्पर्धी मांगों और हितों का एक उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। संतुलन एक व्यावहारिक और व्यवहार्य तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह अंततः हो सके।

कार्यात्मक और नदी तटीय राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ऐसी कार्य प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों का समायोजन करना पड़ता है। इसके अलावा, समावेशी भावना और बहुलवादी लोकाचार को ध्यान में रखते हुए उपयोगितावादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को वास्तव में समतावादी दृष्टि के साथ सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रकार देखा और समझा जाता है, उपरोक्त प्राकृतिक में परिवर्तनों द्वारा योग्य आवंटन को अद्यतन करने के लिए आवधिक समीक्षाएँ और

आपूर्ति के लिए संसाधनों पर असर डालने वाली पर्यावरणीय घटनाओं और बेसिन राज्यों की अंतर-आवश्यकताओं के परिणामी पुनर्विन्यास को समय पर करना होगा। *[* पारस *377* और *378] [1100*-सी-एफ*]*

इन रेः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद*)*

न्यायाधिकरण*) 1993 (*पूरक*) (1)* एस. सी. सी. *96: [1991] 2* पूरक। एस. सी. आर. *497* संदर्भित है। *8.* तमिलनाडु में 'सिंचित क्षेत्रों' का निर्धारण और

कर्नाटकः

8.1 न्यायाधिकरण, न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत को अपनाने के बाद, उचित की गणना करने की प्रक्रिया में और

पहली पहल के रूप में बेसिन राज्यों के समान हिस्से,

राज्यों के सिंचित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और ऐसा करते हुए, वर्ष *1972* में प्रस्तुत कावेरी तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट से उल्लेख किया गया कि तमिलनाडु राज्य के पानी का उपयोग उसके प्रमुख सचिव द्वारा किया गया।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र सहित, मैसूर और केरल क्रमशः *566.60 TMC, 176.82 TMC* और *5 TMC* थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कावेरी नदी में शामिल तटवर्ती राज्यों की मांगों की तुलना में पानी की मात्रा में कमी है, इसके उपयोग के मामले में प्रतिबंध और बचत न केवल आवश्यक हैं, बल्कि प्राकृतिक परिणाम भी हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध कम सतह प्रवाह के उपयोग की सीमा को ध्यान में रखते हुए, फसल के स्वरूप और इसकी उपयुक्तता के साथ समय के साथ सिंचाई के तहत क्षेत्रों की पहचान करना अनिवार्य है। विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के आधार पर और

अभिलिखित आंकड़ों, विशेष रूप से घटनाओं के उतार-चढ़ाव पर *1924* के समझौते के असर को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *380] [1101*-सी-ई, जी-एच*; 1102*-ए*]*

इन रेः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) 1993 (*पूरक*) (1)* एस. सी. सी. *96: [1991] 2* पूरक।

एस. सी. आर. *497* संदर्भित है।

8.2 न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु के संबंध में सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों को लागू किया सिंचित क्षेत्र जिसमें वह आवंटन के अपने हिस्से का दावा करने का हकदार होगा, अर्थात्, ग्रीष्मकालीन धान के लिए कोई क्षेत्र नहीं; *1924* से पहले उगाए गए ग्रीष्मकालीन धान के क्षेत्र को अर्ध-सूखी फसल से बदल दिया जाएगा; सिंचाई की वार्षिक तीव्रता को *100%* तक सीमित किया जाएगा; सिंचित मौसम के भीतर फसल की अवधि को सीमित किया जाएगा, अर्थात। *31* जून से *31* जनवरी तक और महत्वाकांक्षी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को हतोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार, इसने तमिलनाडु के लिए ऐसे क्षेत्र को *24.71* लाख तक सीमित कर दिया।

एकर एकर एकर

प्रासंगिक सामग्री और पानी की खपत की अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण इस प्रकार नहीं हो सकता हैः

मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए गलती पाई गई। *[* पैरा *380] [1102*-ए-जी*]*

9. तमिलनाडु और कर्नाटक में "सिंचाई की जरूरतों" के लिए पानी का आवंटनः

9.1 न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष समग्र सामग्री के आधार पर, अन्य बातों के अलावा, फसल के स्वरूप, फसलों की अवधि, पानी की खपत, मिट्टी की स्थिति पर ध्यान दिया। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के विशेषज्ञ गवाहों की गवाही के साथ, और घाटे वाले बेसिन के पानी के किफायती उपयोग के हित में, कर्नाटक को उसके सिंचित क्षेत्र *18.85* लाख एकड़ के लिए *250.62* टी. एम. सी. और *24.71* लाख एकड़ के सिंचित क्षेत्र के लिए *390.85* टी. एम. सी. आवंटित किया गया। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने फसल के पानी की आवश्यकता, जैसे फसल की अवधि, ई. टी. फसल, गड्ढों की आवश्यकता, रिसाव के नुकसान, प्रभावी वर्षा और प्रणाली की दक्षता पर विचार किया है। *[* पैरा *382] [1104*-ए-सी*]*

9.2 स्वीकृत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न तो न्यायाधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण और न ही संबंधित निष्कर्ष

कारण और इसलिए, सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी के आकलन के संबंध में निष्कर्ष को असमर्थनीय नहीं कहा जा सकता है। कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इस न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप की गारंटी।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

भारत के संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत। *[* पैरा *382] [1104* सी-ई*]*

9.3 न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन, तथ्यात्मक और विशिष्ट रूप से जटिल स्थिति को समाहित करता है। भूमि पहले से ही है

असमान। इसलिए, तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, नहीं हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके अलावा, इसमें शामिल तारों से बनी जटिलताओं की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, गहन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

अभिलेख पर सामग्री के विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित न्यायाधिकरण के अन्यथा सुविचारित निष्कर्षों को हटाने के लिए, इस संबंध में उसके द्वारा किए गए दृढ़ संकल्प को परेशान नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा

383] [1105 - बी-सी*]*

10. केरल राज्य के लिए जल आवंटनः

केरल के दावे के संबंध में, यह रिकॉर्ड की बात है कि मई के महीनों में वर्षा समान रूप से वितरित की जाती है। नवंबर इतना अधिक है कि बारिश में कमी के मामलों में कृत्रिम सिंचाई द्वारा कभी-कभार समर्थन की आवश्यकता होती है और वह भी छोटी अवधि के दौरान। विभिन्न शीर्षों के तहत *99.8* टी. एम. सी. की अपनी मांग के खिलाफ, इसने पनबिजली उत्पन्न करने के लिए पार बेसिन मोड़ के लिए *35* टी. एम. सी. की

मांग की थी। न्यायाधिकरण ने पनबिजली परियोजनाओं के लिए ट्रांसबेसिन डायवर्जन के राज्य के अनुरोध को खारिज कर दिया, जो *2002* की राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में पीने के पानी और सिंचाई की तुलना में और भी कम था। न्यायाधिकरण ने राज्य के हिस्से का फैसला करते हुए ध्यान दिया कि वह अपनी परियोजनाओं को इतना आगे बढ़ाने में विफल रहा है कि

पूरा होने और उपयोग होने तक, कावेरी प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण द्वारा स्थापित तंत्र के अधीन इसे आवंटित अप्रयुक्त जल तमिलनाडु द्वारा प्राप्त किया जाएगा। न्यायाधिकरण ने सामान्य प्रारूप में उसके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की और निर्णय लिया कि कबानी, भवानी और पम्बर बेसिनों में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और संबंधित फसल जल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ अपने नंद को ध्यान में रखते हुए *30* टी. एम. सी. तक को अपने हिस्से के रूप में रखा गया था।

इस आवंटन में घरेलू और औद्योगिक जल उद्देश्यों के साथ-साथ *2011* के लिए जनसंख्या अनुमान का हिस्सा भी शामिल था। न्यायाधिकरण के निष्कर्ष *[2018] 5* एस. सी. आर. में सामग्री द्वारा गलत नहीं हैं।

इसका समर्थन और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। *[* पैरा *384] [1105-*ई-एच*; 1106-*ए*]*

तमिलनाडु कावेरी नीरप्पासन विलिपोरुलगल
विवासाईगल नाला उरिमाई पधुगप्पु संगम बनाम। भारत संघ और अन्य *(1990) 3* एस. सी. सी. *440: [1990] 3* एस. सी. आर. *83* संदर्भित है।

11. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए जल आवंटनः

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र के दावे के संबंध में, यह रिकॉर्ड की बात है कि इसके कारण समुद्र के निकट, भूजल अपनी प्रकृति से पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त है और इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने अपने *43000* एकड़ के सिंचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी दूसरी फसल को आवेदन किए गए मानदंड से अलग करने की अनुमति दी।

कर्नाटक और तमिलनाडु ने फसल के रूप में *6.35* टी. एम. सी. की मंजूरी दी

पानी की आवश्यकता। इसने केंद्र शासित प्रदेश को अपनी घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकताओं का आकलन करते हुए *20* प्रतिशत उपभोग्य उपयोगिता सूत्र के अनुप्रयोग से भी राहत दी। अन्यथा निर्धारित करने के लिए किसी भी ठोस कारण के अभाव में, इस संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। *[* पैरा *385] [1106-*बी-डी*]*

12. भूजल को एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में मान्यता

तमिलनाडुः *12.1* सतह के साथ-साथ उपयोग किए जाने वाले एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में भूजल की संभावना की खोज करते हुए

कावेरी नदी के प्रवाह, तथ्यात्मक मैट्रिक्स से, अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि इसका योगदान प्राकृतिक पुनर्भरण, धारा प्रवाह, झीलों और जलाशयों के माध्यम से जमीन में घुसपैठ के माध्यम से सतह के पानी से है। भूजल का पुनर्भरण मुख्य रूप से वर्षा के साथ-साथ कृत्रिम साधनों से होता है, जैसे कि फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग, अपने स्थानों पर धाराओं के उफान के कारण क्षेत्रों में बाढ़ और बिना लाइन वाली नहरों, तालाबों और अन्य स्रोतों से रिसाव। केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल मंत्रालय द्वारा अध्ययन के रूप में भूजल

संसाधन, भारत सरकार प्रमाणित करती है, देश में *45* प्रतिशत से अधिक सिंचाई को पूरा करती है। तमिलनाडु के इस रुख के विपरीत कि उसके डेल्टा क्षेत्रों के भीतर भूजल मुख्य रूप से है

मेट्टूर बांध की आपूर्ति से पुनर्भरण जो वास्तव में कर्नाटक का एक राज्य है।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

कावेरी नदी के सतही प्रवाह का घटक और इसके अलावा इसका उपयोग किसानों द्वारा मेट्टूर से पानी छोड़ने से पहले जल्दी नर्सरी बनाने और देरी से आने वाली फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। मेट्टूर से पानी छोड़े जाने पर रोक के बाद, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, सिंचाई आयोग, *1972* और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए व्यापक अध्ययनों से तमिलनाडु में पुनःपूर्ति योग्य भूजल की उपलब्धता का प्रमाण मिला। *[* पैरा *386] [1106*-डी-एच*; 1107*-ए*]*

12.2 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में

रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, उल्लेख किया गया है कि भूमिगत जल की वार्षिक मात्रा जिसे केंद्रत्यागी पंपों का उपयोग करके निकाला जा सकता है

कावेरी उप-बेसिन, वेन्नार उप-बेसिन और नए डेल्टा में क्रमशः *33.7* टी. एम. सी., *5.4* टी. एम. सी. और *32.5* टी. एम. सी. था और इसके अलावा मौसमी रूप से भूजल स्तर को क्षेत्रीय भूजल स्तर से *10* मीटर गहराई तक कम करके कावेरी उप-बेसिन में प्रति वर्ष *56.5* टी. एम. सी. भूजल भी उपलब्ध कराया जा सकता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की टीम द्वारा किए गए अन्य अध्ययनों ने तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में भूजल क्षमता का संकेत दिया है

64 टी. एम. सी. तक। कावेरी डेल्टा के भूजल संसाधन पर विश्व बैंक के सलाहकार श्री डब्ल्यू. बर्बर की रिपोर्ट

कावेरी डेल्टा में उपलब्ध भूजल का अनुमान *51.56* टी. एम. सी. है। तमिलनाडु ने अपनी दलीलों में स्वीकार किया कि वर्ष *1989* के दौरान कुल भूजल निष्कर्षण लगभग *28.4* था।

कावेरी उप-बेसिन में टी. एम. सी., वेन्नार उप-बेसिन में *7.3* टी. एम. सी. और ग्रैंड एनीकट नहर क्षेत्र *(*नया डेल्टा क्षेत्र*)* में *11.3* टी. एम. सी. कुल *47* टी. एम. सी. है। तमिलनाडु ने अपनी दलीलों में यह भी उल्लेख किया कि पुराने डेल्टा में, संयुग्म उपयोग की गुंजाइश थी *30* टी. एम. सी. तक का भूजल। *[* पैरा *386] [1107*-ए-डी*]*

12.3 इन अभिलिखित और अनुभवजन्य निवेशों के आधार पर,

न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष वापस किया कि एक सामान्य वर्ष में जब मेट्टूर से नियमित रूप से पानी छोड़ा जाएगा, कावेरी उप-बेसिन में भूजल में योगदान का बड़ा हिस्सा ऐसे पानी छोड़ने से होगा, लेकिन किसी भी मामले में, सतह की सिंचाई और वर्षा के योगदान को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस पर

पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए और भूजल संसाधन के मूल्यांकन के लिए तंत्र में गंभीर सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने *20 [2018] 5* एस. सी. आर. का एक अत्यंत सुरक्षित अनुमान लगाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. एम. सी. भूजल जिसका, उसके विचार में, तमिलनाडु द्वारा सतही जल के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किया जा सकता है। स्पष्ट शब्दों में, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह मात्रा नदी के पानी की दो-पक्षीय घुसपैठ से भूजल पुनर्भरण के घटक को अलग करने के बाद आई है। *[* पैरा *386] [1107*-ई-एफ*]*

12.4 कर्नाटक की ओर से किया गया दावा कि भूजल एक नवीकरणीय संसाधन है, यदि नहीं निकाला गया है

न्यायाधिकरण के अनुमान के अनुसार, अंतर-राज्यीय सीमा पर कर्नाटक द्वारा प्रदान किए जाने वाले पानी की मात्रा में आनुपातिक कमी के साथ तमिलनाडु के अंतिम आवंटित हिस्से में से कम से कम *20* टी. एम. सी. का महत्व है। तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में पुनःपूर्ति योग्य भूजल की उपलब्धता को संदेह से परे प्रमाणित करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कई शोध अध्ययनों के बाद भारी अनुभवजन्य आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा परिमाणित *20* टी. एम. सी. भूजल एक विशिष्ट रूप से सुरक्षित मात्रा है जिसका अंत में कावेरी जल के हिस्से को आवंटित/विभाजित करने में ध्यान रखा जाना चाहिए। यद्यपि पर्याप्त पुनःपूर्ति के अभाव में और तटीय क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक निष्कर्षण से आम तौर पर बचा जा सकता है। हालांकि, परिवेशक तथ्यों और परिस्थितियों में, सभी कारकों को संतुलित करके इस मुद्दे के सभी प्रासंगिक पहलुओं की अध्ययन जांच को देखते हुए, तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में उपलब्ध कम से कम *10* टी. एम. सी. भूजल का अंत में अन्य कारणों के हिस्से के विभाजन का निर्धारण करने में हिसाब लगाया जा सकता है।

740 टी. एम. सी. की उपज को छुए बिना कावेरी बेसिन की कमी। *[* पैरा *386] [1107*-एच*; 1108*-ए-डी*]*

12.6 विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों की श्रृंखला और भूजल की उपलब्धता की सीमा प्रयोगात्मक आँकड़ों द्वारा इंगित, न केवल कर्नाटक राज्य को उसके प्रमुख सचिव *v* द्वारा प्रदर्शित करता है।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

तमिलनाडु राज्य में डेल्टा में भूजल की उपलब्धता के साथ-साथ *10* टी. एम. सी. का समायोजन, जैसा कि प्रस्तावित है,

सुरक्षित रूप से अनुमति होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तमिलनाडु के डेल्टा में भूजल की उपलब्धता के क्षेत्र में जिस तरह का प्रयोग और अनुसंधान किया गया था, वह कर्नाटक में नहीं किया गया है और उस राज्य के संबंध में कोई विश्वसनीय अनुभवजन्य डेटा नहीं है। *[* पैरा *387] [1108*-एफ-जी*]*

13. घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल आवंटन

तमिलनाडु में:

तमिलनाडु और कर्नाटक में घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की गणना और आवंटन के संबंध में,

न्यायालय शहरी और ग्रामीण आबादी की प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने में न्यायाधिकरण द्वारा उल्लिखित और लागू किए गए सूत्रों से सहमत है। वास्तविक प्रतिशत के संबंध में अभिधारणा से अलग होने का भी कोई कारण नहीं है।

उपयोग के विभिन्न शीर्ष, अर्थात्, सिंचाई, बिजली,

घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग, आदि, जैसा कि कावेरी तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है, जो इंगित करता है कि आपूर्ति की गई पानी की मात्रा का *20* प्रतिशत

वास्तव में घरेलू उपयोग में उपभोग किया जाएगा, केवल *2.5%* का प्रभावी ढंग से बेसिन के भीतर औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाएगा और बाकी स्रोत, यानी नदी या उसकी सहायक नदियों या नदी में वापस आ जाएगा।

जलाशय, भंडारण और नहर, जैसा भी मामला हो। *[* पैरा *388] [1108* जी-एच; *1109*-ए-सी*]*

14. घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल आवंटन

कर्नाटक राज्य का:

जलापूर्ति-*30* टी. एम. सी.; शहरी जलापूर्ति *(*बैंगलोर को छोड़कर*)-10* टी. एम. सी.; ग्रामीण जलापूर्ति-*6* टी. एम. सी.; औद्योगिक उपयोग-*4* टी. एम. सी.। यह सिंचाई के लिए अपने दावे के साथ-*408* टी. एम. सी. और बिजली परियोजनाओं के लिए *(*जलाशय का नुकसान *6* टी. एम. सी. और तापीय*)* विद्युत परियोजना-*1* टी. एम. सी.*)*-कुल *465* टी. एम. सी. इसलिए कर्नाटक ने केवल बेंगलुरु शहर के लिए *30* टी. एम. सी. का दावा दर्ज किया। *[* पैरा *389] [1109*-सी, डी-एफ*]*

14.2 न्यायाधिकरण ने पहली बार में यह अनुमान लगाया कि पीने के पानी की *50* प्रतिशत आवश्यकता को जमीनी स्तर *(2018) 5* एस. सी. आर. से पूरा किया जाएगा।

जल स्रोत जैसा कि आम तौर पर देखा जाता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुएँ और ट्यूबवेल पीने के पानी की पर्याप्त आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह देखते हुए कि उसने सामान्य प्रारूप में जानकारी मांगी थी, जिसके तहत राज्यों को पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष *2000* और *2025* के लिए अपनी

आबादी का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, न्यायाधिकरण ने, हालांकि, वर्ष *2011* में पेयजल की आवश्यकता का आकलन करने का निर्णय लिया। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल एक तिहाई

बेंगलुरु शहर कावेरी बेसिन के भीतर स्थित है। इसलिए, इसने बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकता पर अपने विचार को सीमित कर दिया केवल वह क्षेत्र जो कावेरी बेसिन के भीतर स्थित था। इसने देखा कि कर्नाटक ने कहा था कि शहर के लिए मौजूदा और चल रही पेयजल योजनाएं जून *1990* में *14.52* टी. एम. सी. के लिए थीं और यह भी कि उसने बेंगलुरु के लिए *30* टी. एम. सी. का दावा किया था

2025 के लिए अपने प्रक्षेपण में शहर। न्यायाधिकरण को वर्ष *2011* के लिए बेसिन की जनसंख्या अनुमान के आधार पर शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पानी की आवश्यकता पर काम करने के लिए वर्ष *1981-1991* जनगणना के लिए प्रतिशत दशकीय वृद्धि, जिले के अनुसार और कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत किए गए कावेरी बेसिन के भीतर आने वाले प्रत्येक जिले के क्षेत्र को अपनाना था। तमिलनाडु द्वारा *2011* की जनगणना रिपोर्ट में बेंगलुरु शहर के जनसंख्या अनुमान पर भी ध्यान दिया गया। न्यायाधिकरण ने शहरी आबादी की पानी की आवश्यकता को *8.7* टी. एम. सी. और ग्रामीण आबादी के लिए *8.82* टी. एम. सी. निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण ने कुल पेयजल की मात्रा निर्धारित करने के लिए कदम बढ़ाया। शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए *17.22* टी. एम. सी. *(8.7* टी. एम. सी. *+ 8.52* टी. एम. सी.*)* होना आवश्यक है। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि पीने के पानी की आवश्यकता का *50* प्रतिशत भूजल से और शेष *50* प्रतिशत सतह के पानी से पूरा किया जाएगा। इस प्रकार, सतही जल द्वारा पूरा किए जाने वाले *8.75* टी. एम. सी. को अलग करते हुए, इसने उपभोग्य उपयोग पर काम किया, यानी जीवित स्टॉक सहित मानव आबादी के लिए कुल का *20* प्रतिशत *1.75* टी. एम. सी. *(8.75* का *20* प्रतिशत*)* होगा।

टीएमसी)। *[* पैरा *389] [1109*-एफ-एच*; 1110*-ए-ई*]*

14.3 इस तथ्य के अलावा कि न्यायाधिकरण के लिए पानी की आवश्यकता की मात्रा निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है शहरी जनसंख्या *8.7* टी. एम. सी. होने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी के लिए *8.52* टी. एम. सी. होने की धारणा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा कर्नाटक के प्रमुख सचिव द्वारा पर्याप्त राज्य की जरूरतों को पूरा करने की धारणा को ध्यान में रखते हुए इसका *50* प्रतिशत भूजल से ही पूरा किया जाएगा।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

पेयजल की आवश्यकता अस्वीकार्य है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, बेंगलुरु शहर के संदर्भ में, विशेष रूप से स्थान और समय में जनसंख्या की वृद्धि और वृद्धि को देखते हुए,

कावेरी के भीतर अपनी भौतिक इकाई के एक तिहाई हिस्से के स्थान को देखते हुए सामान्य रूप से अपनी आबादी के अधिकार को उनकी आवश्यकता के केवल एक तिहाई तक सीमित करने का न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण

बेसिन जांच की मांग करता है। यह सच है कि एक बेसिन की अवधारणा और उसके पानी के लाभकारी उपयोग का पता आम तौर पर बेसिन में स्थित स्थलों और उसकी आबादी से लगाया जाना चाहिए।

फिर भी, विभाजन के सिद्धांत और ऐसे उपयोगों के लिए उचित और न्यायसंगत हिस्से की अवधारणा को माना जाता है। एक बेसिन राज्य को समझना जो समग्र रूप से अपने समुदाय की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है। क्षेत्रीय या भौगोलिक

अंतर-राज्यीय नदी बेसिन के लाभकारी उपयोग के विस्तार के लिए सीमांकन का हमेशा सख्ती से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। एक बेसिन राज्य की धारणा इसमें दृष्टिकोण में लचीलेपन की एक डिग्री प्रदान करती है

एक विश्वसनीय लचीलेपन को उचित ठहराने के लिए अद्वितीय तथ्य स्थिति और

इस तरह के कठोर दृष्टिकोण से प्रस्थान। इसलिए, पीने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए समग्र रूप से इसकी आश्रित आबादी की आवश्यकताओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

केवल नदी बेसिन के संदर्भ में इसकी भौतिक स्थिति पर विचार करने के लिए परिस्थितियों को उनके पूर्वाग्रह के लिए छोटा किया जाए। एक कृत्रिम सीमा होना और आबादी को पीने के पानी की प्राथमिक आवश्यकता से वंचित करना अकल्पनीय होगा। न्यायालय शहर द्वारा प्राप्त वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले की विशेष विशेषताओं में ऐसा मानता है और मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर न्यायसंगत आनुपातिकता के सिद्धांत की सराहना करता है। *[*पैरा *390] [1110-*ई-एच*; 1111-*ए-बी, डी, ई-एफ*]*

14.4 राष्ट्रीय जल नीतियों के अनुसार, न केवल पीने के पानी को प्राथमिकता के क्रम में अन्य आवश्यकताओं के शीर्ष पर रखा गया है, बल्कि यह भी भविष्यवाणी की गई है कि सभी लोगों को पर्याप्त पेयजल सुविधा प्रदान की जानी चाहिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या और पीने के पानी पर प्राथमिक रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह भी घोषित किया गया था कि मनुष्यों और जानवरों की पीने के पानी की ज़रूरतें

किसी भी उपलब्ध पानी पर पहला चार्ज हो। बर्लिन नियमों के अनुच्छेद *14* में यह भी आदेश दिया गया है कि न्यायसंगत और

उचित उपयोग के लिए, राज्य सबसे पहले महत्वपूर्ण मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी का आवंटन करेंगे। *[*पैरा *391] [1111-*एफ-एच*] [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14.5 न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। पूरे बेंगलुरु शहर के लिए पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी के आवंटन का हिसाब रखना होगा। कर्नाटक ने जून, *1990* तक बेंगलुरु के लिए मौजूदा जल योजनाओं के लिए *6,52* टी. एम. सी. और शहर के लिए चल रही पेयजल योजनाओं के लिए *8* टी. एम. सी. का दावा किया था। इसने पीने के पानी की आवश्यकता के रूप में *30* टी. एम. सी. की मांग की थी।

2025 के प्रक्षेपण के साथ शहर। प्रतिशत को देखते हुए वर्ष *2011* में न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए दशकीय विकास के लिए कर्नाटक की पेयजल की आवश्यकता की मांग

बेंगलुरु शहर *24* टी. एम. सी. के आसपास होगा। न्यायाधिकरण द्वारा राज्य की शहरी आबादी की गणना *8.7* टी. एम. सी. को छोड़कर और वह भी बिना किसी आधार के और ग्रामीण आबादी की पानी की आवश्यकता को

बिना किसी आधार के स्वीकार करते हुए, शहरी और ग्रामीण आबादी की पेयजल और घरेलू पानी की आवश्यकता को दर्शाने वाला कुल आंकड़ा *32.5* टी. एम. सी. होगा जो कुल मिलाकर *33* टी. एम. सी. होगा।

46 टी. एम. सी. की तुलना जैसा कि कर्नाटक ने अपने बयान में दावा किया है। इस धारणा को खारिज करते हुए कि *50* प्रतिशत पीने का पानी

14.6 ट्रांसबेसिन डायवर्जन के खिलाफ दृष्टिकोण, न केवल बेंगलुरु शहर के संदर्भ में, की सीमा से एक विषयांतर इन-रिवर बेसिन की अवधारणा उचित होगी, क्योंकि *1987* की राष्ट्रीय जल नीति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में स्थानांतरण सहित अन्य क्षेत्रों से पानी के छोटे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समावेशी पर स्पष्ट रूप से जोर देता है

यह बहुत

बेंगलुरू शहर जैसे योग्य मामले में यह अंतर-राज्यीय नदी में पानी के उचित और न्यायसंगत हिस्से के निर्धारण के साथ-साथ इसमें शामिल बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की योजना और विकास के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय नीतियों को सूचित करने वाले कारकों के अक्षर और भावना के साथ असंगत नहीं होगा।

[पैरा *393] [1112-*एफ-एच*]* कर्नाटक राज्य का उसके प्रमुख सचिव बनाम। राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

15. पर्यावरण संरक्षण के लिए जल आबंटनः

पर्यावरण संरक्षण के लिए आवंटन के पहलू पर, न्यायाधिकरण, पर्यावरण की शुद्धता को सुरक्षित करने के लिए और

वनों की कटाई के कारण जलाशयों आदि में गाद जमा हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए सामान्य पूल से *10* टी. एम. सी. आरक्षित किया जाता है। पर्यावरणीय पहलू। पर्यावरण की शुद्धता के निर्वाह को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण का प्रयास और पहल सराहनीय है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति हकदार है और साथ ही साथ पर्यावरणीय नैतिकता की भावना को विकसित करने में योगदान करने के लिए भी बाध्य है। इसलिए, न्यायालय पर्यावरण संरक्षण के लिए *10* टी. एम. सी. की मात्रा के आवंटन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। *[* पारस *394* और *395] [1113-*ए-डी*]*

16. प्रतिस्पर्धी राज्यों के बीच संशोधित आवंटनः
16.1 न्यायसंगत के सिद्धांत के विकास के साथ

विभाजन जो वास्तव में बेसिन राज्यों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के प्राकृतिक प्रवाह के लिए विहित अधिकार या अधिकार की अवधारणा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटक को झेलनी पड़ी बाधाओं को दर्शाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी नदी तटीय राज्य होने के बावजूद कावेरी के सतही प्रवाह की सीमित पहुंच और उपयोग होता है। तमिलनाडु, तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ-साथ इसके *28* जिलों/तालुकों में गंभीर रूप से सूखे की स्थिति की तुलना में, न्यायालय कुल मिलाकर *14.75* टी. एम. सी., यानी *10* टी. एम. सी. *(*तमिलनाडु में भूजल की उपलब्धता के कारण*) + 4.75* टी. एम. सी. *(*पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए, जिसमें पूरे बेंगलुरु शहर की आवश्यकता भी शामिल है*)* के लिए अतिरिक्त मात्रा में पानी देने के लिए इच्छुक है। इन

बातों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक प्रतिस्पर्धी राज्यों में से इसके अधिक हकदार है। इसमें से *14.75* टी. एम. सी. को मात्रा से काट लिया जाएगा।

तमिलनाडु के पक्ष में न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित। इस प्रकार, इस निर्धारण को ध्यान में रखते हुए शेयरों का अंतिम आवंटन निम्नानुसार होगाः

: 284.75 (270 + 14.75) टीएमसी

कर्नाटक तमिलनाडु

: 404.25 (419 – - 14.75) टीएमसी

केरल

: 30 टीएमसी

पांडिचेरी का केंद्र शासित प्रदेश

: 7 टीएमसी

पर्यावरण संरक्षण

: 10 टीएमसी

समुद्र में अपरिहार्य पलायन

: 4 टीएमसी

कुल

: 740 टीएमसी

[पैरा *396] [1113*-ई-एच*; 1114*-ए-बी*]*

16.2 उपर्युक्त आवंटन के परिणामस्वरूप, राज्य

कर्नाटक सरकार को अब तमिलनाडु के साथ अंतर-राज्य सीमा पर, यानी बिलीगुंडुलु में, बेसिन के लिए *177.25* टी. एम. सी. पानी उपलब्ध कराना होगा। ऊपर किए गए संशोधनों के अलावा, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों की जांच को देखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निर्धारण और निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। *[* पैरा *397] [1114*-सी-डी*]*

16.3 न्यायाधिकरण ने एक नियामक की नियुक्ति का निर्देश दिया

संबंधित राज्यों और केंद्रीय जल की मदद से मासिक अनुसूची के कामकाज की उचित निगरानी करने के लिए प्राधिकरण

आयोग ने आगे निर्देश दिया कि ऊपरी नदी तटीय राज्य ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे निचले नदी तटीय राज्यों को पानी की निर्धारित आपूर्ति प्रभावित हो। *[* पैरा *399] [1115*-ए-बी*]*

16.4 पानी की मात्रा में कमी को देखते हुए, अब

कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के साथ अंतर-राज्यीय सीमा पर, यानी बिलीगुंडुलु में जारी किए जाने की आवश्यकता है, तार्किक रूप से, मासिक रिलीज में आनुपातिक कमी होगी जैसा कि निर्धारित किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा। हालांकि, इसके लिए वही पैटर्न, जैसा कि इसके द्वारा मॉडल किया गया है, कम रिलीज के लिए बनाए रखा जाएगा। *[* पैरा *400] [1116*-बी*]*

17. एस की व्याख्या। *6* अंतर-राज्यीय जल विवादों का ए

अधिनियम, *1956:*

17.1 न्यायाधिकरण के निर्णय को आदेश के रूप में माना जाना चाहिए

उच्चतम न्यायालय से। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, *1956* की धारा *6 (2)* में ऐसा कहा गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बल दिया जाए ताकि कोई भी राज्य इस पर आपत्ति न उठा सके और न्यायाधिकरण के निर्देशों द्वारा निर्देशित न हो सके। इस योजना को तैयार करने का उद्देश्य विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए है।

राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

पुरस्कार से। धारा *6* ए का उद्देश्य उस तरीके से कार्य करना है जिसमें पुरस्कार आवंटन को निर्धारित करता है और पानी के आवंटन या बंटवारे के संबंध में विवाद का फैसला करता है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान निर्णय की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक योजना तैयार की जाएगी, ताकि योजना के तहत अधिकारी यह देख सकें कि वर्तमान निर्णय जिसने पुरस्कार को संशोधित किया है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जाने को सुचारू रूप से कार्यात्मक बनाया जाता है और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित राज्यों के अधिकारों का अनुपालन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आवश्यकता-आधारित मासिक रिलीज का सम्मान किया जाना चाहिए। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी आधार पर योजना तैयार करने के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। *[* पैरा *403] [1119*-एफ-एच*; 1120*-ए-बी*]*

17.2 भारत संघ का यह तर्क सही नहीं है कि *1956* के अधिनियम की धारा *6* ए में "मई" शब्द का उपयोग करने की गुंजाइश बची है

के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के विवेक के लिए

एक योजना बनाना। योजना की रूपरेखा विशेष रूप से पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए है या जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संशोधित किया जाता है। *1956* के अधिनियम की धारा *6* ए के तहत तैयार की जाने वाली

योजना के अधीन, वर्तमान निर्णय के संदर्भ में, मासिक रिलीज के संबंध में न्यायाधिकरण की सिफारिशें/निर्देश और किसी भी निर्णय के साथ असंगत नहीं हैं।

इसमें, *15 (*पंद्रह*)* वर्षों की अवधि के लिए वर्तमान के लिए समर्थन किया जाता है। *[*पैरा *404] [1123-*सी-ई*]*

18. विशेष अनुमति द्वारा अपीलों का रखरखावः

18.1 अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, *1956* की धारा *6 (2)* का विधायी उद्देश्य किसी भी प्रकार का जल विवाद पैदा करना नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध। द्वारा पारित पुरस्कार को बाध्यकारी प्रभाव देने के लिए उक्त प्रावधान जोड़ा गया था न्यायाधिकरण। यह कथा उस सीमित उद्देश्य के लिए बनाई गई है।

1956 के अधिनियम की धारा *11* अदालतों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है और यह संविधान के अनुच्छेद *262* में प्रयुक्त भाषा के अनुरूप है। संस्थापक पिताओं ने इस न्यायालय को मूल वाद या शिकायत पर विचार करने की शक्ति प्रदान नहीं की थी और यह संविधान के अनुच्छेद *131* में प्रयुक्त भाषा और इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से स्पष्ट है। धारा *6* की व्याख्या पूर्ण यांत्रिक तरीके से नहीं की जा सकती है और शब्द "एक आदेश या निर्णय के रूप में समान बल" *[2018] 5* एस. सी. आर.

के उद्देश्य के लिए एक आदेश या डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है

इस न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर। यह एक डिक्री नहीं हो सकती है जैसे कि इस अदालत ने किसी मामले का फैसला सुनाया है और एक डिक्री पारित की है। संसद ने इरादा किया है कि इसे निष्पादित या पालन किया जाएगा जैसे कि यह इस न्यायालय की डिक्री हो। किसी प्रावधान की व्याख्या कानून के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय एक अलग रंग देने के लिए नहीं की जानी चाहिए जिसमें एक तकनीकी डिजाइन हो। इसलिए, धारा *6 (2)* अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करती है। *[*पैरा *18] [871-*एच*; 872-*ए-ई*]*

18.2 इस तरह के किसी मामले पर निर्णय देते समय न्यायालय को पूरी तरह से या तो "व्यापक" या "व्यापक" द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

विवाद *100* से अधिक वर्षों की अवधि को शामिल करता है जिसमें सीमाओं में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और बाद की घटनाएं शामिल हैं। यद्यपि अनुच्छेद *136* की प्रयोज्यता के मानदंड सामग्री की सराहना करने और सामग्री के उपयोग के तरीके की जांच करने के लिए व्यापक हो सकते हैं। न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा ली गई राशि के आधार पर सराहना। विशेष अनुमति द्वारा पसंद की जाने वाली वर्तमान अपीलों में, न्यायालय के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना उचित होगा जो न तो व्यापक हो और न ही संकीर्ण हो, बल्कि एक "मध्यस्थ" हो, विशेष रूप से उस विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसमें तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के निवासी शामिल हैं। *[*पैरा *382] [1104-*एफ-एच*; 1105-*ए*]*

तमिलनाडु राज्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य
(1991) पूरक। *1* एससीसी *240: [1991] 2* एस. सी. आर. *501*-निर्भर।

एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम। की स्थिति

हरियाणा *(1979) 2* एससीसी *196: [1979] 1* एससीआर *1070;*

सामान्य कारण वी। भारत संघ और अन्य *(2003) 8*
एस. सी. सी. *250 [2003] 4* पूरक। एससीआर *471;* के. टी. बागान

प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। कर्नाटक राज्य
(2011) 9 एससीसी *1: [2011] 13* एस. सी. आर. *636;* लेखाकार

जनरल, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। एस. के. दुबे और

एक और *(2012) 4* एससीसी *578: [2012] 3* एससीआर *720;* हुकुम चंद बनाम। भारत संघ
(1972) 2 एससीसी *601: [1973] 1* एस. सी. आर. *896* लागू नहीं किया गया।
भारत संघ और एक अन्य *v.* तुलसीराम पटेल *(1985) 3*

एस. सी. सी. *398 [1985] 2* पूरक।

एस. सी. आर. *131;* सत्यवीर सिंह स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* एसटी

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

और अन्य वी। भारत संघ और अन्य *(1985) 4* एससीसी

252 : [1985] 2 पूरक। एससीआर *791;* ए. के. कौल और अन्य

वी. भारत संघ और दूसरा *(1995) 4* एस. सी. सी. *73: [1995]*
3 एससीआर *469;* गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य

(2005) 6 एससीसी *211;* पी. एस. आर. साधनानथम बनाम

अरुणाचलम और दूसरा *(1980) 3* एस. सी. सी. *141;* बंगाल

कोस्टा और एक अन्य वी। बास्कोरा सदाशिव सिनाई नार्कोर्निम
और अन्य। *(1976) 2* एस. सी. सी. *917;* राम प्यारी बनाम। भगवंत

और अन्य *(1990) 3* एस. सी. सी. *364: [1990] 1* एससीआर *813;*

फुलचंद एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम *0.0. 0 .* पेट्रियट *(2011) 10*

एससीसी *300 [2011] 15* एससीआर *1129;* क्रॉम्पटन पार्किंसन

(वर्क्स*)* प्रा. लिमिटेड, बॉम्बे बनाम। इसके कर्मचारी और अन्य
[1959] पूरक। *(2)* एस. सी. आर. *936;* वशित नारायण शर्मा बनाम।

देव चंद्र और अन्य *[1955] 1* एससीआर *509;* राम

भारोसे अग्रवाल बनाम। हर स्वरूप माहेश्वरी *(1976)* *3*
एस. सी. सी. *435;* जमशेद होर्मुसजी वाडिया बनाम। बोर्ड ऑफ

न्यासी, मुंबई बंदरगाह और दूसरा *(2004) 3* एस. सी. सी.

214 [2004] 1 एस. सी. आर. *483*-संदर्भित।

एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम। विदेशी क्षतिपूर्ति *[1969] 1* सभी

ई. आर. *208;* वाशिंगटन राज्य विभाग

पारिस्थितिकी वी. क्लेरेंस ई. और पेगी वी. ग्रिम्स *121* वॉश।
2 डी। *459 ;* इन रेः हेग बनाम। नेफी सिंचाई कंपनी *16* यूटा

421 , 52 पी. *765 (1898): 41* एल. आर. ए. *311*-संदर्भित।
क़ानून कानून की व्याख्या पर क्रेज़-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 8 एससीआर *499*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1991] 2 एससीआर *501*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

[1950] एससीआर *573*

पैरा *67*

संदर्भित किया गया है

(1905) 33 आई ए *1: (1906)* आई. एल. आर. *33* कैल *219*

संदर्भित किया गया है

पैरा *72*

[1971] 3 एस. सी. आर *9*

उस पर भरोसा करें

पारस *73,1*

[2014] 12 एससीआर *875*

संदर्भित किया गया है

पैरा *77*

पीछा किया।

पैरा *99 [201]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 एससीआर *740*

[2006]

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1955] 1 एससीआर *415*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[1951] एससीआर *474*

प्रतिष्ठित

पैरा *8*

[1991] 2 पूरक। एससीआर *497*

संदर्भित किया गया है

पारस

[1963] पूरक। *2* एससीआर *515*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

[1981] 2 एससीआर *417*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1986] 2 एससीआर *278*

पैरा *1*

संदर्भित किया गया है

[1986] 3 एस. सी. आर *923*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1990] 1 पूरक। एससीआर *142*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 4 एससीआर *1018*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 2 एससीआर *1014*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1959] एससीआर *729*

संदर्भित किया गया है

पैरा

ए. आई. आर *1964* एस. सी. *1658*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1966] पूरक। एससीआर *81*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1976] 2 एससीआर *115*

संदर्भित किया गया है

पैरा

2017 (7) SCLAE 234

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1964] 6 एससीआर *846*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1987] 2 एससीआर *691*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 2 पूरक। एससीआर *131*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 2 पूरक। एससीआर *791*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1995] 3 एससीआर *469*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

(2005) 6 एससीसी *211*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

(1980) 3 एससीसी *141*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1959] पूरक। *(2)* एस. सी. आर. *136* को संदर्भित किया गया

पैरा *2*

(1976) 2 एस. सी. सी. *917*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1990] 1 एससीआर *813*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2011] 15 एससीआर *1129*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2* कर्नाटक राज्य का उसके प्रमुख सचिव बनाम। राज्य

ओ. एफ. टी. एन. अपने प्रमुख सचिव द्वारा

[1959] पूरक। *2* एससीआर *936*

संदर्भित किया गया है

पैरा *296*

[1955] 1 एससीआर *509*

संदर्भित किया गया है

पैरा *296*

(1976) 3 एससीसी *435*

संदर्भित किया गया है

पैरा *296*

[2004] 1 एससीआर *483*

पैरा *296*

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 एससीआर *83*

संदर्भित किया गया है

पैरा *350*

अप्रयोज्य रखा गया

[1979] 1 एससीआर *1070*

पैरा *360*

[2003] 4 पूरक। एससीआर *471*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *360*

[2011] 13 एससीआर *636*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *360*

अप्रयोज्य रखा गया

[2012] 3 एससीआर *720*

पैरा *360*

[1973] 1 एससीआर *896*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *360*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. *2453*

2007 का

कावेरी के *05.02.2007* दिनांकित निर्णय और आदेश से

अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, *1956* की धारा *5 (2)* के तहत नई दिल्ली में जल विवाद न्यायाधिकरण।

के साथ

सी. ए. सं. *2454* और *2007* का *2456*।

रंजीत कुमार, एस. जी., मधुसूदन आर. नाइक, अधिवक्ता। जनरल, फाली एस.

नरीमन, एस. एस. जवाली, जयदीप गुप्ता, शेखर नाफड़े, ए. एस. नांबियार, राकेश द्विवेदी, सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहन वी. कटारकी, एस. सी. शर्मा, बृजेश कलप्पा, आर. एस. रवि, वी. एन. रघुपति, जे. एम. गंगाधर, रणवीर सिंह, अब्दुल अजीम कालेबुद्दे, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर, कुणाल चत्तरजी, सौरभ गुप्ता, जी. उमापति, सी. परमशिवम, के. वी. विजयकुमार, बी. बालाजी, एस. वसीम ए. कादरी, श्रीमती माधवी दीवान, अजय शर्मा, सुश्री स्निधा मेहरा, हेमंत आर्य, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री कीर्ति दुआ, सुश्री सौम्या राठौर, सुमित, डी. एस. माहरा, एम. के. मारोरिया, आर. नेदुमारन, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, पी. के. मनोहर, सुश्री शांता वासुदेवन, मनु सुंदरम, रमेश बाबू एम. आर., राजेश महाले, बी. उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई

सूचकांक

पेज नं.

हाय डिंग

एस. नहीं।

6

इस न्यायालय में कार्यवाही

ए.

वर्तमान अपीलें

द्वारा अपीलों की रखरखाव क्षमता

बी.

18

विशेष अवकाश

21

संबंधित सभी पक्षों का रुख

सी.

न्यायाधिकरण को मामले का रिमांड
कानूनी मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद

24

विवाद का संदर्भ

डी.

न्यायाधिकरण

इससे पहले की प्रारंभिक कार्यवाही

29

ई.

न्यायाधिकरण

34

एफ.

राज्य द्वारा अध्यादेश जारी करना

कर्नाटक और राष्ट्रपति
संदर्भ

जी.

विवाद की उत्पत्ति

50

74

सर्वोच्चता का सिद्धांत और इसका

एच.

प्रभाव में आने पर विलुप्त होना
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947*

आई.

अनुच्छेद *363* का उल्लंघन और गैर -

108

विवाद की स्थिरता

समझौतों का आधार

133

1892 की असंवेदनशीलता

जे.

और *1924* के समझौते

के.

आने के बाद समझौतों की स्थिति

147

अधिनियम, *1956*
समाप्ति से संबंधित मुद्दा

164

एल.

समझौते

क्या शिकायत की आवश्यकता नहीं थी*?*

179

एम.

न्यायनिर्णयन*?*

183

एन.

न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण

1974 के बाद और उसी की शुद्धता

ओ.

इससे पहले की दलीलों का सार

197

न्यायाधिकरण

*एड। ध्यान दें: उपरोक्त सूचकांक में उल्लिखित पृष्ठों की योजना देते हुए

निर्णय मूल निर्णय के पृष्ठ संख्या को दर्शाता है।

कर्नाटक के प्रधान सचिव बनाम। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

215

पी. विभिन्न विषयों पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष

मुद्दे

निर्देशात्मक अधिकार और अन्य

215

पी. *1*

दावे

217

पी. *2*

1892 के समझौतों का उल्लंघन

और *1924* और परिणाम

वहाँ से

परिधीय मुद्दों के दावे

219

पी. *3*

पांडिचेरी *(*वर्तमान में नामित*)*

*"*पुडुचेरी *")*

सकल जल उपलब्ध है

222

पी. *4*

विभाजन

जल का सतही प्रवाह

222

पी. *4 (*आई*)*

भरोसेमंद की पहचान

पी. *4 (ii)*

228

पैदावार

पी. *4 (iii)*

पानी का अतिरिक्त स्रोत

231

विभाजन के सिद्धांत

241

पी. *5*

सिंचित

निर्धारण

255

पी. *6*

कर्नाटक
जल का मूल्यांकन

269

पी. *7*

"तमिलनाडु में सिंचाई की आवश्यकताएँ

और कर्नाटक

297

जल का मूल्यांकन

पी. *8*

"घरेलू

और औद्योगिक

तमिलनाडु में उद्देश्य और

कर्नाटक

जल का मूल्यांकन

305

पी. *9*

"पर्यावरण संरक्षण और

समुद्र में अपरिहार्य पलायन "

तमिलनाडु और कर्नाटक में

राज्य के लिए जल आवंटन

पी. *10*

308

केरल और केंद्र शासित प्रदेश

पांडिचेरी *(*वर्तमान में नामित*)*

"पुडुचेरी *")*

के बीच अंतिम जल आवंटन

325

पी. *11*

प्रतिस्पर्धी राज्य

वितरण के लिए मासिक अनुसूची

327

पी. *12*

अंतर-राज्य संपर्क में पानी

अंक

क्यू.

335

तंत्र *(*कावेरी प्रबंधन बोर्ड*)*

न्यायाधिकरण के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए *[2018] 5* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

337

न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश

आर.

राज्य की ओर से दिए गए तर्क

एस.

345

कर्नाटक के आवंटन के संबंध में

विभिन्न सिरों पर पानी

एस. *1*

श्री फली एस.

345

नरीमन

एस. *2*

श्री एस. एस. जवाली की प्रस्तुतियाँ

349

श्री मोहन द्वारा उठाया गया मत

351

एस. *3*

वी. कटारकी

श्री श्याम के प्रस्ताव

360

एस. *4*

दीवान

तमिल राज्य द्वारा प्रस्तुत तर्क

368

टी.

नाडू

368

श्री शेखर की प्रस्तुतियाँ

टी. *1*

नाफा दे

विवादात्मक बातें

श्री द्वारा उठाया गया।

384

टी. *2*

राकेश द्विवेदी

राज्य की ओर से दिए गए तर्क

यू.

387

केरल का

संघ की ओर से निवेदन

395

वी.

पुडुचेरी का क्षेत्र

भारत संघ की ओर से तर्क

398

डब्ल्यू.

आबंटन के मुद्दों पर हमारे निष्कर्ष

402

एक्स.

विभाजन के सिद्धांत

एक्स. *1*

402

पालन किया जाए।

'सिंचित' का निर्धारण

422

एक्स. *2*

तमिलनाडु में हैं और

कर्नाटक

जल का मूल्यांकन

एक्स. *3*

426

" तमिलनाडु में सिंचाई की आवश्यकताएँ

और कर्नाटक

431

राज्य के लिए जल आवंटन

एक्स. *4*

केरल

संघ के लिए जल आवंटन

432

एक्स. *5*

पुडुचेरी का क्षेत्र

भूजल की मान्यता

एक्स. *6*

433

तमिल में एक अतिरिक्त स्रोत

नाडू

एक्स. *7*

घरेलू के लिए जल आवंटन

438

और तमिल में औद्योगिक उद्देश्य

नाडू

घरेलू के लिए जल आवंटन

एक्स. *8*

439

राज्य के औद्योगिक उद्देश्य और

कर्नाटक राज्य के अपने प्रमुख सचिव द्वारा *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

एक्स. *9*

पानी का आवंटन

446

पर्यावरण संरक्षण

आवंटन

447

एक्स. *10*

संशोधित किया गया

पानी।

प्रतिस्पर्धी राज्यों के बीच

1956 के अधिनियम की धारा *6* ए की व्याख्या

452

वाई.

457

जेड।

धारावाहिक में निष्कर्ष

अपीलों के इस समूह में, हमलावर दिनांकित *05.02.2007* पुरस्कार के लिए है।

व्यक्तिगत धारणा, दृष्टिकोण और समझ के अनुसार कावेरी नदी के पानी का बंटवारा। यह उल्लेख करने योग्य है कि दो प्रमुख राज्य हैं, अर्थात् कर्नाटक राज्य और तमिल राज्य। नाडू जो प्रतिद्वंद्वियों के रूप में केंद्र में रहता है। अन्य दो, केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी *(*वर्तमान में नामित*)*

"पुडुचेरी*)* ने अपने तरीके से पुरस्कार पर हमला किया और मुख्य पात्रों के रुख और रुख की भी गंभीर रूप से आलोचना की क्योंकि उनके प्रबल, मुखर और अडिग रवैये के कारण वे न केवल उपेक्षित और भेदभाव महसूस करते हैं, बल्कि यह विचार रखने के लिए भी मजबूर हैं कि उनमें से दो ने पानी छोड़ने के संबंध में अपने अधिकार में बाधा उत्पन्न की है।

A. वर्तमान अपीलों में इस न्यायालय में कार्यवाही

2. अपीलों की सुनवाई शुरू होने से पहले, स्थानांतरित किए जाने पर

तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए। यह आवश्यक है कि

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रकृति को समझिए, क्योंकि उक्त कथन के बिना, यह एक अपूर्ण विवरण होगा। हम तुरंत कह सकते हैं कि हम विवादों की उत्पत्ति के लिए कुछ जगह समर्पित करेंगे क्योंकि यह *100* साल से अधिक की यात्रा करता है और पक्षों के विद्वान वकील ने इस संबंध में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ बहस की है। उक्त प्रस्तुतियाँ

उचित समय पर नोट किया जाएगा और संबोधित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाए कि एक स्तर पर,

अन्य आदेशों ने भी प्रतिस्पर्धा करने वाले राज्यों के रुख को दर्शाया और कहाँ *1 1 (2017) 3* एससीसी *362 [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और कैसे उन्हें न्यायालय के आदेश को स्वीकार करके और विचलित मार्ग न अपनाते हुए कानून के शासन के पोषित सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाना था। *3.* हालाँकि यह पुरस्कार *5* फरवरी, *2007* को पारित किया गया था, फिर भी इसे *19* फरवरी, *2013* की अपेक्षित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया था। उस पर

10.05.2013 , *2007* के सिविल अपील सं. *2456* में आई. ए. सं. *5/2013* में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने *19* फरवरी, *2013* की अधिसूचना पर ध्यान देते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि उक्त अधिसूचना निम्नलिखित थीः केंद्र सरकार ने *5* फरवरी, *2007* के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को लागू करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में एक पर्यवेक्षी समिति का गठन करने का आदेश पारित किया, जिसे *19* फरवरी, *2013* की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया कि उक्त पर्यवेक्षी समिति में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष के रूप में और संबंधित राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

4. आदेश में स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त अस्थायी व्यवस्था थी

लंबित दीवानी अपीलों, अर्थात् दीवानी अपील संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। *2453 2007* का *2454* और *2007* का *2456*। इसके अलावा, आदेश ने केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर उक्त व्यवस्था में संशोधन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

5. तमिलनाडु राज्य द्वारा *2007* की सिविल अपील संख्या *2456* में *2016* की आई. ए. संख्या *10* दायर की गई थी, जिसमें श्री शेखर नाफडे को पता चला था कि

आवेदक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया था कि कर्नाटक राज्य न्यायाधिकरण द्वारा अपने अंतिम आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और उक्त आदेश का घोर उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा, बहस के दौरान, श्री नाफडे ने बताया था कि अगर कर्नाटक राज्य द्वारा पानी नहीं छोड़ा गया, तो 'सांबा' फसलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, जिससे तमिल राज्य के किसानों को अस्वीकार्य दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा।

नाडू। *6.* इसके विपरीत, कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री फली एस. नरीमन ने न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खंड *IX* के पैराग्राफ 'डी' की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया था।

जो नीचे लिखा हैः

"डी. प्राधिकरण पांच साल की अवधि के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रीय जल आयोग की मदद से मासिक अनुसूची के कामकाज की उचित रूप से निगरानी करेगा और यदि इसके प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक में कोई संशोधन/टीई किया गया है।

स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसके बाद अनुसूची में समायोजन की आवश्यकता होती है, इस पर काम किया जा सकता है

पार्टी राज्यों के साथ परामर्श करके, और केंद्र की मदद से

भविष्य में परिवर्तन किए बिना इसे अपनाने के लिए जल आयोग दलों के बीच वार्षिक आवंटन।

कर्नाटक राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया था

तमिलनाडु राज्य की ओर से संपर्क करना अनिवार्य है

परामर्शी समिति जिसका गठन दिनांकित अधिसूचना द्वारा किया गया था

मई, *2013*। श्री नरीमन ने भी पीठ का ध्यान आकर्षित किया था

अधिसूचना के अग्रग्राफ *2* और *3* जो संविधान से संबंधित हैं

पर्यवेक्षी समिति की भूमिका।

बेहतर प्रशंसा के लिए, हम सोचते हैं कि उक्त को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन है।

रैफ्स। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

पर्यवेक्षी समिति का गठनः

समिति)। *(2)* उप-नियम *(1)* में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे -

निम्नलिखित, अर्थात्:

सचिव, जल मंत्रालय

सभापति

(अ)

संसाधन, भारत सरकार

पदेन

राज्य के मुख्य सचिव,

(ख)

सदस्य, पदेन

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकारें

या उसका विधिवत मनोनीत

प्रतिनिधि

अध्यक्ष, केंद्रीय जल

सदस्यों,

((ग)

पदेन

आयोग

((घ)

मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल

सदस्य

आयोग के सचिव

सचिव

3. समिति की भूमिकाः - समिति की भूमिका न्यायाधिकरण के *5* फरवरी, *2007* के आदेश के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाना होगाः

बशर्ते कि किसी भी संदेह या कठिनाई के मामले में, अध्यक्ष, पर्यवेक्षी समिति और यदि आवश्यक हो, तो कोई भी पक्ष अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस के साथ उचित निर्देशों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। *2016* के उक्त आई. ए. *No.10* की कार्यवाही के दौरान, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने पीठ को एक नोट सौंपा।

7 सितंबर, *2016* से *12* सितंबर, *2016* तक। दूसरी ओर, श्री नाफडे ने कहा कि प्रतिदिन *10000* क्यूसेक *(*लगभग *0.86* टी. एम. सी.*)* के बजाय प्रतिदिन *20000* क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए। *7.* पीठ ने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद *5* सितंबर, *2016* को निम्नलिखित में एक आदेश पारित कियाः

शर्तेंः

" (क) आवेदक, तमिलनाडु राज्य, आज से तीन दिनों के भीतर पर्यवेक्षी समिति से संपर्क करेगा। कर्नाटक राज्य द्वारा जवाब, यदि कोई हो, तीन दिनों के भीतर दाखिल किया जाए।

वहाँ से। *(ख)* पर्यवेक्षी समिति इस संबंध में दाखिल करने की तारीख से चार दिनों के भीतर उचित निर्देश पारित करेगी।

न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए संदर्भ। यह स्पष्ट किया जाए कि पर्यवेक्षी समिति न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में उपयोग की गई भाषा से बाध्य है।

(ग) तत्काल व्यवस्था पर आते हुए, कर्नाटक राज्य द्वारा दिखाए गए भाव और श्री नाफडे द्वारा पीड़ा के साथ पेश की गई दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि बिलीगुंडुलु में प्रति दिन *15* क्यूसेक पानी छोड़ा जाए।

कर्नाटक राज्य द्वारा दस दिनों के लिए।

(घ*)* तमिलनाडु राज्य को पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अनुपात में "।

8. 06.09.2016 पर, इस मामले को उठाया गया क्योंकि *05.09.2016* के आदेश में गलत तरीके से *10* क्यूसेक और *20* क्यूसेक का उल्लेख किया गया था। पैराग्राफ *1* में क्यूसेक और उप-पैराग्राफ *(*सी*)* में *15* क्यूसेक जिन्हें क्रमशः *10000* क्यूसेक, *20000* क्यूसेक और *15000* क्यूसेक के रूप में पढ़ने की आवश्यकता थी। उस दिन सुधार किए गए थे।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

9. दिनांकित *05.09.2016* आदेश के संशोधन के लिए एक आवेदन, अर्थात। *, 2007* की सिविल अपील *No.2456* में *2016* की *I. A. No.10* में *2016* की *I. A.* संख्या *12* का उल्लेख *11.09.2016* पर किया गया था जिसे तत्काल सुनवाई के लिए एक हलफनामे के आधार पर *12.09.2016* पर लिया गया था।

10. उक्त हलफनामे के पैराग्राफ *3* के माध्यम से, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित *5* सितंबर, *2016* के अंतरिम आदेश में संशोधन करना आवश्यक था क्योंकि कर्नाटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वतःस्फूर्त आंदोलनों ने सामान्य जीवन को पंगु बना दिया था और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश हुआ था यह सैकड़ों करोड़ रुपये का है। प्रतिवादी ने आगे कहा था कि आवेदन में बताई गई जमीनी वास्तविकताओं, जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन की आवश्यकता थी।

11. न्यायालय ने उक्त शपथपत्र और संशोधन के लिए संलग्न आवेदन को देखने के बाद कहा कि आवेदन में कुछ बातें शामिल हैं -

ऐसे अभिकथन जिनके बारे में पहले के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले न्यायालय में दायर किए जाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनायास या किसी प्रेरणा से प्रेरित या किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक घटक द्वारा प्रेरित आंदोलन कभी भी किसी आदेश में संशोधन की मांग के लिए आधार नहीं बना सकता है। न्यायालय ने कहा कि उसके आदेश का सभी संबंधित लोगों द्वारा पालन किया जाना बाध्य है और यह कार्यपालिका का दायित्व है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि नागरिक अपने लिए कानून नहीं बन सकते हैं और जब कोई अदालत कोई आदेश पारित करती है, तो उसका पालन करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। अदालत ने आवेदन में दलीलों और तत्कालता के लिए दायर हलफनामे पर भी नाराजगी व्यक्त की और इसकी निंदा की।

12. कर्नाटक राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि

इसके बाद न्यायालय आवेदन में मांगी गई राहतों के संबंध में श्री नरीमन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। आवेदन में मुख्य रूप से इस न्यायालय के दिनांक *05.09.2016* के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। *(* जैसा कि *06.09.2016* पर सुधार किया गया है*)* और *06.09.2016* पर सुधार किए

गए अपने दिनांकित *05.09.2016* के आदेश में इस न्यायालय के निर्देशों के खंड *(सी)* को स्थगित रखने के लिए एक आदेश।

13. दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत दलीलों पर उचित विचार करने के बाद, न्यायालय *[2018] 5* एस. सी. आर. का था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विचार कि स्थगन की प्रार्थना स्वीकृति के योग्य नहीं थी और तदनुसार, उसे अस्वीकार कर दिया। जहां तक संशोधन के अनुरोध का संबंध है, न्यायालय ने *5* सितंबर, *2016* के आदेश को इस हद तक संशोधित किया कि कर्नाटक राज्य प्रति दिन *12000* क्यूसेक पानी छोड़ेगा और उक्त निर्देश *20* सितंबर, *2016* तक लागू रहेगा। न्यायालय ने पर्यवेक्षी समिति को दोनों राज्यों में पानी की कमी और किसानों की दुर्दशा की स्थिति के संबंध में न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के अनुरूप निर्णय पर पहुंचने का भी निर्देश दिया।

आदेश देते हुए, न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया और कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण के निर्देशों पर ध्यान दिया। इसके बाद न्यायालय ने भारत संघ को कावेरी नदी का गठन करने का निर्देश दिया चार सप्ताह के भीतर प्रबंधन बोर्ड और अदालत के समक्ष पेश करें

चार सप्ताह के बाद अधिसूचना से संकेत मिलता है कि उक्त बोर्ड का गठन कर दिया गया है। एक अंतरिम उपाय के रूप में, न्यायालय ने कर्नाटक राज्य को *21* सितंबर, *2016* से *27* सितंबर, *2016* तक *6000* क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया।

15. 27.09.2016 पर, न्यायालय ने केंद्र सरकार को चर्चा करने के लिए अवगत कराने के लिए भारत के विद्वान महान्यायवादी की सहायता मांगी

दोनों राज्यों के साथ ताकि एक अंतरिम समाधान निकाला जा सके। आई. डी. *1* पर, कार्यवाही के कार्यवृत्त को भारत के विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने दो पत्र प्रस्तुत किए और उसी को रिकॉर्ड में लेने का अनुरोध किया और उक्त प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने *5* तारीख के आदेश को संशोधित किया।

सितंबर, *2016*। ये दोनों पत्र श्री नरीमन और राज्य सरकार के बीच अनुपालन से संबंधित संचार से संबंधित थे। इस न्यायालय के आदेश से। प्रकरण का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यहाँ यह बताने योग्य है कि *04.10.2016* पर, इस मामले को उठाया गया था जैसा कि भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा उल्लेख किया गया था। द.

आराम किया गया। श्री नरीमन ने न्यायालय की सहायता की। हम यहाँ यह कहना आवश्यक समझते हैं कि श्री नरीमन ने साहसपूर्वक सर्वोच्च स्तर तक जीवन व्यतीत किया था। बार की परंपरा और हमने अपने निर्बाध परिग्रहण को दर्ज किया था।

कर्नाटक के प्रमुख सचिव वी द्वारा कर्नाटक का राज्य बनें। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसने नोट किया कि पक्षों के विद्वान वकील और भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी को सुनने के बाद, अदालत ने एक अंतरिम समाधान पर पहुंचने के लिए एक उच्च शक्ति तकनीकी दल का गठन किया और कर्नाटक राज्य को *7.10.2016* से *18.10.2016* तक *2000* क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया।

16. सुनवाई की अगली तारीख यानी *18.10.2016* पर समिति की रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लेकिन यह देखा गया कि समिति ने ऐसा नहीं किया था

उस दिन, अंतरिम आदेश की प्रकृति पर विचार करने के लिए भी मुद्दा उठा। *7.10.2016* से *2000* क्यूसेक पानी छोड़ने के संबंध में, कर्नाटक राज्य के लिए श्री नरीमन की सहायता करने वाले कर्नाटक के विद्वान महाधिवक्ता श्री मधुसूदन आर. नाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि *18.10.2016* के आदेश का पालन किया गया था। अंतरिम उपाय के माध्यम से पानी छोड़ने के संबंध में प्रस्तुतियों को नोटिस करने के बाद, गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। उस दिन, इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को इस प्रभाव से दोहराया गया था कि दोनों राज्यों की कार्यपालिका यह देखेगी कि शांति और दोनों राज्यों में सद्भाव बनाए रखा जाएगा और नागरिक अपने लिए कानून नहीं बनेंगे। इसके अलावा, यह आदेश दिया गया कि यह सुनिश्चित करना कार्यपालिका का दायित्व होगा कि जब मामले की सुनवाई की जाए और अंतरिम आदेश पारित किया जाए और जब कर्नाटक राज्य आदेश का पालन कर रहा हो, तो दोनों राज्यों और नागरिकों के बीच सम्मान की पारस्परिकता बनी रहे। आदेश ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि कानून और व्यवस्था का रखरखाव और सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल उन्नत लोकतंत्र का संकेत है।

17. हमने अंतरिम आदेशों की व्याख्या की है क्योंकि हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि वे पुनः प्रस्तुत किए जाने के योग्य हैं क्योंकि वे आवश्यक हैं।

हम अंतिम निर्णय में क्या कहने जा रहे हैं।

ख. विशेष अनुमति द्वारा अपीलों का रखरखाव

18. जैसा कि पहले कहा गया है, भारत के विद्वान महान्यायवादी ने अपीलों की स्थिरता के संबंध में मुद्दा उठाया। कर्नाटक राज्य *(*ऊपर*)* के कथित निर्णय में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कब

धारा *6 (2)* के विधायी इरादे को समझने के लिए वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों द्वारा निर्णय लिया गया, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि *[2018] 5* एस. सी. आर.

इस न्यायालय से। उक्त प्रावधान को न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बाध्यकारी प्रभाव देने के लिए जोड़ा गया था। अदालत ने राय दी कि कल्पना उस सीमित उद्देश्य के लिए बनाई गई है। *1956* के अधिनियम

की धारा *11* अदालतों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह संविधान के अनुच्छेद *262* में नियोजित भाषा के अनुरूप है। द. संस्थापक पिताओं ने इस न्यायालय को किसी मूल मुकदमे या शिकायत पर विचार करने की शक्ति प्रदान नहीं की थी और यह संविधान के अनुच्छेद *131* में प्रयुक्त भाषा और इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से स्पष्ट है। न्यायालय ने आगे कहा कि धारा *6* की व्याख्या पूर्ण यांत्रिक तरीके से नहीं की जा सकती है और "आदेश या निर्णय के समान बल" शब्दों को इस न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करने के उद्देश्य से आदेश या डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उसी को विस्तार से बताते हुए, यह माना गया कि यह एक डिक्री नहीं हो सकती है जैसे कि यह अदालत ने एक मामले पर फैसला सुनाया है और एक आदेश पारित किया है। संसद

इसका आशय यह है कि इसे निष्पादित या पालन किया जाएगा जैसे कि यह इस न्यायालय की डिक्री हो। अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि किसी प्रावधान की व्याख्या एक अलग रंग देने के लिए नहीं की जानी चाहिए जिसमें कानून के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय एक तकनीकी डिजाइन हो। कल्पना से संबंधित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या, विधायिका की मंशा और प्रावधान के अंतिम उद्देश्य और प्रभाव ने अदालत को इन प्रावधानों से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।

भारत संघ की ओर से प्रस्तुतियाँ कि धारा *6 (2)* अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। उस स्तर पर, न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया:

"हम एक पहलू स्पष्ट करना चाहेंगे। कर्नाटक राज्य के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष हमारी सराहना की है, जिनका हम पहले ही संविधान के अनुच्छेद *136* के संदर्भ में उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन उक्त वर्णन के पीछे का उद्देश्य सिविल अपीलों की स्थिरता के संदर्भ में उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान के व्यापक कैनवास को दिखाना है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश को उक्त संवैधानिक प्रावधान के मापदंडों के भीतर कैसे निर्णय दिया जाएगा, इस पर बहस की जानी चाहिए जब हम अंत में सिविल के विषय से संबंधित विवाद को संबोधित करते हैं।

अपील "।

19. निर्णय के पैरा *82* का उल्लेख करते हुए, कर्नाटक राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि

न्यायालय को अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य के अनुच्छेद *136* के तहत प्रदत्त व्यापक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इस प्रकार के मामले में संविधान का और अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें। अन्य राज्यों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का भी यही निवेदन था। यह स्पष्ट किया जाए कि प्रत्येक एक प्रतियोगी अपीलार्थी है

उत्तरदाता भी।

20. हाथ में विवाद को ध्यान में रखते हुए, हम अन्य कानूनी मुद्दों पर विज्ञापन देना और इस पर तथ्यात्मक स्कोर की सराहना करना उचित समझते हैं।

आवश्यक मापदंड जिनका हमारे विचार-विमर्श के दौरान खुलासा किया जाएगा। हम वर्तमान में इसे व्यापक या व्यापक दृष्टिकोण या प्रतिबंधित या संकीर्ण दृष्टिकोण के रूप में नहीं बताना चाहते हैं। उक्त अवधारणा पर प्रासंगिक स्तर पर ध्यान दिया जाएगा।

ग. मामले की रिमांड से संबंधित सभी पक्षों का रुख
कानूनी मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद न्यायाधिकरण

21. अपीलों की सुनवाई की शुरुआत में, कर्नाटक राज्य की ओर से एक गंभीर आलोचना की गई थी कि

न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई बंद होने पर, तमिलनाडु राज्य ने एक हलफनामा दायर किया जिसे टी. एन. एक्स्ट के रूप में चिह्नित किया गया था। *1665* और जब आपत्तियाँ उठाई गईं, तो न्यायाधिकरण ने आश्वासन दिया था कि उक्त दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से न्यायाधिकरण ने हलफनामे की सामग्री का उल्लेख किया था और उसी पर भरोसा किया था। यह ध्यान दिया जाए कि उक्त हलफनामा न्यायाधिकरण द्वारा *12.11.2002* पर पारित स्वतः संज्ञान आदेश के कारण अस्तित्व में आया जो इस प्रकार है:

"दलीलों की सुनवाई के दौरान यह पता चला कि अधिकांश नदी तटीय राज्य जो कार्यवाही में पक्षकार हैं, धान की खेती करते हैं और फसल के पकने तक कम से कम *2* से *3* इंच पानी खेतों में रहने देते हैं। हमें बताया जाता है कि यह

पारंपरिक प्रथा जिसका पालन किया जा रहा है:
भारत के कई राज्यों में रोपण के बाद धान की फसलों को समय-समय पर पानी दिया जाता है और खेतों में एक विशेष स्तर का पानी पूरे समय नहीं रहना पड़ता है। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि पारंपरिक प्रथा, जिसका कावेरी बेसिन राज्यों में पालन किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से खेतों में अधिक पानी का उपभोग करेगी और इसकी आवश्यकता होगी।

1973 से अलग-अलग सिफारिशें की गई हैं।

हमसे पहले तटवर्ती राज्यों से अनुरोध है कि वे कावेरी नदी के पानी का उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था का अभ्यास करें।

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि पिछले कई वर्षों के दौरान, कदम *[2018] 5* एस. सी. आर.

जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। कर्नाटक, केरल और केरल राज्यों की ओर से भी ऐसा ही रुख अपनाया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी।

यह प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि यह बेहतर वैज्ञानिक तरीके हैं
धान की खेती में अपनाया गया, पानी की आवश्यकता बाध्य है

कम होना। सभी पक्षीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी आज से छह सप्ताह के भीतर अपने-अपने हलफनामे दाखिल करेंगे कि खेती के लिए पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए पहले ही क्या कदम उठाए जा चुके हैं और निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है। हलफनामे में यह भी बताया जाना चाहिए कि विभिन्न फसल किस्मों के लिए न्यूनतम किस डेल्टा की आवश्यकता है।

राज्यों "।

प्राकृतिक न्याय के प्रमुख पहलू के रूप में, इसे रिकॉर्ड पर लिया और इसे एक्स्ट के रूप में चिह्नित किया। *1665.* कर्नाटक राज्य के वरिष्ठ वकील के अनुसार न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया था कि तमिलनाडु द्वारा दायर हलफनामे पर उसके मामले के समर्थन में भरोसा नहीं किया जाएगा और मामले पर पहले से ही लाए गए तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा रिकॉर्ड करें।

23. उक्त निवेदन का तमिलनाडु राज्य ने यह कहते हुए समान रूप से गंभीरता से विरोध किया कि उक्त हलफनामे में कुछ भी नहीं था

नया लेकिन केवल पहले से ही रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का संकलन था। जैसे-जैसे बहस जारी रही, पक्षों के विद्वान वकील को यह सुझाव दिया गया कि क्या उक्त आधार पर मामले को न्यायाधिकरण को भेजना उचित होगा। इस मोड़ पर, कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के गठन की तारीख से *27* साल से अधिक समय बीत जाने पर विचार करते हुए और यह भी विचार करते हुए कि विवाद के सभी राज्य पक्ष इस न्यायालय के समक्ष थे और उनमें से प्रत्येक ने न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को चुनौती दी थी, इस न्यायालय के लिए अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य के अपने अधिकार का प्रयोग करना उचित होगा।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत और अंत में मामले का फैसला करें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायिक घोषणाओं के अनुसार, अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय की शक्ति, जिसे अनुच्छेद *142* के साथ पढ़ा जाता है, पूर्ण है। सामान्य कानून के दायरे से बाहर उन मामलों में प्रयोग किया जा सकता है जहां न्याय की आवश्यकता वर्तमान मामले की तरह हस्तक्षेप की मांग करती है। वर्तमान विवाद एक अनोखा है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और इसमें शामिल दांव अद्वितीय हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए न्यायाधिकरण को भेजना एक व्यर्थ की कवायद होगी और सभी संबंधित पक्षों के संसाधनों पर नकेल कसना होगा, जिससे बचा जाना चाहिए।

24. हम यहां सार्थक रूप से कह सकते हैं कि सभी विद्वान वकीलों ने, कम से कम इस मुद्दे पर, सर्वसम्मति से कहा कि रिमांड इस तरह के विवाद का कोई समाधान नहीं है और इस अदालत को कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर फैसला करना चाहिए ताकि विवाद को शांत किया जा सके। इसके बाद, अपीलों की सुनवाई जारी रही। तदनुसार, हम विभिन्न कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे जो प्राथमिकता और सर्वोच्च चिंता के हैं और उसके बाद प्राप्त करने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का विज्ञापन करेंगे।

D. न्यायाधिकरण को विवाद का संदर्भ

25. तमिलनाडु राज्य ने इसके समक्ष एक अनुरोध दायर किया

भारत सरकार जल विवाद उठाती है और अनुरोध करती है कि

1956 के अधिनियम की धारा *3* के तहत गठित एक न्यायाधिकरण द्वारा उसी का निर्णय। *6* जुलाई, *1986* की उक्त शिकायत में तमिलनाडु राज्य की ओर से कहा गया था कि कर्नाटक सरकार के साथ इस तथ्य के कारण जल विवाद उत्पन्न हुआ था कि कावेरी के जल में तमिलनाडु राज्य और उसके निवासियों के हित, जो एक अंतर-राज्यीय नदी है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। उक्त पत्राचार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" (क) काबिनी, हेमवती, हारंगी, स्वर्णवती और अन्य के निर्माण में कर्नाटक राज्य द्वारा की गई कार्यकारी कार्रवाई।

परियोजनाएँ और ए. आई. सी. टी. का विस्तार
(i) किस कार्यकारी कार्रवाई के परिणामस्वरूप भौतिक रूप से कमी आई है

तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति।

((ii) किस कार्यकारी कार्रवाई ने पहले से अर्जित और मौजूदा अयकुटदार के निर्देशात्मक अधिकारों को भौतिक रूप से प्रभावित किया है;

((iii) कौन सी कार्यकारी कार्रवाई भी *1892* के उल्लंघन में है और

1924 समझौते; और *[2018] 5* एस. सी. आर.

((b) कर्नाटक सरकार को लागू करने में विफलता

कावेरी जल का वितरण और नियंत्रण।
दोनों राज्यों के बीच अब तक हुई द्वीपक्षीय वार्ताएँ

कर्नाटक और तमिलनाडु पूरी तरह विफल रहे हैं।
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा *1970* से बातचीत द्वारा लंबे समय से लंबित इस जल विवाद को निपटाने के लिए किए गए सभी गंभीर प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं।

इसलिए, यह अनुरोध तमिलनाडु सरकार द्वारा इंटर की धारा *3* के तहत भारत सरकार से किया जाता है।

राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* इस जल विवाद को एक

न्यायाधिकरण "।

26. शिकायत में विवाद से जुड़े मामलों और बातचीत द्वारा विवादों को निपटाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया था। "कावेरी नदी", "कावेरी बेसिन में सिंचाई का विकास", "*1892* और *1924* के अंतर-राज्य समझौते", "उपरोक्त दो समझौतों का उल्लंघन" जैसी व्यापक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है।

"कर्नाटक", "तमिलनाडु की चिंता", "सितंबर, *1969* में निर्णय के लिए तमिलनाडु का पहला आह्वान", "फरवरी, *1970* में निर्णय के लिए तमिलनाडु का औपचारिक अनुरोध", चर्चा और बातचीत में तमिलनाडु की निरंतर भागीदारी "," सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु द्वारा मुकदमा दायर करना "," प्रधानमंत्री की सलाह "," कावेरी तथ्य खोज समिति *(*सी. एफ. एफ. सी.*)* "," केंद्र सरकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विचार "," कर्नाटक के साथ पिछली द्विपक्षीय चर्चाएँ आयोजित की गईं।

2316 जून, *1986* को बैंगलोर *(*अब बेंगलुरु के रूप में जाना जाता है*)* में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक और घटनाओं का वर्णन। इसके बाद, विवाद को न्यायाधिकरण को भेजने के लिए शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया गया। उक्त भाग इस प्रकार हैः

" *1974-75* के बाद से, कर्नाटक सरकार अपने जलाशयों में सभी प्रवाहों को रोक रही है। केवल उनके बाद जलाशय भर जाते हैं, अतिरिक्त प्रवाह कम हो जाता है। कर्नाटक की एकतरफा कार्रवाई के कारण पिछले एक दशक में इस राज्य को हुई क्षति और हर बार जब फसलें मुरझाने की अवस्था में पहुंचती हैं तो कुछ टी. एम. सी. पानी के लिए इधर-उधर भागने से हमें हुई पीड़ा को संक्षेप में नोट में बताया गया है *(*एनक्लोजर-*XXVIII)*। यह पेटेंट है कि कर्नाटक सरकार ने अंतर-राज्य समझौतों का बुरी तरह से उल्लंघन किया है और इस राज्य में सदियों पुरानी सिंचाई को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। साल दर साल, कर्नाटक के मेट्टूर टीई में इसके प्रमुख सचिव वी.

स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

तेजी से गिर रहा है और बेसिन में हमारी आयकट में हजारों एकड़ भूमि परती रहने के लिए मजबूर है। तमिल में मौजूदा आयकट का बड़ा हिस्सा

तमिलनाडु मुख्य रूप से तंजावुर और तिरुचिरापल्ली में केंद्रित है। जिले पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित हैं क्योंकि खेती के कार्यों में लंबे समय से देरी हो रही है, पारंपरिक दोहरी फसल वाली भूमि एकल फसल वाली भूमि में सिमट रही है और एकल फसल वाली भूमि में भी फसलें मुरझा रही हैं और महत्वपूर्ण समय पर पर्याप्त नमी के अभाव में विफल हो रही हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि विवाद को हल करने में अत्यधिक देरी का फायदा कर्नाटक सरकार ने अपनी नहर प्रणालियों का विस्तार करने और नई नहर प्रणाली में उनकी कटौती करने में उठाया है।

परियोजनाओं और हर दिन की देरी से होने वाली क्षति बढ़ रही है

हमारी मौजूदा सिंचाई।

तमिलनाडु सरकार का दृढ़ मत है कि "कर्नाटक सरकार के साथ जल विवाद इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ है कि कावेरी के जल में तमिलनाडु राज्य और उसके निवासियों के हित, जो एक अंतर-राज्य यकृत है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

ओ कर्नाटक राज्य द्वारा कबिनी, हेमवती, हारंगी, स्वर्णवती और अन्य परियोजनाओं के निर्माण और आयकटों के विस्तार में की गई कार्यकारी कार्रवाईः

(i) किस कार्यकारी कार्रवाई के परिणामस्वरूप भौतिक रूप से कमी आई है

तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति;

((ii) किस कार्यकारी कार्रवाई ने पहले से अर्जित अवकूटदारों के निर्देशात्मक अधिकारों को भौतिक रूप से प्रभावित किया है और

' विद्यमान; और

((ग) कौन सी कार्यकारी कार्रवाई भी *1892* के उल्लंघन में है और

1924 समझौतों; और

) शर्तों को लागू करने में कर्नाटक सरकार की विफलता

उपयोग, वितरण से संबंधित *1892* और *1924* के समझौते

और कावेरी जल का नियंत्रण। दोनों राज्यों के बीच अब तक हुई द्वीपक्षीय वार्ताएँ

कर्नाटक और तमिलनाडु पूरी तरह विफल रहे हैं।

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा *1970* से इस लंबे समय से लंबित जल विवाद को बातचीत के माध्यम से निपटाने के लिए अब तक किए गए सभी गंभीर प्रयास। वे पूरी तरह से विफल रहे हैं।

इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कावेरी जल विवाद को अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम की धारा *4* के प्रावधानों के तहत निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण को भेजा जाए।

1956 बिना किसी देरी के "।

27. उपरोक्त अनुरोध पत्र के आधार पर, केंद्र सरकार ने *2* जून, *1990* की अधिसूचना द्वारा,

(भारत सरकार*)* जल संसाधन मंत्रालय

(जल संसद मंत्रालय*)*

नई दिल्ली, *2* जून, *1990* संदर्भ

अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, *1956 (1956* का *33)* की धारा *5* की उप-धारा *(1)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केंद्र सरकार एतद्वारा कावेरी जल का उल्लेख करती है
न्यायनिर्णयन हेतु विवाद न्यायाधिकरण, अंतरराज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद, पत्र संख्या *17527/*के*2/82-110* दिनांक *6* जुलाई, *1986* से

तमिलनाडु सरकार *(*प्रति संलग्न*)*।

आदेश से और नाम से

भारत के राष्ट्रपति

(एम. ए. चिताले*)*

सचिव, *(*जल संसाधन*)*

सभापति,
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण,

नई दिल्ली "

ई. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रारंभिक कार्यवाही

28. संदर्भ के लंबित रहने के दौरान, तमिलनाडु सरकार ने *1990* का सीएमपी संख्या *4* दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि कर्नाटक राज्य को *31* मई, *1972* को बेसिन राज्यों और भारत संघ के मुख्यमंत्रियों द्वारा सिंचाई और बिजली के लिए सहमति के अनुसार उनके द्वारा जब्त या उपयोग की गई सीमा से अधिक कावेरी नदी के पानी को जब्त या उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाए। यह भी प्रार्थना की गई कि कर्नाटक राज्य को उसके प्रमुख सचिव *v* द्वारा प्रतिबंधित करने का आदेश पारित किया जाए।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कर्नाटक राज्य किसी भी नई परियोजना, बांध, जलाशय, नहर आदि को अधिसूचित करने और/या कावेरी बेसिन में परियोजनाओं, बांधों, जलाशयों, नहरों आदि के निर्माण के साथ आगे बढ़ने से। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने *8.9.1990* पर *1990* का *CMP* नंबर *5* दाखिल किया

कर्नाटक और केरल राज्य को सितंबर से मार्च के महीनों के दौरान पहले से ही सहमत पानी छोड़ने का निर्देश देने वाला एक अंतरिम आदेश। तमिलनाडु राज्य द्वारा एक आकस्मिक याचिका दायर की गई थी

1990 के सीएमपी संख्या *9* की विषय वस्तु कर्नाटक राज्य को *1990* के सीएमपी संख्या *4* में औपचारिक आदेश लंबित रहने तक पहली किस्त के रूप में कम से कम *20* टी. एम. सी. पानी छोड़ने का निर्देश देती है। उक्त प्रार्थनाओं का गंभीर विरोध किया गया था कर्नाटक राज्य और केरल राज्य द्वारा गुण-दोष के साथ-साथ प्रारंभिक आपत्ति पर कि न्यायाधिकरण के पास उक्त याचिकाओं पर विचार करने और कोई अंतरिम राहत देने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। न्यायाधिकरण ने कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बरकरार रखा।

केरल ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त आवेदन कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं थे और तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर, उक्त आदेश पर हमला करने की अनुमति मांगने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इस न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम में निर्णय पारित किया। कर्नाटक राज्य और अन्य *2* जिसमें एन. एम. कासलीवाल, जे. द्वारा व्यक्त बहुमत का दृष्टिकोण नीचे दिया गया हैः

नई परियोजनाओं में उनकी नहर प्रणालियों और उनके आयकट का विस्तार और हर दिन की देरी से उनकी मौजूदा सिंचाई को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार न्यायाधिकरण यह स्पष्ट रूप से गलत था कि केंद्र सरकार ने कोई अंतरिम राहत देने के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया था। हम चिंतित नहीं हैं कि क्या अपीलार्थी गुण-दोष के आधार पर किसी भी अंतरिम राहत के हकदार हैं या नहीं, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से

यह विचार है कि अपीलार्थी ने अपने सी. एम. पी. संख्या में जो राहत मांगी है। *4*, *5* और *1990* का *9* स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट विवाद के दायरे में आता है।

अधिनियम की धारा *5*। न्यायाधिकरण ने यह नहीं माना है कि उसके पास अंतरिम राहत देने के लिए कोई आनुषंगिक और सहायक शक्तियां नहीं हैं, लेकिन यह

सी. एम. पी. संख्या का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया है। *4*, *5* और *9* इस आधार पर कि इन आवेदनों में मांगी गई राहत केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित नहीं की गई थी। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि इस मामले में निर्णय लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि क्या अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास कोई अंतरिम राहत देने की शक्ति है या नहीं। वर्तमान मामले में अपीलार्थी हमारे द्वारा उनके पक्ष में दर्ज किए गए निष्कर्ष के आधार पर सफल होने के हकदार हो जाते हैं कि उनके द्वारा अपने सी. एम. पी. संख्या में प्रार्थना की गई राहत। *4*, *5* और *1990* का *9* केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ में शामिल हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दलीलों के अंतिम चरण में कर्नाटक राज्य की ओर से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि वे न्यायाधिकरण के समक्ष गुण-दोष के आधार पर सी. एम. पी. के साथ आगे बढ़ने के लिए इस शर्त पर सहमत थे कि सभी पक्षकार राज्य इस बात पर सहमत थे कि जल विवाद *(*संबंधित पक्षों के संबंधित अभिवचनों में निर्धारित*)* से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित या प्रासंगिक सभी प्रश्न, जिसमें पक्षकार राज्यों द्वारा अंतरिम निर्देशों/राहत के लिए सभी आवेदन शामिल हैं, न्यायाधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किए जाएं। हालाँकि, उपरोक्त शर्तें तमिलनाडु राज्य के लिए सहमत नहीं थीं क्योंकि हमारे पास हैं।

योग्यता के आधार पर अपीलों का फैसला किया।

हाय, जे. ने इस प्रकार राय दीः

"मैं भाई कासलीवाल, जे. से सहमत हूं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी कानून के तहत बनाए गए किसी भी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की अधिकारिता शक्ति और सीमाओं को निर्धारित करना इस न्यायालय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। लेकिन मुझे *6* जुलाई, *1986* के पत्र के निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर आपत्ति है। हालाँकि, शुरू होने के बाद से मेरे लिए इस पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है

गहन संवैधानिक और कानूनी महत्व का मुद्दा तब समाप्त हो गया जब कर्नाटक और केरल राज्यों ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि वे निर्णय के लिए सहमत थे
योग्यता पर अंतरिम निर्देशों के लिए आवेदन "।

29. उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने कर्नाटक और पुडुचेरी की उक्त याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधिकरण के समक्ष,

कर्नाटक राज्य की ओर से फिर से आपत्ति जताई गई

राज्य द्वारा दायर आवेदनों की रखरखाव के लिए उद्यान

अंतरिम राहत के लिए तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। रिबुनल ने उस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और यह विचार व्यक्त किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश उस पर बाध्यकारी थे।

ट्रिब्यूनल स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

योग्यता के आधार पर आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े और *25* जून, *1991* के अपने आदेश के अनुसार और उपलब्ध सामग्रियों के विस्तृत विश्लेषण पर, इसने कर्नाटक राज्य को एक अंतरिम उपाय के रूप में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि *205* तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में जून से मई तक एक वर्ष में टी. एम. सी. पानी उपलब्ध होता है। इस तरह से पानी छोड़ने को विनियमित करने के तौर-तरीकों को भी एक और निर्देश के साथ निर्धारित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र के लिए *6* टी. एम. सी. पानी तमिलनाडु राज्य द्वारा वितरित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी के पानी द्वारा सिंचाई के तहत अपने क्षेत्र को मौजूदा *11.2* लाख एकड़ से अधिक बढ़ाने से रोक दिया गया था। इस निर्देश को जारी करने में, न्यायाधिकरण को इस विचार द्वारा निर्देशित किया गया था कि अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, पक्षों के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया गया था कि एक पक्ष की एकतरफा कार्रवाई से, दूसरे पक्ष को अंतिम आदेश पारित करने के समय उचित राहत प्राप्त करने से पूर्वाग्रह न हो। तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपने जलाशयों से छोड़े जाने वाले *205* टी. एम. सी. पानी की मात्रा की मात्रा निर्धारित करते हुए, न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु में मेट्टूर बांध के जलाशय में कावेरी नदी के पानी के वार्षिक प्रवाह के औसत को उचित आधार माना। उक्त उद्देश्य के लिए, अन्य

पहलुओं से, इसने *10* वर्षों की अवधि के लिए मेट्टूर बांध में पानी के प्रवाह पर ध्यान दिया, अर्थात, *1980-81* से *1989-90* और असामान्य रूप से अच्छे और बुरे वर्षों को जांच से बाहर छोड़कर आंकड़े पर काम किया और इस प्रकार, *205* टी. एम. सी. के आंकड़े पर पहुंचा। तमिलनाडु राज्य की इस शिकायत पर विचार करते हुए कि रिलीज समय पर की जानी चाहिए फसलों की खेती की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिसके लिए उसने मानदंड निर्धारित किए हैं, यह नोट किया कि केरल राज्य ने किसी भी अंतरिम आदेश के लिए आवेदन नहीं किया था।

च. कर्नाटक राज्य द्वारा अध्यादेश जारी करना और

राष्ट्रपति का संदर्भ

30. हालाँकि, कर्नाटक राज्य ने *25.07.1991* पर घोषणा की

"कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई संरक्षण अध्यादेश, *1991*" शीर्षक वाला एक अध्यादेश, जिसमें सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, दिनांक *25.06.1991* के अंतरिम आदेश के प्रभाव को नकारने की मांग की गई थी। ने कहा कि

अध्यादेश इस प्रकार हैः

"कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर कर्नाटक में कावेरी बेसिन के सिंचाई योग्य क्षेत्रों में सिंचाई के संरक्षण और संरक्षण के लिए आम जनता के हित में एक अध्यादेश।

जबकि कर्नाटक विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है और कर्नाटक के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनके लिए कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर कर्नाटक में कावेरी बेसिन के सिंचाई योग्य क्षेत्रों में सिंचाई के संरक्षण और संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं। इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद *213* के खंड *(1)* के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल, खुर्शीद आलम खान, निम्नलिखित घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं -

अध्यादेश, अर्थात्: *1.* संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। — *(1)* इस अध्यादेश को कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई संरक्षण अध्यादेश, *1991* कहा जा सकता है।

(2) यह पूरे कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। *(3)* यह तुरंत लागू हो जाएगा।

2. परिभाषा. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो: *(क)* 'कावेरी बेसिन' से कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों का बेसिन क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित है।

((ख) 'सिंचाई योग्य क्षेत्र' से अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं। *((ग)* "अनुसूची" से इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(घ) 'जल वर्ष' से वह वर्ष अभिप्रेत है जो किसी पंचांग वर्ष के पहले जून से शुरू होता है और अगले पंचांग वर्ष के इकतीस मई को समाप्त होता है। *3.* सिंचाई योग्य क्षेत्र में सिंचाई का संरक्षण। — *(1)* अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न परियोजनाओं के तहत सिंचाई योग्य क्षेत्र में कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी से सिंचाई की रक्षा, संरक्षण और रखरखाव करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा।

(2) उप-धारा *(1)* को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य

सरकार प्रत्येक जल वर्ष के दौरान, कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह से पानी की ऐसी मात्रा को इस तरह से और ऐसे अंतरालों के दौरान, जैसे राज्य सरकार या कोई अधिकारी, कर्नाटक राज्य, अपने प्रमुख सचिव द्वारा अमूर्त कर सकती है या अमूर्त कर सकती है।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उसके द्वारा नामित इंजीनियर-इन-चीफ के पद से कम नहीं, उपयुक्त और उचित समझ सकता है।

4. अध्यादेश का प्रमुख प्रभाव। इस अध्यादेश *(*और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम और आदेश*)* के प्रावधान किसी भी आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* की धारा *6* के साथ पठित धारा *5* की उप-धारा *(2)* के प्रावधानों के तहत अंतिम निर्णय को छोड़कर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण का निर्णय *(*चाहे वह इस अध्यादेश के प्रारंभ से पहले या बाद में किया गया हो*)*।

5. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार

आदेश द्वारा, अवसर के अनुसार, कुछ भी *(*इस अध्यादेश के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं*)* कर सकता है जो प्रतीत होता है -

कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक।

6. नियम बनाने की शक्ति। - *(1)* राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है -

इस अध्यादेश का उद्देश्य।

(2) इस अध्यादेश के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब तक कि यह कुल तीस दिनों की अवधि के लिए सत्र में है जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक सत्रों में शामिल हो सकता है और यदि पहले था।

उक्त अवधि की समाप्ति पर, राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन किसी नियम या आदेश में कोई संशोधन करता है या निर्देश देता है कि कोई नियम या आदेश प्रभावी नहीं होगा, और यदि संशोधन या निर्देश पर दूसरे सदन द्वारा सहमति हो जाती है, तो ऐसा नियम या आदेश उसके बाद लागू होगा।

केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसा भी मामला हो।

31. अधिसूचना में क्षेत्र की एक अनुसूची का उल्लेख किया गया है जो विभिन्न परियोजनाओं के तहत कर्नाटक के कावेरी बेसिन में सिंचाई योग्य क्षेत्रों को संदर्भित करती है लघु सिंचाई कार्यों सहित। कर्नाटक राज्य ने एक

तमिलनाडु राज्य और अन्य लोगों के खिलाफ अनुच्छेद *131* के तहत मुकदमा दायर कर यह घोषणा करने की मांग की गई कि अंतरिम राहत देने वाला न्यायाधिकरण का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस बीच, अध्यादेश को *1991* के अधिनियम *27* द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और उक्त अधिनियम ने अध्यादेश के प्रावधानों को शाब्दिक रूप से पुनः प्रस्तुत किया, सिवाय इसके कि अधिनियम की धारा *4* में, 'कोई भी अदालत' शब्दों को हटा दिया गया था और अध्यादेश को निरस्त करने के लिए धारा *7* को जोड़ा गया था। अधिनियम के पारित होने के बाद, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद *143, [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27, 1991 में, इस न्यायालय की राय के लिए तीन प्रश्न भेजे गए। द.

एनस इस प्रकार पढ़ता हैः

"जबकि, अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956 (*जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है*)* की धारा *4* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने "कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण" नामक एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। *(* इसके बाद जिसे "न्यायाधिकरण" कहा जाता है*)* *2* जून, *1990* की एक अधिसूचना द्वारा, अंतर-राज्यीय नदी कावेरी के संबंध में जल विवाद के निर्णय के लिए जिसकी एक प्रति यहां संलग्न की गई है*;*

जबकि *25* जून, *1991* को न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित किया *(*जिसे इसके बाद "आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है*)*, जिसकी एक प्रति है -

यहाँ संलग्न*;*

जबकि, कुछ के संबंध में मतभेद उत्पन्न हुए हैं

25 जुलाई, *1991* को कर्नाटक के राज्यपाल ने कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई संरक्षण अध्यादेश, *1991 (*जिसे इसके बाद "अध्यादेश" के रूप में संदर्भित किया गया है*)* जारी किया। जिसकी प्रति यहाँ संलग्न की गई है*;*

जहाँ, के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है

अध्यादेश और उसके प्रावधानों की संवैधानिक वैधता*;*

जबकि, इस बात की संभावना है कि अध्यादेश के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और उसके तहत की गई किसी भी कार्रवाई को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली और टालने योग्य कार्रवाई शामिल है

मुकदमेबाजी*;*

जबकि, उक्त मतभेदों और संदेहों ने वृद्धि की है

एक सार्वजनिक विवाद जो अवांछनीय हो सकता है परिणाम*;*

और क्योंकि, इसमें पहले जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि कानून के निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और वे इस तरह के और सार्वजनिक महत्व के हैं कि उन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है*;*

अब, इसलिए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद *143* के खंड *(1)* द्वारा मुझ पर, मैं, भारत के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण, एतद्वारा उल्लेख करता हूँ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए निम्नलिखित प्रश्न

उस पर विचार करना और रिपोर्ट करना, अर्थात्:

टी. ई. ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(1) क्या अध्यादेश और उसके प्रावधान इस में हैं

(2) (i) क्या न्यायाधिकरण का आदेश एक रिपोर्ट का गठन करता है और अधिनियम की धारा *5 (2)* के अर्थ के भीतर एक निर्णय; और

((ii) क्या न्यायाधिकरण के आदेश को प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

इसे प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा;

(3) क्या अधिनियम के तहत जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है

विवाद के पक्षों को कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए सक्षम है।

" "

32. संदर्भ से निपटने के लिए, संविधान पीठ ने कहा

वास्तविक पृष्ठभूमि जिसने संदर्भ को जन्म दिया था। हमारे पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद, राय को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गयाः

((ख) अतः उक्त आदेश को प्रकाशित करना आवश्यक है। धारा *6* के तहत आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार

इसे प्रभावी बनाने के लिए कार्य करें।

प्रश्न संख्या *3: (i)* के तहत गठित एक जल विवाद न्यायाधिकरण

अधिनियम पक्षकारों को कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए सक्षम है

केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की राहत के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया गया है एक ऐसा प्रश्न है जो तथ्यों और परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं होता है

जिसके तहत संदर्भ दिया जाता है। इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं।

इसका भी जवाब देना आवश्यक है। " *33.* उपरोक्त निर्णय में एक निश्चित पहलू का भी उल्लेख किया गया है जो

हम इसे बाद के चरण में विस्तार से देखेंगे। पैराग्राफ में फैसले में, अदालत ने कहाः

" 4. 1892 और *1924* में उन क्षेत्रों के बीच नदी के पानी को साझा करने के लिए दो समझौते हुए थे जो आज मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में शामिल हैं, और

जो एक ओर मद्रास की तत्कालीन प्रेसीडेंसी और दूसरी ओर मैसूर राज्य में हुए समझौतों के समय थे।

दूसरी तरफ। अंतिम समझौता *1974* में समाप्त हो गया था।

पैराग्राफ *11* में फिर से, न्यायालय ने कहाः

उक्त पत्र में, तमिलनाडु ने मुख्य रूप से कर्नाटक क्षेत्र में कार्यों के निर्माण के खिलाफ शिकायत की और ऊपर की ओर जल का विनियोग ताकि हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

तमिलनाडु राज्य में नीचे की ओर। उन्होंने यह भी मांग की कि

1892 और *1924* के समझौतों का कार्यान्वयन

1974 में समाप्त हो गया।

34. कर्नाटक राज्य, जो अभी भी इस तरह के उलटफेर से अप्रभावित है,

इस तरह की समीक्षा को उचित ठहराने वाले कई आधारों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दिनांकित *25.06.1991* के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक *1* के आदेश के माध्यम से, हालांकि, इस टिप्पणी के साथ अपने पहले के आदेश *2* में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यदि इसके बाद, किसी विशेष वर्ष में किसी भी पक्ष के लिए परिस्थिति में कोई बदलाव या अनुचित कठिनाई होती है, तो ऐसे पक्ष के लिए उचित आदेशों के लिए उससे संपर्क करने का अधिकार होगा। इस प्रकार मामलों, काउंटरों और प्रत्युत्तरों के संबंधित बयानों की प्रस्तुतियों के बाद, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

" (1) क्या दोनों *1892* और *1924* के समझौते हैं या दोनों में से कोई एक है*?*

उन्हें, अमान्य*?*

(2) क्या *1892* और *1924* के दोनों समझौते या उनमें से कोई भी कथित उत्पीड़न के कारण अमान्य हैं या क्योंकि वे "असमान रिपेरियन राज्यों" के बीच थे

कर्नाटक राज्य द्वारा दावा किया गया*?*

(3) क्या *1892* और *1924* के दोनों समझौते वर्तमान संदर्भ के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं*?*

(विवाद*)?*

(4) जहाँ तक कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों का संबंध है, क्या *1892* और *1924* के दोनों समझौते इस आधार पर अमान्य हैं कि तत्कालीन मुख्य आयुक्त का कर्नाटक प्रांत अपने मुख्य सचिव द्वारा।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कुर्ग, पोदुकोट्टई राज्य, त्रावणकोर राज्य और पांडिचेरी और कराईकल की फ्रांसीसी बस्ती, इसमें पक्षकार नहीं थे।

उक्त समझौता*?*

5) क्या परिस्थितियाँ, वे, *1892* के समझौते

और *1924* को तत्कालीन प्रमुख की ओर से भी निष्पादित नहीं किया गया था

कुर्ग का आयुक्त प्रांत, पोदुकोट्टई राज्य,

त्रावणकोर राज्य और पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती

और कराईकल ने उक्त समझौतों को वर्तमान संदर्भ के पक्षों के खिलाफ बाध्यकारी और अप्रवर्तनीय नहीं बनाया।

5) क्या कर्नाटक राज्य *1892* और *1924* के दोनों समझौतों या उनमें से किसी एक समझौते को चुनौती देने से वंचित है*?*

इस आधार पर कि उस पर कार्रवाई की गई थी*?*

7) क्या कर्नाटक राज्य यह तर्क देने का हकदार है कि किसी भी मामले में

इस मामले को देखते हुए तमिलनाडु राज्य ने *1892* और *1924* के समझौतों के तहत दावा किए गए अधिकारों को माफ कर दिया था।

3) क्या *1892* और *1924* के दोनों समझौतों का या उनमें से किसी भी राज्य द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है*?* यदि ऐसा है, तो ऐसे किसी भी उल्लंघन का पक्षों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है*?*

वर्तमान संदर्भ में*?*

9) क्या *1892* और *1924* के दोनों समझौतों या उनमें से किसी एक ने इन समझौतों के पक्षों को कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उचित और न्यायसंगत वितरण का प्रावधान किया था*?10) (i)* क्या तमिलनाडु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा दावा किए गए विहित अधिकार हो सकते हैं*?*

दलीलें।

((ii) यदि *(i)* का उत्तर सकारात्मक है, तो इसकी प्रकृति क्या थी*?*

ऐसे विहित अधिकारों का, और

(iii) क्या *1892* और *1924* के समझौते या उनमें से कोई भी, निर्धारित अधिकारों की मान्यता में थे जैसा कि दावा किया गया था।

तमिलनाडु राज्य द्वारा*?*

11) क्या *1892* और *1924* के दोनों समझौते या उनमें से कोई भी विभिन्न कानूनों के अधिनियमन और परिवर्तित परिस्थितियों के होने सहित बाद की घटनाओं के कारण प्रभावी और लागू करने योग्य और बाध्यकारी नहीं रह गए हैं*?*

(12) 1892 और *1924* के दोनों समझौतों का सही और उचित निर्माण और उनके कानूनी परिणाम क्या होंगे*?*

(13) क्या *1924* के समझौते के अनुलग्नक *I* में विनियमन के नियम मनमाने, असहनीय और उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक थे जो तब इसका हिस्सा थे

मद्रास प्रांत*?*

(14) क्या *1924* के समझौते के अनुलग्नक *I* में नियम और विनियम इस आधार पर मनमाने और असमान हैं कि वे उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक थे जो अब तमिल राज्य का हिस्सा हैं।

नाडू*?*

(15) क्या *1924* का पूरा समझौता इसके निष्पादन की तारीख से *50* साल की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है*?* नहीं करता है।

उक्त समझौता *50* वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी बना रहता है, जो उसी समझौते के खंड *10 (xi)* के अनुसार किए जाने वाले संशोधनों के अधीन है। खंड का वास्तविक दायरा और प्रभाव क्या है*?*

10 (xi) समझौते का*?*

(17) कावेरी तथ्य खोज समिति और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री सी. सी. पटेल द्वारा संचालित अध्ययन दल के विचार-विमर्श और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई रिपोर्टों, उपायों और सर्वेक्षणों की वर्तमान प्रासंगिकता और प्रभाव क्या है*?* *(18)* के अनुसार किए गए सही और उचित मूल्यांकन पर

विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि, क्या होगी
डेल्टा क्षेत्र सहित कावेरी बेसिन का लगभग उपलब्ध सतही जल*?*

(19) क्या *1892* का समझौता कावेरी नदी की उन सहायक नदियों के संबंध में भी लागू और लागू करने योग्य था जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था

उक्त समझौते के लिए 'ए' अनुसूची बनाएँ*?*

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*](20)* कावेरी बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों के अतिरिक्त/वैकल्पिक साधनों की सीमा क्या है जो भूजल क्षमताओं के उचित दोहन और पार-बेसिन द्वारा उपलब्ध हैं*?*

विचलन*?*

(21) संदर्भ के पक्षकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में भूजल की अनुमानित मात्रा क्या है और क्या भूजल की उक्त उपलब्धता,

यदि कोई हो, तो निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने में प्रासंगिक होना चाहिए।

कावेरी नदी के जल का वितरण*?*

(22) किस आधार पर पानी की उपलब्धता निर्धारित की जानी चाहिए, अर्थात्, निर्भरता या

प्रतिशत के आधार पर*?* यदि यह प्रतिशत के आधार पर है, तो क्या करना चाहिए*?*

उक्त प्रतिशत होने के लिए*?*

(23) क्या बेसिन में या कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्रों में पानी की काफी मात्रा में बर्बादी हो रही है*?* यदि हां, तो कावेरी नदी के पानी के उचित और न्यायसंगत वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है*?*

(24) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए पक्षों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है

कि फसल के प्रतिमान वर्षा और नदी के प्रवाह और अन्य प्रासंगिक कारकों के अनुकूल हैं और क्या ऐसे निर्देश, यदि कोई हों, कावेरी नदी के पानी के न्यायसंगत और निष्पक्ष वितरण के लिए व्यवहार्य और उपयुक्त होंगे*?*

(25) विभिन्न पक्षों द्वारा सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले पानी के वापसी प्रवाह की सीमा क्या है और सिंचाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा*?*

कावेरी जल का उनके बीच बंटवारा*?*

(26) प्रत्येक पक्षीय राज्य में कावेरी बेसिन क्षेत्र में सूखा प्रवण/प्रभावित क्षेत्रों की सीमा क्या है, और इसका न्यायसंगत विभाजन करने में, यदि कोई हो, क्या प्रभाव पड़ता है*?*

पानी*?*

(27) क्या केरल राज्य द्वारा बिजली उत्पादन और सिंचाई और पानी की आपूर्ति के लिए कबिनी और भवानी नदियों के पानी के पार-बेसिन मोड़ की अनुमति दी जानी चाहिए*?* यदि हां, तो किस हद तक और किन शर्तों के साथ

सुरक्षा उपाय*?*

(28) क्या पक्षकारों द्वारा जल के पार-बेसिन मोड़ द्वारा बिजली का उत्पादन कानूनी और उचित होगा, विशेष रूप से,

यदि ऐसी शक्ति का एक हिस्सा लोगों द्वारा उपयोग किया जाएगा

स्वयं नदी बेसिन*?*

(29) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी नदी के पानी को पार-बेसिन मोड़ने का सहारा ले रहे हैं*?* यदि ऐसा है, तो क्या उन राज्यों को आपत्ति करने की अनुमति दी जा सकती है

राज्य द्वारा जल का प्रस्तावित पार-बेसिन मोड़

केरल*?*

(30) क्या पानी के उपयोग को इस तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि यह बिजली पैदा करने के साथ-साथ सिंचाई और पानी की आपूर्ति की जरूरतों को पूरा कर सके।

बेसिन/बेसिन क्षेत्र के बाहर*?*

(31) कावेरी नदी के कुल प्रवाह में विभिन्न राज्यों का योगदान कितना है और पार्टी को पानी के समान बंटवारे के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता होगी*?*

राज्यों*?*

(32) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता है कि

कावेरी और उसकी सहायक नदियों का पानी शायद
सिंचाई को नुकसान पहुंचाए बिना अधिकतम पनबिजली उत्पादन के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से विकसित किया गया

उपयोग करता है*?*

(33) क्या कर्नाटक राज्य इसके लिए मुआवजे का हकदार है

कर्नाटक के मामले के विवरण के पैराग्राफ *18.9* से *18.11* में और कर्नाटक काउंटर के पैराग्राफ *34* से *41* में किए गए अनुमानों के अनुसार नुकसान हुआ।

तमिलनाडु के मामले का बयान*?*

(34) क्या किसी पर कोई आदेश/निर्देश जारी किया जाना चाहिए

कावेरी के जल को विनियमित रूप से छोड़ने के लिए या अधिक राज्यों के लिए और क्या उस स्थिति में पक्षपातपूर्ण रूप से प्रभावित पक्षों के पक्ष में मुआवजा दिया जाना है

ताकि*?*

(35) केरल को केरल में उत्पन्न जल का उपयोग करने की अनुमति किस हद तक दी जानी चाहिए, जब इसका उपयोग केरल में इसके प्रमुख सचिव द्वारा किया जाता है।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

क्या देश और उसके लोगों के लिए किसी अन्य राज्य में इसके उपयोग की तुलना में अधिक या समान लाभ सुनिश्चित करेगा*?*

(36) क्या केरल राज्य को बिजली उत्पादन के लिए कावेरी के पानी के एक हिस्से की आवश्यकता है, और यदि है, तो किस हद तक*?*

(37) कावेरी के पानी का बंटवारा करने में क्या किसी भी राज्य में भोजन की कमी को ध्यान में रखा जाना चाहिए*?*

(38) क्या पिछड़ेपन, कम विकसित और कथित रूप से

किसी विशेष राज्य का उपेक्षित क्षेत्र प्रासंगिक होगा।

एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण करने में मामले

कावेरी नदी का पानी*?*

(39) क्या ऊपरी भवानी, वर्गपल्लम पश्चिम और वर्गपल्लम पूर्व में तमिलनाडु राज्य द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों ने केरल राज्य के जल के प्राकृतिक प्रवाह में केरल राज्य के अधिकारों को अनुचित रूप से वंचित कर दिया है।

कावेरी नदी और, यदि ऐसा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा*?*

(40) क्या कर्नाटक द्वारा कबिनी, हेमवती, हारंगी, सुवर्णवती और अन्य परियोजनाओं के निर्माण और इसके आयकटों के विस्तार में की गई कार्यकारी कार्रवाई ने तमिलनाडु और पांडिचेरी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

तमिलनाडु और पांडिचेरी को पानी की आपूर्ति को भौतिक रूप से कम कर दिया और अपने आयकूटदारों की ओर से तमिलनाडु और पांडिचेरी द्वारा दावा किए गए निर्देशात्मक अधिकारों को भौतिक रूप से प्रभावित किया।

(41) क्या उपरोक्त कार्यकारी कार्रवाई कर्नाटक द्वारा की गई है

क्या यह *1892* और *1924* के समझौतों का उल्लंघन है*?*

(42) क्या तमिलनाडु राज्य मुआवजे का हकदार है

1974 के बाद *1924* के समझौते की शर्तों को लागू करने में कर्नाटक की विफलता के कारण हुए नुकसान, क्षति और चोट के लिए*?*

(43) यदि उपरोक्त मुद्दे *No.42* का उत्तर सकारात्मक है, तो तमिलनाडु को मुआवजे की कितनी राशि दी जाएगी*?*

हक़दार*?*

(44) केंद्र शासित प्रदेश का न्यायसंगत हिस्सा क्या है*?*

अंतर-राज्यीय नदी कावेरी के जल में पांडिचेरी*?*

(45) क्या तत्कालीन राज्यपाल के बीच समझौता हुआ है

भारत में फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी और तब
6 सितंबर, *1926* को मद्रास के राज्यपाल

फ्रांसीसी क्षेत्र को अभी भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति

तमिल राज्य के खिलाफ विद्यमान और इस तरह से लागू करने योग्य

नाडू*?*

(46) क्या कर्नाटक राज्यों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं

केंद्र शासित प्रदेश में कावेरी नदी का पानी
पांडिचेरी*?*

(47) उपलब्ध जल का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए*?* *(48)* न्यायसंगत विभाजन कैसे और किस आधार पर होना चाहिए

बनाया जाता है*?*

(49) न्यायसंगत के लिए क्या निर्देश, यदि कोई हों, दिए जाने चाहिए

पानी का विभाजन और उसके लाभकारी उपयोग के लिए

कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ*?*

(50) इस संबंध में क्या निर्देश, यदि कोई हों, दिए जाने की आवश्यकता है

संबंधितों के बीच संकट और अधिशेष का बंटवारा

जल की स्थिति में संदर्भ के पक्षकार

कावेरी का आबंटित मात्रा से कम होना या होना
उसी के लिए अधिशेष*? "*

35. इसके बाद सबूत दर्ज किए गए। हालांकि, इससे पहले

ई तर्क, मुद्दे, सुविधा के उद्देश्य से, थे

अंत में यहाँ के रूप में ऊपरः

विषय

मुद्दा नं.

हाँ।

1892 और *1924* के समझौते

9 , 13 & 14

मनमाना और असमान

निर्देशात्मक अधिकार और अन्य दावे

10 & 40

निर्माण और समीक्षा

12 , 15 & 16

कर्नाटक राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा किए गए समझौतों का विवरण *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(घ)

समझौतों का उल्लंघन और

8 , 33 , 40 43 तक

परिणाम

संवैधानिक और कानूनी

ई)

1 7, 11 और *19* तक

वैधता और प्रवर्तनीयता
पानी की उपलब्धता -

2 .

सतह प्रवाह, अतिरिक्त /

18 , 20 से *22,25,*

27 , 29 , 31 & 47

वैकल्पिक संसाधन

समान विभाजन और

26 , 31 , 34,37 ,

3 .

संबंधित विषयः

38 , 47 50 तक

फसल का पैटर्न

(i)

ट्रांस-बेसिन डायवर्जन

(ख)

विभाजन की प्रासंगिक तिथि

iii)

पूरी की गई परियोजनाओं की प्रासंगिकता

(iv)

या अन्यथा "।

36. घटनाओं के क्रम पर लौटते हुए, केंद्र सरकार

अंत में, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक *2* के अंतरिम आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, दिनांक *1* की अधिसूचना द्वारा, "कावेरी जल *(1991* के अंतरिम आदेश का कार्यान्वयन और सभी*)"* शीर्षक से एक योजना तैयार की गई। न्यायाधिकरण के बाद के संबंधित आदेश*)* योजना, *1998*, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कावेरी नदी प्राधिकरण के गठन के लिए प्रावधान किया गया था, ने इसकी भूमिका, शक्तियों और कार्यों को चित्रित किया।

37. कावेरी नदी प्राधिकरण *(*व्यवसाय संचालन*)* नियम,

1998 कावेरी नदी प्राधिकरण के व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए *14.07.2000* से भी तैयार किया गया और प्रभावी किया गया कावेरी जल के खंड *3 (2)* में उपबंध *(1991* के अंतरिम आदेश का कार्यान्वयन और न्यायाधिकरण के सभी बाद के संबंधित आदेश*)*।

G. विवाद की उत्पत्ति

38. न्यायाधिकरण के समक्ष बनाए गए मुद्दों को बताने के बाद, हम करेंगे

प्राथमिक कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए आगे बढ़े हैं। तथापि, न्यायाधिकरण को दिए गए निर्देश की उत्पत्ति का उल्लेख करना आवश्यक है। इस हद तक तथ्यों का वर्णन करने के बाद, हम उन घटनाओं के वर्णन पर जाना उचित समझते हैं जो हमारे सामने चित्रात्मक रूप से उजागर की गई हैं। यह वर्ष *1799* की बात है। हम अनावश्यक पहलुओं का उल्लेख करने का इरादा नहीं रखते हैं, सिवाय उन पहलुओं के जिन्हें कानूनी पहलू का समर्थन करने के लिए समझाया गया था। मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर राज्य के बीच पहला समझौता वर्ष *1892* में किया गया था। *[2018] 5* एस. सी. आर. में प्रवेश करने से पहले

उक्त समझौते के अनुसार, मैसूर में ब्रिटिश निवासी और मद्रास सरकार के बीच पत्राचार था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की हार के बाद, वाडियार,

मैसूर राज्य के शासकों को *1799* में सहायक गठबंधन संधि के तहत ताज से अलंकृत किया गया था। मैसूर राज्य ने लिया

हस्तांतरण के दस्तावेज़ *1881* ने "हस्तांतरण के दस्तावेज़" के रूप में वर्णित "सनद" पर हस्ताक्षर करके वाडियार परिवार के एक अन्य वंशज को मैसूर रियासत के प्रशासन को बहाल किया। कर्नाटक राज्य का कहना है कि यह एक संधि नहीं थी, बल्कि एक "सनद" थी, जैसा कि ब्रिटिश विदेश सचिव द्वारा किए गए संचार से पता चलता है। *1874* के अपने प्रेषण में। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"वास्तव में वह अनुग्रह प्राप्तकर्ता हैं-वह व्यक्ति जो सरकार की स्पष्ट रूप से उदार नीति से लाभान्वित होता है-और मुझे लगता है कि सरकार को हर तरह से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

इसके उपहार के साथ अपनी शर्तें संलग्न करें, और यह कि इन्हें सरकार द्वारा महाराजा को दिए जाने वाले सनद या पेटेंट में निर्धारित किया जाना चाहिए।

39. जैसा कि कर्नाटक राज्य द्वारा तर्क दिया गया था, *1881* के "हस्तांतरण के दस्तावेज" ने महाराजा को इन क्षेत्रों के कब्जे में रखाः

मैसूर और उसके प्रशासन में, और घोषणा की कि वह केवल तब तक इसका अधिकार रखने और उनका प्रशासन करने का हकदार होगा जब तक कि वह हस्तांतरण के दस्तावेज में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। उक्त लिखत के पैराग्राफ *22* और *23* पर जोर दिया गया है। वर्ष *1881* के बाद, मद्रास प्रेसीडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने इस तथ्य के संबंध में आपत्ति जताई कि मैसूर में तालाबों की बहाली के लिए योजनाओं का निरंतर कार्यान्वयन यह कहते हुए किया गया था कि मद्रास प्रेसीडेंसी को नदी में निर्बाध प्राकृतिक प्रवाह का अधिकार है। *13* जून, *1889* को मैसूर में ब्रिटिश निवासी ने मैसूर के दीवान को याद दिलाना उचित समझा कि ब्रिटिश निवासी दीवान के रुख को स्वीकार नहीं कर सकते थे और मैसूर को अपने क्षेत्र से बहने वाली प्राकृतिक जल शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने का अधिकार था। पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"सबसे पहले, मैसूर जैसे सामंती राज्य पर सर्वोच्च शक्ति के साथ अपने व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता है।

यहाँ तक कि कर्नाटक राज्य के प्रमुख सचिव वी। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

यदि ऐसा होता, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून मैसूर को दावा किया गया अधिकार नहीं देता। मद्रास क्षेत्र के संदर्भ में इसकी स्थिति स्विट्जरलैंड के समान है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न में जिस सिद्धांत को आपके मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए, वह यह है कि मैसूर से मद्रास क्षेत्र में पानी के प्रवाह को रोकने की कोई योजना नहीं है।

अनुमति दी जाएगी यदि इसे हितों के लिए हानिकारक दिखाया जा सकता है

बाद में "।

40. 20.11.1889 पर, मद्रास प्रेसीडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित आदेश जारी कियाः

"मैसूर सरकार नदियों की आपूर्ति को रोककर या मोड़कर अपने सिंचाई कार्यों में सुधार करने का दावा नहीं कर सकती है।

फ़ीड ब्रिटिश क्षेत्र में काम करता है और जिसके पानी पर ब्रिटिश सरकार ने एक निर्धारित अधिकार प्राप्त कर लिया है।

41. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स अनरोल होगा, *10.05.1890* पर, ऊटी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जहाँ मैसूर रियासत ने अपने

मैसूर में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के दौरान उद्घाटन किए गए सिंचाई कार्यों की बहाली का दावा *(1831-1881)*, लेकिन इस दावे को तत्कालीन ब्रिटिश निवासी ने खारिज कर दिया, जिन्होंने औपचारिक रूप से यह राय व्यक्त की कि मैसूर के असीमित अधिकारों का दावा चरम और असमर्थनीय था। अन्य बातों के अलावा, कार्यवृत्त इस प्रकार दर्ज किए गए हैं:

"..... कुछ बहस के बाद दीवान ने अपनी स्थिति इस प्रकार व्यक्त कीः ..... मद्रास अधिकार केवल उस आपूर्ति तक फैले हुए हैं जो वास्तव में की गई है।

सिंचाई के लिए खाते में बदल दिया। ... ."

"श्री स्टोक्स ने ऐसा कहा। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि नदियों में प्रवाह के लिए मद्रास के अधिकार वास्तव में सिंचाई के लिए खाते में बदली गई राशि तक सीमित थे, और तर्क दिया कि मद्रास प्रिस्क्रिप्शन द्वारा सीमा पार करने की अनुमति देने वाले पूरे प्रवाह का हकदार है।

जिस बिंदु पर मैसूर इसमें सभी अधिकार या रुचि खो देता है।

42. जैसे-जैसे समय बीतता गया, भारत सरकार ने *21* अगस्त, *1891* को भारत के आधिकारिक राजपत्र संख्या *1700* में एक प्रकाशन में स्पष्ट किया।

ई एक ओर भारत की रानी महारानी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत सरकार और दूसरी ओर भारत में "मूल राज्यों" के बीच संबंध। वह इस प्रकार हैः

"अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का भारत सरकार के बीच संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि वे *(2018) 5* एस. सी. आर. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दूसरी ओर महामहिम का आधिपत्य। सर्वोच्च सर्वोच्चता
पूर्व का, पूर्वनिर्धारित करता है और अधीनता का तात्पर्य है

बाद वाला "।

[जोर दिया जाता है*]*

43. 21.01.1892 पर, अंग्रेजों द्वारा आदेश पारित किया गया था।

मद्रास सरकार ने निर्देश दिया कि मैसूर राज्य के भीतर नए जलाशय के निर्माण से पहले मद्रास सरकार की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए और दोनों सरकारों के बीच असहमति की स्थिति में, मामले को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समझौता दोनों के बीच किया गया था।

मद्रास सरकार और मैसूर राज्य *18.02.1892* पर। खंड *1* नए सिंचाई जलाशयों को परिभाषित करता है। खंड *3* सिंचाई की मरम्मत को परिभाषित करता है। जलाशय। खंड *4* में कहा गया है कि "सिंचाई जलाशयों की मरम्मत" के तहत आने वाली क्षमता के अलावा अन्य किसी भी वृद्धि को "नया सिंचाई जलाशय" माना जाएगा। खंड *2,3* और *5* नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" II. मैसूर सरकार, पूर्ववर्ती के बिना नहीं करेगी।

मद्रास सरकार की सहमति, या इसके तहत किसी निर्णय से पहले
नीचे दिए गए नियम *4* के अनुसार, *(ए)* किसी भी "नए सिंचाई जलाशय" का निर्माण करें।

संलग्न अनुसूची में नामित पंद्रह मुख्य नदियों का कोई भी भाग

ए; या बिंदु के नीचे अनुसूची बी में नामित किसी भी धारा के पार
उक्त अनुसूची बी के कॉलम *5* में निर्दिष्ट, या किसी भी जल निकासी में

उक्त अनुसूची बी में निर्दिष्ट क्षेत्र, या *(बी)* कोई "नया एनिकट"

अनुसूची ए, संख्या की धाराओं में। *4 9* और *14* और *15*, या

अनुसूची बी की किसी भी धारा में, या निम्नलिखित में से किसी में

अनुसूची ए की धाराएँ, जो यहाँ निर्दिष्ट अंकों से कम हैं:

1 के पार। तुंगभद्रा-होन्हल्ली में सड़क पार करने से नीचे,
10 के पार। कावेरी-रामास्वामी एनिकट से कम, और

13 पार। कबानी-रामपुर एनिकट से कम।
III. जब मैसूर सरकार किसी नए भवन का निर्माण करना चाहती है।

सिंचाई जलाशय "या किसी भी नए एनिकट की पूर्व सहमति

अंतिम पूर्ववर्ती शासन के तहत मद्रास सरकार, फिर पूर्ण

प्रस्तावित कार्य की जानकारी उन्हें भेजी जाएगी।

मद्रास सरकार और उस सरकार की सहमति
कार्य के वास्तविक प्रारंभ से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। द.

मद्रास सरकार अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य की इस तरह की सहमति को अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

पहले से अर्जित और वास्तव में विद्यमान विहित अधिकार के संरक्षण के अलावा, ऐसे अधिकार का अस्तित्व, विस्तार और प्रकृति और प्रत्येक मामले में निर्धारित किए जाने वाले विहित अधिकार के विषय पर कानून के अनुसार निर्धारित होने के कारण इसका प्रयोग करने का तरीका
प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की सभी परिस्थितियों में पानी का उपयोग और उसके अनुसार जो उचित और उचित हो।

V. पेन्नार के पार श्रीनिवाससागर नए जलाशय, चित्रावती के पार रामासमुद्रम नए जलाशय और पापघनी के पार वेंकटेशसागर नए जलाशय को छोड़कर, संलग्न अनुसूची सी में निर्दिष्ट नए सिंचाई जलाशयों के लिए मद्रास सरकार की सहमति दी गई है। करना चाहिए, मैसूर सरकार की चूक के कारण या

इन कार्यों को सुरक्षा के उचित पर्याप्त मानक में बनाए रखना,
मद्रास में सिंचाई कार्य, उचित रूप से पर्याप्त सुरक्षा की स्थिति में, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मैसूर सरकार इस तरह के नुकसान के लिए मद्रास सरकार को उचित मुआवजा देगी।

तीन नए जलाशयों के संबंध में, उपरोक्त कार्यों के निर्माण के कारण पानी की आपूर्ति में कमी आने से मद्रास सिंचाई कार्यों को हुए नुकसान के कारण मैसूर से मद्रास को दिए गए किसी भी मुआवजे को छोड़कर, भारत सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और यदि ऐसा मुआवजा स्वीकार्य होने का निर्णय लिया जाता है, तो मद्रास के दावों को उन्हें प्रस्तुत करने के बाद उनकी राशि के बारे में भारत सरकार का निर्णय स्वीकार किया जाएगा, जिसे उक्त कार्यों के पूरा होने के बाद पांच साल की अवधि के भीतर पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी।
काम करता है। ”

45. जैसा कि खंड *2* में कहा गया है, दो अनुसूचियाँ हैं, अर्थात् अनुसूची ए और अनुसूची बी, जिनके लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। हम.

यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि *18.02.1924* पर, एक और समझौता किया गया था। उक्त समझौते के प्रारंभिक नोट में *1892* का संदर्भ है।

समझौता, खंड *2 1892* के समझौते के खंड *3* और दोनों राज्यों के बीच उत्पन्न हुए कुछ विवादों और वर्ष *1914* में मध्यस्थता और निर्णय के संदर्भ, भारत सरकार द्वारा निर्णय में सुधार और भारत के राज्य सचिव के साथ अपील में निर्णय को संदर्भित करता है, जिन्होंने प्रश्न को फिर से खोला था। यह आवश्यक है कि

बताएँ कि प्रश्न के उक्त पुनः खोलने में क्या उल्लेख किया गया थाः

" 6. जबकि इसके बाद मैसूर सरकार और मद्रास सरकार ने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की दृष्टि से

एक-दूसरे के साथ बातचीत में प्रवेश किया; और *7.* जबकि इस तरह की बातचीत के परिणामस्वरूप, कृष्णराजसागर जलाशय के विनियमन के कुछ नियम बनाए गए और

वर्ष *1921* के *26* जुलाई को मैसूर और मद्रास सरकारों के मुख्य अभियंताओं द्वारा इस तरह के नियमों पर सहमति व्यक्त की गई

एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था तक पहुँचना; और *9.* जबकि दोनों सरकारों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा इस तरह की जांच और सम्मेलन के परिणामस्वरूप, इस तरह के विस्तार के संबंध में कुछ बिंदुओं पर क्रमशः प्रमुख द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

सिंचाई इंजीनियर, मद्रास और विशेष अधिकारी,

कृष्णराजसागर वर्क्स, बैंगलोर में, *14* सितंबर *1923* को, इस के लिए अनुलग्नक *III* बनाने वाले ऐसे बिंदु

99

समझौता "।

46. उक्त पृष्ठभूमि में, मैसूर सरकार और मद्रास सरकार ने *1924* का समझौता किया। हम समझते हैं कि उक्त समझौते के पूरे हिस्से को धोखा देना उचित है क्योंकि यह तमिलनाडु राज्य का आधार है:

" ((i) मैसूर सरकार हकदार होगी। शुष्क निर्माण के लिए मद्रास सरकार *1892* के समझौते के खंड *III* के तहत मैसूर सरकार को कन्नमबाड़ी में कावेरी नदी के पार और उस पर एक बांध और एक जलाशय का निर्माण करने के लिए सहमति देती है, जिसे अब कृष्णराजसागर के नाम से जाना जाता है। बांध के निर्माण से पहले नदी के तल से *124* फीट की ऊंचाई पर अब मौजूद जलधाराओं और *44,827* मिलियन क्यूबिक फीट की प्रभावी क्षमता वाले जलधाराओं का, जो नदी के तल से *60* फीट के स्तर पर निर्मित सिंचाई जलधाराओं के *6* मील से नदी के तल से *124* फीट की अधिकतम ऊंचाई तक मापा जाता है; जलाशय के निर्माण से पहले नदी के तल का स्तर मौजूदा जलधाराओं के तल से *12* फीट नीचे लिया जा रहा है; और अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक के ऐसे बांध और जलाशय टीई।

स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इस समझौते के अनुलग्नक *II* को बनाने वाली अनुसूची में वर्णित सभी मामलों में होना।

(ii) मैसूर सरकार अपनी ओर से उक्त जलाशय के माध्यम से और उससे निर्वहन को सख्ती से विनियमित करने के लिए सहमत है। अनुलग्नक *I* में निर्धारित विनियमन नियमों के अनुसार, जो विनियमन नियम इस समझौते का हिस्सा होंगे।

(iii) मैसूर सरकार एतद्वारा वर्तमान तिथि से दो साल के भीतर मद्रास सरकार को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

कावेरी, लक्ष्मणतीर्थ और हेमवती नदियों में अपने स्रोत वाले सभी मौजूदा सिंचाई चैनलों के अनिकट्स और स्लुइस या ओपन हेड्स की विस्तृत योजनाओं पर समझौता, उन पर वर्ष *1910* के बाद किए गए सभी परिवर्तनों को एक विशिष्ट रंग में दिखाता है, और आगे वर्ष *1910* से पहले या बाद में उक्त चैनलों द्वारा सिंचित क्षेत्रों के स्थान को दर्शाने वाले मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए। *(iv)* मैसूर सरकार अपनी ओर से कावेरी और उसकी सहायक नदियों के तहत मैसूर में सिंचाई के भविष्य के विस्तार को उस सीमा तक करने के लिए स्वतंत्र होगी जो अब *110,000* एकड़ पर निर्धारित है। *110, 000* एकड़ की नई सिंचाई की यह सीमा इस समझौते के अनुलग्नक *I* बनाने वाले विनियमन नियमों के तहत अनुमेय सिंचाई की सीमा के अलावा और इसके बावजूद होगी, अर्थात *1,26,000* एकड़ और प्रत्येक के तहत अनुमेय विस्तार

उनकी कावेरी मेतूर परियोजना के तहत सिंचाई का क्षेत्र *301,000* एकड़ और मेतूर में नए जलाशय की क्षमता, सबसे कम सिंचाई जलधारा से लेकर नब्बे-तीन हजार पाँच सौ करोड़ घन फीट तक। बशर्ते कि, सिंचाई जलमार्ग से निचले स्तर पर बांध में बनाए गए जलमार्गों की खोज करने के लिए, उन तिथियों के बारे में मैसूर सरकार को सूचित किया जाएगा जिन पर इस तरह के जलमार्ग खोले जाते हैं।

(vi) मैसूर सरकार और मद्रास सरकार, पूर्ववर्ती खंड *(iv)* और *(v)* के प्रावधानों के संदर्भ में सहमत हैं कि प्रत्येक सरकार प्रत्येक आधिकारिक या कैलेंडर वर्ष के समापन के तुरंत बाद दूसरे की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगी, जो *[2018] 5* एस. सी. आर.

सुविधाजनक, सिंचाई के तहत लाए गए क्षेत्रों की वापसी के साथ, और मुख्य नहर शीर्षों पर औसत मासिक निर्वहन के साथ, प्रत्येक महीने के बंद होने के तुरंत बाद, जो सुविधाजनक हो। *(vii)* मैसूर सरकार अपनी ओर से इस बात पर सहमत है कि उपरोक्त खंड *(iv)* में निर्दिष्ट मैसूर में सिंचाई का विस्तार केवल *1892* के समझौते की अनुसूची ए में उल्लिखित कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित जलाशयों के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे जलाशय कुल मिलाकर *45,000* मिलियन क्यूबिक फीट की प्रभावी क्षमता के हो सकते हैं और उनमें ज़ब्ती को इस तरह से विनियमित किया जाएगा कि आपूर्ति में कोई सामग्री की कमी न हो।

इस समझौते के अनुलग्नक *I* को बनाने वाले कृष्णराजसागर के लिए विनियमन नियमों में स्वीकार किए गए मापकों द्वारा यह समझा जा रहा है कि ऐसे जलाशयों को काम करने के लिए नियम इस तरह से बनाए जाएंगे कि किसी भी अवधि के दौरान किसी भी नुकसान को *5* प्रतिशत के भीतर कम किया जा सके। अभिग्रहण अवधि, उपयुक्त अनुपात कारकों, अभिग्रहण सूत्र या ऐसे अन्य साधनों को अपनाकर जिनका उस समय निपटारा किया जा सके।

(viii) मैसूर सरकार आगे इस बात पर सहमत है कि ऐसी जलाशय योजनाओं और जब्त किए गए जलाशयों का पूरा विवरण और विवरण।

मद्रास और मैसूर सरकारों के बीच इस बारे में कि क्या ऐसी किसी योजना या योजनाओं के संबंध में उक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, मद्रास और मैसूर दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि इस तरह के अंतर का

निपटारा नीचे दिए गए खंड *(xv)* में प्रदान किए गए तरीके से किया जाएगा। *(ix)* मैसूर सरकार और मद्रास सरकार इस बात पर सहमत हैं कि अब बिजली उत्पादन उद्देश्यों के लिए आरक्षित भंडारण

क्रियाहनराज सागरा में दिए गए प्रावधान का उपयोग मैसूर सरकार द्वारा किसी भी अन्य से उनकी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है।

इसके बाद बनाए जाने वाले जलाशय और कृष्णराजसागर से इस प्रकार छोड़े गए भंडारण का उपयोग उपरोक्त खंड *(iv)* में दिए गए *110,000* एकड़ के दायरे में नई सिंचाई के लिए किया जा सकता है।

(x) क्या मैसूर सरकार को कृष्णराजसागर से बिजली उत्पादन के उद्देश्यों के लिए आरक्षित भंडारण जारी करने का निर्णय लेना चाहिए, नए जलाशय के लिए कार्य तालिकाएँ, जिनसे बिजली के पानी का उपयोग किया जाएगा, को कर्नाटक के मुख्य सचिव द्वारा टीई में लेने के बाद तैयार किया जाएगा।

स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

ऊपर खंड *(vii)* में निर्दिष्ट शर्तों और कृष्णराजसागर के तहत सिंचाई की परिवर्तित शर्तों पर विचार करें।

(xi) मैसूर सरकार और मद्रास सरकार आगे इस बात पर सहमत हैं कि खंडों में निहित सीमाएँ और व्यवस्थाएँ

((iv) से *(viii)* ऊपर दिए गए इन उपहारों के निष्पादन की तारीख से पचास वर्ष की समाप्ति पर, प्राप्त अनुभव और संबंधित सरकारों के क्षेत्रों के भीतर सिंचाई के आगे विस्तार की संभावनाओं की जांच और ऐसे संशोधनों और परिवर्धनों के लिए पुनर्विचार के लिए खुला रहेगा, जिन पर इस तरह के पुनर्विचार के परिणामस्वरूप पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है। *(xii)* मद्रास सरकार और मैसूर सरकार आगे इस बात पर सहमत हैं कि उपरोक्त खंड *(iv)* और *(v)* में निर्दिष्ट सिंचाई के विस्तार की सीमाएं उपयोग किए गए पानी की मात्रा में किसी भी वृद्धि के बिना, केवल शुल्क में सुधार से प्रभावित सिंचाई के विस्तार को बाधित नहीं करेंगी।

(xiii) इसमें सहमत या निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा -

उन मामलों के अलावा अन्य मामलों के संबंध में *1892* के समझौते के संचालन को किसी भी तरह से अर्हता प्राप्त या सीमित करें जिनके लिए यह समझौता किया गया है।

1892 के समझौते की अनुसूची ए में शामिल नहीं मैसूर में कावेरी की सहायक नदियों पर नए सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए मैसूर सरकार के अधिकारों से संबंधित या प्रभावित करने के लिए

(xiv) मद्रास सरकार मद्रास में कावेरी की सहायक नदियों पर नए सिंचाई कार्यों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होगी और यदि मद्रास सरकार मद्रास में भवानी, अमरावती या नोइल नदियों पर किसी भी नए भंडारण जलाशय का निर्माण करती है, तो मैसूर सरकार इन में उल्लिखित जलाशयों के अलावा एक भंडारण जलाशय का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होगी।

मैसूर में कावेरी की सहायक नदियों में से एक पर इस समझौते का खंड *(vii)* मद्रास में नए जलाशय के *60* प्रतिशत से अधिक क्षमता का नहीं है।

बशर्ते कि ऐसे जलाशयों में ज़ब्त करने से वे आपूर्ति कम या प्रभावित नहीं होंगी जिनके लिए मद्रास सरकार और मैसूर सरकार क्रमशः इसके तहत हकदार हैं।

समझौता, या अधिशेष जल का विभाजन, जो कि प्रत्याशित है, खंड *(xi)* में दिए गए इस समझौते की समाप्ति पर विभाजन के लिए उपलब्ध होगा।

(xv) मद्रास सरकार और मैसूर सरकार इसके द्वारा

इस बात से सहमत हैं कि, यदि किसी भी समय दोनों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होना चाहिए

मद्रास सरकार और मैसूर सरकार इस समझौते की व्याख्या या उसका पालन,

इस प्रकार सहमत पक्षों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। *47.* जैसा कि ध्यान देने योग्य है, खंड *10 (ii)* में प्रावधान किया गया है कि मैसूर

आर. एन. एम. टी. के माध्यम से और से निर्वहन को विनियमित करने पर सहमति व्यक्त की थी

विनियमन के नियमों के अनुसार सख्ती से जलाशय

अनुलग्नक *I* में *rth,* विनियमन के कौन से नियम होंगे और बनाएँगे

उस समझौते से। अनुलग्नक *I* के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

वीः

" 7. कावेरी का न्यूनतम प्रवाह जो सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसी भी ज़ब्ती से पहले ऊपरी एनीकट में

कृष्णराजसागर, जैसा कि कावेरी के पठन से सूचित होता है डैम नॉर्थ गेज इस प्रकार होगाः

के पाठ

महीना

कावेरी बांध

नॉर्थ गेज।

साढ़े छह फुट।

जून जुलाई और अगस्त

साढ़े सात फुट

सात फुट।

सितंबर

अक्टूबर

साढ़े छह फुट।

छह फुट।

नवंबर दिसंबर

साढ़े तीन फुट।

:

तीन फुट।

जनवरी

8. में निर्धारित गेज रीडिंग द्वारा सूचित निर्वहन

नियम *7,* सिंचाई मौसम के दौरान विनियमन के मामले में

कावेरी के संयुक्त माप से प्राप्त वक्र *1920* में समाप्त होने वाले चार वर्षों में बनाया गया कावेरी बांध। ने कहा कि

पूरा होने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो निर्वहन को संशोधित किया जाएगा।

1921 के संयुक्त मापक का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा -

1926 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के लिए विनियमन। उक्त निर्वहन अंततः संशोधित किया जाएगा और बाद के सभी विनियमों के लिए अपनाया जाएगा, कर्नाटक का टीई इसके प्रमुख सचिव बनाम।

स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

वर्ष *1926* के संयुक्त मापन के समापन पर, *1926* को समाप्त होने वाले दस वर्षों के संयुक्त मापन के आधार पर। *9.* इन नियमों के उद्देश्य से दक्षिण-पश्चिम मानसून को *1* जून से *30* सितंबर तक, दोनों दिनों सहित, और उत्तर-पूर्व मानसून को *1* अक्टूबर से *31* जनवरी तक, दोनों दिनों सहित, विस्तारित करने पर विचार किया जाएगा। सिंचाई का मौसम *1* जून से *31* जनवरी तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें दोनों दिन शामिल होंगे। इस नियम की सभी तिथियों में ऊपरी एनीकट का संदर्भ होगा।

48. समझौते का अनुलग्नक *III* यसोर और मद्रास की सिंचाई की सीमा से संबंधित है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 2.1892 के समझौते की अनुसूची ए में उल्लिखित कावेरी और उसकी सहायक नदियों के तहत मैसूर में सिंचाई के भविष्य के विस्तार की सीमा *110,000* एकड़ तय की जाएगी, और मद्रास में उनकी कावेरी-मेट्टूर

परियोजना होगी जैसा कि *1921* में संशोधित किया गया था और सिंचाई का नया क्षेत्र *301,000* एकड़ तय किया गया था।

49. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों सरकारों के बीच वर्ष *1929* में कृष्ण राजा सागर वचन से संबंधित विनियमन नियमों के नियम *7* को स्पष्ट करने के लिए एक और समझौता किया गया था जो इस प्रकार है:

"समझौता

18 फरवरी *1924* को मैसूर और मद्रास सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि उक्त समझौते के खंड *10 (2)* के तहत मैसूर सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

के माध्यम से और से निर्वहन को विनियमित करने के लिए सहमत हुए कृष्णराजसागर जलाशय नियमों के अनुसार सख्ती से

विनियमन का उक्त समझौते का अनुलग्नक *I* होना; और

जहाँ दोनों सरकारों के बीच उक्त नियमों और विनियमों के नियम *7* और *8* की व्याख्या, संचालन और पालन के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए थे;

और

जबकि दोनों सरकारों ने विवादित मामलों को माननीय श्री जस्टिस पेज के मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत किया है मेसर्स के साथ। मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में हॉली और फोर्ब्स।

अब दोनों सरकारें एक पुरस्कार के बदले में सहमत हो गई हैं

उस ओर से *1* जुलाई के बाद सभी विनियमों के लिए अंततः अपनाया जाना

1929 , संबंधित महीनों के लिए निम्नलिखित निर्वहन

अनुलग्नक *I* के खंड *8* में निर्दिष्ट औसतों में से:

61/2 फुट गेज के लिए जून

29,800 क्यूसेक।

71/2 फुट के लिए जुलाई और अगस्त। गेज

.....40,100

7 फीट गेज के लिए सितंबर

.....35,000

साढ़े छह फीट गेज के लिए अक्टूबर

.....29,800

6 फीट गेज के लिए नवंबर

.....25,033

66

31/2 फुट गेज के लिए दिसंबर

.....8,913

3 फीट गेज के लिए जनवरी

.....6,170

और नियम *10* में, इम्पाउंडिंग सूत्र को परिभाषित करते हुए, सी को निरूपित करेगा

के खंडों के संबंध में पक्षों के बीच बकाया
विनियमन नियमों के खंड *7* और *8* के अलावा अन्य समझौते।

17 जून *1929*।

(हस्ताक्षरित*)* आर. रंगा राव*)*

(हस्ताक्षरित*)* ए. जी. लीच,

सरकार के सचिव

कार्यवाहक मुख्य सचिव

सरकार को। मैसूर का

लोक निर्माण और श्रम

विभाग, मद्रास "।

50. 1934 में मेट्टूर में एक नया जलाशय बनाया गया था।

मद्रास *1924* के समझौते के खंड *10 (v)* के अनुसार चालू हो गया और मद्रास सरकार ने "अपनी कावेरी मेट्टूर परियोजना *(1921* की परियोजना रिपोर्ट*)* के तहत सिंचाई के नए क्षेत्रों को *301,000* एकड़ तक सीमित करने" और "मेट्टूर में नए जलाशय" की क्षमता को *93.5* टी. एम. सी. तक सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी। उक्त आदेश में, मद्रास राज्य ने *1924* के समझौते के खंड *10 (xiv)* के तहत न्हावन जलाशय की योजना बनाना शुरू कर दिया और इसके परिणामस्वरूप, मैसूर *60* प्रतिशत के जलाशय के निर्माण का हकदार बन गया। मद्रास द्वारा नियोजित क्षमता और तदनुसार, मैसूर ने उक्त अधिनियम के खंड *10 (xiv)* के तहत एक ऑफसेट जलाशय के रूप में कबिनी जलाशय का प्रस्ताव रखा।

समझौता। इस संबंध में न्यायाधिकरण का निष्कर्ष इस प्रकार हैः

"काबिनी परियोजना के संबंध में, मद्रास की आपत्ति यह थी कि

कर्नाटक राज्य से उसके प्रमुख सचिव द्वारा आधे बिजली भंडारण के हस्तांतरण के लिए मैसूर का प्रस्ताव।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उठाया गया। उस समय के बीच चर्चा के नोटों से
11 और *12* मार्च, *1940* को दोनों राज्यों के इंजीनियरों *(*तमिलनाडु वीओ, *VII/Exh.445* पृष्ठ *148)* से ऐसा प्रतीत होता है कि मद्रास और माइस्त्रो सरकारों के दो मुख्य इंजीनियरों ने अंततः जून से जनवरी तक के. आर. एस. के विनियमन नियमों के नियम *10 (*समझौते का अनुलग्नक *I)* को लागू करते हुए कबिनी पर बनाए जाने वाले जलाशय में रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों मुख्य अभियंताओं के बीच चर्चा और समझौतों की टिप्पणियाँ

उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए और मद्रास राज्य द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोनों मुख्य इंजीनियरों के बीच कोई भी समझौता मद्रास राज्य की मंजूरी के अधीन था और

मैसूर सरकार। फिर *21* मई के पत्र द्वारा। *1945* मैसूर के महाराजा के सचिव ने मैसूर के निवासी से मद्रास सरकार की सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया। मद्रास सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, हालांकि उपरोक्त पत्र की
सामग्री मद्रास सरकार को भेज दी गई थी। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि कबिनी पर जलाशय के लिए *1924* के समझौते के संदर्भ में जब दो राज्यों के मुख्य अभियंताओं ने ज़ब्त करने का फॉर्मूला तय और तय किया था। मद्रास राज्य अपनी मंजूरी के बारे में नहीं बता रहा था। इस वजह से समझौते के खंड *10 (iv)* के तहत *1933* में मैसूर द्वारा नियोजित कबिनी पर परियोजना लागू नहीं हुई।

51. वर्ष *1935* में, ब्रिटिश संसद ने अधिनियम बनाया

भारत सरकार अधिनियम, *1935 (*संक्षेप में, *"1935* अधिनियम*")*। वर्ष *1947* में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947 (*संक्षिप्तता के लिए, *"1947* अधिनियम*")* लागू हुआ। मैसूर के महाराजा ने शुरू में केवल दो विषयों, रक्षा और विदेशी मामलों और संचार पर एक समझौते "विलय के दस्तावेज" को लागू किया था, जिसे मैसूर के महाराजा ने स्वीकार कर लिया था। भारत के गवर्नर जनरल *16.08.1947* पर। इसके बाद, भारतीय राज्यों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया और भारत अधिराज्य और मैसूर के महाराजा के बीच "ठहराव समझौता" किया गया। *1935* के अधिनियम की सातवीं अनुसूची की सूची *I* और सूची *II* में गिने गए सभी मामलों के लिए एक पूरक "विलय के दस्तावेज" को निष्पादित किया गया था जो उक्त पूरक *[2018] 5* एस. सी. आर. में निहित था।

समझौता। भारत के संविधान के लागू होने के बाद,

1947 अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद *395* में निहित प्रावधानों के कारण निरस्त हो गया और *1935* के अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती मद्रास प्रांत *26.01.1950* से मद्रास का एक भाग ए राज्य बन गया। आई. डी. *1* पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, *1956 (*संक्षेप में, *'*पुनर्गठन अधिनियम*')* द्वारा नए मैसूर राज्य का गठन किया गया था।

52. अगस्त *1972* में, तमिलनाडु राज्य ने मैसूर राज्य के खिलाफ *1971* का ओएस नंबर *1* मुकदमा दायर किया, जिसे वापस लेने की अनुमति दी गई।

यदि आवश्यक हो तो नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ। आई. डी. *1* पर मैसूर, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय सिंचाई मंत्री और उप मंत्री के साथ चर्चा की। चर्चा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"29 मई, *1972* को नई दिल्ली में आयोजित कावेरी के संबंध में चर्चा पर टिप्पणी *"*

"29 मई, *1972* को नई दिल्ली में मैसूर, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई। केंद्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री और उप मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई

संबंधित राज्यों में उपस्थित लोग इस प्रकार थेः

I. तमिलनाडुः

1. थिरु एम. करुणानिधि, मुख्यमंत्री

2. थिरु एस. माधवन, विधि मंत्री

3. थिरू एस. जे. सादिक पाशा, लोक निर्माण मंत्री

II. मैसूरः

1. श्री डी. देवराज उर्स, मुख्यमंत्री

2. श्री एम. एन. नंजा गौड़ा, प्रमुख सिंचाई राज्य मंत्री

III. केरलः

1. श्री सी. अच्युत मेनन, मुख्यमंत्री

2. श्री टी. के. दिवाकरन, लोक निर्माण मंत्री

केंद्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री ने कहा कि नदी की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाता है और केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से इसे हल करने के लिए यही रास्ता अपना रही थी

कावेरी के पानी के उपयोग पर मतभेद है।

इससे पहले, यह टी. ई. ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट एफ. टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसका उद्देश्य *1974* तक वैध होने के लिए एक अंतरिम समझौते पर पहुंचना था। जब *1924* का पूर्व समझौता *50* वर्षों के बाद समीक्षा के लिए आया होगा, जैसा कि समझौते में प्रावधान किया गया है। अब, के रूप में

1974 निकट है, इस प्रयास को समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण खोजने के पक्ष में छोड़ दिया गया है

कई राज्य। *(* जोर दिया गया*)* मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा से निम्नलिखित तीनों पर आम सहमति का पता चलाः पैरा *2* में दिए गए बिंदुः

2.1 ई. एच. राज्यों के बीच कावेरी विवाद को यथासंभव बातचीत से हल करने का गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए।

2.2 . केंद्र कावेरी जल, इसके उपयोग और सिंचाई प्रथाओं के साथ-साथ कावेरी बेसिन में निर्माणाधीन और प्रस्तावित दोनों परियोजनाओं से संबंधित सभी संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए इंजीनियरों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और यदि आवश्यक हो तो कृषि विशेषज्ञों से युक्त एक तथ्य खोज समिति नियुक्त कर सकता है। समिति वर्तमान आपूर्ति की पर्याप्तता या सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी के अत्यधिक उपयोग की जांच करेगी। समिति केवल डेटा एकत्र करने के लिए है न कि

कोई भी सिफारिश करें। समिति को कहा जा सकता है कि

तीन महीने के समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2.3 आंकड़ों का उपयोग करते हुए, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक सहमति पर पहुंचने के लिए चर्चा की जाएगी

3. केंद्र सरकार छह महीने में इस तरह के समझौते पर पहुंचने में सहायता करेगी और इस बीच कोई भी राज्य कावेरी के पानी को जब्त करके या उससे अधिक उपयोग करके समस्या के समाधान को कठिन बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। वर्तमान में "।

53. उपरोक्त के अनुसार, भारत सरकार द्वारा कावेरी तथ्य खोज समिति *(*सी*)* का गठन किया गया था। की शर्तें

सी. एफ. एफ. सी. की स्थिति इस प्रकार थीः

" (i) कावेरी जल से संबंधित सभी जुड़े हुए आंकड़ों को एकत्र करना*;* विभिन्न समय पर इसका उपयोग करनाः सिंचाई पद्धतियाँ*;* जैसे - साथ ही मौजूदा, निर्माणाधीन और प्रस्तावित दोनों परियोजनाएं

कावेरी बेसिन।

((ii) वर्तमान आपूर्ति या अत्यधिक उपयोग की पर्याप्तता की जांच करना।

सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल।

(iii) विभिन्न राज्यों में पानी के उपयोग के लिए प्रासंगिक डेटा एकत्र करना जैसे कि भौतिक और अन्य विशेषताएं; कृषि क्षेत्र; घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए मौजूदा और प्रस्तावित उपयोग; पनबिजली उत्पादन, नौवहन, लवणता नियंत्रण और अन्य गैर-सिंचाई उद्देश्य। *((iv)* कोई अन्य संबंधित मामले।

54. सी. एफ. एफ. सी. ने *15.12.1972* पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"जैसा कि उपरोक्त संकल्प में वांछित है, हम एतद्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

केरल से यह आंकड़ा *21* सितंबर, *1972* को मैसूर से *19* अक्टूबर, *1972* को और तमिलनाडु से *24* अक्टूबर, *1972* को प्राप्त हुआ था। मैसूर और तमिलनाडु दोनों ने *7* से *14* नवंबर, *1972* तक नई दिल्ली में समिति के साथ अपनी चर्चा के दौरान अपने आंकड़ों को पूरक बनाया। चर्चा के दौरान और फिर *6* से *8* दिसंबर, *1972* तक समिति की मैसूर और तमिलनाडु की यात्रा के दौरान राज्यों से कुछ स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। राज्य सरकारों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इन तीनों राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी *20* खंडों में है। इसके अलावा, उन्होंने अपने अध्ययन के लिए समिति की परियोजना रिपोर्ट छोड़ दी है जो *36* खंडों में भी है। के रूप में इस विशाल आँकड़ों की बहुत सावधानीपूर्वक जाँच और जांच की आवश्यकता है, समिति ने *15* दिसंबर, *1972* से *15* जनवरी, *1973* तक एक महीने के और विस्तार के लिए कहा था। लेकिन वैसा ही

सहमति नहीं बनी है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए समिति के पास *15* दिसंबर, *1972* को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ पूरा न्याय करना संभव है। कावेरी के संबंध में चर्चा पर टिप्पणी के अनुसार

29 मई, *1972* को नई दिल्ली में केंद्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री और केरल, मैसूर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित *(*जिसकी एक प्रति समिति को प्रदान की गई थी*)* "समिति केवल डेटा एकत्र करने के लिए है और कोई सिफारिश नहीं करती है"। इस प्रकार समिति ने

कोई भी सिफारिश करने से परहेज किया। "

55. 14.08.1973 पर, एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अक्टूबर में, मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों ने अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य की इच्छा व्यक्त की।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

भारत सरकार अर्थव्यवस्था के दायरे पर अध्ययन करेगी

जल का उपयोग और उसी के अनुसरण में, सी. सी. पटेल समिति का गठन किया गया। समिति ने विभिन्न सिफारिशें कीं और प्रत्येक राज्य में सिंचाई जल की आवश्यकता का अनुमान लगाया। *12.08.1976* पर, श्री ई. सी. सल्धाना, सदस्य, केंद्रीय जल के साथ एक समिति आयोग, अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ स्थापित किया गया था:

" *(i)* सिंचाई के तहत मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ नए क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता का आकलन करना, जिन्हें संबंधित कमान क्षेत्रों के भीतर वर्षा से पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के तहत लाने का प्रस्ताव है। *((ii)* जलाशयों के एकीकृत संचालन को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ष में उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता का आकलन करना।

और रिलीज का मांग पैटर्नः

(iii) पांडिचेरी के कराईकल क्षेत्र सहित तमिलनाडु में उत्तरोत्तर होने वाली बचत को ध्यान में रखते हुए मौजूदा आयकटों के साथ-साथ नए क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सामान्य या अच्छे वर्षों में आपूर्ति के विनियमन की सिफारिश करना और

कर्नाटक "।

56. मार्च *1977* में, भारत सरकार को एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जैसा कि स्पष्ट है, चर्चाएँ, विचार-विमर्श और वार्ताएँ हुईं।

दोनों राज्यों के बीच और अंत में, जैसा कि पहले कहा गया है, *06.07.1986* पर, तमिलनाडु राज्य ने भारत सरकार के साथ *1956* के अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जल विवाद को उठाने का अनुरोध किया गया।

न्यायाधिकरण द्वारा जल विवाद का निर्णय।

57. हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्नाटक राज्य ने एक अध्यादेश लाया था और अदालत ने इससे कैसे निपटा है।

58. उपरोक्त को नोट करने और संविधान पीठ ने जो कहा था उसे देखने के बाद, हम दलीलों से निपटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं की वैधता के संबंध में दोनों राज्यों की ओर से प्रचार किया गया

समझौते। एच. पैरामाउंटसी का सिद्धांत और आने पर इसका विलुप्त होना

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947*

59. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने दोनों समझौतों पर दो कारणों से हमला किया है, अर्थात् *(i)* मैसूर के महाराजा मद्रास *[2018] 5* एस. सी. आर. के साथ समान शर्तों पर समझौता करने की स्थिति में नहीं थे।

सरकार जैसा कि संचार से पता चलता है, और आगे, *(ii)* जिस तरीके से समझौते किए गए थे, ब्रिटिश सरकार और महाराजा द्वारा प्रदान किया गया दर्जा, ब्रिटिश सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेश और अंततः, भारत के लिए राज्य सचिव का आदेश, जिसने ग्रिफिन पुरस्कार के खिलाफ मद्रास की ब्रिटिश सरकार की अपील को बरकरार रखा, स्पष्ट रूप से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्च शक्ति के प्रति मैसूर के महाराजा की अधीनता को दर्शाता है। उन्होंने ग्रिफिन के एक मार्ग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

पुरस्कार जो इस प्रकार हैः

"राज्य सचिव का मानना है कि मद्रास सरकार को उनसे अपील करने का अधिकार था, सबसे पहले क्योंकि *1892* के समझौते के नियम *IV* में निर्धारित प्रक्रिया थी
मध्यस्थता कार्यवाही में भिन्नता और, दूसरी बात, क्योंकि, जबकि *1892* का समझौता दोनों के बीच मान्य था और है।

मद्रास और मैसूर की सरकारें, यह उन्हें *(*यानी राज्य सचिव*)* उनकी पीढ़ी से मुक्त नहीं करती हैं*!* किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी जिसमें उसे लगता है कि सार्वजनिक हित को नुकसान होने का खतरा है, भले ही संभावित नुकसान हो।

दिए गए पुरस्कार या उद्देश्य के तहत की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप

नियम *IV* "के तहत दिया जाना है।

ब्रिटिश सरकार को सचिव द्वारा बाध्यकारी नहीं माना गया था राज्य और वह इसे मान्यता देने से इनकार कर सकते हैं और उक्त से, सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रकट है और केवल इसे ही समझौतों को पूरी तरह से अनुचित, मनमाना और अनुचित मानने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील तर्क देंगे कि जब ऐसी स्थिति में समझौता किया गया था, तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता है और *26* जनवरी, *1950* को लागू हुए भारत के संविधान के तहत इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि सर्वोपरि शासन को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि क्राउन के पास सर्वोपरि शक्ति थी और

मद्रास सरकार के पक्ष में उसी का प्रयोग करते हुए मैसूर के महाराजा के दीवान द्वारा जो भी आपत्ति उठाई जा सकती थी, उसे नजरअंदाज करते हुए समझौते को वैध और कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं बनाया जा सकता है। श्री नरीमन द्वारा तथ्यात्मक आधार पर दिए गए तर्क का तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने गंभीरता से विरोध किया है और आग्रह किया है कि समझौते कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव बनाम द्वारा किए गए थे।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कई पत्राचार और उचित विचार के बाद। उन्होंने मैसूर के दीवान द्वारा महाराजा के सचिव को लिखे गए *12.02.1924* के पत्र की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उक्त पत्र इस प्रकार हैः

सहकर्मी और वे मेरी सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। चार साल की कड़ी लड़ाई के बाद मुझे राहत और गर्व महसूस हो रहा है। मैं महामहिम की मंजूरी के लिए एक ऐसा समझौता करने में सक्षम हूं जो मैसूर और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत संतोषजनक और अनुकूल है।
पीएस। - सर विश्वेश्वरैया भद्रावती चले गए हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकता। मैंने एक सप्ताह पहले ही उनके साथ सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है और वह पूरी तरह से संतुष्ट थे कि हमें वह सब मिला जो हम कर सकते थे और एक बहुत ही संतोषजनक समझौता हुआ।

61. उक्त पत्र में प्रयुक्त भाषा का उल्लेख करते हुए, श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह वास्तव में कुछ भी संकेत नहीं देता है जिसे सहमति या स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है, बल्कि इसके बजाय किसी

प्रकार के इस्तीफे को दर्शाता है। उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया है कि "हमें वह सब मिला जो हम कर सकते थे" इस बात को उजागर करने के लिए कि यह बाध्यकारी आत्मसमर्पण को दर्शाता है।

कोई विकल्प नहीं होने और किसी भी विकल्प के अभाव में कुछ भी स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि *1924* के समझौते ने केवल मैसूर राज्य को कुछ शर्तों पर रियासत में सिंचाई करने की अनुमति दी। यह सर्वोपरि शक्ति द्वारा एकतरफा थोपे जाने के कारण था। *62.* इस संदर्भ में, यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री द्विवेदी ने पत्र से हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित किया है।

मैसूर के दीवान से लेकर मैसूर के महाराजा तक। उक्त भाग इस प्रकार हैः

"मैं आज रात इस पत्र के साथ विवाद के सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए एक पूर्ण व्यापक समझौता भेज रहा हूं।

प्रत्येक खंड जिस पर पिछले *4* वर्षों के दौरान सहमति बनी है

दोनों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षर किए गए

सरकारें। यह देखा जाएगा कि हमने भवानी परियोजना के संबंध में मद्रास को रियायत दी है और बदले में हमें एक अतिरिक्त जलाशय प्राप्त करने का अधिकार है।
अन्य मुद्दे पहले ही तय हो चुके हैं। इस पूरे मामले ने मुझे पिछले कुछ दिनों के दौरान काफी चिंता में डाल दिया है और मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि अब प्राप्त रियायत और *[2018] 5* एस. सी. आर. के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कृष्णराजसागर के संबंध में अंतिमता, अगले *50* वर्षों के दौरान *110,000* एकड़ के अतिरिक्त विकास की संभावना के साथ, मैसूर के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाती है, भले ही मैसूर अब मेतूर परियोजना को थोड़ा बढ़ाने के लिए सहमत हो। हमने इस प्रश्न पर एक बहुत ही स्थिर लड़ाई की है, और जैसा कि मद्रास ने अपने अन्य विवादों पर चढ़ाई की है और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि अब प्रस्तुत किया गया है, हम अच्छी कृपा के साथ, इस एक बिंदु पर अब तक केवल अतिरिक्त *1,500* एम. सी. फीट तक ही जीत सकते हैं। अतिरिक्त भंडारण का संबंध है, जो नगण्य है और विवाद को समाप्त करता है

एक बार के लिए।

मैंने आज सुबह अपने साथ पूरे मामले पर चर्चा की है।

सहकर्मी और वे मेरी सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। मुझे राहत और गर्व महसूस हो रहा है कि चार साल की कड़ी लड़ाई के बाद, मैं

मैं महामहिम की मंजूरी के लिए एक ऐसा समझौता करने में सक्षम हूं जो मैसूर और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत संतोषजनक और अनुकूल है।

63. सर्वोच्चता के रुख को विस्तार से बताते हुए, इस न्यायालय को कुछ तथ्यात्मक पहलुओं से अवगत कराया गया है। *1929* में कुछ विवाद उत्पन्न हुए।

1921 के विनियमन नियमों के नियम *7* और *8* की व्याख्या, संचालन और निष्पादन से संबंधित दोनों सरकारों के बीच

(1924 के समझौते के अनुलग्नक*)* और खंड *10 (ii)* के तहत, विवादित मामलों को कलकत्ता के श्री जस्टिस पेज के मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

उच्च न्यायालय और मध्यस्थता के दौरान, दोनों सरकारें ऊपरी एनीकट में निर्वहन और कुछ अन्य पहलुओं के संबंध में इसे अंतिम के रूप में अपनाने पर सहमत हुईं। *1934* में, मद्रास द्वारा निर्मित मेट्टूर में एक नया जलाशय *1924* के समझौते के खंड *10 (v)* के अनुसार चालू हो गया और मद्रास सरकार कावेरी-मेट्टूर परियोजना के तहत सिंचाई के नए क्षेत्रों को *301,000* एकड़ तक सीमित करने और मेट्टूर में नए जलाशय की क्षमता को *93.5* टी. एम. सी. तक सीमित करने पर सहमत हुई। यह कर्नाटक राज्य का रुख है कि जब *1934* से मेट्टूर बांध चालू हुआ, तो ऊपरी एनीकट के लिए प्राकृतिक प्रवाह जो मेट्टूर से काफी नीचे था, निर्धारित साढ़े छह से साढ़े सात फीट पर बनाए नहीं रखा जा सका। अपस्ट्रीम का पानी मेट्टूर जलाशय में बहने के बाद से यह *29800* क्यूसेक से *40100* क्यूसेक के बराबर है। इसके बावजूद, जैसा कि श्री नरीमन ने आग्रह किया था, *1924* के समझौते के खंड *10 (ii)* के नियम *7* का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता थी।

विनियमन के नियम और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और ऐसा प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वोपरि शक्ति के कारण था और यह अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य की इच्छा नहीं रखता था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए। इस बात को उजागर करने के लिए कई अन्य पहलुओं पर जोर दिया गया है कि मैसूर राज्य के पास सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं था और यह सत्ता के सर्वोपरि प्रयोग के आगे झुकने के लिए मजबूर था। हम वर्तमान में विशिष्ट जलाशयों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे बाद में निपटा जाएगा।

64. वर्ष *1924* के समझौते की कानूनी वैधता को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसने संबोधित किया है कि क्या

समझौता संवैधानिक रूप से अमान्य हो गया है। उसी को स्वीकार करते हुए, न्यायाधिकरण ने राय दी है कि जब *1924* का समझौता किया गया था, तब भारत सरकार अधिनियम, *1919* लागू था। उक्त अधिनियम की धारा *30* ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को उस अधिनियम के उद्देश्य के लिए कोई भी अनुबंध करने में सक्षम बनाया। भारत सरकार अधिनियम, *1919* को भारत सरकार अधिनियम, *1935* द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

65. तमिलनाडु राज्य की ओर से इस पर निर्भरता रखी गई थी

भारत सरकार अधिनियम, *1935* की धारा *177* इस तर्क को बनाए रखने के लिए कि *1924* का समझौता लागू रहा और कब ब्रिटिश

15 अगस्त, *1947* को सर्वोपरिता समाप्त हो गई, भारतीय संविधान की धारा *7 (1)* के प्रावधान के कारण समझौता स्वचालित रूप से समाप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम, *1947*। यह आगे कहा गया है कि किसी भी पक्ष द्वारा उन समझौतों की निंदा के अभाव में या किसी भी नए समझौते द्वारा उनका स्थान लेने के कारण समझौता लागू रहा। इसके अलावा, मैसूर राज्य, जो भारत डोमिनियन में अपने विलय के समय एक रियासत था, ने "विलय के दस्तावेज" और "ठहराव समझौते" दोनों को निष्पादित किया, जिसके तहत मद्रास राज्य और तत्कालीन मद्रास राज्य के बीच समझौता जारी रहा।

मैसूर राज्य। संविधान के लागू होने के बाद, दोनों राज्यों को अनुच्छेद *295*-बी और *295 (2)* के तहत दिए गए उक्त समझौतों से उत्पन्न देनदारियों और दायित्वों को और नवंबर, *1956* में राज्यों के पुनर्गठन के बाद, पहले किए गए समझौते की शर्तों को पुनर्गठन अधिनियम की धारा *87 (1)* के तहत उत्तराधिकारी राज्य या राज्यों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा। न्यायाधिकरण के समक्ष कर्नाटक राज्य का तर्क था कि *1924* का समझौता निम्नलिखित के अंतर्गत नहीं आता हैः

भारत सरकार अधिनियम, *1935* की धारा *177* और इस प्रकार, यह उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो गया। *66.* न्यायाधिकरण ने धारा *177 (1)* का उल्लेख किया, पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की दलीलों को नोट किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 7. भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *177 (1)* के एक सादे पठन पर यह स्पष्ट है कि इसने अनुबंध *[2018] 5* एस. सी. आर. की कल्पना की थी।

परिषद में राज्य सचिव द्वारा या उसकी ओर से किया जाना। कर्नाटक राज्य की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर यह प्रतीत होता है कि जिस समझौते पर शुरू में मैसूर के दीवान और *88* मद्रास सरकार के सचिव ने *18* फरवरी *1924* को हस्ताक्षर किए थे, उस पर मैसूर के महाराजा के साथ-साथ मद्रास के राज्यपाल ने भी हस्ताक्षर किए थे। इसे राज्य सचिव द्वारा भी अनुमोदित किया गया था और यह अनुमोदन था

दिनांक *18* जून *1924* को तार द्वारा संप्रेषित किया गया। इसके बाद, भारत सरकार ने उक्त समझौते को मंजूरी दी और पुष्टि की

कानून की आवश्यकता का पालन करके निष्पादित किया गया। हमारे अनुसार समझौते के निष्पादन की तारीख से लगभग *80* वर्ष बीतने के बाद वर्ष के समझौते के निष्पादन की कानूनी वैधता की जांच करना एक व्यर्थ प्रयास होगा। *1924* जिस पर तत्कालीन मद्रास राज्य और मैसूर सरकार ने कावेरी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे के संबंध में कार्रवाई की थी, जिसमें दो राज्यों द्वारा कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर जलाशयों के निर्माण का संबंध भी शामिल था। उस समझौते के अनुसार केआरएस का निर्माण किया गया और यह कार्यात्मक हो गया।

वर्ष *1931* में मैसूर और मेट्टूर के भीतर मद्रास द्वारा निर्माण किया गया था जो वर्ष *1934* में कार्यशील हो गया था। मैसूर/कर्नाटक और मद्रास/तमिलनाडु राज्यों के भीतर सहायक नदियों पर जलाशयों का भी निर्माण किया गया है और वे काम कर रहे हैं। *1974* में *50* वर्ष की अवधि की समाप्ति तक मैसूर या कर्नाटक की ओर से किसी भी स्तर पर कोई विवाद नहीं उठाया गया था।

वर्ष *1924* के समझौते के निष्पादन में किसी भी दोष के संबंध में या यह कि यह मैसूर/कर्नाटक पर बाध्यकारी नहीं था।

67. प्रस्तुतिकरण *1947* के अधिनियम के आधार पर संरचित किया गया था जो उन्होंने डॉ. बाबू राम सक्सेना बनाम में दिया था। राज्य *3.* नाल ने उक्त निर्णय का विश्लेषण किया और पतंजलि शास्त्री, जे. ने एम. एच. कनिया, सी. जे. और स्वयं की ओर से अपनी राय दी।

एससीआर *573:*

ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *155* स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

बी. के. मुखर्जी, जे. द्वारा दी गई राय, जे. फजल अली, जे. शास्त्री, जे. और मुखर्जी, जे. दोनों से सहमत थे और राय दी कि अपील खारिज किए जाने के योग्य है। महाजन, जे. ने मुखर्जी, जे. के साथ सहमति व्यक्त की। तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, न्यायाधिकरण ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"*16.* ऐसा प्रतीत होता है कि तीन शेष न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश फजल अली, जे. महाजन, जे, और दास, जे, माननीय न्यायमूर्ति मुखर्जी द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत थे। में न्यायाधीशों का बहुमत

उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के मामले ने उस विशेष मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को लेते हुए अपील को खारिज कर दिया, अर्थात

टोंक राज्य कई अन्य राज्यों के साथ और राजस्थान के संयुक्त राज्य को जन्म दे रहा है। विलय की प्रक्रिया में टोंक ने अपनी पहचान खो दी थी और अपना जीवन त्याग दिया था। इस तरह की एक संधि जो पहले संपन्न हुई थी, समाप्त हो गई थी।

68. ऐसा कहने के बाद, न्यायाधिकरण ने उक्त निर्णय को अलग किया क्योंकि तथ्यात्मक मैट्रिक्स अलग है। न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

मैसूर राज्य एक सत्तारूढ़ राज्य था और विलय के बाद, यह एक राज्य बन गया।

भारत के संविधान के तहत समूह बी राज्य और किसी भी स्तर पर, उक्त राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ कोई विलय नहीं हुआ है, जिसके द्वारा सत्तारूढ़ मैसूर राज्य समाप्त हो गया था या त्याग दिया गया था, जैसा कि टोंक राज्य के मामले में हुआ था, जो डॉ. बाबू राम सक्सेना *(*ऊपर*)*। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया हैः

"हमारे अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय कर्नाटक राज्य के लिए कोई मददगार नहीं है। इस तर्क के समर्थन में कोई अन्य निर्णय या प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था कि वर्ष *1924* का समझौता भारतीय संविधान के बाद अस्तित्व में नहीं रहा।
स्वतंत्रता अधिनियम *1947* लागू हुआ। इसका परिणाम यह होगा कि

यह माना जाएगा कि *1924* का उक्त समझौता कायम रहा और

भारतीय के लागू होने के बाद भी जारी रहा
स्वतंत्रता अधिनियम *1947* और भारत का संविधान "।

69. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने सर्वोपरि होने के सिद्धांत के बारे में दृढ़ता और चतुराई से प्रचार किया है। उक्त व्यक्ति के लिए

इस उद्देश्य से उन्होंने *1947* के अधिनियम की धारा *7* की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

" 7. (1) नियत दिन से *(ए)* यूनाइटेड किंगडम में महामहिम की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी क्षेत्र की सरकार, जो तुरंत पहले

उस दिन, ब्रिटिश भारत में शामिल थे; *[2018] 5* एस. सी. आर.

(ख) भारतीय राज्यों पर महामहिम का आधिपत्य समाप्त हो जाता है, और इसके साथ, महामहिम और भारतीय राज्यों के शासकों के बीच इस अधिनियम के पारित होने की तारीख को लागू सभी संधियों और समझौतों, भारतीय राज्यों के संबंध में उस तारीख को महामहिम द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कार्य, भारतीय राज्यों या उनके शासकों के प्रति उस तारीख को मौजूद महामहिम के सभी दायित्व और सभी शक्तियां,

इस उप-धारा के पैराग्राफ *(सी)* का प्रभाव, जितना हो सके, किसी ऐसे समझौते के प्रावधानों को दिया जाता रहेगा जो है - इसमें संदर्भित जो रीति-रिवाजों, पारगमन और

संचार, डाक और तार, या इसी तरह के अन्य मामले, जब तक कि भारतीय राज्य के शासक या आदिवासी क्षेत्रों में अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा विचाराधीन प्रावधानों की निंदा नहीं की जाती है।

दूसरी ओर संबंधित, या बाद के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं समझौते।

(2) यूनाइटेड किंगडम की संसद की सहमति शाही शैली और "भारत के सम्राट" शब्दों के शीर्षकों और "भारत के सम्राट" शब्दों को हटाने के लिए दी गई है और महामहिम द्वारा राज्य की महान मुहर के तहत अपनी शाही घोषणा के उस उद्देश्य के लिए जारी किया गया है।

70. श्री नरीमन के अनुसार, उक्त आदेश के लागू होने के बाद, समझौते समाप्त हो गए और न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला किअनुच्छेद *295 (2)* के तहत स्थापित "ठहराव समझौते" या संवैधानिक मान्यताओं के कारण जारी रहना पूरी तरह से गलत है। संदर्भ में, हम "ठहराव समझौते" का उल्लेख कर सकते हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राज्य पर श्वेत पत्र का एक हिस्सा है। उक्त श्वेत पत्र के भाग *4* में, कर्नाटक राज्य का उसके प्रमुख सचिव द्वारा परिग्रहण *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

भारत अधिराज्य के राज्यों का उल्लेख किया गया है और यह सर्वोच्चता की चूक को संदर्भित करता है। पैराग्राफ *82* "ठहराव समझौते" से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

"गतिरोध समझौते, जिनकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्यों द्वारा विलय की शर्त पर की गई थी, डोमिनियन के बीच भी किए गए थे।

सरकार और स्वीकार करने वाले राज्य। स्थगन समझौतों *(*परिशिष्ट *IX)* में राज्यों और राज्यों के बीच साझा चिंता के मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कुछ समय के लिए जारी रखने का प्रावधान किया गया है।
भारत का अधिराज्य या उसका कोई भी भाग। "

71. श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि "ठहराव समझौता" दिनांक *09.08.1947* जिसे वास्तव में के महाराजा द्वारा निष्पादित किया गया था।

मैसूर ने निर्धारित किया कि उक्त समझौते में किसी भी चीज में किसी भी सर्वोपरि कार्य का प्रयोग शामिल नहीं हो सकता है और इसलिए, "ठहराव समझौता" मैसूर राज्य को कवर नहीं करेगा। विद्वान वरिष्ठ वकील तर्क देंगे कि भारतीय संविधान के लागू होने के साथ, संसद द्वारा पारित *1947* का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *395* के प्रावधान के कारण निरस्त हो गया और मैसूर संविधान के तहत एक भाग बी राज्य बन गया और पूर्ववर्ती मद्रास प्रांत एक भाग ए राज्य बन गया। उनके अनुसार, भले ही मैसूर के महाराजा और उनके बीच "ठहराव समझौता" निष्पादित किया गया हो।

भारत का अधिराज्य सक्रिय था और अस्तित्व में था, यह समाप्त हो गया। उनके अनुसार, *1947* का अधिनियम भारत संघ में मैसूर राज्य के अंतिम विलय से आगे नहीं टिक सका और मैसूर प्रांतीय राज्य सहित विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ भारत सरकार द्वारा किया गया "ठहराव समझौता" विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी जो प्रशासनिक मामलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। उसके पास है न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की गंभीर आलोचना की और तर्क दिया कि न्यायाधिकरण डॉ. बाबू राम सक्सेना *(*ऊपर*)* में निर्णय पर उचित ध्यान देने में विफल रहा है। उन्होंने इस तर्क को मजबूत करने के लिए कुछ अंशों की सराहना की हैः

"सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने उस तर्क के जवाब में तीन तरह की दलीलें दीं। सबसे पहले, विभिन्न भारतीयों के साथ गतिरोध समझौता हुआ

राज्य विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्थाएँ थीं जो उन राज्यों के *[2018] 5* एस. सी. आर. में विलय तक सामान्य चिंता के कुछ प्रशासनिक मामलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का अधिराज्य, और उन्हें उन राज्यों के शासकों द्वारा निष्पादित विलय के दस्तावेजों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। टोंक के *16* अगस्त, *1947* को डोमिनियन में शामिल होने के बाद, अपीलार्थी द्वारा जिस ठहराव समझौते पर भरोसा किया गया था, उसे उस तारीख से समाप्त माना जाना चाहिए। .....

जैसा कि हमारी स्पष्ट राय है कि अपीलार्थी का तर्क इस अंतिम आधार पर विफल होना चाहिए, हम इसे उच्चारण करने के लिए अनावश्यक मानते हैं।
महान्यायवादी द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर विशेष रूप से क्योंकि इसमें शामिल मुद्दे विशुद्ध रूप से कानूनी नहीं हैं, बल्कि एक राजनीतिक चरित्र के भी हैं, और हमारे विचार नहीं हैं

सरकारें उन बिंदुओं पर चिंतित हैं।

72. हम पहले ही डॉ. बाबू राम सक्सेना *(ऊपर)* में निर्णय का उल्लेख कर चुके हैं और ट्रिब्यूनल ने इससे कैसे निपटा है। श्री नरीमन का जोर "राजनीतिक चरित्र में भी भाग लें" शब्दों पर है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि जब कोई समझौता राजनीतिक रूप से होता है

विशेष रूप से, *1947* के अधिनियम की धारा *7* के आधार पर सर्वोपरि खंड का सिद्धांत महत्वहीन हो जाता है। इस संबंध में उन्होंने हेमचंद देवचंद बनाम पर भरोसा रखा है। आज़म साकरलाल छोटमलाला।

विद्वान वरिष्ठ वकील का प्रयास राजनीतिक मामलों की श्रेणियों और अन्य श्रेणियों में आने वाले मामलों के बीच अंतर करना है। उक्त निर्णय के कुछ अंश इस प्रकार हैं:

"असली सवाल यह है कि क्या काठियावाड़ में न्यायाधिकरणों और उन न्यायाधिकरणों की अपील पर गवर्नर इन काउंसिल की कार्रवाई उचित है।

न्यायिक या राजनीतिक के रूप में माना जाना। और इस बिंदु पर अपील के तहत दो मामलों के बीच एक अंतर उत्पन्न होता है; क्योंकि उनमें से पहला एक दीवानी के रूप में निपटाया गया है, दूसरा एक राजनीतिक मामले के रूप में।

XXXXX

परिषद में राज्य सचिव को आगे की अपील स्पष्ट महत्व का एक तथ्य है। लॉर्ड सैलिसबरी के मार्च के प्रेषण में

23 , 1876 , इस तरह की अपीलों की प्रथा को उस तारीख को एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है जो पहले से ही पूरी तरह से स्थापित है, और यह सिविल के साथ-साथ राजनीतिक मामलों में भी आज तक जारी है। राज्य सचिव को अपील करने की यह प्रणाली इस बात का मजबूत प्रमाण देती है कि सरकार का इरादा हमेशा से रहा है कि

4 (1905) 33 आई ए *1:*

(1906) आई. एल. आर. *33* कैल *219* कर्नाटक राज्य अपने प्रमुख सचिव द्वारा *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

काठियावाड़ के संबंध में प्रयोग राजनीतिक होना चाहिए और

अपने चरित्र में न्यायिक नहीं। "

और फिर से:

"ऐसे मामलों का निपटारा केवल पूर्ण अर्थों में समानता के सिद्धांत पर ही किया जा सकता है, न कि सीमित अर्थों में, जो उच्च न्यायालयों के व्यवहार से परिचित हैं और कभी-कभी राजनीतिक औचित्य पर विचार किया जाना चाहिए।

जो उस संबंध को रेखांकित करता है जिसमें सरकार खड़ी है

संरक्षित राज्य "।

73. उक्त परिच्छेदों पर भरोसा करते हुए, उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि जब राज्य सचिव इस तरह के मामले से निपट रहे थे, तो उक्त मामले को "राजनीतिक" माना जाता था न कि "न्यायिक" जैसा कि बाद में भारत के वायसराय के पत्र में आधिकारिक रूप से कहा गया था-यानी, लॉर्ड रीडिंग का हैदराबाद के निजाम को दिनांकित पत्र-जो शास्त्रीय शब्दों में सर्वोच्चता के सिद्धांत को निर्धारित करता है। आगे विस्तार से बताते हुए, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि ग्रिफिन पुरस्कार के खिलाफ मद्रास सरकार द्वारा की गई अपील, जो मैसूर के महाराजा के पक्ष में थी, को अनुमति दी गई थी और मैसूर के महाराजा को "जागीरदार राज्य" के प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया था, और इसलिए, वह समान शर्तों पर सर्वोच्च शक्ति के साथ बातचीत या सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं थे और मजबूरी में सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए जाने के लिए मजबूर थे। इस संबंध में, ग्वालियर के एच. एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य बनाम के निर्णय से प्रेरणा ली गई है। भारत संघ और अन्य। शाह, जे., बहुमत के लिए बोलते हुए,

देखा गयाः

"*100. 1947* से पहले के युग में "राज्य" शब्द भारत में परिभाषित सीमाओं के क्षेत्र पर कब्जा करने वाले राजनीतिक समुदाय पर लागू होता था।

और एक एकल शासक के अधीन जिसने आनंद लिया या अभ्यास किया,
ब्रिटिश क्राउन द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त आंतरिक संप्रभुता के किसी भी कार्य और विशेषताओं से संबंधित। वहाँ थे।

भारत में *560* से अधिक राज्यः उन राज्यों में से चालीस के सर्वोच्च शक्ति के साथ संधि संबंध थेः बड़ी संख्या में राज्यों के किसी न किसी रूप में जुड़ाव या सनद थे, और शेष ने ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपनी स्थिति की मान्यता के किसी न किसी रूप में आनंद लिया। संधियों, समझौतों और सनदों में एक व्यापक क्षेत्र और राज्यों के अधिकारों और दायित्वों को शामिल किया गया था

उन समझौतों में से अलग-अलग राज्य अलग-अलग थे। सर्वोच्च शक्ति के रूप में ब्रिटिश क्राउन ने राज्यों के संबंध में जिन अधिकारों का प्रयोग किया, उनमें बाहरी और आंतरिक मामलों में अधिकार शामिल थे। राज्यों के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं था, सर्वोच्च शक्ति के पास शांति या युद्ध करने का विशेष अधिकार था।

या विदेशी राज्यों के साथ बातचीत या संवाद करना। सर्वोच्च शक्ति को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था जिसका उपयोग राज्य के प्रमुख, समग्र रूप से भारत के लाभ के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने के लिए किया जा सकता था।

प्रतिबद्धताएँ "।

74. इसके अलावा, न्यायालय ने कैबिनेट मिशन का उल्लेख किया जिसने *16* मई, *1946* को प्रस्तावित भारत संघ में राज्यों के प्रवेश के लिए अपनी योजना की घोषणा की और साथ ही घोषणा की कि

नई सरकार को हस्तांतरित किया गया। अदालत ने इस पर भी ध्यान दिया कि भारतीय *(*अनंतिम संविधान*)* आदेश, *1947* जिसने भारत सरकार अधिनियम, *1935* की धारा *5* और *6* में व्यापक संशोधन किया। न्यायालय ने ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता शक्ति की विरासत पर ध्यान केंद्रित किया और उस संदर्भ में कहाः

" 131. हम महान्यायवादी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि "ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता की पुरानी अज्ञात अवधारणा" संघ को विरासत में मिली थी, विलय और विलय समझौतों के साधनों के कारण और "ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता की मान्यता" के कारण।

सर्वोच्चता का प्रयोग किया क्योंकि यह प्रमुख शक्ति थी। सर्वोच्चता की कोई कानूनी उत्पत्ति नहीं थी, और कोई निश्चित अवधारणा नहीं थीः इसके आयाम इस बात पर निर्भर करते थे कि किसी दी गई स्थिति में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधियों ने क्या समीचीन समझा। सर्वोच्चता का मतलब उन शक्तियों से था जो ब्रिटिश अधिकारियों के पास थीं।
हथियारों की ताकत से, और राज्यों की संप्रभुता और अधिकार की अवहेलना करते हुए प्रयोग करना चुना। लेकिन वह सर्वोच्चता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* के साथ समाप्त हो गईः भारतीय संघ के साथ राज्यों के एकीकरण के साथ इसकी छाया भी गायब हो गई। ब्रिटिश शक्ति की वापसी और ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता के विलुप्त होने के बाद अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक की डोमिनियन सरकार ई।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

भारत सरकार ने राज्यों पर किसी भी तरह की सर्वोच्चता का प्रयोग नहीं किया और न ही कर सकी। स्थगन समझौते के खंड *3* में यह स्पष्ट रूप से था

उसका पाठ किया। समझौते में किसी भी सर्वोच्चता कार्यों का प्रयोग शामिल नहीं है। राज्यों और डोमिनियन सरकार के बीच संबंध समय-समय पर निष्पादित उपकरणों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किए जाते थे। शक्ति के अधीन

सामान्य हित के कुछ मामलों के संबंध में प्रदान किया गया

राजकुमारों के पास कानून बनाना और कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करना था

उनके क्षेत्रों के भीतर संप्रभुता। के आगमन के साथ संविधान के अनुसार राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया और जिन राजकुमारों और प्रमुखों को शासकों के रूप में मान्यता दी गई थी, उनके पास कोई संप्रभु नहीं बचा था

उनमें अधिकार। सरकार की कल्पना करना मुश्किल है।

अपने नागरिकों के खिलाफ अभ्यास करने वाले एक लोकतांत्रिक गणराज्य का

"सर्वोपरि "एक शाही शक्ति से विरासत में मिलने का दावा किया जाता है। वह शक्ति और अधिकार जिसके विरुद्ध संघ प्रयोग कर सकता है

इसके नागरिक और यहां तक कि विदेशी भी यहाँ से आते हैं और सख्ती से हैं।

संविधान द्वारा सीमित।

132. जिन मूल सिद्धांतों पर सर्वोच्चता टिकी हुई है अर्थात

भूगोल की मजबूरी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और भारत में सभी क्षेत्रों की रक्षा के लिए भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी भारतीय अधिनियम के अधिनियमन से बच गई। स्वतंत्रता अधिनियम, *15* अगस्त, *1947* और *1947* की तारीख के बीच

विभिन्न राज्यों का एकीकरण, भारत सरकार एकमात्र पूरी तरह से संप्रभु प्राधिकरण थी। लेकिन अपनी बेशर्मी के साथ सर्वोच्चता

सामना किया निरंकुशता अब के अधिनियम से बच नहीं पाया

संविधान। हमारे संविधान के तहत संघ के नागरिकों के खिलाफ कानून द्वारा अधिकृत कार्रवाई का सर्वोच्चता के संरक्षण में समर्थन नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्य संविधान से उत्पन्न होते हैं-न कि "ब्रिटिश ताज की अवधारणा" से जिसकी पहचान या पहचान नहीं की गई है। जिसे संविधान अधिकृत नहीं करता है, उसे राष्ट्रपति प्रदान नहीं कर सकता है। शासन है इसलिए यह कोई विशेषाधिकार नहीं है जिसे राष्ट्रपति प्रयोग में ले सकता है।

अपने विवेक से प्रदान करें या रोकें। "

75. उक्त प्राधिकारी के आधार पर, श्री नरीमन द्वारा इसका प्रचार किया जाता है।

1892 और *1924* के समझौते सर्वोपरि थे और इसलिए, मैसूर का "ठहराव समझौता" उक्त दो समझौतों को जारी रख सकता था क्योंकि वे सर्वोपरि हैं और वास्तव में, *[2018] 5* एस. सी. आर. की अधिराज्यता समाप्त होने के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1947 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन, दोनों समझौतों को समाप्त माना जाना तय है। इस संदर्भ में, उन्होंने श्री वी. पी. मेनन की पुस्तक "भारतीय राज्यों का एकीकरण" के कुछ अंशों से प्रेरणा ली है, जिन्होंने *1947* के अधिनियम की धारा *7* के प्रावधानों पर टिप्पणी की है। इस संबंध में विद्वान लेखक की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

"अगला सवाल यह था कि क्या सर्वोपरि होने के बावजूद भी,

एक ओर राज्यों और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार, राज्य सचिव और गवर्नर-जनरल के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक या वित्तीय चरित्र के सभी समझौते कानूनी रूप से प्रभावी नहीं होंगे। मैंने बताया कि कई महत्वपूर्ण समझौते थे जो राज्यों और ब्रिटिश भारत के सामान्य लाभ के लिए किए गए थे, जहां सर्वोपरि प्रवेश नहीं हुआ था, जैसे कि सतलुज घाटी नहरों के संबंध में *1920* का बहवाईपुर और बीकानेर के साथ समझौता। परियोजना, और भारत सरकार ने जयपुर और जोधपुर के साथ नमक पर समझौता किया। इस तरह के समझौतों के तहत पक्षों के आपसी अधिकारों और दायित्वों को सर्वोच्चता की वापसी पर समाप्त होने के रूप में नहीं माना जा सकता है। *1935* के भारत सरकार अधिनियम के प्रारंभ पर, क्राउन के अधिकार और दायित्व सभी व्यावहारिक और संवैधानिक उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के अधिकार और दायित्व बन गए थे।

और अधिनियम के प्रावधानों द्वारा इस तरह से सुरक्षित किए गए थे। केंद्र सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ

इस प्रकार के समझौते काफी महत्वपूर्ण थे। इसलिए मैंने लिया

सरकारें।
सर कॉनराड कॉर्फील्ड। राजनीतिक विभाग की ओर से मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया। उन्होंने अपने और लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस के बीच एक बैठक का उल्लेख किया जिस पर यह हुई थी।

सहमत हुए।

कि क्राउन प्रतिनिधि का उन्मूलन स्वचालित रूप से क्राउन और राज्यों के बीच किसी भी स्थायी समझौतों के साथ सर्वोपरिता को शून्य कर देगा।

सर कॉनराड इस विचार से सहमत नहीं थे कि सर्वोच्चता नहीं थी।

1920 के सुतीज घाटी नहर समझौते और जयपुर और जोधपुर नमक समझौते में प्रवेश करना। इनमें से पहला बहवाईपुर की ओर से कर्नाटक के रीजेंसी ई की एक परिषद द्वारा इसके प्रमुख सचिव बनाम द्वारा प्रवेश किया गया था।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

सर्वोच्च शक्ति द्वारा नियंत्रित जबकि शासक एक नाबालिग था।

जयपुर और जोधपुर नमक समझौते उनमें से विशिष्ट हैं। किन राज्यों को सर्वोपरि के साथ निष्कर्ष निकालना आवश्यक था

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान सत्ता

केंद्रीय राजस्व के हित। राजनीतिक सलाहकार थे

इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ है कि समझौतों को होना चाहिए सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद भी जारी रहा।

राय के इस टकराव में लॉर्ड माउंटबेटन ने पक्ष नहीं लिया।

उन्होंने केवल मेरे और राजनीतिक विचार दोनों को आगे बढ़ाया।

भारत कार्यालय का विभाग।

लगभग इसी समय राज्य सचिव ने सूचित किया कि

भारतीय राज्यों के साथ संधियाँ। आम तौर पर, संधियाँ 'राज्य के अधिनियमों' द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कोई कारण नहीं था

क्यों, इस महत्व के अवसर पर और विशिष्टता में परिस्थितियों में, यह संसद के एक अधिनियम द्वारा नहीं किया जाना चाहिए

जो उस कानूनी स्थिति पर जोर देगा जिसके तहत सर्वोपरि है

यह नए भारतीय उपनिवेशों में नहीं गया। इस पर विचार किया गया

वायसराय के सलाहकारों द्वारा; उन्होंने इस तरह के किसी भी औपचारिक कार्य की निंदा की।

संधियों की निंदा। इस बीच के संबंध में राज्य के सचिव की राय

मौजूदा समझौतों को जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि महामहिम की सरकार ने इसके महत्व की पूरी तरह से सराहना की

सुधार आयुक्त द्वारा परिहार के लिए संलग्न किया गया है यदि

राज्यों के साथ संबंधों के पूर्ण विच्छेद की संभावना और

समग्र रूप से पक्षों के बीच बातचीत की आवश्यकता

मैदान। लेकिन उन्होंने माना कि राजनीतिक के विचार

महामहिम की सरकार की नीति जैसा कि मंत्रिमंडल में कहा गया है मिशन ज्ञापन। भेद करना असंभव था

स्वतंत्र रूप से बातचीत किए गए समझौतों और लागू किए गए समझौतों के बीच।

किसी भी मामले में, सभी के अधिकार के तहत किया गया था

मुकुट और कार्यकारी सरकारों का नहीं-केंद्रीय

प्रांतीय-ब्रिटिश भारत का "।

[जोर दिया गया*]*

76. उन्होंने अन्य जल विवादों से भी ताकत हासिल की है

अन्य, अर्थात्, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी।

इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि दोनों राज्यों के बीच किए गए समझौते राजनीतिक विचारों के लिए थे क्योंकि मैसूर राज्य ब्रिटिश अधिराज्य के तहत एक रियासत थी और मद्रास राज्य ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था और विवादों का निपटारा कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवेदन से नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के आधिकारिक निर्णय के माध्यम से किया गया था। संक्षेप में, निवेदन यह है कि *1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद, कानून के संचालन से समझौते विलुप्त हो गए। *77.* इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से तमिलनाडु राज्य बनाम में प्राधिकरण का उल्लेख कर सकते हैं। केरल राज्य और दूसरा जो काम कर रहा था

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच *v* में *27.02.2006* पर इस न्यायालय द्वारा हल किए जाने के बाद मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर के साथ। भारत संघ और अन्य। यह विवाद इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि केरल राज्य विधानमंडल ने इसके तुरंत बाद जलाशय के पूर्ण स्तर को *136* फीट तक सीमित करने के लिए कानून बनाया था। संविधान पीठ ने पेरियार झील पट्टा समझौते दिनांक *1* का उल्लेख किया जिसने चिनाई बांध को पेरियार जलाशय के पार आने की अनुमति दी। समझौते में कई पहलुओं को निर्धारित किया गया था। *1979* में केरल सरकार ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक पत्राचार किया था।

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांध को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। साथ ही केरल सरकार ने भी

केंद्र सरकार से बांध का निरीक्षण करने और सुदृढ़ीकरण उपायों का सुझाव देने के लिए केंद्रीय जल आयोग *(*सी. डब्ल्यू. सी.*)* से एक दल को नियुक्त करने का अनुरोध किया। केरल सरकार के अनुरोध के अनुसरण में, सी. डब्ल्यू. सी. ने बैठक की और तीन स्तर के उपाय किए, *(i)* आपातकाल, *(ii)*

बांध को मजबूत करने के लिए मध्यम और *(iii)* दीर्घकालिक सुझाव दिए गए थे। इस बीच, यह सिफारिश की गई कि जलाशय में जल स्तर *136* फीट पर रखा जाए। *29.04.1980* पर आयोजित दूसरी बैठक में यह राय व्यक्त की गई कि आपातकालीन और मध्यम अवधि के सुदृढ़ीकरण उपायों के पूरा होने के बाद, जलाशय में जल स्तर को बहाल किया जा सकता है

145 फीट तक। वर्ष *1998* में, तमिलनाडु राज्य को शिकायत थी कि सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा सुझाए गए उपायों के बावजूद, मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर को *136* फीट से ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकारों, यानी तमिलनाडु और केरल के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। दोनों उच्च न्यायालयों में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं और अंततः मामले इस न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए और मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच *(*उपरोक्त*)* में कुछ निर्देश जारी किए गए। विशेषज्ञ समिति ने चर्चा के बाद कहा कि जल स्तर

6 (2014) 12 एस. सी. सी. *696*

7 (2006) 3 एस. सी. सी. *643* कर्नाटक राज्य अपने प्रमुख सचिव द्वारा *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

मुल्लापेरियार जलाशय को *142* फीट तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इससे मुख्य बांध की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा, जिसमें स्पिलवे, बेबी बांध और मिट्टी का बांध शामिल हैं। संविधान पीठ ने इस न्यायालय के समक्ष पहली याचिका, केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, *2003*, केरल सिंचाई और जल संरक्षण *(*संशोधन*)*

अधिनियम, *2006*, इस न्यायालय के समक्ष दूसरी याचिका, *2006 (*संशोधन*)* अधिनियम और केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष को चुनौती देने के आधार का उल्लेख किया। न्यायालय द्वारा कुछ मुद्दे तैयार किए गए थे जिनमें से वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक चार प्रश्न नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

भारत का*?* *6.* क्या पहले प्रतिवादी को यह याचिका दायर करने से रोक दिया गया है कि *29-10-1886* दिनांकित विलेख समाप्त हो गया है, बाद के मामलों को देखते हुए।

7. क्या त्रावणकोर के महाराजा की सरकार और भारत के राज्य सचिव के बीच *29-10-1886* पर निष्पादित पट्टा विलेख वैध है, जो पहले प्रतिवादी पर बाध्यकारी और लागू करने योग्य है।
पहले प्रतिवादी के खिलाफ वादी द्वारा*?*

78. यह ध्यान दिया जाए कि शुरू में इस मामले की सुनवाई तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की थी और बाद में इसे संविधान पीठ के पास भेजा गया था।

मुकदमे में बनाए गए मुद्दों में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय शामिल था। *1886* के पट्टा समझौते के मुद्दों से निपटने के लिए, अदालत ने *[2018] 5* एस. सी. आर. पेश किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सवाल यह है कि क्या यह *1935* के अधिनियम के तहत एक मौजूदा अनुबंध है। *1935* के अधिनियम की धारा *177* का संदर्भ दिया गया था और उसी की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहाः

" 41. 1935 के अधिनियम की धारा *177,* अनावश्यक भाग को हटाना।

पढ़ता है,

*" 177. (1) ... .*इस अधिनियम के भाग *III* के प्रारंभ से पहले राज्य सचिव द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई अनुबंध

परिषद में, उस तारीख से

(क*)* यदि यह उन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था जो इस अधिनियम के भाग *III* के प्रारंभ के बाद के उद्देश्य होंगे -

किसी प्रांत की सरकार का प्रभाव इस तरह होता है मानो वह उस प्रांत की ओर से बनाई गई हो।

इस प्रावधान के आधार पर, राज्य सचिव-परिषद के मौजूदा अनुबंधों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि वे प्रांत की ओर से किए गए हों। जब हम *1935* के अधिनियम की धारा *177* के आलोक में *1886* के पट्टा समझौते को देखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मद्रास प्रेसीडेंसी *(*मद्रास प्रांत*)* के लिए राज्य सचिव-परिषद द्वारा निष्पादित पट्टे का प्रभाव ऐसा था जैसे कि यह मद्रास प्रेसीडेंसी की ओर से या उस मामले के लिए मद्रास प्रांत की ओर से किया गया था। इसे अलग तरह से कहने के लिए, धारा *177 (1) (*ए*)* के तहत बनाई गई कानूनी कल्पना द्वारा, मद्रास की प्रेसीडेंसी *(*मद्रास प्रांत*) 1886* के पट्टा समझौते के तहत पट्टेदार बन

गई। हमारे पास है, इसलिए, तमिलनाडु के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विनोद बोबडे के निवेदन को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि *1935* के अधिनियम की धारा *177* के आधार पर, *1935* के अधिनियम के प्रारंभ से, मद्रास प्रांत की सरकार को *1886* के पट्टा समझौते में पट्टेदार के रूप में प्रतिस्थापित माना जाता है।

79. इसके बाद, न्यायालय ने *18.07.1947* और *26.01.1950* के बीच की घटनाओं के प्रभाव और प्रभाव के मुद्दे को संबोधित किया जो संबंधित है।

1947 के अधिनियम और भारत के संविधान के लिए। न्यायालय ने त्रावणकोर राज्य और भारत अधिराज्य के बीच किए गए "ठहराव समझौते", *1935* के अधिनियम की धारा *177* को हटाने और दो राज्यों-त्रावणकोर और कोच्चि के विलय का उल्लेख किया। न्यायालय ने आगे विश्लेषण करते हुए *1947* के अधिनियम की धारा *7* का उल्लेख किया और

इस प्रकार देखा गयाः

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

" 45. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, *1947* का अधिनियम *1947* से लागू हुआ। धारा *7* की स्थापना के परिणामों से संबंधित है

नए प्रभुत्व। धारा *7* की उप-धारा *(1)* का खंड *(*बी*)* घोषित करता है कि भारतीय राज्यों पर महामहिम का आधिपत्य है।

खामियां। अधिराज्य के समाप्त होने पर, यह उस तारीख से महामहिम और भारतीय राज्यों के शासकों के बीच लागू सभी संधियों और समझौतों को समाप्त करने का प्रावधान करता है। इसके साथ जोड़ा गया परंतुक

हालाँकि, उप-धारा *(1)* ऐसे समझौतों को तब तक जारी रखती है जब तक कि ऐसे समझौते के प्रावधानों की भारतीय राज्य के शासक द्वारा निंदा नहीं की जाती है या बाद के समझौते द्वारा उनका स्थान नहीं लिया जाता है। *46.* श्री हरीश एन. साल्वे का तर्क है कि सबसे पहले, *1886* का पट्टा समझौता *1947* के अधिनियम की धारा *7 (1) (*बी*)* के मुख्य प्रावधान के आधार पर समाप्त हो गया क्योंकि यह सभी संधियों और समझौतों को समझता है और दूसरा, त्रावणकोर के महाराजा ने इसकी निंदा की।

1886 के पट्टा समझौते सहित सभी समझौते।

47. यह सच है कि *1947* के अधिनियम की धारा *7 (1) (*बी*)* में "सभी संधियों और समझौतों" की अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, लेकिन हमारी राय में, "सभी" शब्द का उद्देश्य उन समझौतों को शामिल करना नहीं है जो नहीं हैं।

प्रकृति में राजनीतिक। यह धारा *7* के उद्देश्य से स्पष्ट है क्योंकि यह भारतीय राज्यों पर महामहिम के आधिपत्य के समाप्त होने और अधिराज्य के समाप्त होने के परिणाम से संबंधित है। जाहिर है, इस प्रावधान का उद्देश्य समझौतों को शामिल करना नहीं था और

राजनीतिक के अलावा अन्य संधियाँ। हम, तदनुसार, मानते हैं कि धारा *7 (1) (*बी*)* केवल राजनीतिक संधियों और समझौतों से संबंधित है।

लाभः

" 53. श्री हरीश एन. साल्वे का तर्क है कि गतिरोध

समझौता, जो *1886* के पट्टा समझौते को लागू करने वालों से अलग पक्षों के बीच है, एक नया समझौता है जो कुछ समय के लिए त्रावणकोर के महाराजा और भारत अधिराज्य के बीच संविदात्मक दायित्वों को लागू करता है। चूंकि दोनों पक्ष अलग थे और *1947* के अधिनियम में रियासतों पर ब्रिटिश अधिराज्य के समाप्त होने का प्रावधान था, इसलिए *1886* के पट्टा समझौते को जारी रखने का सवाल ही नहीं उठता। किसी भी मामले में, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील तर्क देते हैं *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि *1935* के अधिनियम की धारा *177* को हटाने के बाद गतिरोध समझौता कायम नहीं रह सका। हम इन तर्कों में कोई सार नहीं पाते हैं। श्री हरीश एन. साल्वे द्वारा सुझाए गए स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भारत के डोमिनियन और त्रावणकोर राज्य के बीच एक नया समझौता नहीं है। ठहराव समझौता उन पक्षों के लाभ के लिए था जो समझौतों और व्यवस्थाओं के पक्ष थे, जो क्राउन और त्रावणकोर राज्य के बीच मौजूद सामान्य चिंता के मामले थे। विलय के दस्तावेज की पृष्ठभूमि में, कुछ व्यवस्था करना आवश्यक हो गया ताकि क्राउन और भारतीय के बीच मौजूदा समझौते और व्यवस्थाएं हो सकें

राज्यों ने जारी रखा। हमें नहीं लगता कि गतिरोध समझौता राजनीतिक प्रकृति का है जैसा कि केरल की ओर से कहा गया है।

श्री विनोद बोबडे के साथ, तमिलनाडु के विद्वान वरिष्ठ वकील कि धारा *177* को हटाना संभावित था और यह उस धारणा को प्रभावित नहीं करता था जो *1935* में पहले ही हो चुकी थी। द स्टैंडस्टिल

हमारे विचार में, समझौते को धारा *177* को हटाने से मिटा दिया गया नहीं कहा जा सकता है।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

56. यह तर्क कि क्राउन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अप्रासंगिक है क्योंकि धारा *177* के आधार पर मद्रास प्रांत की सरकार *1886* के पट्टे में पहले ही पट्टेदार हो चुकी थी।

1935 में ही डीमिंग द्वारा समझौता। गतिरोध समझौते ने मद्रास प्रांत और त्रावणकोर राज्य के बीच *1886* के पट्टा समझौते को जारी रखा। *1886* का पट्टा समझौता *1947* के अधिनियम की धारा *7 (1) (*बी*)* के मुख्य प्रावधान के तहत समाप्त नहीं हुआ था। कोई स्पष्ट और असंदिग्ध नहीं था

के शासक द्वारा *1886* के पट्टा समझौते की निंदा

धारा *7 (1) (*बी*)* के प्रावधान के तहत त्रावणकोर। मद्रास प्रांत स्टैंडस्टिल समझौते का लाभार्थी था। निश्चित रूप से, धारा *177* को हटाने से मद्रास प्रांत के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं। ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.*

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

80. न्यायालय ने विद्वान न्यायाधीशों की राय का विश्लेषण किया

डॉ. बाबू राम सक्सेना *(*ऊपर*)* में सेड और अंततः इस प्रकार आयोजित किया गयाः

इसका *1886* के पट्टा समझौते जैसे गैर-राजनीतिक समझौते पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। मुखर्जी, जे. का कहना है, "जब विलय या विलय के परिणामस्वरूप, कोई राज्य अपना पूर्ण अधिकार खो देता है। विषय पर कार्रवाई की स्वतंत्र शक्ति-पहले समाप्त हुई संधि के मामले में, संधि को अनिवार्य रूप से समाप्त होना चाहिए। ..... "यह एक प्रत्यर्पण संधि के संदर्भ में है जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति की है। हमारे विचार में, राम बाबू सक्सेना स्पष्ट रूप से अलग हैं और केरल को इस तर्क में मदद नहीं करते हैं कि *1886* का पट्टा समझौता दो राज्यों, त्रावणकोर और त्रावणकोर के विलय पर समाप्त हो गया था।

कोचीन, त्रावणकोर और कोचीन के संयुक्त राज्य में।

81. संविधान पीठ ने इस मुद्दे को भी संबोधित किया कि क्या पट्टा समझौता राज्य का एक अधिनियम था और राय दी कि *1886* का लालच राजनीतिक प्रकृति का नहीं है। इसने संविधान को अलग किया

विरेन्द्र सिंह और अन्य बनाम में निर्णय। यू. पी. *3* की स्थिति और यह कि उक्त निर्णय अलग है और *1886* का पट्टा एक सामान्य समझौता है और राजनीतिक प्रकृति का नहीं है। यह है।यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान पीठ ने अनुच्छेद के दायरे को संबोधित किया

घ अनुच्छेद *131,* दोनों अनुच्छेदों को स्कैन करता है और अभिनिर्धारित करता हैः

" *73.* संविधान का अनुच्छेद *131* मूल से संबंधित है

इस न्यायालय की अधिकारिता। के प्रावधानों के अधीन

संविधान, इस न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है,

अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार और एक तरफ के किसी भी राज्य या राज्यों और दूसरी तरफ के एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न *(*कानून या तथ्य का*)* शामिल है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। तथापि, उसमें संलग्न परंतुक द्वारा, इस न्यायालय की अधिकारिता है -

वर्जित है यदि वह विवाद जिसमें पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट कोई राज्य एक पक्षकार है, यदि विवाद किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान लिखत के किसी प्रावधान से उत्पन्न होता है, जिसमें पहले प्रवेश किया गया था या निष्पादित किया गया था।

संविधान का प्रारंभ हो चुका है या जारी रखा गया है इस तरह की शुरुआत के बाद संचालन में।

1 एससीआर *415:*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74. अनुच्छेद *363* के प्रावधान और अनुच्छेद *131* के प्रावधान में समानता है। अनुच्छेद *131* में निहित मुख्य प्रावधान द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र को राजनीतिक निपटान के मामलों में परंतुक के आधार पर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद *363* और अनुच्छेद *131* के परंतुक जैसे प्रावधान करके,

राजनीतिक समझौतों को न्यायिक घोषणाओं के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अनुच्छेद *131* में संलग्न प्रावधान एक

सगाई, सनद या इसी तरह का साधन जो संविधान के प्रारंभ से पहले निष्पादित राजनीतिक प्रकृति का हो और जो संचालन में है या जारी है, गैर-न्यायसंगत

और इस न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है। एक सामान्य समझौते से उत्पन्न विवाद के संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता को नहीं हटाया जाता है। निर्दिष्ट और वर्णित उपकरण

परंतुक में केवल वे हैं जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। गैर-राजनीतिक साधन इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं।

1886 का पट्टा समझौता अनुच्छेद *363* के दायरे में नहीं आएगा और इस न्यायालय की अधिकारिता वर्जित नहीं है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, *1886* के पट्टे से उत्पन्न विवाद समझौता अनुच्छेद *131* के प्रावधान के तहत भी वर्जित नहीं है। इसके अलावा, मुकदमे में रखी गई प्रमुख चुनौती *2006 (*संशोधन*)* अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित है जिसके लिए अनुच्छेद *363* या अनुच्छेद *131* परंतुक के तहत उस मामले के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

82. उपरोक्त निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, श्री नरीमन का तर्क है कि माधव राव सिंधिया *(*ऊपर*)* में, बहुमत स्पष्ट रूप से था

83. श्री द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, इसके विपरीत, प्रस्तुत करेंगे कि तमिलनाडु राज्य *(*ऊपर*)* में निर्णय इसके विपरीत नहीं है माधव राव सिंधिया में बताए गए सिद्धांत। उनके अनुसार, माधव राव सिंधिया ने विशेष रूप से एक राजनीतिक स्थिति से निपटा। उक्त पहलू को मजबूत करने के लिए, उन्होंने "ठहराव समझौते" की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो किसी भी सर्वोपरि कार्य पर लागू नहीं होता है। उन्होंने उस परिच्छेद पर भी जोर दिया है जो शासकों द्वारा शक्ति और अधिकार को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत होने के लिए क्विड प्रो क्वो के बारे में चर्चा करता है और यही कारण है कि संविधान में यह अधिनियमित किया गया था कि जिन राजकुमारों ने प्रकृति की वाचा पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें शासकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। संक्षेप में, निवेदन यह है कि यदि माधव राव सिंधिया के मामले में प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से पढ़ा और समझा जाता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त

करने और कार्रवाई कैसे गलत थी और अदालत ने इसे राजनीतिक प्रकृति का कैसे माना, इस पर विचार करता है।

84. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि माधव राव सिंधिया *(ऊपर)* के फैसले में कहा गया है कि *1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद,

संघ, सर्वोच्चता की छाया फीकी पड़ गई और भारत सरकार पूर्ण संप्रभु प्राधिकरण बन गई। संविधान लागू होने के बाद, राज्य द्वारा अपने नागरिकों पर शक्ति का प्रयोग संविधान द्वारा सीमित था। उक्त मामले में, सर्वोच्चता के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। दोनों समझौते, एक अध्ययन जांच पर, किसी भी ऐसे पहलू का संकेत नहीं देते हैं जिसे राजनीतिक कहा जा सकता है या भारत की संप्रभुता के किसी भी पहलू को छुआ जा सकता है। समझौतों में बांधों के निर्माण और भूमि की सिंचाई जैसे व्यापक जनहित के क्षेत्र शामिल थे। मैसूर राज्य और मद्रास राज्य नामक दो राज्यों के भीतर मौजूद था और इसका राजनीतिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए, हम श्री नरीमन की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि *[2018] 5* एस. सी. आर. के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1947 के अधिनियम और उसके बाद भारत के संविधान के लागू होने के बाद, *1892* और *1924* के समझौते निष्क्रिय हो गए और पूरी तरह से विलुप्त हो गए। *I.* अनुच्छेद *363* का उल्लंघन और विवाद की गैर-रखरखाव क्षमता

समझौतों पर आधारित

85. प्रस्तुत करने का अगला मुद्दा अनुच्छेद *363* के संवैधानिक उल्लंघन से संबंधित है। अनुच्छेद *363* इस प्रकार है:

"अनुच्छेद *363*। विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक

कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होना।

(1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, लेकिन अनुच्छेद *143* के प्रावधानों के अधीन, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान लिखत के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में अधिकारिता होगी, जिसे दर्ज किया गया था या निष्पादित किया गया था।
इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भारतीय राज्य के किसी भी शासक द्वारा और जिसके लिए सरकार एक पक्ष थी और

जो इस प्रकार के संचालन के बाद भी चालू है या जारी है।
प्रारंभ में, या किसी भी अधिकार के संबंध में किसी भी विवाद में या किसी भी दायित्व या दायित्व के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में

ऐसी किसी संधि से संबंधित इस संविधान के प्रावधान,

समझौता, वाचा, सगाई, सनद या अन्य समान

यंत्र
(2) इस लेख में

(क) भारतीय राज्य का अर्थ है कोई भी क्षेत्र जिसे इस संविधान के प्रारंभ से पहले महामहिम या भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा ऐसे राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी;

और

(ख) शासक में राजकुमार, प्रमुख या अन्य मान्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल होते हैं।

किसी भी भारतीय राज्य के शासक के रूप में महामहिम या भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा इस तरह के प्रारंभ से पहले।

86. उपरोक्त अनुच्छेद को लागू करते हुए, श्री नरीमन द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उक्त अनुच्छेद एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होता है, लेकिन अनुच्छेद *143* के प्रावधानों के अधीन है और जो अनुच्छेद *262 (1)* में निहित किसी भी चीज़ को बाहर कर देगा और इसलिए, अनुच्छेद *363 (1)* के तहत प्रतिबंध प्रबल होना चाहिए। उन्होंने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की आलोचना की है जिसने

कर्नाटक राज्य के प्रधान सचिव द्वारा प्रिवी पर्स मामले में इस न्यायालय पर भरोसा रखा गया।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

मैसूर जैसी रियासत के तत्कालीन शासक द्वारा निष्पादित किया गया था, जो भारत अधिराज्य के भीतर एक भारतीय राज्य बन गया था, संविधान के लागू होने के बाद पहली अनुसूची के तहत एक राज्य असमर्थनीय है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने राय दी है कि एक बार विवाद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद की जांच करने के लिए संविधान के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण को भेजा जाता है, तो उक्त अधिकार क्षेत्र को अनुच्छेद *363* द्वारा नियंत्रित या कम नहीं किया जा सकता है और संबंधित समझौते के मामले में अंतर-राज्यीय नदी के पानी के बंटवारे के लिए न्यायाधिकरण को विभिन्न नदी तटीय राज्यों के दावों की जांच करनी होगी।

समझौता और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *363* के तहत जांच वर्जित नहीं है। उक्त निष्कर्षों पर हमला करते हुए श्री नरीमन ने कहा कि न्यायाधिकरण इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि अनुच्छेद *262* और *263* पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद *262* केवल एक अपवाद है कि कैसे भारत के राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित एक विशेष मामले का निर्णय लिया जाना चाहिए क्योंकि यह नहीं है

संविधान के अनुच्छेद *131* में प्रदान किए गए विशेष उपाय द्वारा निर्णय लिया गया, लेकिन अब संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित एक वैकल्पिक तरीके से अनुच्छेद *261 (2)* यानी *1956* के अधिनियम के तहत। उनके द्वारा आगे यह कहा गया है कि वर्तमान प्रकृति के समझौते निम्नलिखित के दायरे में आते हैं -

अनुच्छेद *363* और उक्त तर्क की पुष्टि करने के लिए, उन्होंने राज्य सरायकेला बनाम पर निर्भरता रखी है। भारत संघ और दूसरा।

87. तमिलनाडु राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद *363* के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध केवल समझौतों, संधियों, समझौतों, अनुबंधों, "सनद" आदि के कुछ खंडों से संबंधित है। "अन्य समान वाद्ययंत्र" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के

समझौतों और संधियों को उक्त प्रावधान के दायरे में लाया जाएगा। अनुच्छेद *363* में केवल ऐसे राजनीतिक समझौते शामिल हैं जो *1947* और *1950* के बीच भारतीय राज्यों के शासकों और भारत डोमिनियन सरकार के बीच निष्पादित किए गए थे। अनुच्छेद *131* के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद *363* की आंतरिक भाषा से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की अधिकारिता का प्रतिबंध केवल राजनीतिक समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवादों पर लागू होता है। *9 951* एससीआर *474:*

88. उन्होंने संविधान सभा की बहसों का विशेष रूप से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया है।

संविधान सभा द्वारा विचार। उक्त टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

" 15 अगस्त *1947* को हमारे पास *600* भारतीय राज्य थे। आज भारतीय राज्यों के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण से
प्रांत या आपस में विलय या केंद्र द्वारा उन्हें केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों के रूप में लेने के बाद, लगभग *20* या *30* राज्य व्यवहार्य राज्यों के रूप में बने हुए हैं। यह एक बहुत ही त्वरित प्रक्रिया और प्रगति है। मैं उन राज्यों से अपील करता हूं जो कतार में बने रहें

भारतीय प्रांतों के साथ और भारतीय प्रांतों के समान शर्तों पर भारतीय संघ की पूर्ण इकाइयाँ बनने के लिए। इस प्रकार वे भारतीय संघ को वह शक्ति प्रदान करेंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। वे अपनी खुद की संविधान सभाएँ शुरू करने और अपना अलग संविधान तैयार करने की परेशानी से खुद को बचा लेंगे, और वे कुछ भी नहीं खोएंगे जो उनके लिए मूल्यवान है। मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील व्यर्थ नहीं जाएगी और संविधान पारित होने से पहले हम प्रांतों के बीच मतभेदों को मिटाने में सक्षम होंगे।

और भारतीय राज्य "।
(बी. शिव राव *(एड.),* द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन

पी. पर दस्तावेज़, खंड *IV* चुनें। *434)*

89. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उद्देश्य

अनुच्छेद *363* भारत सरकार को विशुद्ध रूप से राजनीतिक समझौतों से बचाने के लिए था जो भारतीय राज्यों के शासकों और भारत अधिराज्य या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के बीच किए गए थे ताकि भारत के सुचारू प्रवेश में किसी भी बाधा को रोका जा सके। भारत अधिराज्य के राज्य।

90. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों की सराहना करने के लिए, हमें इस न्यायालय द्वारा सरायकेला राज्य में जो कहा गया है, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उक्त मामले में, मूल के तहत एक मुकदमा दायर किया गया था

संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्योंकि यह भारत के संविधान के लागू होने से पहले काम कर रहा था। सेराइकेला राज्य एक था उड़ीसा में राज्य और *16* अगस्त, *1947* को वादी-राज्य ने अपने शासक द्वारा निष्पादित और भारत सरकार अधिनियम, *1935* की धारा *6* के तहत गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार किए गए विलय के दस्तावेज के आधार पर भारत डोमिनियन में प्रवेश किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* के लागू होने के बाद, भारत अधिराज्य की स्थापना कर्नाटक राज्य के प्रमुख सचिव *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

भारत सरकार अधिनियम, *1935* जैसा कि अपनाया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय राज्य विलय के दस्तावेज द्वारा भारत अधिराज्य में शामिल हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि उक्त लिखत को निष्पादित करके, शासक को भारत के किसी भी भावी संविधान की स्वीकृति के लिए या अपने विवेक को बाधित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जाना चाहिए।

भविष्य के ऐसे किसी भी संविधान के तहत भारत सरकार के साथ समझौता करना। विभिन्न अन्य अभिधारणाएँ जो इसका हिस्सा थीं

संविधान पीठ ने दस्तावेज पर ध्यान दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभिक लिखत के अलावा, शासक द्वारा कोई पूरक लिखत निष्पादित नहीं की गई थी और *1947* के अधिनियम का कोई संशोधन उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। शासक द्वारा एक "ठहराव समझौता" भी निष्पादित किया गया था जिसके तहत यह सहमति हुई थी कि समझौते की अनुसूची में निर्दिष्ट सामान्य चिंता के मामले भारत डोमिनियन और उक्त राज्य के बीच तब तक जारी रहेंगे जब तक कि नए समझौते नहीं हो जाते।

उस ओर से किया गया। मुकदमे में विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि वादी राज्य ने बिहार प्रांत में विलय होने का दावा किया था। वादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उड़ीसा सरकार गलत तरीके से और अवैध रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* के तहत *23.12.1947* की अधिसूचना के आधार पर वादी-राज्य का प्रशासन करने के लिए। यह दावा किया गया था कि यह अधिनियम अधिकार से बाहर था और वादी राज्य पर इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि *15.12.1947* दिनांकित समझौता विचार के अभाव में अमान्य था और निष्क्रिय था। यह भी कहा गया कि *18* मई, *1948* को वादी-राज्य या उसके शासक की सहमति और अनुमोदन के बिना, बिहार प्रांत ने राज्य के प्रशासन को पूरी तरह से अवैध रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया और सरायकेला और खरसावां राज्य आदेश, *1948* पारित कर दिया। यह भी कहा गया कि भारत अधिराज्य के पास विलय के दस्तावेज से परे जाने का कोई अधिकार नहीं था और आगे उसे वादी-राज्य का प्रशासन करने के लिए बिहार प्रांत को शक्तियां सौंपने का कोई अधिकार नहीं था। संविधान पीठ ने विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और भारत के संविधान और अनुच्छेद *131* के तहत न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के प्रभाव में आने पर टिप्पणी करते हुए संविधान के अनुच्छेद *363* के दायरे और दायरे का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े। निवास।

उसी पर, कनिया, सी. जे. ने राय दी कि अनुच्छेद *363* के सभी प्रारंभिक शब्द संविधान के सभी प्रावधानों को ओवरराइड करते हैं, लेकिन केवल अनुच्छेद *143* के प्रावधानों के अधीन बनाए जाते हैं जो राष्ट्रपति को निर्दिष्ट

मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने में सक्षम बनाता है और इसलिए, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *374 (2)* के संचालन को भी ओवरराइड करता है। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद *131* में कहा गया है -

136 , अनुच्छेद *363* में प्रावधान है कि उन *[2018] 5* एस. सी. आर. में कुछ भी निहित होने के बावजूद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेदों और अन्य अनुच्छेदों, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, "सनद" या अन्य समान लिखत के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में अधिकारिता होगी जो संविधान के अनुच्छेद से पहले दर्ज या निष्पादित किया गया था।

इस संविधान का प्रारंभ और जो इस तरह के प्रारंभ के बाद भी लागू था या जारी रहा था। यदि, इसलिए, उस विवरण के किसी दस्तावेज के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है और यदि ऐसा दस्तावेज संविधान के समक्ष किसी शासक द्वारा निष्पादित किया गया था और जो इस तरह के प्रारंभ के बाद भी चालू था या जारी रहा था, तो इस न्यायालय को ऐसे मुद्दे को निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद संभावित है और पूर्वव्यापी नहीं है और इसलिए, यह केवल उन मामलों को शामिल करता है जो संविधान लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए जाते हैं और भारत के संविधान के लागू होने से पहले संघीय न्यायालय में दायर मुकदमों को प्रभावित नहीं करते हैं।

इसके बाद, उन्होंने वाद में किए गए दावों को स्वीकार किया और कहा कि एकमात्र सवाल जो निर्णय के लिए बचा था, वह यह था कि क्या वाद की संरचना पर, वाद में उठाया गया विवाद किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, "सनद" या किसी अन्य समान लिखत के प्रावधान से उत्पन्न हुआ था। आखिरकार, कनिया, सी. जे. ने कहाः

"मैंने पहले ही ऊपर ध्यान दिया है कि *15* दिसंबर, *1947* के समझौते के संबंध में विवाद के लिए कोई मायने नहीं है।

वर्तमान चर्चा। यदि वादी उस समझौते को अस्वीकार करता है तो वह उसकी अनदेखी करने के बाद अपने अधिकारों को लागू करने की कोशिश कर रहा है। यदि वादी *(*जैसा कि चार मुकदमों में देखा गया है*)* इस समझौते पर निर्भर करता है, तो यह धारा के तहत विलय के दस्तावेज का हिस्सा बन जाता है।

6 (5) भारत सरकार अधिनियम, *1935* और विवाद पर अभी भी दो दस्तावेजों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। विलय का मूल उपकरण और पूरक उपकरण। इस प्रकार प्रश्न स्वयं को वाद के विश्लेषण में हल करता है और यह पता लगाने के लिए कि वादी अपने मुकदमे से क्या प्राप्त करना चाहता है। इस तथ्य के अलावा कि अपनी शिकायत की प्रार्थनाओं *(*एफ*)* और *(*जी*)* में वह समझौते के तहत अपने अधिकारों को लागू करना चाहता है

15 दिसंबर, *1947* को यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुकदमे का पूरा दायरा उसके विलय के दस्तावेज को लागू करना है। वादी सबसे पहले तर्क देता है कि उसने अपने शासक के माध्यम से विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य अगली शिकायत करता है कि विलय के दस्तावेज के तहत दी गई शक्तियों से परे कार्य करते हुए,

भारत का अधिराज्य और बिहार राज्य अपने प्रमुख सचिव बनाम द्वारा कर्नाटक के ई में अतिक्रमण कर रहे हैं।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

अपने विधायी और कार्यकारी कार्यों पर गलत तरीके से, कि भारत अधिराज्य और बिहार राज्य ऐसे कानून बना रहे हैं जिन्हें बनाने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है।

विलय, और विलय के दस्तावेज के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों से परे राज्य के प्रशासन में गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं। पूरा वाद विलय के दस्तावेज के तहत वादी के अधिकार को लागू करने के दावे के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मेरी राय में विवाद स्पष्ट रूप से विलय के इस दस्तावेज के संबंध में है और भारत के संविधान के अनुच्छेद *363 (1)* के अंतर्गत आता है। जहाँ तक वादी का संबंध है, विभिन्न अधिनियमों और आदेशों की वैधता का प्रश्न भी विलय के दस्तावेज के तहत दावा किए गए अधिकारों पर आधारित है। प्रतिवादियों के पक्ष में, स्थिति यह है कि वे विलय के दस्तावेज को स्वीकार करते हैं और वे यह दावा नहीं करते हैं कि वे हैं

उस लिखत के तहत विवादित अधिकारों का प्रयोग करना। उनके

संघीय न्यायालय से मुकदमे का हस्तांतरण। प्रतिवादियों के अनुसार, उन परिस्थितियों में स्थिति एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य की होगी जो किसी अन्य पड़ोसी स्वतंत्र राज्य के क्षेत्रों, शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अतिक्रमण करेगा। की ओर से ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न शिकायत का निवारण करने के लिए प्रतिवादी, सर्वोच्च न्यायालय राहत देने का मंच नहीं है। इस मुद्दे का जवाब नकारात्मक में दिया जाता है, कारण में लागत।

91. बोस, जे. ने अपनी अलग राय में, अंक संख्या *1* को निम्नलिखित प्रभाव से संबोधित कियाः

" 1. क्या वाद के विषय और भारत के संविधान के अनुच्छेद *363 (1)* में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस माननीय न्यायालय के पास वाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है*?*

उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहाः

" फिर भी, यह अगला तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद *363,* जो विवादों के कुछ वर्गों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप न करने का एक सामान्य नियम लागू करता है, अनुच्छेद *374 (2)* के संचालन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जो एक विशेष प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ में संघीय न्यायालय में लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही उच्चतम न्यायालय को हटा दी जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय को इसकी सुनवाई और निर्धारण करने का अधिकार होगा। इस तर्क में काफी बल होगा लेकिन अनुच्छेद *363 (1)* के शुरुआती शब्दों के लिए, अर्थात्, "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद"। ये शब्द स्पष्ट

रूप से इंगित करते हैं कि अनुच्छेद *363* में अधिनियमित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद *374 (2)* के संचालन को नियंत्रित करता है और वादी द्वारा लागू निर्माण के नियम को बाहर करता है।

92. उपरोक्त निर्णय को अच्छी तरह से समझना और सराहना की जानी चाहिए। श्री नरीमन प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी समझौते से संबंधित कोई भी विवाद इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद *262* के तहत विवाद उठाने की शिकायत *1892* और *1924* के आधार या नींव के बिना स्वतंत्र हो सकती है।

लेकिन समझौतों के आधार पर रुख तैयार करना संविधान के अनुच्छेद *363* के विपरीत होगा जैसा कि सरायकेला राज्य *(ऊपर)* में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। यह भी प्रस्तावित है

उनके द्वारा कि तमिलनाडु राज्य में बाद का निर्णय बनाम। केरल राज्य *(ऊपर)* ने पहले के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया है और राजनीतिक समझौते के तत्व को पेश किया है और समझौतों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अर्थात्, राजनीतिक समझौता और सामान्य समझौता। यह तर्क गहन जांच के योग्य है। हमने सरायकेल्ला राज्य *(ऊपर)* में तथ्यों और उसमें व्यक्त किए गए विचार पर विस्तार से चर्चा की है। जैसा कि हमारे लिए बोधगम्य है, संविधान पीठ, वास्तव में, एक राजनीतिक मुद्दे पर विचार कर रही थी क्योंकि "विलय के दस्तावेज" का निरंतर संदर्भ है और दावा दस्तावेज को लागू करने और आगे भारत अधिराज्य और बिहार राज्य की विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को अवैध घोषित करने का था। प्रत्यर्थी, अर्थात् भारत अधिराज्य, का रुख यह था कि वह विलय के दस्तावेज के अनुसार कार्य कर रहा था। प्रतिद्वंद्वी का रुख और उस पर किया गया विश्लेषण स्पष्ट रूप से विवाद की राजनीतिक प्रकृति को दर्शाता है।

93. शास्त्री, जे. ने अपनी सहमति में कहाः

" 22. ..... इन मामलों के संबंध में विवाद केवल वे विवाद हैं जिनके द्वारा पक्षकार एक ओर यह स्थापित करना चाहते हैं कि विलय का दस्तावेज अभी भी अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक के आपसी ई को नियंत्रित करता है।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

अधिकार और दायित्व और, दूसरी ओर, कि वह दस्तावेज़ हटा दिया गया है और अब लागू नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन मामलों के संबंध में मुद्दे बनाए गए हैं, लेकिन मेरी राय में वे नहीं कर सकते। अनुच्छेद *131* या अनुच्छेद *363 (1)* के प्रयोजनों के लिए विवाद माना जाएगा। ये अनुच्छेद न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित हैं और वे मूल कानूनी अधिकारों के विवादित दावों की परिकल्पना करते हैं। इन मुकदमों में दावे निस्संदेह संबंधित पर आधारित हैं

उदाहरण के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *80* के तहत प्रतिवादियों को नोटिस की आवश्यकता से संबंधित मुद्दा *5* से अधिक। *23.* फिर भी, यह तर्क दिया जाता है कि इस अनुच्छेद का यहाँ कोई अनुप्रयोग नहीं है और यह पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं कर सकता है और केवल संविधान के प्रारंभ के बाद उत्पन्न होने वाले विवादों पर लागू होता है। मैं अनुच्छेद *363 (1)* की इस सीमित व्याख्या को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जबकि लेख निस्संदेह निरंतर संचालन का प्रतिपादन करता है

संविधान के प्रारंभ से पहले की गई या निष्पादित की गई संधियों, समझौतों, आदि में से

विवाद, इसके आवेदन की शर्त के रूप में, यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह के विवाद शुरू होने के बाद उत्पन्न होने चाहिए

संविधान। मुझे उस प्रतिबंध को लागू करने का कोई कारण नहीं दिखता है जो नियोजित भाषा के एक सादे व्याकरणिक निर्माण की गारंटी नहीं देता है। यह कहना सही नहीं है कि व्यापक निर्माण लेख के संचालन को पूर्वव्यापी बना देगा, क्योंकि अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार केवल इसके बाद संचालित होता है

विवादों के बावजूद संविधान लागू हुआ

संविधान के प्रारंभ से पहले या बाद में उत्पन्न होने से संबंधित। यह कहा गया था कि अनुच्छेद का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए कि लंबित मुकदमों या कार्यवाही के मुकदमे को रोका जा सके। लेकिन यह अदालत में लंबित कार्रवाई का मामला नहीं है जो जारी है। संघीय न्यायालय, जिसमें मुकदमे लंबित थे, और जिनके पास उनसे निपटने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र था, को समाप्त कर दिया गया और एक नया न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, *[2018] 5* एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के तहत मान्यता प्राप्त राज्यों के बीच कानूनी अधिकारों से संबंधित विवादों तक सख्ती से सीमित मूल अधिकार क्षेत्र के साथ बनाया गया। लेकिन चूंकि पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट राज्यों को संविधान से पहले अर्ध-संप्रभु दर्जा प्राप्त था, इसलिए उनके साथ समझौते अंतरराष्ट्रीय संधियों की प्रकृति के थे।

और वाचाएँ और उनसे उत्पन्न होने वाले विवाद नगरपालिका न्यायालयों में नहीं होंगे। जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का संबंध है, उस सिद्धांत को अनुच्छेद *131* के परंतुक द्वारा प्रभावी किया जाता है जो ऐसी अधिकारिता को परिभाषित करता है और सभी न्यायालयों के संबंध में और सभी कार्यवाहियों के संबंध में, अनुच्छेद *363 (1)* द्वारा। उस सिद्धांत को लागू करने का कारण संविधान के समक्ष उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों के संबंध में अधिक, कम नहीं है, जब इन राज्यों, जिन्हें तब भारतीय राज्यों के रूप में जाना जाता था, को उच्च स्तर की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके अलावा, वादी द्वारा अनुच्छेद *131* पर लागू किए गए निर्माण का अर्थ यह होगा कि न्यायालय, परंतुक के बावजूद, इस संबंध में अधिकार क्षेत्र में होगा।

ऐसे विवादों का, बशर्ते वे संविधान के प्रारंभ से पहले उत्पन्न हुए हों। यदि इसका इरादा किया गया था, तो कोई उम्मीद करेगा कि इस तरह के अधिकार क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रदान किया गया होगा। अधिनियमन, इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का परिसीमन करने के उद्देश्य से एक परंतुक से निहितार्थ द्वारा प्राप्त होने के लिए छोड़े जाने के बजाय

संविधान। यदि ऐसा है तो अनुच्छेद *363 (1)* को भी ऐसा ही प्राप्त होना चाहिए।
निर्माण, नियोजित भाषा अनिवार्य रूप से समान है।

94. शास्त्री की उपरोक्त राय पर भरोसा करना। जे., श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि *1892* और *1924* के प्रत्येक समझौते द्वारा निष्पादित किया गया

किसी अर्ध-संप्रभु राज्य के शासक को एक अंतरराष्ट्रीय संधि, वाचा या समझौते के रूप में माना जाना चाहिए जैसा कि किसी भी मामले में सामान्य कानून के तहत भी होता है जो अनुच्छेद *372* के प्रावधानों के तहत जारी रहता है और इस प्रकार, नगरपालिका अदालतों या प्राधिकरणों को उन पर निर्णय लेने की अधिकारिता नहीं होगी।

क्योंकि अनुच्छेद *363* स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि नगरपालिका अदालतें ऐसे समझौतों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं जहां एक पक्ष को अर्ध-संप्रभु दर्जा प्राप्त हो। संक्षेप में, विवाद यह है कि समझौते उत्तरदायी नहीं हैं कानून की अदालत या न्यायाधिकरण में निर्णय लिया गया जैसा कि संविधान पीठ द्वारा पुनः में अभिनिर्धारित किया गया हैः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद*)*

न्यायाधिकरण*) 1 0* इस प्रभाव से कि "राज्य की पूरी न्यायिक शक्ति"

*1 0 1993 (*सप्लीमेंट*) (1)* एस. सी. सी. *96* ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

जल विवादों के निर्णय से संबंधित अनुच्छेद *131* था।

अनुच्छेद *262 (1)* के तहत अधिनियमित कानून के तहत, यानी *1956* डी, न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अदालत नहीं है और इसलिए, ई *363 (1)* उस पर लागू नहीं होगा, गलत है। उनके अनुसार,

भावनाओं को किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं देखा जाना चाहिए।

95. प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए, हम इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण का उल्लेख कर सकते हैं। न्यायाधिकरण ने माधव राव सिंधिया *(*ऊपर दिए गए*)* मामले में इस प्रकार निर्णय दियाः

" 21. यही स्थिति यहाँ भी है। अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* को संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि *56* के तहत अधिनियमित नहीं किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद *262* द्वारा संसद में निहित शक्ति के तहत अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद *262* को ध्यान में रखते हुए संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद *262 (2)* में एक गैर-अबाधित खंड है जिसमें कहा गया है कि संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद विधि द्वारा यह उपबंध कर सकती है कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय खंड *(1)* में निर्दिष्ट किसी ऐसे विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। यह पहले ही ऊपर बताया जा चुका है कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* में इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, धारा *11* में उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, यदि अनुच्छेद *363 (1)* में एक गैर-अबाधित खंड है जो एक ओवर देता है।

प्रभाव बढ़ाते हुए, तब भी अनुच्छेद *262 (2)* में एक गैर-बाध्यकारी खंड है जो अंतर-राज्य जल की धारा *11* के साथ पढ़ा जाता है। विवाद अधिनियम अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता को बाहर कर देगा। यह विवादित नहीं हो सकता कि अनुच्छेद *262* एक विशेष प्रावधान है जो

अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद के निर्णय के लिए प्रदान करता है। जैसे कि निर्माण के जाने-माने नियम जनरलिया स्पेशलिटीबस नॉन पर

अपमानजनक, एक विशेष प्रावधान सामान्य प्रावधान को बाहर करता है;

अनुच्छेद *363* किसी भी शिकायत के संबंध में जांच पर रोक नहीं लगा सकता है। जिसमें एक समझौते की शर्तों के गैर-अनुपालन के बारे में शिकायत शामिल है जिसे एक के तत्कालीन शासक द्वारा निष्पादित किया गया था

मैसूर जैसी रियासत जो *[2018] 5* एस. सी. आर. के भीतर एक भारतीय राज्य बन गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का अधिराज्य और बाद में संविधान के लागू होने के बाद, संविधान की पहली अनुसूची के तहत एक राज्य।

96. इसके बाद न्यायाधिकरण ने महाराजा श्री डी मिल्स लिमिटेड पर निर्भरता रखी। भारत संघ *";* सरायकेला राज्य *(*ऊपर*)* एच. एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधियादुर *(*ऊपर*)* और *1956* अधिनियम और राय दीः

"इस पृष्ठभूमि में, यह मानना बहुत मुश्किल है कि संविधान का अनुच्छेद *363* जांच को नियंत्रित या नियंत्रित करेगा और किसी समझौते की शर्तों की व्याख्या या किसी राज्य द्वारा ऐसे समझौते की शर्तों को लागू करने में विफलता से संबंधित जल विवाद के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा जांच

ऐसे जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण।

97. उसी पर ध्यान देने के बाद, हम यह देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद *363* के संदर्भ में न्यायालय ने क्या कहा है। माधव इंडिया मामले में, हिदायतुल्ला, सी. जे. ने अनुच्छेद *363* की व्याख्या पर विचार करते हुए कहाः

"*66.* मैं अनुच्छेद *363* से शुरू करता हूँ। उस लेख को विस्तार से पहले उद्धृत किया गया था। विद्वान महान्यायवादी ने ऐतिहासिक घटनाओं को अपने इस तर्क के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया कि अनुच्छेद *363* होना चाहिए

की मान्यता और वापसी के विषय पर राष्ट्रपति को निर्धारण का एक अनन्य अधिकार देने के रूप में माना जाता है

मान्यता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस तरह राज्य के एक अधिनियम पर नगर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, उसी तरह इसे वापस लेने पर भी सवाल उठाया जा सकता है। मान्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने अपने मामले के समर्थन में बड़ी संख्या में अधिकारियों का हवाला दिया कि राज्य का कोई अधिनियम अदालतों की जांच के अधीन नहीं है।

67. यहाँ सवाल राज्य के अधिनियम का नहीं है। न ही राज्य के कार्य के सिद्धांत से कोई आश्वासन लिया जा सकता है। हमें जो करना है वह लेख का अर्थ निकालना है। यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका शासकों के अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं है। यह न तो उन अधिकारों को एक आयोटा से बढ़ाता है और न ही कम करता है। मैं अभी इसका अर्थ जानने का प्रयास करूँगा। ऐसा करने से पहले मुझे यह कहना होगा कि दीवानी अदालतों की अधिकारिता को छोड़कर प्रावधानों की व्याख्या का यह एक सर्वविदित नियम है कि उनका कड़ाई से अर्थ दीवानी अदालत की अधिकारिता के बहिष्करण के लिए लगाया जाना चाहिए, और कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का अनुमान हल्के में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका सार

3) सप. *(2)* एससीआर *515:*

ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *953* ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

वर्तमान विवाद यह है कि क्या अनुच्छेद याचिकाकर्ताओं को राहत देने से रोकता है, हालांकि जैसा कि मैंने अभिनिर्धारित किया है, राष्ट्रपति का आदेश है - अल्ट्रा वायर्स।

68. लेख प्रारंभिक शब्दों से शुरू होता है।

"इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद "। इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहिष्करण शब्द मौलिक अधिकारों के अध्याय सहित संविधान के अन्य प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विचार को बाहर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, लेकिन केवल इसी कारण से हमें अनुच्छेद के दायरे को सख्ती से निर्धारित करना चाहिए। लेख में आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। यह कहने के बाद लेख उन मामलों को निर्दिष्ट करते हैं जिन पर अधिकार क्षेत्र वर्जित है। यह दो भागों में होता है। पहला भाग है: "संधि आदि के किसी प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा किया गया था या निष्पादित किया गया था, जिसमें भारत अधिराज्य की सरकार एक पक्ष थी और जो इस तरह के प्रारंभ के बाद भी चालू है या जारी है। इससे पता चलता है कि किसी भी संधि के प्रवर्तन, व्याख्या या उल्लंघन आदि से संबंधित विवाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से वर्जित है। 'संधि आदि के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले' शब्द शब्दों को सीमित करते हैं। इस प्रकार यदि किसी संधि, वाचा, आदि को किसी पक्ष द्वारा गढ़ा गया माना जाता है, तो वह 'संधि, वाचा, आदि के किसी प्रावधान से उत्पन्न होने वाला विवाद' नहीं होगा। वह विवाद यह होगा कि कोई वास्तविक संधि है या नहीं। यह चित्रण मेरे द्वारा यह दिखाने के लिए दिया गया है कि बहिष्करण सभी को गले लगाने वाला नहीं है। जिस विवाद को रोका जाना है, वह संधि आदि के प्रावधान से उत्पन्न होना चाहिए।

98. शाह, जे. ने बहुमत के लिए बोलते हुए अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा:

"*133.* निर्दिष्ट मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को इस वजह से बाहर नहीं रखा गया है कि भारत संघ ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता का उत्तराधिकारी है, न ही अधिकारों और दायित्वों के कारण। संविधान द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त को अभी भी राज्य के कृत्यों से प्रवाहित माना जा सकता है: इसे केवल संविधान के अनुच्छेद *363* में स्पष्ट प्रावधान द्वारा विशिष्ट मामलों के संबंध में बाहर रखा गया है। अटॉर्नी *[2018] 5* एस. सी. आर. द्वारा तर्क दिए जाने के अनुसार उन मामलों में भी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र "सीमा पर" वर्जित नहीं है।

जनरल। राष्ट्रपति इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उन्हें संविधान द्वारा मध्यस्थ नहीं बनाया गया है

उसके अधिकार की सीमा, और न ही उसके कार्यों की वैधता। राष्ट्रपति की कार्रवाई अदालतों के समक्ष इसकी वैधता के लिए परीक्षण के लिए उत्तरदायी है जब तक कि उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट अधिनियम द्वारा या स्पष्ट न हो। निहितार्थ वर्जित। इस दावे को स्वीकार करना कि कार्यपालिका जो कुछ भी दावा करती है, उसके संबंध में न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है, स्पष्ट रूप से कानून के शासन को नष्ट करने के लिए है। इसलिए यह निर्धारित करना केवल न्यायालय के प्रांत के भीतर है कि विवाद क्या है

इसके समक्ष लाया गया है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या न्यायालय की अधिकारिता है, क्योंकि यह अनुच्छेद *363* के दो अंगों में से एक के भीतर आता है, उस विवाद को बाहर रखा गया है। अनुच्छेद *363* का पहला अंग न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को विफल करने के लिए तभी काम करता है जब समझौतों पर आधारित राहत का दावा विवादित हो। अनुच्छेद *363* का दूसरा अंग तब कार्य करता है जब किसी वाचा से संबंधित संविधान के किसी प्रावधान से उपार्जित या उत्पन्न होने वाले अधिकारों या दायित्वों के संबंध में कोई विवाद होता है।

134. अनुच्छेद *363* के तहत न्यायिक शक्ति के प्रयोग के बहिष्करण के आयामों से निपटने के लिए, कुछ व्यापक विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमारे संविधान के तहत कानूनी विवाद का निर्धारण करने के लिए उचित मंच वह न्यायालय है जो प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर उचित रूप से योग्य लोगों द्वारा सहायता प्राप्त करता है।

स्पष्ट अधिनियमन या वर्जित आवश्यक निहितार्थ द्वारा, अपने अधिकारों के निर्धारण के लिए न्यायालयों का सहारा लेने के उसके अधिकार से वंचित किया जाए। न्यायालय जहाँ तक संभव हो, न्याय और तर्क के लिए सहमत होकर एक क़ानून की व्याख्या करेगा और यह कि दो या दो से अधिक व्याख्याओं के मामले में, एक जो अधिक उचित और न्यायपूर्ण है, अपनाया गया, क्योंकि अन्याय और अनुचित इरादे वाले कानून निर्माता के खिलाफ हमेशा एक धारणा होती है। न्यायालय विधानमंडल पर न्याय की धारणाओं और निष्पक्षता के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले प्रावधान को लागू करने के इरादे का आरोप लगाने से बचेगा, जब तक कि एक विपरीत इरादा स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों से प्रकट न हो। किसी कानून में प्रावधान का अर्थ इसके प्रकट उद्देश्य और सामान्य मूल्यों को विफल करने के लिए नहीं किया जाएगा जो इसकी संरचना को सक्रिय करते हैं।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक के एक स्पष्ट रूप से ई में *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

लोकतांत्रिक राजनीति, संपत्ति के अधिकार सहित मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वैधानिक प्रावधान,

और फिर से: *" 141. .....* अनुच्छेद *363* एक सीमित बहिष्करण निर्धारित करता है

न्यायालयों की अधिकारिता, लेकिन वह बहिष्करण अनुच्छेद *291* के आधार पर प्रिवी पर्स के दावे पर काम नहीं करता है। प्रिवी पर्स के भुगतान के दावे पर विचार करने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल नवाब उस्मान में निर्धारित नहीं किया गया था। अली खान का मामला। केवल यह सवाल उठाया गया था कि क्या प्रिवी पर्स सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *60 (1) (*जी*)* के तहत राजनीतिक पेंशन की विशिष्ट छूट के कारण दीवानी अदालत के आदेश के निष्पादन में कुर्की करने में सक्षम नहीं था।

कुंवर श्री वीर राजेंद्र सिंह मामले में अदालत ने ऐसा नहीं किया।

कोई भी राय व्यक्त करें कि अनुच्छेद *366 (22)* अनुच्छेद *363* के अर्थ के भीतर एक वाचा से संबंधित प्रावधान था। उस मामले में याचिकाकर्ता, जिसे राष्ट्रपति द्वारा शासक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, ने अपनी याचिका की सुनवाई में धौलपुर के शासक को देय प्रिवी पर्स पर अपना दावा छोड़ दिया और हिंदू कानून के तहत पूर्व शासक की निजी संपत्ति पर उत्तराधिकार द्वारा अपना दावा किया। न्यायालय को निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया था और यह निर्णय नहीं लिया गया था कि अनुच्छेद *366 (22)* अनुच्छेद *363* के अर्थ के भीतर एक वाचा से संबंधित प्रावधान था। इस न्यायालय के किसी निर्णय में आने वाले किसी शब्द या खंड को, जो उसके संदर्भ से अलग है, किसी प्रश्न पर कानून की पूरी व्याख्या के रूप में मानना मुश्किल है, जब उस प्रश्न का उत्तर उस में नहीं दिया गया था।

निर्णय।

142. हमने जो विचार व्यक्त किया है, श्री पालखीवाला द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भले ही अनुच्छेद *366* का खंड *(22)* समझौतों से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता है। *32* शासकों की मान्यता को वापस लेने की शक्ति के अमान्य प्रयोग के खिलाफ राहत देना वर्जित नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

99. वर्तमान में, हम अनुच्छेद *363* के विश्लेषण का उल्लेख कर सकते हैं जैसा कि है

तमिलनाडु राज्य में संविधान पीठ बनाम। राज्यआला *(*ऊपर*)*। उक्त मामले में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश, बोलने वाले न्यायालय ने राय दी कि अनुच्छेद *363* के एक सादे पढ़ने से कोई रास्ता नहीं निकलता है *[2018] 5* एस. सी. आर.

संविधान के प्रारंभ में, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप वर्जित है। अनुच्छेद *363* में उल्लिखित दस्तावेज वे हैं जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। ऐसे दस्तावेजों के संबंध में कोई भी विवाद न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद *363* के पीछे का उद्देश्य भारतीय शासकों को संधियों, समझौतों, समझौतों, अनुबंधों, "सनद" या इसी तरह के अन्य समझौतों से बांधना है। संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए या निष्पादित किए गए दस्तावेज और भारतीय शासकों को ऐसे समझौतों से रोकने के लिए जो भारत की अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना था।

और कुछ विवादों को उठाने से प्रभावित नहीं हो सकता था। इसके बाद, वृहद पीठ ने *1948* में भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए भारतीय राज्यों पर 'श्वेत पत्र' का उल्लेख किया, जो उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामने लाता है जिसके कारण अनुच्छेद *363* के प्रावधानों को अपनाने की आवश्यकता थी।

100. न्यायालय ने 'श्वेत पत्र' से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया जो इस प्रकार हैः

" इसलिए अनुच्छेद *363* को संविधान में सन्निहित किया गया है जो विशेष रूप से विलय के समझौतों और वाचाओं को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है।

101. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने अनुच्छेद *131* का उल्लेख किया जो इस न्यायालय की मूल अधिकारिता से संबंधित है और यह कहने के लिए आगे बढ़ाः

" *74.* अनुच्छेद *363* के प्रावधान और अनुच्छेद *131* के प्रावधान में समानता है। अनुच्छेद *131* में निहित मुख्य प्रावधान द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र को राजनीतिक निपटान के मामलों में परंतुक के आधार पर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद *363* और अनुच्छेद *131* के प्रावधान जैसे प्रावधान करके, राजनीतिक समझौतों को न्यायिक घोषणाओं के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अनुच्छेद *131* में संलग्न प्रावधान एक

किसी संधि, समझौते, वाचा से उत्पन्न होने वाला विवाद,
सगाई, सनद या इसी तरह का साधन जो संविधान के प्रारंभ से पहले निष्पादित राजनीतिक प्रकृति का हो और

जो प्रवर्तन में रहा है या जारी रहा है, इस न्यायालय की गैर-न्यायसंगत और अधिकारिता वर्जित है। एक सामान्य समझौते से उत्पन्न विवाद के संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता को नहीं हटाया जाता है। निर्दिष्ट और वर्णित उपकरण

परंतुक में केवल वे हैं जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। नहीं।

राजनीतिक साधन इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं। अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

102. यह ध्यान दिया जाए कि वृहद पीठ ने विरेंद्र सिंह *(*उपरोक्त*)* मामले में निर्णय का उल्लेख किया है और इस प्रकार राय दी हैः

" *70.2* . संविधान पीठ द्वारा उपरोक्त कानूनी स्थिति की व्याख्या शायद ही किसी संदेह को स्वीकार करती है। जाहिर है, भारत के डोमिनियन में एक भारतीय राज्य का प्रवेश और डोमिनियन द्वारा इसे स्वीकार करना राज्य के कार्य और अदालतों के अधिकार क्षेत्र हैं -

यह एक साधारण समझौता है और यह प्रकृति में राजनीतिक नहीं है, अनुच्छेद *363* के प्रतिबंध और अनुच्छेद *131* के प्रावधान में कोई नहीं है
आवेदन "।

और फिर सेः

" *76.* हम मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं कि
1886 का पट्टा समझौता अनुच्छेद *363* के दायरे में नहीं आएगा और इस न्यायालय की अधिकारिता वर्जित नहीं है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, *1886* के पट्टे से उत्पन्न विवाद

समझौता अनुच्छेद *131* के प्रावधान के तहत भी वर्जित नहीं है। इसके अलावा, मुकदमे में रखी गई प्रमुख चुनौती *2006 (*संशोधन*)* अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, जिसके लिए अनुच्छेद *363* या अनुच्छेद *131* परंतुक के तहत उस मामले के लिए नहीं है।

बिल्कुल भी काम में आ जाएं। "

103. उपरोक्त के अवलोकन पर, हमें ऐसा लगता है कि सरायकेला राज्य में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के साथ कोई असहमति या सहमति की कमी नहीं है।

(ऊपर*)*। हम ऐसा सोचने के लिए राजी हैं क्योंकि पहले के मामले में संविधान पीठ एक अलग तरह के साधन से निपट रही थी जो निस्संदेह संविधान के लागू होने से पहले दर्ज किए गए राजनीतिक चरित्र का था।

104. माधव राव सिंधिया *(*ऊपर*)* के मामले में निर्णय का क्षेत्र बिल्कुल अलग था। इस मामले में, विचाराधीन समझौते जल बंटवारे, सिंचाई आदि के क्षेत्र से संबंधित हैं और इनका भारत की संप्रभुता और अखंडता की अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए यह मानना गलत होगा कि संविधान के अनुच्छेद *363* के तहत प्रतिबंध लागू होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों के बीच दोनों समझौते किसी भी राजनीतिक तत्व को संदर्भित नहीं करते हैं और *[2018] 5* एस. सी. आर. नहीं हो सकते हैं।

चरित्र में राजनीतिक के रूप में जाना जाता है। सरायकेला राज्य *(*उपरोक्त*)* में व्यक्त विचार, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, भारत की अखंडता या संप्रभुता के एक पहलू से संबंधित है और यही कारण है कि बार संचालित होता है। अनुच्छेद *363* के तहत प्रतिबंध को माधव राव सिंधिया *(*ऊपर*)* में खड़े होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि यह प्रिवी पर्स से संबंधित शासकों के संवैधानिक दावे से संबंधित था और इसकी कोई राजनीतिक विशेषताएँ नहीं थीं। किसी भी मामले में, संविधान द्वारा स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है।

तमिलनाडु राज्य में पीठ *(*मुल्लापेरियार बांध मामले के रूप में लोकप्रिय*)*। इसलिए, किसी भी विवाद को जन्म देने की इच्छा के बिना और किसी भी विरोधाभास के डर के बिना, यह कहा जा सकता है कि

अनुच्छेद *363* लागू नहीं होता है। कर्नाटक राज्य की ओर से यह दलील कि संविधान के अनुच्छेद *262* के कारण न्यायाधिकरण द्वारा जल विवाद के निर्णय के उद्देश्य से दोनों समझौतों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए, अस्वीकार्य है।

जे. *1892* और *1924* के समझौतों की असंवेदनशीलता

मैसूर रियासत और मद्रास रियासत के रूप में असहनीयता दो अलग-अलग मंचों पर थी। मैसूर राज्य एक जागीरदार राज्य था और वास्तव में समझौते के विभिन्न पहलुओं पर बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में, इसके पास सौदेबाजी करने की कोई शक्ति नहीं थी और यह तब परिलक्षित होता है जब राज्य सचिव विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित बाध्यकारी पुरस्कार को अलग करने में सक्षम था। श्री नरीमन तर्क देते हैं कि समझौते असहनीय सौदेबाजी से ग्रस्त हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील इस बात के लिए महत्वपूर्ण हैं कि न्यायाधिकरण ने असंवेदनशीलता के सिद्धांत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है और गलती से न्यू बिहार बीरी लीव्स कंपनी और अन्य बनाम में निर्णय पर भरोसा किया है। बिहार राज्य और अन्य *1 2* और इस

निष्कर्ष पर पहुंचे कि *1974* में दोनों पक्षों द्वारा समझौते पर कार्रवाई करने के बाद, एक अवरोध था। उन्होंने भारतीय अनुबंध की धारा *16* का उल्लेख किया है। पुस्तक में पोलक और मुल्ला द्वारा अधिनियम और टिप्पणी *(*पहला संस्करण, *1905)*। प्रशंसित टिप्पणी इस प्रकार हैः

" " असहनीय सौदे *"*-चित्रण *(*सी*)* पर विचार करता है

एक धन-ऋणदाता अनुबंध के लिए पहले से ही ऋणी व्यक्ति का मामला

उनके सामने शर्तों पर उसके साथ एक नया ऋण

असहनीय। ऐसे मामले में यह अनुमान लगाया जाता है कि उधारकर्ता की सहमति मुफ्त नहीं थी। अनुमान का खंडन किया जा सकता है, लेकिन सबूत का भार उस पक्ष पर है जिसने ऐसा करने की कोशिश की है

12 (1981) 1 एस. सी. सी. *537* स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

दूसरे के दुःख का अत्यधिक लाभ। सवाल यह नहीं है कि
धोखाधड़ी, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति के अचेतन उपयोग का। "

[जोर दिया गया*]*

106. उन्होंने एम. सी. सीतलवाड़ के *8* वें संस्करण का भी उल्लेख किया है।

1957 जहाँ यह टिप्पणी की गई हैः

... . असहनीय सौदेबाजी के मामले में राहत एक पुराना लाभ है।

कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लेकिन समानता के सामान्य सिद्धांत
जिन चीज़ों को "आकर्षक सौदेबाजी" कहा जाता है, उनसे निपटना बाकी है, और

अब हमारे सामने धारा का तीसरा खंड स्पष्ट रूप से अभिप्रेत है

उन्हें मूर्त रूप देने के लिए।

[रेखांकित करना हमारा है*]*

107. उक्त प्रावधान पर भरोसा करने के अलावा और

टिप्पणियों में, उन्होंने केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के अधिकारियों से भी प्रेरणा ली है और एक अन्य वी। ब्रोजो नाथ गांगुली और एक अन्य। *13 ;* ओ. पी. भंडारी बनाम आई. टी. डी. सी. *1 4;* दिल्ली परिवहन निगम बनाम। डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस और अन्य *1 5;*

और बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम। पार्थ सारथी सेन रॉय और अन्य *(2* जे*) 1 6.* उन्होंने ब्रायन गार्नर, एडिटर-चीफ *(10* वां संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स*)* द्वारा ब्लैक लॉ डिक्शनरी की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें असंवेदनशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"असहनीयता। *1.* अत्यधिक अन्याय।

असहनीयता का मूल्यांकन आम तौर पर एक वस्तुनिष्ठ मानक द्वारा किया जाता हैः

(1) एक पक्ष की सार्थक पसंद की कमी, और *(2)* संविदात्मक
ऐसे शब्द जो अनुचित रूप से दूसरे पक्ष का पक्ष लेते हैं। *2.* सिद्धांत

कि कोई न्यायालय किसी ऐसे अनुबंध को लागू करने से इनकार कर सकता है जो अनुचित हो या

अनुबंध के दौरान प्रक्रियात्मक दुरुपयोग के कारण दमनकारी
गठन या अतिव्यापी संविदात्मक शर्तों के कारण, विशेष रूप से।

13 (1986) 3 एससीसी *156*

14 (1986) 4 एस. सी. सी. *337* *15 1991* सप. *(1)* एससीसी *600*

6 16 (2013) 8 एस. सी. सी. *345 [2018] 5* एस. सी. आर.

ऐसी शर्तें जो एक पक्ष के लिए अनुचित रूप से अनुकूल हैं जबकि

दूसरे पक्ष के लिए सार्थक विकल्प को रोकना।

108. जॉन वेस्टलेक अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अंशः भाग-*I*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, *1910* की हमारे लिए सराहना की गई है। आईडी परिच्छेद इस प्रकार हैः

"आंतरिक पक्ष पर, जो कि ब्रिटिश शक्ति के साथ मूल राज्यों का संबंध है, भारत सरकार ने अपने आधिकारिक राजपत्र संख्या *1700* ई, *21* अगस्त *1891* में निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित कीः

"अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का भारत सरकार के बीच संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि एक ओर रानी-महारानी का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी ओर मूल राज्यों के बीच संबंध।
दूसरी ओर महामहिम का आधिपत्य। सर्वोच्चता

पूर्व की सर्वोच्चता का अनुमान है और इसका तात्पर्य है उत्तरार्द्ध की अधीनता
"।

लाभः

जो राजा-सम्राट के प्रभुत्व में शामिल नहीं हैं उसके अधीन एक अधिराज्य, सर्वोच्चता या सर्वोच्चता के अधीन, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के राज्यों के संबंधों में कुछ भी समानांतर मौजूद नहीं है।

109. एफ. जे. बर्बर की पुस्तक रिवर्स इन एटोनल लॉ *(1959)* से भी प्रेरणा ली गई है, जिसमें कहा गया हैः

" मैसूर और मद्रास के बीच कावेरी विवाद, *1925* में सुलझा लिया गया, दो क्षेत्रों के बीच एक विवाद था, जिसमें से एक ब्रिटिश भारत का प्रांत था और दूसरा ब्रिटिश अधिराज्य के तहत एक आश्रित रियासत थी। विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उपयोग से नहीं बल्कि एक आधिकारिक कानून के माध्यम से किया गया था।

संप्रभु शक्ति, या ब्रिटिश क्राउन का निर्णय। प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करने की अपनी सामान्य जिम्मेदारी के तहत जिसमें इसके अनुमान के अनुसार सार्वजनिक हित खतरे में था

चोट के साथ। इसका मतलब है कि यह नगरपालिका कानून के मानदंडों के अनुप्रयोग का एक विशिष्ट मामला था। इसलिए हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। हमारी जाँच के लिए। विवाद में केवल एक पहलू अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात् अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास।

करिकल, उस समय अभी भी एक फ्रांसीसी अधिकार था।

कर्नाटक के भोजन के बाद इसके प्रमुख सचिव वी। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

लंदन में फ्रांसीसी राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिनिधि
सरकार *1* मई, *1924* के अपने नोट में यह कहने में सक्षम थी कि करिकल के मौजूदा जल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। पड़ोसी उपनिवेश के जल अधिकारों की यह मान्यता उनके अफ्रीकी उपनिवेशों में जल अधिकारों के संबंध में एंग्लो-फ्रांसीसी प्रथा के अनुरूप है।

110. हमें एल. ओपेनहेम के एक अंश का भी उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय कानून *(8* वां संस्करण*)* जो नीचे निकाला गया हैः

" *91.* यह तथ्य कि अधिराज्य और जागीरदार के बीच संबंध हमेशा विशेष मामले पर निर्भर करता है, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में एक सामान्य नियम निर्धारित करने की संभावना को बाहर करता है

अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहे वे स्वयं के बीच हों या विदेशी राज्यों के साथ। फिर भी ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो दर्शाते हैं कि "जागीरदार राज्यों के पास कुछ अधीनस्थ अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं।
स्थिति "।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड *(*ऊपर*),*ओ-न्यायाधीश पीठ ने अनुबंध अधिनियम की धारा *16,23* और *24* का उल्लेख करते हुए अनुबंधों पर चिट्ठी के कुछ प्रासंगिक अंशों का हवाला दिया *(25* वां संस्करण,

*1.*आई*)*। हम उक्त परिच्छेदों को निकालना उचित समझते हैंः

बड़े पैमाने पर समुदाय के आर्थिक हित '। अनुबंध की स्वतंत्रता का बहुत कम मूल्य होता है जब एक पक्ष के पास कोई विकल्प नहीं होता है दूसरे द्वारा प्रस्तावित शर्तों के एक समूह को स्वीकार करने या प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं के बिना करने के बीच। सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रमों और अन्य द्वारा किए गए कई अनुबंध *[2018] 5* एस. सी. आर. के रूप में होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पक्ष द्वारा पहले से तय की गई शर्तों का सेट और इसके लिए खुला नहीं है दूसरे पर चर्चा करें। इन्हें 'अनुबंध डी' आसंजन 'कहा जाता है।

फ्रांसीसी वकीलों द्वारा। व्यापारी अक्सर अनुबंध करते हैं, पर नहीं

व्यापार संघ द्वारा तय किए गए अनुबंध का रूप। और एक कर्मचारी के रोजगार अनुबंध की शर्तें उसके ट्रेड यूनियन और उसके नियोक्ता के बीच समझौते या रोजगार की एक वैधानिक योजना द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इस तरह के लेन-देन फिर भी अनुबंध की स्वतंत्रता की काफी हद तक कमी होने के बावजूद अनुबंध।

जहां अनुबंध की स्वतंत्रता नहीं है, वहां उपभोक्ताओं या जनता के सदस्यों के लिए नुकसान की भरपाई कुछ हद तक परामर्श के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानून द्वारा की जाती है। कई कानून अनुबंधों में शर्तों को शामिल करते हैं जिन्हें पार्टियों को बाहर करने के लिए मना किया जाता है, या घोषणा करते हैं कि अनुबंध में कुछ प्रावधान अमान्य होंगे। और अदालतों ने

लागू करने से इनकार करने के लिए कई उपकरण विकसित किए

आर्थिक रूप से मजबूत पक्ष द्वारा कमजोरों पर लगाए गए छूट खंड, हालांकि उन्होंने अपने आप में किसी भी सामान्य शक्ति *(*क़ानून द्वारा छोड़कर*)* को व्यापक रूप से घोषित करने के लिए मान्यता नहीं दी है कि एक छूट खंड तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उचित न हो। एक बार फिर, हाल ही में, कुछ न्यायाधीशों ने संविदात्मक दायित्वों से राहत की संभावना को स्वीकार किया है।

'सौदेबाजी की शक्ति की असमानता' के आधार पर।

112. इसके बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने अनुबंध के अर्थ का उल्लेख किया और अमेरिकी कानून द्वारा अपनाए गए और घोषित किए गए डब्ल्यू-सेकंड के पुनर्स्थापन से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया।

ते, खंड *II:*

" 208. असहनीय अनुबंध या अवधि यदि अनुबंध किए जाने के समय कोई अनुबंध या उसकी अवधि अनुचित है, तो अदालत अनुबंध को लागू करने से इनकार कर सकती है, या

बिना अनुबंध के शेष को लागू कर सकते हैं

अनुचित शब्द, या किसी भी अनुचित शब्द के अनुप्रयोग को सीमित कर सकता है ताकि किसी भी अनुचित परिणाम से बचा जा सके।

उस धारा के तहत दी गई टिप्पणियों को पृष्ठ *107* पर कहा गया हैः

"सद्भावना और निष्पक्ष लेन-देन के दायित्व *(§205)* की तरह, असहनीय अनुबंधों या शर्तों के खिलाफ नीति अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक के ई पर लागू होती है।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

विभिन्न प्रकार के आचरण। यह दृढ़ संकल्प कि ए

अनुबंध या पद अनुचित है या नहीं, इसकी स्थापना, उद्देश्य और प्रभाव के आलोक में बनाया जाता है। प्रासंगिक कारकों में शामिल हैं: अनुबंध प्रक्रिया में कमजोरियाँ जैसे कि अधिक में शामिल हैं

संविदात्मक क्षमता, धोखाधड़ी और अन्य के बारे में विशिष्ट नियम

अमान्य करने वाले कारण; नीति उन नियमों के साथ भी ओवरलैप होती है जो सार्वजनिक नीति के आधार पर विशेष सौदेबाजी या शर्तों को अप्रवर्तनीय बनाते हैं। अनुचित अनुबंधों के खिलाफ पुलिसिंग या

शर्तों को कभी-कभी प्रतिकूल द्वारा पूरा किया गया है प्रस्ताव के नियमों में हेरफेर करके भाषा का निर्माण

और स्वीकृति या निर्धारण द्वारा कि खंड है

सार्वजनिक नीति या अनुबंध के प्रमुख उद्देश्य के विपरीत। समान वाणिज्यिक संहिता *§ 2-302* टिप्पणी *1.* एक सौदा केवल इसलिए अनुचित नहीं है क्योंकि इसके पक्ष सौदेबाजी की स्थिति में असमान हैं, और न ही इसलिए कि असमानता के परिणामस्वरूप कमजोर पक्ष को जोखिमों का आवंटन होता है। लेकिन घटिया।

या मजबूरी, या यह दिखा सकता है कि कमजोर पक्ष के पास कोई नहीं था सार्थक विकल्प, कोई वास्तविक विकल्प नहीं, या वास्तव में सहमति नहीं दी या

अनुचित शर्तों को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। "

113. कई लेखकों और फैसलों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय आया

:

एक अनुबंध या एक अनुबंध के एक खंड में अनुचितता *(*या निष्पक्षता की कमी, यदि कोई उस वाक्यांश को पसंद करता है*)* जहां पक्षों के बीच सौदेबाजी की शक्ति की असमानता है, हालांकि परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं या परिस्थितियों के परिणामस्वरूप जो उनके निर्माण की नहीं हैं। अन्य कानूनी प्रणालियाँ भी न्यायिक कार्य की अनुमति देती हैं। समान रूप से किए गए संविदात्मक लेन-देन की समीक्षा

परिस्थितियाँ। उदाहरण के लिए, जर्मन सिविल कोड की धारा *138 (2)* में प्रावधान है कि एक लेनदेन शून्य है जब कोई व्यक्ति व्यथित स्थिति, अनुभवहीनता, निर्णय लेने की क्षमता की कमी का "शोषण" करता है। या आर्थिक लाभों का अनुदान या वादा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की इच्छा की गंभीर कमजोरी. जो स्पष्ट रूप से असमान *[2018] 5* एस. सी. आर. हैं।

बदले में दिए गए प्रदर्शन के लिए। स्थिति के अनुसार

फ्रांसीसी कानून बहुत हद तक एक ही है।

114. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या न्यायालय को समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद, अनुच्छेद को संदर्भित किया गया।

संविधान और शासनः

"यह लागू होगा जहां असमानता परिस्थितियों का परिणाम है, चाहे वह दलों के निर्माण का हो या नहीं। यह लागू होगा

ऐसी स्थिति जिसमें कमजोर पक्ष ऐसी स्थिति में हो जिसमें वह केवल मजबूत पक्ष द्वारा लगाई गई शर्तों पर माल या सेवाएं या आजीविका के साधन प्राप्त कर सकता है या उनके बिना रह सकता है। यह वहाँ भी लागू होगा जहाँ एक आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है, या बल्कि नहीं है।

सार्थक विकल्प, लेकिन किसी अनुबंध को अपनी सहमति देना या निर्धारित या मानक रूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करना या अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक समूह को स्वीकार करना, उस अनुबंध या रूप या नियमों में एक खंड कितना भी अनुचित, अनुचित और अनुचित हो सकता है। हालाँकि, यह सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ अनुबंध करने वाले पक्षों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर या लगभग बराबर है। यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है जहां दोनों पक्ष व्यवसायी हैं और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। विशाल निगमों की आज की जटिल दुनिया में उनके विशाल अवसंरचनात्मक संगठनों के साथ और राज्य के साथ इसके माध्यम से

लगभग हर शाखा में प्रवेश करने वाले उपकरण और अभिकरण
उद्योग और वाणिज्य में, ऐसी असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच अनुचित और अनुचित सौदेबाजी हो सकती है।

पूरी तरह से असमान और असमान सौदेबाजी की शक्ति रखने वाले। इन मामलों को न तो गिना जा सकता है और न ही पूरी तरह से चित्रित किया जा सकता है। अदालत को प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।

विज्ञापन फिर सेः

"जिन अनुबंधों के लिए ऊपर हमारे द्वारा तैयार किया गया सिद्धांत लागू होता है, वे ऐसे अनुबंध नहीं हैं जो अवैधता से दूषित हैं, बल्कि ऐसे अनुबंध हैं जिनमें ऐसे शब्द होते हैं जो इतने अनुचित और अनुचित होते हैं कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। वे सार्वजनिक नीति के विरोधी हैं और उन्हें अमान्य घोषित किए जाने की आवश्यकता है।

115. हमें लाभ के साथ ध्यान देना चाहिए कि उक्त मामले में, न्यायालय ने अपीलकर्ता-निगम के इस रुख को स्वीकार नहीं किया कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के साथ किया गया एक सामान्य अनुबंध था, लेकिन इसे

निगम द्वारा अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य के साथ उच्च सौदेबाजी की शक्ति के साथ एक अनुबंध के रूप में माना गया।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

116. दिल्ली परिवहन निगम *(*ऊपर*)* में, जे. बी. सी. रे ने ओ. पी. भंडारी *(*ऊपर*)* पर निर्भरता रखी, जिसने टिप्पणियों का पालन किया था। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड *(*उपरोक्त*)* में निर्मित,

और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम। देशबंधु घोष और अन्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण *(*नियुक्ति और सेवा की शर्तें*)* विनियम, *1952* के विनियम *9 (*बी*)* को संवैधानिक रूप से रखना असंभव था। जे. सावंत ने कहा कि मनमाने नियमों को हेनरी-*VIII* और स्वयं कहा जाता है। उच्च प्राधिकारी के सिद्धांत पर निर्भरता का दावा करना अस्वीकार्य था। उक्त निर्णय को इस बात को उजागर करने के लिए सेवा में लगाया गया है कि संविधान पीठ में बहुमत ने केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड *(*उपरोक्त*)* में निर्धारित सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है जो सौदेबाजी की शक्ति से संबंधित है और कैसे रोजगार का अनुबंध अनुचित हो जाता है।

117. श्री नरीमन का उपरोक्त निवेदन है -

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री द्विवेदी और श्री नाफडे ने दो मामलों पर इसका जोरदार विरोध किया, अर्थात्, मैसूर राज्य द्वारा निष्पादित "ठहराव समझौते" ने उक्त समझौते को जारी रखने की अनुमति दी और आगे, समझौते की *1947* के अधिनियम की धारा *7 (1) (*सी*)* के प्रावधान के तहत आवश्यकता के अनुसार निंदा नहीं की गई। हालाँकि हमने "ठहराव समझौते" का उल्लेख किया है और इसके एक हिस्से को उद्धृत किया है, फिर भी इस समय, अनुसूची के साथ उक्त समझौते को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना उचित हैः

"मैसूर राज्य और भारत अधिराज्य के बीच समझौता।

जबकि यह भारत के प्रभुत्व के साथ-साथ भारतीय राज्यों के लाभ और लाभ के लिए है कि मौजूदा समझौते

और सामान्य चिंता के मामलों में प्रशासनिक व्यवस्था, कुछ समय के लिए जारी रहना चाहिए, के बीच भारत का अधिराज्य या उसका कोई भाग और भारत के राज्यः

अब, इसलिए, यह मैसूर राज्य और के बीच सहमत है

भारत का अधिराज्य जोः

17 ए. आई. आर *1985* एस. सी. *722 [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. (1) जब तक इस संबंध में नए समझौते नहीं किए जाते हैं, तब तक क्राउन और किसी भी भारतीय राज्य के बीच अब मौजूद सामान्य चिंता के मामलों के बारे में सभी समझौते और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जहां तक उचित हो, भारत डोमिनियन या, जैसा भी मामला हो, उसके हिस्से के बीच जारी रहेंगी। और राज्य।

(2) विशेष रूप से, और इस खंड के उपखंड *(1)* की व्यापकता का अवमूल्यन किए बिना, ऊपर निर्दिष्ट मामलों में इस समझौते की अनुसूची में निर्दिष्ट मामले शामिल होंगे।

2. इस समझौते से या इसके द्वारा जारी समझौतों या व्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई

गवर्नर जनरल या गवर्नर के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थता के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जिसका निपटारा मध्यस्थता द्वारा, जहां तक हो सके, भारतीय की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

मध्यस्थता अधिनियम, *1899*।

3. इस समझौते में किसी भी सर्वोच्चता कार्यों का प्रयोग शामिल नहीं है।

अनुसूची

1. वायु संचार

4. मुद्रा और मुद्रा *5.* सीमा शुल्क

6. भारतीय राज्य बल *7.* विदेशी मामले।

8 . प्रत्यर्पण

9. आयात और निर्यात नियंत्रण।

10. सिंचाई और बिजली

11. मोटर वाहन *12.* राष्ट्रीय राजमार्ग

13. अफीम

14. डाक, तार और टेलीफोन *15.* रेलवे

16. नमक *17.* केंद्रीय राजकोष, दोहरी आय से राहत-कर और अन्य

कराधान से संबंधित व्यवस्थाएँ।

18. वायरलेस "।

[रेखांकित करना हमारे द्वारा है*]* कर्नाटक का राज्य इसके प्रमुख सचिव बनाम। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

118. इस स्तर पर, हम धारा के प्रावधान को भी पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

*7 (1) ((*ग*) 1947* के अधिनियम का। यह इस प्रकार हैः

" बशर्ते कि, पैराग्राफ *(*बी*)* में कुछ भी होने के बावजूद या

इस उप-धारा के पैराग्राफ *(*सी*)* का प्रभाव, जितना हो सके उतना होगा।

ऐसे किसी भी समझौते के प्रावधानों को जारी रखा जाए

जैसा कि उसमें संदर्भित है जो रीति-रिवाजों, पारगमन और
संचार, डाक और तार, या इसी तरह के अन्य मामले, जब तक

विचाराधीन प्रावधानों की शासक द्वारा निंदा की जाती है

भारतीय राज्य या जनजातीय क्षेत्रों में अधिकार रखने वाला व्यक्ति

एक हाथ से, या अधिराज्य या प्रांत या उसके अन्य भाग से

दूसरी ओर संबंधित, या बाद के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं

समझौते "।

[जोर दिया गया*]*

119. अभिलेख पर साक्ष्य की गहन जांच पर, कोई नहीं है

इस बात का प्रमाण है कि मैसूर राज्य ने संबंधित समय पर समझौते की निंदा की थी। हम पहले ही सर्वोपरि के सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं और यह कैसे समझौतों की इन श्रेणियों पर लागू नहीं होता है। श्री नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करेंगे कि सर्वोपरि के सिद्धांत के वाष्पीकरण के कारण समझौते का स्वचालित विलुप्त होना एक बात है और समझौते को असहनीय मानने के लिए उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता काफी अलग पहलू है। जैसा कि पहले कहा गया था, समझौते *1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद या *1947* के अधिनियम के लागू होने के बाद अपने आप समाप्त नहीं हुए।

हो सकता है कि *1892* या *1924* में अस्तित्व में न रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से, सौदेबाजी करने या चुनने की उक्त शक्ति *1947* के अधिनियम के बाद और निस्संदेह, संविधान के अस्तित्व में आने के बाद जीवित हो गई। हालाँकि, कर्नाटक राज्य ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो इसने फीनिक्स की तरह नहीं उठना चुना, बल्कि इसके विपरीत, इसने प्रासंगिक समय पर स्फिंक्स की तरह मौन बनाए रखा। इसलिए, हम इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि समझौतों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि असहनीयता।

K. राज्यों के लागू होने के बाद समझौतों की स्थिति

पुनर्गठन अधिनियम, *1956*

120. निर्वाह और निरंतरता को चुनौती देना

समझौतों के बाद श्री नरीमन के समर्पण का अगला अंग यह है कि *[2018] 5* एस. सी. आर. के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, *1956 (*संक्षेप में *"*पुनर्गठन अधिनियम*")* के लागू होने के बाद, समझौते नए राज्यों के लिए विलुप्त हो गए।

गठित मैसूर राज्य *1924* के समझौते से बाध्य नहीं था क्योंकि भाग बी मैसूर राज्य ने मद्रास राज्य के साथ कोई समझौता नहीं किया था। उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मैसूर का भाग बी राज्य नया मैसूर राज्य नहीं था और पुनर्गठन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि केवल नए मैसूर राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले अधिकारों, जिम्मेदारियों, देनदारियों और दायित्वों का उल्लेख मिलता है, लेकिन *1924* के समझौते के तहत अधिकारों और दायित्वों का कोई संदर्भ नहीं है। आगे विस्तार से बताते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि *1924* के समझौते के तहत अधिकार और दायित्व भाग बी राज्य मैसूर पर हस्तांतरित हो सकते हैं, लेकिन इसे भाग बी राज्य मैसूर द्वारा कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए समझौते के रूप में नहीं माना जाएगा।

121. श्री नरीमन ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा *7* का उल्लेख इस बात पर प्रकाश डालने के लिए किया है कि धारा के तहत निहित प्रावधानों के कारण *7* उक्त अधिनियम के अनुसार, मैसूर के नए राज्य को भारतीय शासक के दायित्वों के संबंध में उत्तराधिकारी राज्य नहीं माना जा सकता है।

1892 और *1924* के समझौतों के तहत मैसूर राज्य। उचित परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए, हम प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। वह इस प्रकार हैः

" धारा *7.* एक नए मैसूर राज्य का गठन। *% (1)* नियत दिन से, एक नए राज्य का गठन किया जाएगा जिसे मैसूर राज्य के रूप में जाना जाएगा जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगेः

अर्थात्ः *%*

(क*)* मैसूर के मौजूदा राज्य के क्षेत्र*;*
(ख*)* मौजूदा बॉम्बे राज्य में चांदगढ़ तालुका और बीजापुर, धारवाड़ और कनारा जिलों को छोड़कर बेलगाम जिला*;*

(ग*)* कोडंगल और तंदूर तालुकों को छोड़कर गुलबर्गा जिला, आलमपुर और गडवाल तालुकों को छोड़कर रायचूर जिला और अहमदपुर, निलंगा और उदगीर तालुकों और कुछ हिस्सों को छोड़कर बीदर जिला।

धारा *3* की उप-धारा *(1)* के खंड *(*घ*)* में विनिर्दिष्ट

हैदराबाद का मौजूदा राज्य*;*

(घ*)* राज्य में कासरगोड तालुक और अमिनदीवी द्वीप समूह और कोयंबटूर जिले के कोल्लेगल तालुक को छोड़कर दक्षिण कनारा जिला।

मद्रास; और अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(ई) मौजूदा कुर्ग राज्य के क्षेत्र;

और उसके बाद उक्त क्षेत्र क्रमशः मैसूर, बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास और कुर्ग के उक्त मौजूदा राज्यों का हिस्सा नहीं बनेंगे।

(2) मौजूदा कुर्ग राज्य में शामिल क्षेत्र एक अलग जिला बनाएगा जिसे कुर्ग जिले के रूप में जाना जाएगा और उक्त कोल्लेगल तालुक को इसमें शामिल किया जाएगा और इसका हिस्सा बन जाएगा।

मैसूर जिला, मैसूर के नए राज्य में।

122. विद्वान वरिष्ठ वकील ने एकीकरण पर जोर दिया है

विभिन्न राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों को अलग करना और कुछ क्षेत्रों को अलग करना और उस आधार पर एक संरचित तर्क दिया गया है कि उत्तराधिकारी राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री द्विवेदी तर्क देंगे कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां एक संप्रभु राज्य का क्षेत्र दूसरे संप्रभु राज्य में शामिल हो गया हो। यह विलय का मामला है जहां एक स्थिति प्राप्त हुई कि मैसूर राज्य ने *1924* के समझौते को स्वीकार कर लिया था और यह संविधान के अनुच्छेद *295 (2)* के तहत संवैधानिक रूप से एक भाग बी राज्य बना रहा। नए राज्यों के गठन और संसदीय कानून के तहत मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से अधिकारों और देनदारियों में कोई बदलाव नहीं आया और जब तक वे संशोधित, परिवर्तित या बाध्यकारी नहीं हैं, तब तक उत्तराधिकारी राज्य पर लागू और बाध्यकारी बने रहे।

अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वैधानिक स्वीकृति के बीच अंतर किया है। और नए राज्य द्वारा मान्यता जो स्पष्ट या निहित हो सकती है। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने मेसर्स में लिए गए निर्णयों को लागू करने पर जोर दिया है।

डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त *1 8*, अमर चंद बुटैल बनाम। भारत संघ और अन्य; और फर्म बंशीधर प्रेमसुखदास बनाम। राजस्थान राज्य *20.* भेद करते हुए उपरोक्त मुद्दे पर, उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि यह मामला ऐसा नहीं है जहां संप्रभु राज्य को किसी अन्य संप्रभु राज्य में शामिल किया गया हो या उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया हो और इसलिए, पंजाब और अन्य राज्य के सिद्धांत। वी. बलबीर सिंह और *Ors.*[21], रंजन सिन्हा बनाम। अजय कुमार

विश्वकर्मा *2 2*, स्टेट ऑफ एम. पी. *v.* भोपाल चीनी उद्योग *Ltd.*[2][3] *23* लागू हैं। *18* आकाशवाणी *1958* एससी *816*

19 ए. आई. आर *1964* एस. सी. *1658*

20 ए. आई. आर *1967* एस. सी. *40*

21 (1976) 3 एससीसी *242*

22 2017 (7) SCLAE 234 *23 1964 (6)* एससीआर *846 [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चंडीगढ़ और हस्तांतरित क्षेत्र अस्तित्व में आया। द.उत्तरदाताओं की सेवा शर्तों से संबंधित विवाद। न्यायालय ने शब्दकोश खंड और *1966* के अधिनियम की धारा *88* का उल्लेख किया

और इस प्रकार रखने के लिए आयाः

"अधिनियम की धारा *2* के खंड *(जी)* में कानून को यह कहने के लिए परिभाषित किया गया हैः

"'विधि' में कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, आदेश,

उप-कानून, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य लिखत, जो नियत दिन से तुरंत पहले, पूरे पंजाब राज्य में या मौजूदा पंजाब राज्य के किसी भी हिस्से में कानून का बल हो।

उन कानूनों को निरस्त करने या निरस्त करने में जो उन क्षेत्रों में नियत दिन से तुरंत पहले लागू थे। *1966* के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि धारा *88* में भी नहीं है, जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से उन कानूनों को निरस्त करता है जो लागू थे।
पूर्व पंजाब के क्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले। उन कानूनों ने *1966* के अधिनियम से अपना प्रभाव प्राप्त किया। धारा *88* का पहला भाग केवल किसी भी विषय का स्पष्टीकरण है।

संदेह जो पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं

पंजाब, जबकि इस धारा का अंतिम भाग केवल एक अनुकूली प्रावधान है, इस प्रभाव के लिए कि पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भों का अर्थ नियत दिन से तुरंत पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्र बने रहेंगे। इस प्रकार, पूरी धारा *88* केवल उन कानूनों की निरंतरता के बारे में संदेह को दूर करती है जो पूर्व पंजाब राज्य में नियत दिन से पहले लागू थे, जब तक कि उत्तराधिकारी राज्यों की सक्षम विधायिका या प्राधिकरण उनमें कोई बदलाव नहीं करती है।

कानून "। कर्नाटक का ताटे इसके प्रमुख सचिव वी। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

और फिर सेः

"हमारे निर्णय में जब संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह केवल एक के पुनर्गठन द्वारा क्षेत्रों का समायोजन है

विशेष राज्य, द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश
पूर्ववर्ती राज्य की सरकार तब तक प्रभावी और बाध्यकारी बनी रहती है जब तक कि उन्हें उत्तराधिकारी

राज्यों की सरकारों द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किया जाता है। कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण केवल नए राज्यों के प्रशासन में अराजकता लाएगा। हम इस रुख के समर्थन में कोई सिद्धांत नहीं पाते हैं कि सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक आदेश

पूर्ववर्ती राज्य स्वचालित रूप से समाप्त हो गया और प्रस्तुत किया गया

नए उत्तराधिकारी राज्यों के अस्तित्व में आने पर अप्रभावी।

124. रंजन सिन्हा *(ऊपर)* में, विवाद अविभाजित बिहार राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रयोज्यता के इर्द-गिर्द घूमता था।

विभाजित राज्य जो हर पुनर्गठन अधिनियम, *2000 (*संक्षेप में, *"2000* अधिनियम*")* के आधार पर अस्तित्व में आए हैं। विवाद सेवा शर्तों से भी संबंधित था। यह मुद्दा झारखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष उठा कि कौन सा कानून लागू था और अंततः,

अधिनियम की जांच करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया किः

" 6. अधिनियम और बी. आर. ओ. ए. के लागू प्रावधानों पर विस्तृत विचार करने पर झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शिक्षा विनियम, इन पर लागू होते हैं -

पूर्ववर्ती बिहार, बी. आर. ओ. ए. की धारा *84* और *85* के संदर्भ में नए राज्य झारखंड के लिए कानून है और इसलिए जब तक कि कोई व्यक्ति शिक्षा नियमों के अनुसार योग्य है, खुद को प्राप्त नहीं कर सकता है

पंजीकृत। यह निम्नानुसार देखा गया था -

अधिनियम की धारा *10* के तहत, जो अधिनियम के भाग *II* में थी, कि अधिनियम और शिक्षा विनियम दोनों इसलिए शिक्षा विनियमों के संशोधन से बने झारखंड राज्य के उद्देश्य के लिए कानून का गठन करते हैं या सक्षम विधानमंडल, अर्थात् संसद द्वारा फार्मेसी अधिनियम कि राज्य *[2018] 5* एस. सी. आर. द्वारा भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

विधानमंडल और झारखंड में और जब तक कि कोई व्यक्ति नहीं था

शिक्षा विनियमों के संदर्भ में योग्य, वह रजिस्टर में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके। हम काफी पाते हैं
इस समर्पण में बल। यह सच है कि झारखंड को *15.11.2000* से अलग किया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा *84* के आधार पर फार्मेसी अधिनियम और शिक्षा विनियम लागू हुए। सक्षम विधानमंडल द्वारा अधिनियम या शिक्षा विनियमों में से किसी में भी किसी भी संशोधन, परिवर्तन या निरसन के अभाव में, यह नहीं हो सकता था

यह अभिधारणा की गई कि केवल झारखंड राज्य के गठन पर कानून लागू नहीं हुआ था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा *84*, हमारे विचार में, स्पष्ट है। इसके अलावा, न्यायालय के लिए कानून रहित राज्य पर विचार करना संभव नहीं है। यदि प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार किया जाना था, तो स्थिति यह होगी कि फार्मेसी से संबंधित या मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्यता के संबंध में कोई कानून नहीं था।

झारखंड राज्य में फार्मासिस्ट और यह अभी बनाया जाना बाकी है। दूसरे शब्दों में, जब तक इसे नहीं बनाया जाता, तब तक एक निर्वात रहेगा। इस तरह का तर्क, जब तक मजबूर नहीं किया जाता है, स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अब झारखंड राज्य का गठन करने वाले क्षेत्र मूल रूप से बिहार राज्य का हिस्सा थे, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा *85* के संदर्भ में घोषित और अपनाए गए अधिनियम और शिक्षा विनियमों द्वारा शासित थे। पुनर्गठन अधिनियम की यह योजना इस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप है कि एक बार किसी क्षेत्र पर लागू किया गया कानून उस क्षेत्र पर तब तक लागू रहता है जब तक कि उसके आवेदन को सक्षम विधानमंडल या प्राधिकरण द्वारा निरस्त या समाप्त नहीं किया जाता है या उसके स्थान पर उस ओर से अधिनियमित किसी अन्य कानून द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा *10* के तहत प्रख्यापित और अधिनियम की धारा *11* के संदर्भ में अपनाए गए शिक्षा विनियम विचाराधीन क्षेत्र में लागू होते रहते हैं। भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अपने अतिरिक्त काउंटर में अपनाया गया रुख भी है।

शपथ पत्र। हम उक्त स्थिति को कानून में टिकाऊ पाते हैं।

125. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि प्रत्येक राज्य के पास अपने दम पर फार्मासिस्टों का पहला रजिस्टर होना चाहिए जैसा कि अनिवार्य है

अधिनियम की धारा *30* और *31* जो एक स्पष्ट प्रावधान है और यदि न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उक्त प्रावधान अनावश्यक हो जाते हैं। अधिनियम के प्रावधानों और पहले के विनियमों को ध्यान में रखते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

"25. संविधान का अनुच्छेद *3* अन्य बातों के साथ-साथ संसद को कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद *4* इस आशय का है कि संसद द्वारा संदर्भ के साथ बनाया गया कानून

अनुच्छेद *3* में पूरक, परिणामी और

आनुषंगिक प्रावधान। जब संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जाता है, तो क्या मौजूदा राज्य द्वारा बनाए गए कानून, जिसमें से एक नया राज्य बनाया गया है, नए राज्य में शामिल क्षेत्रों पर लागू होते रहते हैं? जब संसद द्वारा मौजूदा राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाता है तो संप्रभुता में कोई बदलाव नहीं होता है। यह केवल मौजूदा राज्य में कुछ क्षेत्रों को नवगठित राज्य में स्थानांतरित करके क्षेत्रों का समायोजन है। इसलिए, वे सभी कानून जो पुनर्गठित राज्य के क्षेत्रों पर लागू होते थे, नए राज्य को हस्तांतरित किए गए क्षेत्रों पर तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि बाद वाला या तो अपनी योग्यता को स्वीकार नहीं कर लेता या अपनी क्षमता के अधीन नहीं हो जाता।

मौजूदा और लागू कानूनों में संशोधन या निरसन करता है। "

126. गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने बलबीर सिंह पर भरोसा किया

) और शेर सिंह और अन्य बनाम। पंजाब के वित्तीय आयुक्त और अन्य *2 4* और शासन करने के लिए आगे बढ़ेः

"35. जब भारतीय राष्ट्र के हिस्से के रूप में किसी राज्य को फिर से संगठित किया जाता है, तो कानून में जहां तक कानूनों के लागू होने का संबंध है, निम्नलिखित तीन चीजें होंगीः *(i)* मौजूदा राज्य *(*मूल राज्य*)* जिसने विभिन्न कानून बनाए हैं, अस्तित्व में रहेगा*; (ii)* कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित करके इस तरह से बनाया गया नया राज्य - इस उद्देश्य के लिए मूल राज्य के क्षेत्र माने जाते हैं

कानूनों की प्रयोज्यता*;* और *(iii)* मूल राज्य द्वारा बनाए गए वे कानून नए राज्य पर तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि उन्हें नए राज्य के संबंध में एक सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या संशोधित नहीं किया जाता है और परिभाषा में परिभाषित 'कानून' खंड होगा -

कानून जो मौजूदा राज्य में लागू था जो होगा नवगठित राज्य में लागू करने योग्य।

36. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद *3* के तहत संसद परिवर्तन, संशोधन, समामेलन कर सकती है।

नए राज्यों का गठन, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना या बढ़ाना। जब संविधान के अनुच्छेद *3* के तहत पुनर्गठन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में लागू 'क्लीन स्लेट' का सिद्धांत लागू नहीं होता है। *17* पुनर्गठित राज्य आम तौर पर शुरू नहीं करते हैं।

) 2 एस. सी. सी. *439 [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तबला रस के रूप में, बल्कि वे पहले से मौजूद पूर्ववर्ती राज्यों के उत्तराधिकारी हैं। बी. आर. ओ. ए. के तहत, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था और दो अलग-अलग राज्य *15.11.2000* पर अस्तित्व में आए थे। यदि विभाजन के दिन ही लागू कानून समाप्त हो जाते, तो एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती क्योंकि नवनिर्मित राज्य बिना कानून वाला राज्य बन जाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बी. आर. ओ. ए. की धारा *84* और *85* जैसे प्रावधानों को निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया है और साथ ही राज्यों को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

संशोधन और अनुकूलन जो केवल दो वर्षों के भीतर आदेश जारी करके आवश्यक माने जाते हैं, और उसके बाद

कानून।

37. जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है, 'कानून' में 'कानून के बल वाले अन्य उपकरण' शामिल हैं। 'सम्मिलित' शब्द के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, धारा *2 (*च*)* के तहत 'कानून' की परिभाषा की व्याख्या की जाएगी।

पूरी तरह से। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि बिहार द्वारा तैयार किए गए प्रथम रजिस्टर में बी. आर. ओ. ए. की धारा *2 (*एफ*)* के तहत *13* पर कानून का बल है।

127. वर्तमान मामले में, दो प्रावधान, अर्थात् *1956* के पुनर्गठन अधिनियम की धारा *107* और *119*, स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं

परिसंपत्तियों और देनदारियों की निरंतरता। इसके अलावा, *1956* के बाद नए मैसूर राज्य ने समझौते को मान्यता दी और लागू किया और किसी भी मामले में, इसे अस्वीकार नहीं किया। और सभी संभावनाओं में, राज्य ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यह अंतर-राज्य जल से संबंधित था और संसद ने पुनर्गठन अधिनियम में इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया था।

128. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने "प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य" को परिभाषित करने वाली धारा *2 (एम)*, धारा *2 (ओ)* को परिभाषित करने के लिए संदर्भित किया है

"उत्तराधिकारी राज्य "और धारा *5* यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि केरल राज्य मद्रास राज्य को हस्तांतरित क्षेत्रों को छोड़कर पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य-कोच्चि का प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य बन गया था और मद्रास से हस्तांतरित किए गए क्षेत्रों के संबंध में एक उत्तराधिकारी राज्य भी था और इसलिए समझौते उस पर बाध्यकारी होंगे, क्योंकि काबिनी और भवानी नदियों के हिस्से सहित कावेरी बेसिन मालाबार जिले में था, जिसे उसे हस्तांतरित कर दिया गया था। इसने पुनर्गठन अधिनियम की धारा *87* का भी उल्लेख किया, जिसके तहत किसी मौजूदा राज्य द्वारा अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियत दिन से पहले किया गया कोई भी अनुबंध उत्तराधिकारी राज्य या राज्यों या कर्नाटक के प्रमुख राज्य की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया माना जाता था।

उत्तराधिकारी राज्य, जैसा भी मामला हो। इसके संदर्भ में, न्यायाधिकरण ने विश्लेषण किया कि *1892* और *1924* के समझौते मद्रास द्वारा किए गए थे।

इसलिए, यह माना जाता था कि तत्कालीन मैसूर राज्य के साथ उन क्षेत्रों की ओर से प्रवेश किया गया था जो मालाबार जिले सहित मद्रास राज्य के क्षेत्रों के भीतर थे और इसके परिणामस्वरूप, अधिकार और देनदारियाँ जो मद्रास को एक मौजूदा राज्य के रूप में अर्जित हुई थीं।

इसके संबंध में राज्य उत्तराधिकारी राज्य यानी केरल राज्य के अधिकार और देनदारियां होगी। न्यायाधिकरण ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि केरल राज्य को नदी के पानी के बंटवारे के मामले में दोनों समझौतों के नियमों और शर्तों से बंधा हुआ माना जाएगा

सीमाएँ अस्तित्व में आईं, समझौतों की अनुमति नहीं दी जा सकती थी निरंतरता में रहें। धारा *2 (ई)*, *2 (जे)*, *2 (एम)* और *2 (0)*, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:

> "धारा *2 (ई)* "संबंधित राज्य" का अर्थ है, नए राज्य बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब के संबंध में या
>
> राजस्थान, इसी नाम का मौजूदा राज्य, और नए राज्य केरल के संबंध में, मौजूदा राज्य त्रावणकोर
>
> कोचीन;
>
> *(* जे*)* "अधिसूचित आदेश" का अर्थ है आधिकारिक में प्रकाशित आदेश।
>
> राजपत्रः

(एम*)* "प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य" का अर्थ है

((i) बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास या राजस्थान के मौजूदा राज्य के संबंध में, इसी नाम का राज्य; और

((ii) हैदराबाद, मध्य भारत और त्रावणकोर कोचीन के मौजूदा राज्यों के संबंध में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश

क्रमशः प्रदेश और केरल;

वर्तमान राज्य को भाग *II* के प्रावधानों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और इसमें मौजूदा मद्रास राज्य के संबंध में यह भी शामिल है कि
कथित प्रावधानों और संघ द्वारा क्षेत्रीय रूप से परिवर्तित राज्य; '

130. धारा *108,* जिस पर तमिलनाडु राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री द्विवेदी ने भरोसा किया है, इस प्रकार हैः

" धारा *108*। समझौतों की निरंतरता और

कुछ सिंचाई, बिजली या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित व्यवस्थाएँ। *% (1)* केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक मौजूदा राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक मौजूदा राज्यों के बीच किया गया कोई समझौता या व्यवस्था

(क*)* प्रशासन, रखरखाव और संचालन

निर्धारित दिन से पहले निष्पादित परियोजना, या

(ख*)* लाभों का वितरण, जैसे कि, जल या विद्युत शक्ति प्राप्त करने और उपयोग करने का अधिकार, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाना है -

ऐसी परियोजना का निष्पादन,

जो नियत दिन से ठीक पहले अस्तित्व में था, वह ऐसे अनुकूलन और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू रहेगा, यदि कोई हो *(*समझौते या व्यवस्था के सामान्य संचालन को प्रभावित करने वाले चरित्र का न हो*)* जिस पर केंद्र सरकार और उत्तराधिकारी राज्य के बीच सहमति हो। संबंधित या संबंधित उत्तराधिकारी राज्यों के बीच, जैसा भी मामला हो, नवंबर, *1957* के पहले दिन तक, या यदि उक्त तिथि तक कोई समझौता नहीं हुआ है, जैसा कि केंद्र सरकार के आदेश से किया जा सकता है।

(2) जहां भाग *2* के प्रावधानों से प्रभावित एक या अधिक मौजूदा राज्यों से संबंधित परियोजना हाथ में ली गई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है, या भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई है। निर्धारित दिन से पहले दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए, न तो परियोजना का दायरा और न ही इसके प्रशासन, रखरखाव या संचालन या इससे प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण से संबंधित प्रावधान अलग-अलग होंगे।

(क) उस मामले में जहां एक एकल उत्तराधिकारी राज्य निर्धारित दिन के बाद परियोजना से संबंधित है, सिवाय केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के, और *(ख)* उस मामले में जहां दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी राज्य उस दिन के बाद परियोजना से संबंधित हैं, सिवाय उन उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समझौते के, या यदि कोई समझौता नहीं हुआ है,

सिवाय उस तरीके के जिसके द्वारा केंद्र सरकार सीधे ऑर्डर करें,

और केंद्र सरकार समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसे अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक के देय ई के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

परियोजना को पूरा करने और इसके प्रशासन, रखरखाव के लिए

और उसके बाद ऑपरेशन।

(3) इस खंड में, "परियोजना" पद का अर्थ है सिंचाई, जलापूर्ति या जल निकासी को बढ़ावा देने के लिए या

विद्युत शक्ति का विकास या विनियमन या किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी का विकास।

पुनर्गठन अधिनियम, *1956* की धारा *119* इस प्रकार है:

"धारा *119*। कानूनों की क्षेत्रीय सीमा। के प्रावधान यह नहीं माना जाएगा कि भाग-*2* ने उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया है जिन पर इससे ठीक पहले कोई कानून लागू था।

नियत दिन का विस्तार या लागू होता है, और किसी मौजूदा राज्य के लिए ऐसी किसी कानून में क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है,

जिसका अर्थ है उस राज्य के भीतर के क्षेत्र जो तुरंत

नियत दिन से पहले।

131. इस पर प्रभाव डालते हुए, श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कानून के संचालन द्वारा सहायता प्रावधानों ने *1924* का समझौता किया।

व्यवहार्य और लागू करने योग्य। उनके अनुसार, अधिकार और

1924 के समझौते के तहत संविधान के अनुच्छेद *295 (2)* के तहत मैसूर को भाग बी राज्य के रूप में संवैधानिक रूप से जारी रखा गया है। ई *295* निम्नानुसार है:

अन्य मामलों में देनदारियाँ और दायित्व *(1)* इस संविधान के प्रारंभ से

((क) ऐसी सभी संपत्तियाँ और परिसंपत्तियाँ जो इससे ठीक पहले

प्रारम्भ पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट राज्य के अनुरूप किसी भी भारतीय राज्य में निहित था, संघ में निहित होगा, यदि वे उद्देश्य जिनके लिए ऐसी संपत्ति और परिसंपत्तियां हैं।

इस तरह की शुरुआत से तुरंत पहले आयोजित किया गया था

इसके बाद संघ के किसी भी उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य होंगे

संघ सूची में सूचीबद्ध मामले, और

((ख) पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट राज्य के अनुरूप किसी भी भारतीय राज्य की सरकार के सभी अधिकार, देनदारियां और दायित्व, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों या

अन्यथा, *[2018] 5* एस. सी. आर. के अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार, यदि वे उद्देश्य जिनके लिए ऐसे अधिकार अर्जित किए गए थे या देनदारियाँ या दायित्व पहले किए गए थे

इस तरह के आरंभ के बाद के उद्देश्य होंगे

तत्पश्चात प्रारंभ की सरकार के उद्देश्य होंगे -

किसी भी मामले से संबंधित भारत सरकार

संघ सूची में सूचीबद्ध,

द्वारा उस ओर से किए गए किसी भी समझौते के अधीन

उस राज्य की सरकार के साथ भारत सरकार

(2) उपरोक्त विषय के अधीन, पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रारंभ से ही,

इस संविधान की सरकार के उत्तराधिकारी बनें

सभी संपत्ति और परिसंपत्तियों के संबंध में संबंधित भारतीय राज्य

और सभी अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों या अन्यथा, खंड *(1)* में निर्दिष्ट अधिकारों के अलावा।

132. अनुच्छेद *295 (2)* पर जोर दिया गया है। श्री द्विवेदी के अनुसार, पुनर्गठन अधिनियम के तहत, मौजूदा अधिकार और देनदारियाँ

और मौजूदा कानूनों को तब तक लागू किया जाता है और उत्तराधिकारी राज्य पर बाध्यकारी बना रहता है जब तक कि उन्हें उत्तराधिकारी राज्य द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किया जाता है। यह उनका आगे का निवेदन है कि मैसूर के मामले में, भाग बी मैसूर और कुर्ग के क्षेत्र अकेले कावेरी बेसिन में हैं और भाग

बी मैसूर में काम करने वाले कानून *1924* के समझौते के तहत मैसूर के लिए सुरक्षित कावेरी के पानी के बंटवारे के लिए जारी रहेंगे। यदि नए मैसूर राज्य के गठन के बाद कुर्ग के हित को सुरक्षित किया जाना था, तो धारा *107* और *119* के प्रावधानों में शामिल थे।

एक ही। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि न तो केंद्र सरकार और न ही मैसूर राज्य ने अन्यथा कार्य किया और समझौता लागू रहा। *133.* हम यहां स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि पुनर्गठन अधिनियम के बाद कोई विवाद उठाया गया था

नवगठित राज्यों द्वारा समझौते को उलटने के लिए। जैसा कि तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, यह जारी रहा। श्री द्विवेदी, इस संबंध में, तर्क देंगे कि कर्नाटक राज्य ने कानूनी पर सवाल उठाने के अपने अधिकार को छोड़ दिया था। समझौते की स्थिरता और छूट की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने भी इसे स्वीकार किया है। हमें नहीं लगता कि इस पहलू पर वापस जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक तथ्य है कि पुनर्गठन अधिनियम, *1956* के प्रभाव में आने के बावजूद विनियमों के साथ दोनों समझौते लागू रहे।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

एल. समझौतों की समाप्ति से संबंधित मुद्दा

134. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि *1924* का समझौता एक ऐसा समझौता नहीं था जिसके लिए सकारात्मक या अनिवार्य समझौते की आवश्यकता थी। दोनों राज्यों में से किसी एक द्वारा निरसन के साथ आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक कार्य, लेकिन इसके विपरीत, इसे जारी रखने के लिए एक आम सहमति पर पहुंचने के लिए और यदि समझौते के खंडों की अध्ययनात्मक रूप से जांच की जाती है या

समग्र रूप से एक उपकरण के रूप में प्रशंसित, इसका जीवन काल *50* वर्ष है और यह निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, कल्पना के किसी भी विस्तार से जारी नहीं रह सकता था। वे तर्क देंगे कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान पीठ ने दो बार कहा है कि दोनों समझौते समाप्त हो गए हैं और समीक्षा या संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं है यह तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर किया गया था और ठीक ही था, क्योंकि समझौते से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था कि समझौते की अवधि समाप्त हो गई थी। श्री नरीमन के उक्त निवेदन का श्री नाफड़े ने गंभीर विरोध किया है।

और श्री द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने राष्ट्रपति के संदर्भ के आधार पर इन री में जवाब दियाः राष्ट्रपति का संदर्भ

(कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*)*। यह भी आग्रह किया जाता है कि यह मुद्दा समझौतों की समाप्ति के संबंध में नहीं उठा और न्यायालय ने इसे संबोधित नहीं किया है और इसलिए, इसे उक्त मुद्दे पर निर्णय के रूप में नहीं माना या माना जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि केवल इसलिए कि अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि

समझौतों की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसे निर्णय के अनुपात का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

समझौते की अवधि की समाप्ति के उद्देश्य के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाता है, समझौते के खंड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि *1924* का समझौता *50* साल की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाता है। उक्त प्रयोजन के लिए,

अनुच्छेद *10 (xi)* में प्रयुक्त भाषा पर जोर दिया गया है। समझौता। हम पहले ही समझौते को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं और इसलिए, इस स्तर पर, यह प्रतिबिंबित करना उपयुक्त है कि न्यायाधिकरण ने क्या किया है।

समझौते को समझें। पुरस्कार को पढ़ने पर, यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायाधिकरण ने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के साथ उक्त समझौते के विभिन्न खंडों का विस्तार से विश्लेषण किया है जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। और विशेष रूप से खंड *10 (xi)* पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें एक प्रक्रिया पर विचार किया गया था

इसके निष्पादन की तारीख से *50* वर्ष की समाप्ति पर पुनर्विचार। *136.* न्यायाधिकरण, *50* वर्ष की समाप्ति पर समझौते के निर्वाह या अन्यथा पर प्रतिद्वंद्वी दलीलों के संदर्भ में *[2018] 5* एस. सी. आर.

इसके निष्पादन से, सूक्ष्मता से नोट किया गया कि निर्विवाद रूप से दोनों राज्यों द्वारा उक्त अवधि के बाद उसमें उल्लिखित विभिन्न नियमों और शर्तों के संबंध में संशोधन या जोड़ के प्रश्न पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया था। इसने तमिलनाडु राज्य की याचिका का भी उल्लेख किया कि खंड *10 (xi)* के अनुसार, पुनर्विचार, यदि कोई हो, तो केवल खंड *10 (iv)* से *10 (viii)* की शर्तों तक सीमित था, न कि खंड *10 (ii)* जो मैसूर सरकार को कृष्ण राजा सागर जलाशय से पानी के निर्वहन को अनुबंध *I* में निर्धारित विनियमन नियमों के अनुसार सख्ती से विनियमित करने का आदेश देता है। तथापि, न्यायाधिकरण ने सुसंगत खंडों की जांच और उनके संयोजन पर उक्त याचिका को अस्वीकार कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि खंड *10 (ii)* खंड *10 (iv)* से खंड *10 (viii)* से जुड़ा हुआ है और इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इस निर्धारण पर पहुँचते हुए, न्यायाधिकरण ने उन सिंचाई क्षेत्रों को नोट किया जिन्हें दोनों द्वारा करने की अनुमति दी गई थी

जिन सरकारों को उसी विषय को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की स्वतंत्रता है जैसा कि उल्लेख किया गया है और विशेष रूप से खंड *10 (vii)* में निहित आदेशों पर जोर दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि *50* वर्षों के बाद खंड *10 (xi)* के संदर्भ में, खंड *10 (iv)* से खंड *10 (viii)* में निर्दिष्ट सीमा और व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना है, तो

समझौते के अनुलग्नक *1* को बनाने वाले कृष्ण राजा सागर जलाशय के लिए विनियमन के नियमों और खंड *10 (vii)* में उल्लिखित नियमों को इस तरह के पुनर्विचार के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने सोचा कि यह और भी अधिक है क्योंकि खंड *10 (vii)* के संदर्भ में, मैसूर सरकार ने सहमति व्यक्त की थी कि खंड *(iv)* में निर्दिष्ट अपने क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार केवल *1892* के समझौते की अनुसूची ए में उल्लिखित कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित जलाशयों के माध्यम से किया जाएगा; ऐसे जलाशयों की प्रभावी क्षमता *45,000* मिलियन क्यूबिक फीट होनी थी। कुल मिलाकर; उसमें ज़ब्त करने को इस तरह से विनियमित किया जाना था कि समझौते के अनुलग्नक *I* को बनाने वाले कृष्ण राजा सागर जलाशय के लिए विनियमन के नियमों में स्वीकार किए गए गेज द्वारा दर्ज आपूर्ति में कोई सामग्री की कमी न हो और ऐसे जलाशयों को काम करने के लिए नियम इस तरह बनाए जाने थे ताकि किसी भी नुकसान को कम किया जा सके।

5 प्रतिशत के भीतर अभिग्रहण अवधि के दौरान, उपयुक्त अनुपात कारकों, अभिग्रहण सूत्र या ऐसे अन्य साधनों को अपनाकर जिनका निपटारा किया जाना था। न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष तमिलनाडु राज्य की ओर से प्रस्तुत दलीलों के टिप्पणियों का उल्लेख किया जिसमें संकेत दिया गया था कि *1934-1935* से *38* वर्षों के लिए मेट्टूर में औसत प्रवाह *377.1* टी. एम. सी. निम्नलिखित विभाजन के साथ तीन स्रोतों द्वारा सेवा प्रदान की गई थीः

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

" (i) के. आर. एस. से, के. आर. एस. के विनियमन नियमों के अनुसार अनुलग्नक *1*

1924 का समझौता

- 159.780 टीएमसी

((ii) कबिनी से

112.615 टीएमसी

(iii) के. आर. एस. से नीचे मध्यवर्ती जलग्रहण के लिए योगदान और

काबिनी में हुलाहल्ली एनीकट के नीचे से *25* टी. एम. सी.

तमिलनाडु में मेट्टूर के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र

- 104.746 टीएमसी

कुल-*377.141 TC "*

137. इसने पाया कि यदि पुनर्विचार केवल इन तक सीमित होना था -

खंड *10 (iv)* से *(viii)* में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, तार्किक परिणाम यह होगा कि किसी भी संशोधन की स्थिति में, कर्नाटक राज्य के लिए केवल कृष्ण राजा सागर जलाशय से निर्वहन के आधार पर विनियमन नियमों के नियम *7* और *10* के साथ पठित खंड *10 (ii)* की आवश्यकता का पालन करना संभव नहीं होगा। द.

इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि जब भी कोई विवाद उठाया जाता है, तो इसकी जांच न केवल खंड *10* में निर्धारित शर्तों के आलोक में की जानी चाहिए

((iv) से *10 (viii)* तक, लेकिन खंड *10 (ii)* में निहित कृष्ण राजा सागर जलाशय के लिए विनियमन नियमों का पालन करने के लिए मैसूर/कर्नाटक राज्य की ओर से प्रदान किए गए दायित्व और जनादेश के आलोक में भी।

138. इस दलील पर कि *1924* का समझौता, की अनुपस्थिति में

खंड *10 (xi)* में परिकल्पित पुनर्विचार की अवधि समाप्त हो गई थी, इस न्यायालय ने पुनः इस मामले में एक घटना पर ध्यान दियाः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल*)*

विवाद न्यायाधिकरण*) (*उपर्युक्त*)* जिसमें कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई संरक्षण अध्यादेश *1991* की वैधता को संविधान के अनुच्छेद *143* के तहत एक संदर्भ में जांच के लिए रखा गया था, न्यायाधिकरण ने यह देखने के अलावा कि समझौते के निर्वाह या अन्यथा का सवाल उक्त संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था, यह भी चिह्नित किया कि निर्णय के तहत उसके समक्ष शिकायत में, तमिलनाडु राज्य की प्रमुख शिकायत उन शर्तों का उल्लंघन और उल्लंघन था जो उसके अनुसार, उसके निष्पादन के *50* साल की समाप्ति के बाद भी लागू रहे। इसने केंद्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री के हस्तक्षेप के साथ इस संबंध में दोनों राज्यों की पहलों और प्रयासों का भी उल्लेख किया और लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ अन्य लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इंजीनियरों, कृषि विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों आदि की एक तथ्य खोज समिति पर विचार किया गया ताकि *(2018) 5* एस. सी. आर. से संबंधित डेटा एकत्र किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कावेरी जल, इसके उपयोग और सिंचाई प्रथाओं और सिंचाई उद्देश्यों के लिए आपूर्ति की पर्याप्तता या पानी के अत्यधिक उपयोग की जांच करने के लिए आगे की चर्चा के लिए रखा जाएगा ताकि एक सहमत समझौते पर पहुंचा जा सके।

संबंधित राज्यों के लिए जल का आवंटन। न्यायाधिकरण ने रेखांकित किया कि चर्चा में कहीं भी, मैसूर राज्य की ओर से यह रुख नहीं था कि समझौते के निष्पादन के *50* वर्षों के बाद, यह समाप्त हो जाएगा और इसलिए इसकी शर्तों की समीक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

139. मैसूर राज्य की याचिका कि खंड *10 (xiv)* के परंतुक में स्वयं पूरे अधिनियम की स्वतः समाप्ति की वर्तनी है।

50 वर्षों की समाप्ति के बाद समझौते को खंड *10 (xiv)* और *(xi)* की परस्पर क्रिया को देखते हुए अस्वीकार कर दिया गया था।

140. न्यायाधिकरण, जैसा कि हम पाते हैं, ने तमिलनाडु राज्य की याचिका और रुख को स्वीकार कर लिया है कि *1924* का समझौता *1974* में समाप्त नहीं हुआ था।

141. इस पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष पर विचार करना आवश्यक है।

अंक प्राप्त करें। न्यायाधिकरण ने समझौते के निष्पादन की तारीख से *50* वर्ष की समाप्ति पर समझौते की स्थिति के संबंध में दोनों राज्यों के प्रतिद्वंद्वी अभिविन्यासों पर ध्यान दिया। इसने कर्नाटक राज्य के रुख को दर्ज किया कि समझौता *50* साल की अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो गया।

इसके निष्पादन की तारीख से इतना कि उसमें से कोई भी खंड कृष्ण से किए जाने वाले निर्वहन के संबंध में प्रवर्तनीय नहीं था।

राजा सागर और कावेरी की सहायक नदियों के अन्य जलाशय जो कर्नाटक में निर्माणाधीन थे। इसने तमिलनाडु की इस विपरीत दलील पर ध्यान दिया कि समझौता प्रकृति में स्थायी था और इसमें सभी शर्तें मैसूर पर बाध्यकारी थीं, जो कि कृष्ण राजा सागर और कावेरी नदी की सहायक नदियों पर निर्मित अन्य

जलाशयों के संचालन के संबंध में कर्नाटक राज्य पर है। न्यायाधिकरण ने कर्नाटक राज्य की याचिका दर्ज की कि न केवल *1924* का समझौता वर्ष *1974* में समाप्त हुआ, बल्कि *1892* के साथ-साथ *1924* के समझौते की शर्तें भी मनमाना प्रकृति की थीं और मद्रास राज्य के बीच असमान थीं, जो उस समय एक प्रेसीडेंसी राज्य था और ब्रिटिश क्षेत्र और मैसूर राज्य का ऐसा हिस्सा था जो उस समय शासक के अधीन था। दोनों समझौतों और विशेष रूप से *1924* के इतिहास का पता लगाते हुए, न्यायाधिकरण का विचार था कि बाद वाला समझौता उनकी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने के बाद ही किया गया था दोनों राज्यों द्वारा इस पहलू पर विशेष ध्यान देते हुए जांच की गई कि क्या नए सिंचाई जलाशय से मद्रास राज्य के क्षेत्र में कावेरी नदी का प्रवाह किसी भी तरह से कम होने की संभावना है।

कर्नाटक राज्य में इसके प्रमुख सचिव वी। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कर्नाटक राज्य के गुहा के संदर्भ में कि तत्कालीन मैसूर राज्य को कुछ मजबूरियों के तहत दोनों समझौतों में प्रवेश करना पड़ा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कठोर शर्तें भी शामिल थीं,

उन सीमाओं को परिभाषित करना जिनके तहत मद्रास की पूर्व सहमति के बिना मैसूर द्वारा कोई सिंचाई कार्य नहीं किया जाना था और ऊपरी एनीकट में कावेरी के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने के लिए कावेरी नदी की सहायक नदियों पर कृष्ण राजा सागर के साथ-साथ अन्य जलाशयों के पानी को जब्त करने के संबंध में कठोर प्रतिबंधों का निर्माण किया जाना था ताकि पानी के स्तर की ऊंचाई बनाए रखी जा सके।

3 फीट। साढ़े सात फीट तक। जनवरी से जून के दौरान बहुत कठिनाई हुई, न्यायाधिकरण ने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के महाराजा के बीच *1799* की संधि से संबंधित समय चरण के अध्याय पर गौर किया।

जिसके बाद मैसूर राज्य का अधिकार तत्कालीन महाराजा को सौंप दिया गया। इसने अन्य बातों के साथ-साथ मैसूर के तत्कालीन महाराजा के वचन को चिह्नित किया कि वह अंग्रेजी कंपनी बहादुर के साथ गठबंधन में किसी भी राज्य के मामलों में किसी भी हस्तक्षेप से दूर रहेंगे और किसी के साथ कोई संचार या पत्राचार नहीं करेंगे। किसी भी अंग्रेजी कंपनी बहादुर की पूर्व जानकारी या मंजूरी के बिना विदेशी राज्य। न्यायाधिकरण ने *1881* के हस्तांतरण के दस्तावेज में भी इसी तरह के प्रतिबंधों का उल्लेख किया, परिषद में गवर्नर जनरल में संरक्षित करने के अलावा, कब्जा फिर से शुरू करने सहित कई शक्तियां।

उक्त राज्यक्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन ग्रहण करना।

142. कर्नाटक की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि *1799* की संधि के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ-साथ, मैसूर का प्रशासन भी उसके द्वारा छीन लिया गया था, और राज्य का कब्जा अंततः तत्कालीन महाराजा को *25.03.1881* पर सौंप दिया गया था, और इस प्रकार ब्रिटिश ताज स्पष्ट रूप से अपनी सर्वोच्चता का प्रयोग कर रहा था

न्यायाधिकरण ने कहा कि वास्तव में समझौते के तहत निर्धारित बाधाओं के अधीन होने की मजबूरी थी समझौतों के साथ-साथ अंतर-राज्य समझौतों की बाद के चरण में इस बात की कसौटी पर जांच नहीं की जा सकती है कि क्या ये शर्तें उचित और उचित थीं, इसके निष्पादन के समय दोनों राष्ट्रों या राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए। यह स्वीकार करते हुए कि कभी-कभी, समझौतों के निष्पादन के समय मौजूद मजबूरियां एक राष्ट्र या राज्य की ओर से देने और लेने की भावना को अपनाने के लिए कारक हो सकती हैं, इसने *1892* और *1924* के समझौतों पर निष्कर्ष निकाला कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि जहां तक वर्ष

1892 के समझौते का संबंध है, *100* साल से अधिक के अंतराल के बाद किया जा रहा है और *80 [2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1974 और विवाद *1924* के समझौते के खंड *10 (xi)* में विचार किए गए *50* वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद ही सामने आया। इसने यह भी टिप्पणी की कि *1924* के समझौते के आधार पर, मैसूर/कर्नाटक राज्य ने न केवल कृष्ण राजा सागर परियोजना का निर्माण किया, बल्कि अपने क्षेत्रों के भीतर कावेरी की सहायक नदियों पर *45,000* मिलियन क्यूबिक फीट की कुल क्षमता के लिए अन्य जलाशयों का भी निर्माण किया। *(45* टी. एम. सी.*)* और इस प्रकार उन जलाशयों के निर्माण का लाभ प्राप्त किया कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों और, इस प्रकार, इसे *"*क्वी अप्रूबेट नॉन रिप्रोबेट*" (*जो अनुमोदन करता है वह खंडन नहीं कर सकता*)* के सिद्धांत पर समझौतों को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि एक समझौते को भारतीय संविधान की धारा *19* ए के संदर्भ में चुनौती दी जा सकती है।

अनुबंध अधिनियम, फिर भी संबंधित पक्ष को उचित स्तर पर न्यायालय को संतुष्ट करना था कि उसकी सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत निरूपण या अनुचित प्रभाव से प्राप्त की गई थी और यह ध्यान देने योग्य है कि *18.02.1924* के बाद से *50* से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान, जिसके बाद कर्नाटक राज्य, उक्त समझौता समाप्त हो गया था, इसने कभी भी किसी भी अदालत के समक्ष यह आरोप नहीं लगाया कि उक्त समझौता या तो अमान्य था या यह कि यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा *19* और *19* ए में परिकल्पित किसी भी कमजोरी के लिए बाध्य नहीं था। इसमें याद किया गया

इस दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण उस समझौते की पृष्ठभूमि में किया गया, जिसमें कहा गया था कि दोनों राज्यों की ओर से सक्षम अधिकारियों ने विवेक और चर्चा के उचित प्रयोग के बाद इन दोनों दस्तावेजों का समर्थन और निष्पादन किया था और इस प्रकार, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और कानून की नजर में अमान्य नहीं होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता था।

143. न्यायाधिकरण के उपरोक्त निष्कर्ष को श्री नरीमन द्वारा इस आधार पर गंभीर रूप से दोषपूर्ण पाया गया है कि न्यायाधिकरण को

वाद्ययंत्र में प्रयुक्त भाषा के आधार पर आगे बढ़े। उक्त निवेदन के संबंध में, हम खंड *10 (xi)* को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, हालांकि इसे पहले ही यहाँ निकाला जा चुका हैः

" 10 (xi) मैसूर सरकार और मद्रास सरकार

इसके अलावा इस बात पर सहमति है कि उपरोक्त खंड *(iv)* से *(viii)* में सन्निहित सीमाएं और व्यवस्थाएं इन उपहारों के निष्पादन की तारीख से पचास साल की समाप्ति पर कर्नाटक राज्य के लिए उसके प्रमुख सचिव द्वारा खुली होंगी।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

प्राप्त अनुभव और एक के प्रकाश में पुनर्विचार

आगे विस्तार की संभावनाओं की जांच

संबंधित सरकारों के क्षेत्रों के भीतर सिंचाई

और ऐसे संशोधनों और परिवर्धनों के लिए जो पारस्परिक रूप से सहमत हों
इस तरह के पुनर्विचार के परिणामस्वरूप "।

[रेखांकित करना हमारा है*]*

144. उक्त खंड में अध्ययन की गई जांच की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि

दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि सीमाएं और व्यवस्थाएं सन्निहित हैं खंड *(iv)* से *(viii)* में, निष्पादन की तारीख से *50* वर्ष की समाप्ति पर, प्राप्त अनुभव के आलोक में पुनर्विचार के लिए खुला होगा और संबंधित राज्यों के क्षेत्रों के भीतर सिंचाई के आगे विस्तार की संभावनाओं की जांच के अधीन होगा

संशोधन और परिवर्धन जो परिणामस्वरूप पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं

इस तरह की पुनर्विचार। कर्नाटक राज्य की ओर से श्री नरीमन और श्री कटारकी का निवेदन है कि खंड में अभिधारणाओं को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए न कि संक्षिप्त अर्थ में। उनके अनुसार, खंड *(iv)* से *(viii)* की शर्तें कुछ तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार के लिए खुली होंगी और उसके बाद ही, संशोधन और परिवर्धन पर पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है। 'पुनर्विचार' शब्द पर जोर दिया जाता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि खंड *(xi)* में शर्त को खंड *(iv)* से *(viii)* तक सीमित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वे खंड समझौते की रीढ़ हैं। यह उनका तर्क है कि समझौते के अन्य खंड इस प्रकार हैं उल्लिखित खंडों के साथ परस्पर निर्भर है कि अन्य को बाहर नहीं किया जा सकता है या छोड़ा नहीं जा सकता है। पक्षों का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुभव को *50* वर्षों में देखा जाना चाहिए और उसके बाद, पूरी बात पर पुनर्विचार के लिए कहा जाना चाहिए और पुनर्विचार एकतरफा या उस मामले के लिए स्वचालित नहीं हो सकता है।

145. इसका विरोध करते हुए, श्री नाफडे और श्री नाफडे ने आग्रह किया है।

तमिलनाडु राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील द्विवेदी ने कहा कि खंड अनिवार्य रूप से कुछ हद तक लागू होता है जिसका उसमें उल्लेख किया गया है और

पूरे समझौते को शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया कि समझौते का जीवन *50* वर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह केवल पुनः परीक्षा के उद्देश्य से पुनर्विचार के लिए है और यह समझौते को समाप्त नहीं करता है।

146. खंड को पूरी तरह से पढ़ने और इस पर विचार करने के बाद

शब्द, अर्थात् 'पुनर्विचार', पारस्परिक रूप से सहमत 'और' खुले रहें ', यह स्पष्ट है कि समझौते के कुछ खंडों का जीवन काल सीमित था।

147. हम इस तरह से सोचने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि प्रासंगिक खंड जो पुनर्विचार के लिए खुले हैं, इसके बिल्कुल आवश्यक भाग हैं।

अनुबंध और उनके बिना अनुबंध पर उचित निर्माण करना बेहद मुश्किल है। अनुबंध के खंड स्थायित्व का संकेत नहीं देते हैं, लेकिन इसके विपरीत, निश्चित अवधि का संकेत देते हैं और इस तरह से हम इसका अर्थ लगाने का इरादा रखते हैं। अनुबंध की निरंतरता, जैसा कि हम पाते हैं, आगे एक व्यक्तिपरक विचार था और केवल इस पर सहमति थी और,

इसलिए, यह मानना कि यह केवल एकत्र किए गए अनुभव के कारण जारी रहा, उचित नहीं होगा और यह किसी अनुबंध के खंडों को समझने की अवधारणा के विपरीत होगा ताकि इसकी निरंतरता को प्रभावी बनाया जा सके। *50* वर्षों के बाद जारी रहना कुछ पहलुओं पर निर्भर था और इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि समझौता समाप्त हो गया है।

50 साल बाद। तमिलनाडु राज्य की ओर से निवेदन यह है कि अनुबंध के दायित्व जारी रहे, लेकिन इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि समझौते के पक्षों ने समझौता किया था।

केंद्र सरकार के साथ पत्राचार उनकी शिकायतों को उत्तेजित कर रहा है

और वे चर्चा करने और एक स्वीकार्य व्यवस्था पर पहुंचने के लिए विभिन्न स्तरों पर मिले। जिसे स्वीकार नहीं किया गया था, शिकायत दर्ज की गई थी। तथ्यों के पूरे पहलू को ध्यान में रखते हुए और

परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि समझौता *50* वर्षों के बाद वर्ष *1974* में समाप्त हो गया।

एम. क्या शिकायत के लिए किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं थी*?*

148. श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरीके से शिकायत दर्ज की गई थी और संदर्भ के लिए अनुरोध किया गया था

कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ था, वह वैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं था। उनके अनुसार, शिकायत का आधार *1892* और *1924* के समझौते हैं और एक बार जब उन्हें समाप्त माना जाता है, तो शिकायत में कोई अन्य पहलू बताए जाने के अभाव में, यह न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की मांग नहीं करता है, भले ही मामला निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा गया हो। को।

उक्त स्थिति के समर्थन में, उन्होंने *1956* के अधिनियम की धारा *3* में प्रयुक्त भाषा पर भरोसा किया है। *1956* के अधिनियम की धारा *3* इस प्रकार हैः

"*3.* जल विवादों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा शिकायतें। यदि किसी राज्य की सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ जल विवाद इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है कि किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल में राज्य या उसके निवासियों में से किसी के हित प्रभावित हुए हैं या होने की संभावना है।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य द्वारा पूर्वाग्रह से वि। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(क*)* की गई या पारित की गई कोई कार्यकारी कार्रवाई या विधान, या प्रस्तावित

दूसरे राज्य द्वारा लिया या पारित किया जाना; या
(ख*)* उपयोग, वितरण के संबंध में अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में दूसरे राज्य या उसमें किसी प्राधिकरण की विफलता।

या ऐसे जल का नियंत्रण; या

(ग*)* ऐसे समझौते के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी समझौते की शर्तों को लागू करने में दूसरे राज्य की विफलता।

पानी,

राज्य सरकार, निर्धारित किए गए रूप और तरीके से, केंद्र सरकार से पानी भेजने का अनुरोध कर सकती है।

न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण को विवाद "।

149. उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, श्री नरीमन द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि तमिलनाडु राज्य या इसके संबंध में कोई दावा नहीं है। निवासियों का समझौते को छोड़कर किसी अन्य तरीके से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना और फिर, धारा *3* के खंड *(*ए*), (*बी*)* और *(*सी*)* में पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। उन्होंने प्रतिकूल प्रभाव पर न्यायाधिकरण द्वारा *8,10,40* और *43* मुद्दों का उल्लेख किया है और कहा है कि न्यायाधिकरण ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि तमिलनाडु राज्य धारा *3* के दायरे में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत, इसने माना है कि मद्रास के निर्देशात्मक अधिकार का मुद्दा अकादमिक हो गया है और प्रत्येक राज्य को किसी न किसी स्तर पर दूसरे राज्य के आचरण से हुई क्षति इतिहास का विषय बन गई है और सिंचाई विवाद में किसी भी क्षति का आकलन करना आसान नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि तमिलनाडु राज्य ने किसी भी अधिकार के दावे के लिए अनुरोध नहीं किया जो उसे अपनी शिकायत में या न्यायाधिकरण के समक्ष मामले के बयान पर दो समझौतों द्वारा प्रदान किया गया है। शिकायत में खारिज किया जाना चाहिए

सिद्ध चोट की अनुपस्थिति। श्री नाफडे और श्री द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्हें श्री जी. उमापति, विद्वान वकील द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, अपनी ओर से इस बात पर जोर देंगे कि इस स्तर पर इस तरह का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है और इस अदालत का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं आकर्षित करना चाहिए। वे प्रस्तुत करेंगे कि पिछली शताब्दी के *70* के दशक की शुरुआत में शुरू हुई बैठकों की श्रृंखला और पत्राचार निवासियों के बारे में स्पष्ट रूप से बोलेंगे

प्रतिकूल रूप से प्रभावित और आगे उठाए गए विभिन्न मुद्दे स्पष्ट रूप से तमिलनाडु राज्य के निवासियों की शिकायतों को उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भले ही एक निष्कर्ष वापस किया जाता है कि समझौतों की अवधि समाप्त हो गई है, समझौतों के तहत अधिकार बनाए गए थे और जब तक वे *[2018] 5* एस. सी. आर.

जब संविधान के अनुच्छेद *143* के तहत इस न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर ऐसी याचिका नहीं उठाई गई थी, तो उक्त याचिका को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

150. कर्नाटक राज्य द्वारा दी गई उपरोक्त प्रस्तुति हमें लंबे समय तक नहीं रोकेगी। शिकायत के अवलोकन पर, इसमें "प्रतिकूल रूप से प्रभावित" शब्द नहीं हैं, बल्कि शिकायत की पृष्ठभूमि, जल विवाद का उल्लेख करते समय केंद्र सरकार का दृष्टिकोण और इस न्यायालय की राय की अभिव्यक्ति शामिल हैः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*)*। *1956* के अधिनियम की भाषा, समय के प्रवाह की समाप्ति और इस न्यायालय की भूमिका की पृष्ठभूमि में, हम इस तरह की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हमें बिना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहिए कि इसमें, पहली बार में, बौद्धिक बातचीत को आमंत्रित करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यापक रूप से विवाद को समझता है तो वह महत्व प्राप्त करने में विफल रहता है।

न्यायाधिकरण और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किए गए विभिन्न आदेश। इसलिए, इस मामले पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

1974 के बाद न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और

उसी की शुद्धता

151. पुरस्कार के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए आने के बाद कि *1974* का समझौता वैध है जो हमारे पास नहीं है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया। कर्नाटक राज्य ने *10.07.2002* पर न्यायाधिकरण के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैंः

" 60. कर्नाटक राज्य ने अपने नोट के. ए. आर. *3,* पृष्ठ *10* में दाखिल किया

10.07.2002 पर, यह रुख अपनाया गया है कि *"1974* के बाद किसी भी भविष्य के निर्धारण को निम्नलिखित आधार पर करना होगाः

(क*)* समझौते के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक जिन क्षेत्रों के हकदार हैं, उनकी सिंचाई के लिए कितने पानी की आवश्यकता है*;*

और

(ख*)* कर्नाटक के नियोजित क्षेत्रों और तमिलनाडु द्वारा खेती किए जाने वाले क्षेत्रों *(1924* के समझौते के बाहर*)* के लिए अधिशेष को कैसे विभाजित और वितरित किया जाना चाहिए। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कर्नाटक राज्य के प्रधान सचिव द्वारा समझौते के तहत सिंचित किए जाने वाले सभी क्षेत्रों को।

1924 का संबंध है-चाहे तमिलनाडु द्वारा हो या कर्नाटक द्वारा, उन्हें पहले प्रतिबद्ध उपयोग या मौजूदा उपयोग के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। शेष क्षेत्रों पर न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से स्थापित हैं और

इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। "

152. न्यायाधिकरण, जिसने यह विचार लिया था कि *1892* और *1924* के समझौते वैध और लागू करने योग्य हैं, ने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया कि - निम्नलिखित आधार पर कावेरी जल का विभाजनः

" (i) 1924 से पहले के रूप में मौजूदा सिंचित क्षेत्रों का संरक्षण

कर्नाटक के साथ-साथ तमिलनाडु भी।

((ii) 1924 में विचार के अनुसार सिंचाई का विकास।

समझौता लेकिन वास्तव में *1974* से पहले विकसित किया गया था।

(iii) अन्य सभी विकास पर उनके द्वारा सुझाए गए विभिन्न प्राथमिकताओं के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जो बाद में रिपोर्ट में बताए गए हैं।

153. इस पर ध्यान देने के बाद, न्यायाधिकरण ने राय दी कि पानी की आवश्यकता की जांच करने से पहले, दोनों राज्यों को उन क्षेत्रों का निर्धारण करना होगा जिन्हें दोनों राज्यों ने अपनाया है। वे क्षेत्र जहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

पुडुचेरी को सिंचाई के लिए कावेरी प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान करनी होगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। न्यायाधिकरण द्वारा विचार के लिए सिद्धांत तैयार किए गए थे जो इस प्रकार हैं:

" (i) समझौते से पहले विकसित किए गए क्षेत्र

वर्ष *1924*

((ii) जिन क्षेत्रों में विकास के लिए विचार किया गया है।

वर्ष *1924* के समझौते की शर्तें।

(iii) वे क्षेत्र जो समझौते के बाहर विकसित किए गए हैं।
1924 से *2.6.1990* तक, संविधान के गठन की तारीख

न्यायाधिकरण। *(* अर्थात *1924* से *1990* तक*)*

((iv) ऐसे क्षेत्र जिन्हें समान बंटवारे के सिद्धांत पर सिंचित करने की अनुमति दी जा सकती है।

154. उपरोक्त के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि न्यायाधिकरण ने कट-ऑफ तिथि को *02.06.1990* के रूप में लिया है, जिस तारीख को संदर्भ/शिकायत की गई थी। सुनवाई के दौरान, विद्वान वकील के लिए

सभी पक्षों ने स्वीकार किया कि उक्त तिथि तक निर्धारण को लेकर उनका किसी भी तरह का झगड़ा नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

155. इस प्रकार कहने के बाद, हमें उसी के आधार पर अपनाए गए न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना होगा। इससे पहले यह आवश्यक है किराष्ट्रपति के संदर्भ में न्यायालय ने क्या कहा है। इस पर हमें लाभ के साथ ध्यान देना चाहिए कि न्यायालय ने नोट किया था कि *1924* की अवधि समाप्त हो गई थी। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किए जाने के बाद कि समझौते में कर्नाटक राज्य द्वारा कानून पारित किया गया था।

अधिकार में, यह इस प्रकार कहने के लिए आगे बढ़ाः

संबंध निम्नलिखित रूप में देखा गयाः "एक मौलिक नियम, जो एक दूसरे के साथ राज्यों के सभी संबंधों को अंतर्निहित करता है, वह है अधिकार की समानता। प्रत्येक राज्य खड़ा है

बाकी सभी के साथ एक ही स्तर। यह दूसरों में से किसी पर भी अपना कानून लागू नहीं कर सकता है और किसी को भी अपने विचार नहीं देने के लिए बाध्य है। एक राज्य की कार्रवाई, प्राकृतिक कानूनों की एजेंसी के माध्यम से, दूसरे राज्य के क्षेत्र में पहुंचती है, दोनों राज्यों के अधिकारों की सीमा और सीमा का सवाल उनके बीच न्यायसंगत विवाद का विषय बन जाता है और इस न्यायालय से उस विवाद को इस तरह से निपटाने के लिए कहा जाता है जो दोनों के समान अधिकारों को मान्यता देगा और साथ ही साथ स्थापित करेगा।

उनके बीच न्याय।

यह विवाद न्यायसंगत प्रकृति का है जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए और यह किसी एक के विधायी अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

राज्य।

'बहते पानी का अधिकार अब भूमि में संपत्ति के लिए एक सही घटना के रूप में अच्छी तरह से तय किया गया है; यह एक ऐसा अधिकार सार्वजनिक न्यायशास्त्र है, जो इस तरह के चरित्र का है, जबकि यह उन सभी के लिए सामान्य और समान है जिनकी भूमि के माध्यम से यह चलता है, और कोई भी इसे बाधित या मोड़ नहीं सकता है, फिर भी, प्रोविडेंस के लाभकारी उपहारों में से एक के रूप में, प्रत्येक मालिक को अधिकार है इसका न्यायसंगत और उचित उपयोग, क्योंकि यह उसकी भूमि से होकर गुजरता है, और जब तक कि यह पूरी तरह से बाधित या मोड़ नहीं किया जाता है, या इसके माध्यम से बहने वाले पानी का न्यायसंगत और उचित उपयोग से बड़ा कोई विनियोग नहीं किया जाता है, इसे गलत या हानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

एक मालिक को नीचे.. '

बहते पानी के उपयोग का अधिकार सार्वजनिक न्यायशास्त्र है, और सभी तटवर्ती मालिकों के लिए सामान्य है; यह कर्नाटक के मुख्य सचिव द्वारा एक पूर्ण और राज्य नहीं है।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उनकी भूमि से होकर बहने वाले सभी पानी पर अनन्य अधिकार, ताकि कोई भी बाधा कार्रवाई का कारण बने; लेकिन पानी के प्रवाह और आनंद का अधिकार है, जो सभी मालिकों में समान अधिकार के अधीन

है, प्रोविडेंस के एक ही उपहार का उचित आनंद लेने के लिए। इसलिए, यह केवल इस सामान्य लाभ के अमूर्त और वंचित करने के लिए है, या एक अनुचित और अनुचित लाभ के लिए है।

इसका अनधिकृत उपयोग कि कोई कार्रवाई होगी। "

72. हालाँकि एक अंतर-राज्यीय नदी का पानी तटवर्ती राज्यों के क्षेत्रों से होकर गुजरता है, लेकिन ऐसे पानी को किसी एक राज्य में स्थित नहीं कहा जा सकता है। वे प्रवाह की स्थिति में हैं और कोई भी राज्य ऐसे जल के अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है ताकि अन्य राज्यों को उनके न्यायसंगत हिस्से से वंचित किया जा सके। इसलिए ऐसे जल के संबंध में, कोई भी राज्य ऐसे जल के उपयोग के लिए प्रभावी रूप से कानून नहीं बना सकता है क्योंकि इसकी विधायी शक्ति इसके क्षेत्रों से परे नहीं फैली है। यह तटवर्ती राज्यों के बीच पानी के वितरण और आवंटन का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि

प्रत्येक राज्य के समान हिस्से के आधार पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। न्यायसंगत हिस्सा क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह इन सिद्धांतों और कानून के प्रावधानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ है जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमें पक्षों की संबंधित दलीलों की जांच करनी होगी।

156. यद्यपि उपरोक्त पैराग्राफ विधायी शक्ति के संदर्भ में कहे गए थे, फिर भी इसने सार्थक रूप से कानूनी स्थिति के बारे में बताया

अंतर-राज्य नदी जल और उसी में नदी तटीय राज्यों के अधिकार और इसके अलावा कि नदी तटीय राज्यों के बीच पानी का वितरण और आवंटन प्रत्येक राज्य के समान हिस्से के आधार पर किया जाना है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि मामले के तथ्यों के अनुसार समान हिस्से की मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है।

157. न्यायाधिकरण ने व्योमिंग राज्य बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया। कोलोराडो राज्य *25,* नेब्रास्का राज्य बनाम। व्योमिंग राज्य *26,* कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट, अध्याय *XII,* पृष्ठ *98* "मौजूदा उपयोगों का संरक्षण" शीर्षक के तहत, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट, रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण की रिपोर्ट और इस प्रकार नोट कियाः

25 259 यूएस *419 (1922) 26 325* यूएस *589 (1945)*

" *16.* नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में विभिन्न नदी तटीय राज्यों के दावों के संबंध में तीन अलग-अलग विचार हैं। अंतर-राज्यीय नदी या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बहने वाली नदीः

(iv) तीसरा दृष्टिकोण "न्यायसंगत" के सिद्धांत पर आधारित है। विभाजन ", अर्थात प्रत्येक तटवर्ती राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अंतर-राज्यीय नदी के पानी के उचित हिस्से का हकदार है। ऐसी नदी प्रकृति द्वारा उस समुदाय के सामान्य लाभ के लिए प्रदान की गई है जिसके क्षेत्रों से यह बहती है, भले ही उन क्षेत्रों को राजनीतिक सीमाओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है।

158. इसके बाद, न्यायाधिकरण ने कान्सास प्राडो *2 1,* कोलोराडो बनाम में निर्णयों को संदर्भित किया। कैनसस *2 8,* स्टेट ऑफ न्यू जर्सी बनाम। की स्थिति

यॉर्क *29,* कनेक्टिकट राज्य बनाम। राष्ट्रमंडल

आईएस *46 (1906)*

आईएस *383 (1943)* आईएस *336 (1931)*

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

चुसेट्स *30,* स्टेट ऑफ कोलोराडो बनाम। न्यू मैक्सिको राज्य *3 1* और

o इस प्रकार रखें:

" 24. यह इंगित किया जा सकता है कि कोलोराडो बनाम न्यू मैक्सिको *459* यू. एस. *176 (1982)* जिसे कोलोराडो *I* के रूप में जाना जाता है और साथ ही कोलोराडो बनाम न्यू मैक्सिको *467* यू. एस. में *310 (1984)* जिसे कोलोराडो *II* के रूप में जाना जाता है, एक पूरी तरह से विनियोजित नदी को समान रूप से विभाजित करने में भविष्य के विकास पर विचार करने के लिए स्पष्ट संकेत हैं। लेकिन ऐसा हुआ है।

उन रायों में बताया गया है कि भविष्य के किसी भी विकास को स्वाभाविक रूप से अटकलबाजी की प्रकृति का नहीं होना चाहिए और मूल्यांकन की आवश्यकता है

भविष्य में उपयोग के लाभ और हानि पर किया जाना।

25. यह भी प्रतीत होता है कि कनाडा और के बीच हाल की संधि

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलंबिया बेसिन के संबंध में हार्मन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। इस संबंध में अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों के पानी के बंटवारे के लिए ऐसी संधियाँ की गई हैं जो दर्शाती हैं कि विभिन्न राष्ट्रों ने अपने मतभेदों को समायोजित किया है। सिंधु

भारत और पाकिस्तान के बीच *1960* की संधि एक उदाहरण है।

26. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण, खंड *49 (2)*

पैराग्राफ *121* में कहा गया है:

" 121. जल की मात्रा के संबंध में अधिकार और कर्तव्य। ए का अधिकार

पानी के प्रवाह के लिए तटवर्ती मालिक कुछ निश्चित के अधीन है

जल की मात्रा के संबंध में योग्यता जो वह है

प्राप्त करने का अधिकार। अधिकार उसी धारा पर अन्य तटवर्ती मालिकों के समान अधिकारों के अधीन है ताकि इसका उचित आनंद लिया जा सके, और प्रत्येक तटवर्ती मालिक को किसी अन्य तटवर्ती मालिक द्वारा पानी के किसी भी अनुचित उपयोग के संबंध में कार्रवाई का अधिकार है। एक नदी तट के मालिक को पानी का उपयोग और उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि उसके पड़ोसियों को कोई भौतिक चोट या झुंझलाहट हो।

उसके विपरीत, उसके ऊपर या नीचे, जिनके पास उपयोग का समान अधिकार है

पानी और उसके प्रति समान कर्तव्य।

159. इस मोड़ पर, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ा दी गई हैं

. कतरकी, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

टाक्का और श्री नाफडे, तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं। श्री कटारकी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पार्टी राज्यों को आवंटित किए जाने वाले पानी का न्यायसंगत आधार होना चाहिए -

जेएस *660 (1931)* जेएस *176 (1982)*

नदी के प्रवाह के बजाय आवश्यकताएँ। किसी भी राज्य को अंतर-राज्यीय नदी के प्राकृतिक प्रवाह का कोई अधिकार नहीं था और बेसिन कारकों, सूखे के क्षेत्र और जनसंख्या जैसी जरूरतों का आकलन करते समय कई कारकों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने प्राकृतिक प्रवाह सिद्धांत और हेलसिंकी नियम, *1966* जैसे बुनियादी पहलुओं पर जोर दिया और न्यू जर्सी *(ऊपर)* और अन्य प्राधिकरणों में निर्णय पर भरोसा रखा। श्री नाफडे, इसके विपरीत, तर्क देंगे कि यह तर्क कि दोनों राज्यों के बीच पानी का समान विभाजन होना चाहिए, असमर्थनीय है। उनके अनुसार, जल विवाद को जन्म देने वाले विवाद में समानता के मापदंड को एक अलग दृष्टिकोण से समझना होगा। उन्होंने नर्मदा और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणों द्वारा की गई टिप्पणी पर भरोसा किया कि समानता के सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि राज्यों के बीच पानी का समान विभाजन होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि राज्यों को समान विचार और समान आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। इस तरह की समानता के परिणामस्वरूप जरूरी नहीं कि पार्टियों को समान मात्रा में पानी प्रदान किया जाए। *160.* न्यायाधिकरण ने *1966* के हेलसिंकी नियमों का उल्लेख किया है जिसने हार्मोन सिद्धांत को खारिज कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के समान उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उक्त नियम अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के उपयोग से संबंधित हैं। अनुच्छेद *V, VI* और *VIII* निम्नानुसार हैं:

"अनुच्छेद *V*

(1) अनुच्छेद *IV* के अर्थ के भीतर एक उचित और न्यायसंगत हिस्सा क्या है, यह प्रत्येक विशेष मामले में सभी प्रासंगिक कारकों के आलोक में निर्धारित किया जाना है।
(2) जिन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना है, उनमें शामिल हैं, लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं:

(क) बेसिन का भूगोल, जिसमें विशेष रूप से प्रत्येक बेसिन राज्य के क्षेत्र में जल निकासी क्षेत्र का विस्तार शामिल है;

(ख) बेसिन का जलविज्ञान, जिसमें विशेष रूप से

प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा जल का योगदान;
((c) बेसिन को प्रभावित करने वाली जलवायु

(घ) बेसिन के पानी का पिछला उपयोग, जिसमें शामिल हैं

विशेष रूप से मौजूदा उपयोग;

((ङ) प्रत्येक बेसिन राज्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएँ;

(च) प्रत्येक में बेसिन के पानी पर निर्भर जनसंख्या

बेसिन राज्य; अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक का ई। स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(छ) प्रत्येक बेसिन राज्य की फाइल आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के वैकल्पिक साधनों की तुलनात्मक लागत;

(ज) अन्य संसाधनों की उपलब्धता*! ;*

(i) जल के उपयोग में अनावश्यक अपशिष्ट से बचना।

बेसिन का; *(जे)* उपयोगों के बीच संघर्ष को समायोजित करने के साधन के रूप में एक या अधिक सह बेसिन राज्यों को मुआवजे की व्यवहार्यता; और

(ट) जिस हद तक किसी बेसिन राज्य की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है,

यह निर्धारित करने में कि उचित और न्यायसंगत हिस्सा क्या है, सभी प्रासंगिक कारकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए और एक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

पूरे के आधार पर पहुंचे।

अनुच्छेद *VI:* उपयोग या उपयोग की श्रेणी किसी भी अंतर्निहित अधिकार का हकदार नहीं है।

किसी भी अन्य उपयोग या उपयोग की श्रेणी पर वरीयता।

अनुच्छेद *VIII: 1.* एक मौजूदा उचित उपयोग जारी रह सकता है

प्रतियोगी को समायोजित करने के लिए संशोधित या समाप्त किया गया असंगत उपयोग।

2. (a) एक उपयोग जो वास्तव में चालू है, उसे निर्माण की शुरुआत के समय से ही उपयोगकर्ता से सीधे संबंधित माना जाता है, जहां इस तरह के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक कार्यान्वयन के तुलनीय कार्यों का उपक्रम

(ख) इस तरह का उपयोग तब तक जारी रहता है जब तक कि इसे इस इरादे से बंद नहीं कर दिया जाता है कि इसे छोड़ दिया जाए। *3.* एक उपयोग को मौजूदा उपयोग नहीं माना जाएगा यदि परिचालन के समय यह पहले से मौजूद उचित उपयोग के साथ असंगत है।

161. उक्त नियमों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि उन्होंने हार्मोन सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। इसके विपरीत,

इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के न्यायसंगत उपयोग की आवश्यकता पर जोर

उक्त नियमों के अनुच्छेद *IV* और *V* से यह ध्यान देने योग्य है कि वे प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा पानी के न्यायसंगत उपयोग को निर्धारित करते हैं, जिसमें नदी तटीय राज्यों के उचित और न्यायसंगत हिस्से को सामूहिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इंगित कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बेसिन का भूगोल, बेसिन का जल विज्ञान, जलवायु, पानी का पिछला उपयोग, प्रत्येक बेसिन राज्य की आर्थिक और सामाजिक जरूरतें, पानी पर निर्भर आबादी शामिल हैं।

प्रत्येक बेसिन राज्य में बेसिन की उपलब्धता, अन्य संसाधनों की उपलब्धता और किसी सह-बेसिन राज्य को पर्याप्त नुकसान पहुँचाए बिना किसी बेसिन राज्य की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि उचित और न्यायसंगत हिस्से को निर्धारित करने में, सभी प्रासंगिक कारकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए और समग्र रूप से एक निष्कर्ष पर पहुंचना है।

162. इस संबंध में, श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पार्टी राज्यों को समान अधिकार बहाल करके पानी का आवंटन न्याय के अनुसार किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक और तमिलनाडु सह-समान राज्य थे और यह कि पानी आवंटित करते समय दोनों के साथ न्याय किया जाना था, एक तथ्य जो न्यायाधिकरण करने में विफल रहा था

पहचान लीजिए। न्यायाधिकरण ने इन री में निर्धारित कानून के विपरीत न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत के साथ एक शून्य समझौते के आधार पर एक निर्णय को आपस में जोड़ाः राष्ट्रपति संदर्भ *(ऊपर)*। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हेलसिंकी नियम, *1966* में निर्धारित विभिन्न लागू कारक दोनों राज्यों के बीच कमोबेश समान रूप से संतुलित थे। इसके अलावा, इस सिद्धांत के आधार पर कि समानता समानता है, छोटे राज्यों, यानी केरल और पुडुचेरी के हिस्से को घटाने के बाद और अपव्यय का हिसाब रखने के बाद उपलब्ध शेष पानी को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।

163. इस संदर्भ में, हम *1956* के अधिनियम के शब्दकोश खंड का उल्लेख कर सकते हैं। धारा *2 (*सी*)* 'जल विवाद' को परिभाषित करती है। यह नीचे लिखा हैः

((i) किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण; या
((ii) संबंधित किसी भी समझौते की शर्तों की व्याख्या

ऐसे जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण या

ऐसे समझौते का कार्यान्वयन; या

*((*ग*)* धारा *7* में निहित निषेध के उल्लंघन में किसी भी जल दर का अधिरोपण।

164. धारा *3* जल विवादों के बारे में राज्य सरकार की शिकायतों से संबंधित है। उक्त प्रावधान नीचे दिया गया हैः

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

"3. जल विवादों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा शिकायतें। यदि किसी राज्य की सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ जल विवाद इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है कि किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल में राज्य या उसके निवासियों में से किसी के हित प्रभावित हुए हैं या होने की संभावना है।
पूर्वाग्रही रूप से

*(*क*)* अन्य राज्य द्वारा की गई या पारित की गई कोई कार्यकारी कार्रवाई या विधान, या लेने या पारित करने का प्रस्ताव; या
*(*ख*)* उपयोग, वितरण के संबंध में अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में दूसरे राज्य या उसमें किसी प्राधिकरण की विफलता।

या ऐसे जल का नियंत्रण; या

*(*ग*)* ऐसे समझौते के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी समझौते की शर्तों को लागू करने में दूसरे राज्य की विफलता।
पानी,

राज्य सरकार, ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जाए, केंद्र सरकार से पानी भेजने का अनुरोध कर सकती है।

न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण को विवाद "।

165. 'जल विवादों' की परिभाषा और धारा *3* में निहित प्रावधानों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। धारा *3* की रक्षा करता है

किसी राज्य के निवासियों का अधिकार। जब राज्य *1956* के अधिनियम के तहत विवादों के निर्णय के लिए अनुरोध करते हैं, तो राज्य के निवासियों का हित शामिल होता है। इसलिए, श्री नरीमन प्रस्तुत करते हैं, दोनों राज्य पैरेंट्स पेट्रिया सिद्धांत द्वारा शासित हैं। उल्लिखित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि विवाद का निर्णय राज्यों की समान स्थिति और समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए।

ओ. न्यायाधिकरण के समक्ष अभिवचनों का सार

166. इस प्रकार कहने के बाद, हम सोचते हैं कि यह आवंटन के संबंध में अभिवचनों से संबंधित भौतिक पहलुओं पर निष्कर्षों को संदर्भित करता है।

जल की मात्रा और ऐसे दावों को बनाए रखने के लिए आधार। उस क्षेत्र में, हम पहले अभिवचनों की रूपरेखा का विज्ञापन करेंगे।

167. कर्नाटक राज्य की दलील थी कि *19* वीं शताब्दी के अंत तक, कुर्ग और मैसूर राज्यों में कावेरी के पानी का उपयोग मुख्य रूप से नदी से खींची गई नहरों से किया जाता था बिस्तर और छोटी मात्रा में टैंकों से *[2018] 5* एस. सी. आर. में *73* टी. एम. सी. से अधिक नहीं।

कुल मिलाकर। भंडारण की कोई सुविधा नहीं थी और इस प्रकार, कृषि कार्य वर्षा पर निर्भर थे। आरोप है कि किए गए प्रयास

मैसूर राज्य द्वारा सिंचाई के उद्देश्यों के लिए इस नदी के पानी का उपयोग करने के लिए मद्रास की ब्रिटिश सरकार के विरोध से लगातार निराश थे और हालांकि मैसूर राज्य ऊपरी था।

नदी तटीय राज्य और नदी में सबसे अधिक प्रवाह का योगदान दिया, फिर भी मद्रास के निचले नदी तटीय प्रांत के पुनर्निर्माण के कारण इसे सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने की अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसने तर्क दिया कि अंततः, *19* वीं शताब्दी के अंतिम भाग और *20* वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में पत्राचार की एक श्रृंखला के बाद और इस मुद्दे पर मध्यस्थता कार्यवाही की परिणति पर, *1931* में कृष्ण राजा सागर बांध *(*जिसे *"*केआरएस*"* भी कहा जाता है*)* के निर्माण के बाद कावेरी के पानी के भंडारण के लिए एक योजना तैयार की गई थी। इसमें कहा गया है कि *1934* तक मद्रास भी पूरा हो चुका था। कावेरी के *93.5* टी. एम. सी. पानी के भंडारण के लिए मेट्टूर बांध का कार्य जिससे *1,21,457* हेक्टेयर से अधिक की खेती को सक्षम बनाया जा सके। *(3,00,000* एकड़*)* नए क्षेत्र का। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्य मैसूर और अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए कर्नाटक राज्य के गठन के बाद, कर्नाटक में कावेरी बेसिन का जल निकासी क्षेत्र बढ़कर *42.2%* हो गया। कर्नाटक में कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों जैसे हारंगी, हेमवती, कबिनी का उल्लेख करने के अलावा, यह रेखांकित किया गया कि कावेरी नदी घाटी में अलग-अलग मात्रा में वर्षा हुई है। विस्तार से, यह कहा गया कि बेसिन के पश्चिमी और मध्य भागों में मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर में समाप्त होने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून में वर्षा हुई, जबकि पूर्वी भाग में सितंबर में शुरू होने वाले और दिसंबर में समाप्त होने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून ने काफी हद तक भाग लिया। इसने अनुमान लगाया कि वर्षा का स्वरूप स्वयं दर्शाता है कि राज्य के बड़े कृषि योग्य क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा हुई है। हालांकि कर्नाटक में पश्चिमी घाट का हिस्सा बनने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश हुई, फिर भी मैसूर, मांड्या, हासन, तुमकुर, बेंगलुरु और कोलर जिलों के अन्य हिस्सों में गंभीर और लगातार सूखे का सामना करना पड़ा।

168. कर्नाटक के अनुसार, इसके विपरीत, तमिलनाडु में बेसिन के पूर्वी भाग में सितंबर के अंत से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून में भारी वर्षा हुई और आगे तमिलनाडु में बेसिन के मध्य भाग में दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्व मानसून दोनों प्राप्त हुए। सिंचाई आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, इसने कहा कि हालांकि कर्नाटक के पास कावेरी बेसिन में खेती योग्य और खेती योग्य भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र था, फिर भी यह अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक का उल्लेख करता है।

बेसिन में सूखा प्रवण क्षेत्रों का सबसे बड़ा विस्तार है और उचित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके इन क्षेत्रों में राहत देने की अनिवार्य आवश्यकता थी। इस बात पर भी जोर दिया कि इसके कारण

कम पुनर्भरण के परिणामस्वरूप अनिश्चित भूजल संसाधन, सामान्य रूप से गहरे जल स्तर और जलभृत में कम भंडारण के कारण राज्य को कावेरी बेसिन में सतही जल आवंटन पर निर्भर रहना पड़ता है। फसल के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताते हुए यह बताया गया कि रागी, ज्वार, सेसमम, मूंगफली,

बरसात में चना और छोटी अवधि की दालें आम तौर पर ख़रीफ़ की फसलें थीं। कुछ क्षेत्रों में जहां मिट्टी बची हुई थी या देर से बारिश हुई थी, कुछ रबी फसलों जैसे ज्वार, बंगाल चना और कपास की भी खेती की जाती है। इसने इस बात पर जोर दिया कि जून से फरवरी तक की पूरी अवधि के दौरान फसलों को सुनिश्चित करने के लिए, यानी सिंचाई का मौसम, पानी।

कावेरी एक अपरिहार्य आवश्यकता थी, विशेष रूप से राज्य द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चित सूखे की स्थिति को देखते हुए।

1892 और *1924* के समझौतों ने कावेरी के पानी पर तमिलनाडु, एक निचले नदी तटीय राज्य, के निर्धारित अधिकारों को तथ्यात्मक रूप से मान्यता दी और उनकी रक्षा की और यह कि ये समझौते मद्रास और मैसूर की पूर्ववर्ती सरकारों के बीच विवादों पर विचार-विमर्श के परिणाम थे, जिनके उत्तराधिकारी वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य हैं, यह कहा गया था कि हालांकि कर्नाटक राज्य कावेरी के पानी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था, फिर भी वह तमिलनाडु के लोगों के हितों के पूर्वाग्रह के कारण ऐसा नहीं कर सका। यह रेखांकित किया कि अंतर-राज्यीय नदी के पानी के बंटवारे का निर्णय न्यायसंगत बंटवारे के सिद्धांत के साथ-साथ विहित अधिकारों के सामान्य कानून द्वारा किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के अनुसार, जहाँ भी है

अंतर-राज्यीय नदी और उसकी नदी घाटी के जल के उपयोग, विकास और नियंत्रण के संबंध में पक्षों के बीच एक समझौता, समझौते की शर्तें पक्षों के दावे को नियंत्रित करेंगी। इसने आरोप लगाया कि कबिनी, हेमवती, हारंगी और *[2018] 5* एस. सी. आर. का निर्माण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्नाटक द्वारा सुवर्णवती परियोजनाएं तमिलनाडु की सहमति के बिना थीं और इस प्रकार *1924* के समझौते का उल्लंघन करती थीं।

इस तथ्य का लाभ कि तमिलनाडु एक निचला नदी तटीय राज्य था। इसने विस्तार किया कि कर्नाटक ने *1958* से कबिनी जलाशय का निर्माण शुरू किया और *1975* में इसे पूरा किया और उक्त जलाशय से सिंचाई *1975/1976* के बाद से शुरू हुई। तमिलनाडु ने तर्क दिया कि इन जलाशयों के निर्माण के कारण, मेट्टूर जलाशय में प्रवाह काफी हद तक और भौतिक रूप से कम हो गया था। यह दोहराने के अलावा कि इन परियोजनाओं का निर्माण तमिलनाडु की सहमति के बिना किया गया था और इसके लिए आवश्यक मंजूरी भी, इसने जोर देकर कहा कि तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, ऊपरी नदी तटीय राज्य को पूर्ण अधिकार नहीं था

निचले तटवर्ती राज्यों के नुकसान के लिए एक अंतरराज्यीय नदी के पानी को जब्त या उपयोग करें। इसने दृढ़ता से कहा कि निचले तटवर्ती राज्य के पूर्व-विद्यमान अधिकार को अधिक संरक्षित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब कावेरी नदी तमिलनाडु की एकमात्र प्रमुख नदी है जो राज्य के सतही जल उपयोग में

लगभग *50* प्रतिशत का योगदान दे रही है। राज्य द्वारा अनुभव किए गए दो मानसूनों का उल्लेख करते हुए, तमिलनाडु ने विस्तार से बताया कि कावेरी बेसिन का ऊपरी भाग, जो मेट्टूर के ऊपर है, प्रभावित है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा और उत्तर-पूर्व मानसून द्वारा निचले भाग में और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान नदी का प्रवाह काफी हद तक ऊपर पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्र से बहने पर निर्भर करता है।

शिवसमुद्रम गिरता है। यह कहा गया था कि जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून अधिक सघन, अटूट और भरोसेमंद होता है और लंबे समय तक फैला रहता है, वहीं उत्तर-पूर्व मानसून, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद राज्य में आता है, इतना अनियमित और निर्भर नहीं है कि तटीय क्षेत्र

और डेल्टा में कभी-कभी बहुत कम अवधि की भारी वर्षा होती है, जिनमें से अधिकांश को न तो संरक्षित किया जा सकता है और न ही डेल्टा में उपयोग किया जा सकता है। राज्य के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, मेट्टूर जलाशय के नीचे स्थित अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र को लाभ नहीं होता है, सिवाय भवानी और अमरावती सहायक नदियों की उच्च श्रृंखलाओं के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र पश्चिमी घाट के वर्षा छाया वाले क्षेत्रों में स्थित है। यह दोहराया गया कि अद्वितीय भौगोलिक और जलविज्ञान के कारण कावेरी बेसिन की विशेषताओं के अनुसार, तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूरी तरह से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है और उसे उत्तर-पूर्व मानसून से हुए नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस बात पर जोर देने के लिए कि इसे दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जून से कावेरी नदी के प्रवाह और उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान स्थानीय वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, इसने समझाया कि *1934* में मेट्टूर जलाशय के चालू होने के बाद, कर्नाटक राज्य अपने मुख्य सचिव द्वारा।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

डेल्टा के रास्ते में नदी चैनलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रवाह को रोकना और विनियमित निर्वहन भेजना संभव था।

और आपूर्ति की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, इसे विनियमित करने के लिए कई नियामक नियंत्रण तैयार किए गए हैं। इसकी फसल का उल्लेख करते हुए

तमिलनाडु ने बताया कि डेल्टा में जून और सितंबर के महीनों के बीच "कुरुवाई" नामक एक छोटी अवधि की फसल उगाई जाती है, जिसके बाद अक्टूबर और फरवरी के बीच "थलाडी" नामक एक मध्यम फसल उगाई जाती है। इसमें "सांबा" नामक एक दीर्घकालिक फसल का भी उल्लेख किया गया है जो जुलाई और जनवरी के बीच एकल फसल भूमि में उगाई जाती है जो बड़े पैमाने पर है। तमिलनाडु ने रेखांकित किया कि डेल्टा में विशेष रूप से तंजावुर जिले में चावल प्रमुख फसल थी और पूरा राज्य चावल के लिए काफी हद तक इस जिले पर निर्भर था जो लोगों का मुख्य भोजन था। इसने जोर देकर कहा कि डेल्टा की जलोढ़ मिट्टी पानी की उपलब्धता के अधीन चावल उगाने के लिए आदर्श है और केवल अलग-अलग क्षेत्रों में, गन्ना, केला और अन्य फसलें उगाई जाती हैं।

170. केरल का कहना है कि कावेरी नदी पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों से निकलती है और इसका विशाल जलग्रहण क्षेत्र केरल में फैला हुआ है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य और वे तीन सहायक राज्य

काबिनी, भवानी और पम्बर नामक नदी के जलग्रहण क्षेत्र के कुछ हिस्से केरल राज्य में हैं। यह भी कहा गया कि प्रवाह में इसका कुल योगदान *20* प्रतिशत तक है, लेकिन यह कावेरी के पानी के उपयोग में दूसरों से पीछे है। इसके लिए एक कारण के रूप में, इसने इस तथ्य का हवाला दिया कि वर्ष *1956* में राज्यों के पुनर्गठन से पहले, न तो त्रावणकोर और न ही त्रावणकोर-कोच्चि राज्य को कावेरी के पानी के बंटवारे के विवाद में एक इच्छुक पक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद, बेसिन में सुधार और राज्य द्वारा उपयोग के लिए कावेरी बेसिन में पानी को मोड़ने के लिए दृढ़ प्रयास किए गए थे। हालाँकि, इसने रेखांकित किया कि अन्य नदी तटीय राज्यों की आपत्ति के कारण राज्य के प्रयास विफल हो गए थे और हालाँकि कई दावे सामने लाए गए थे और अन्यथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए गए थे, फिर भी अन्य निचले नदी तटीय राज्यों के अडिग रवैये के कारण उन्हें निष्पादित नहीं किया जा सका। इसने प्रकाश डाला कि इन सभी कारकों के लिए केरल राज्य को धान की एकल फसल पर निर्भर रहना पड़ा, हालांकि कावेरी बेसिन में उपलब्ध पानी से सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ दूसरी या तीसरी फसल उगाने की बहुत गुंजाइश है। इसने इस बात पर जोर दिया कि इसकी भूजल क्षमता नगण्य थी, लेकिन केरल राज्य में कावेरी बेसिन की विशेष स्थलाकृतिक विशेषता के कारण, कावेरी बेसिन से पानी का मोड़ सस्ते पनबिजली *(2018) 5* एस. सी. आर. के विकास की गुंजाइश का वादा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी की खपत की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा विद्युत ऊर्जा। इसने कहा कि जबकि इसे बेसिन में किसी भी योजना को शुरू करने से रोक दिया गया था, तमिलनाडु ने सिंचाई के विस्तार के लिए पानी के उपयोग में निर्माण के साथ आगे बढ़ाया और उस उद्देश्य के लिए,

भारत सरकार ने मेट्टूर नहर परियोजना, कट्टलाई उच्च स्तरीय नहर और पुल्लमबाड़ी नहर योजनाओं जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी। राज्य की

कर्नाटक ने कावेरी बेसिन में पानी के आनुपातिक उपयोग के मामले में केरल राज्य के साथ हुए भेदभाव को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी के बिना भी कावेरी के पानी का उपयोग करने के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू कीं।

171. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने दलील दी कि उसका कराईकल क्षेत्र दक्षिण कोरोमंडल तट पर स्थित है और यह कि तीनों

कावेरी नदी ग्रैंड एनीकट के नीचे नदी की शाखाओं से बहती है जहाँ कावेरी नदी विभाजित होती है और खुद को उप-विभाजित करती है और कराईकल क्षेत्र में सिंचाई और प्रशिक्षण दोनों चैनलों की सेवा करती है। कराईकल क्षेत्र के लिए तीन फसलों, साम्बा *(*एकल फसल*)*, कुरुवाई *(*दोहरी फसल*)* और थलाडी *(*दोहरी फसल*)* के लिए पानी की आवश्यकता *9240 Mc.ft*, यानी *17220* हेक्टेयर के लिए *9.24* टी. एम. सी. बताई गई थी। सिंचाई। इसने दावा किया कि उसके क्षेत्र के हित पर ध्यान दिया गया था जब तत्कालीन मद्रास सरकार और मैसूर सरकार के बीच कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के संबंध में *1892* और *1924* के समझौते किए गए थे। मेट्टूर बांध के निर्माण के लिए तत्कालीन प्रभारी फ्रांसीसी प्रशासन ने कराईकल क्षेत्र को कावेरी जल की आपूर्ति के विनियमन के लिए मद्रास की तत्कालीन सरकार को अपना दावा सौंपा। हालाँकि, इसने आरोप लगाया कि *1972* के बाद, पानी के वास्तविक छोड़े जाने में *2* टी. एम. सी. से *6* टी. एम. सी. तक की कमी आई है।

172. साक्ष्य को दर्ज करने के बाद, जिसे हम इसके बाद विभिन्न शीर्षकों के तहत संदर्भित करेंगे, दोहराने के लिए, सुविधा के उद्देश्य से मुद्दों को अंत में फिर से संगठित किया गया था जिन्हें हम पहले ही यहाँ पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

173. न्यायाधिकरण ने क्रमिक रूप से पुनर्गठित मुद्दों से निपटा और तदनुसार, इसकी वैधता या अन्यथा की जांच करने के लिए आगे बढ़ा।

1892 और *1924* के समझौते। इसने उन पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को निर्धारित किया जिनके तहत समझौते किए गए थे। समझौतों की स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए हमें विस्तार से विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हमने समझौतों की स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उल्लेख किया है। हालाँकि, यह बताना आवश्यक है कि पत्राचार और चर्चाओं की एक श्रृंखला के बाद, मैसूर सरकार और मद्रास सरकार के बीच *1892* में नियमों के रूप में एक समझौता किया गया था, जिसका शीर्षक था "उन सीमाओं को परिभाषित करने वाले नियम जिनके भीतर मद्रास सरकार के पूर्व संदर्भ के बिना मैसूर राज्य द्वारा कोई नया सिंचाई कार्य नहीं किया जाना है"। न्यायाधिकरण ने नियमों के प्रासंगिक खंडों को निर्धारित किया और जांच के तहत मुद्दे पर एक दुर्जेय असर डालने वाले उनके उद्धरण नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"मैसूर सरकार, मद्रास सरकार की पूर्व सहमति के बिना, या नीचे दिए गए नियम *IV* के तहत किसी निर्णय से पहले, *(ए)* किसी भी हिस्से में किसी भी "नए सिंचाई जलाशय" का निर्माण नहीं करेगी।

संलग्न अनुसूची ए में नामित पंद्रह मुख्य नदियों में से, या उक्त अनुसूची बी के कॉलम *(5)* में निर्दिष्ट बिंदु के नीचे अनुसूची बी में नामित किसी भी धारा के पार, या किसी भी जल निकासी क्षेत्र में

उक्त अनुसूची बी में विनिर्दिष्ट, या *(*बी*)* अनुसूची ए, संख्या की धाराओं में कोई भी "नया एनिकट"। *4 9* और *14* और *15* तक, या अनुसूची बी की किसी भी धारा में, या अनुसूची ए की निम्नलिखित धाराओं में, यहाँ निर्दिष्ट अंकों से कमः

10 कावेरी के पार-रामास्वामी एनीकट से कम और,
13 कबानी के पार-रामपुर एनीकट से कम।

III. जब मैसूर सरकार किसी भी "नए सिंचाई जलाशय" या किसी नए एनिकट का निर्माण करना चाहती है, जिसके लिए मद्रास सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
पूर्ववर्ती नियम के अनुसार, तब प्रस्तावित कार्य के बारे में पूरी जानकारी मद्रास सरकार को भेजी जाएगी और कार्य के वास्तविक प्रारंभ से पहले उस सरकार की सहमति प्राप्त की जाएगी। मद्रास सरकार पहले से अर्जित और वास्तव में मौजूदा, *[2018] 5* एस. सी. आर. के निर्देशात्मक अधिकार के संरक्षण के अलावा ऐसी सहमति से इनकार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

ऐसे अधिकार का अस्तित्व, विस्तार और प्रकृति और

प्रत्येक मामले में इसका प्रयोग करना जिसके अनुसार निर्धारित किया जाता है

जल के उपयोग के निर्देशात्मक अधिकार के विषय पर कानून और

सभी के तहत जो उचित और उचित है उसके अनुसार

प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियाँ।

174. अनुसूची ए, जिसे नियमों के साथ जोड़ा गया था, में इन क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों का विवरण दिया गया था।

मद्रास सरकार को कार्य करना और यदि मद्रास सरकार द्वारा ऐसी कोई सहमति देने से इसके निवासी पहले से अर्जित और इसके अनुसार मौजूद निर्धारित अधिकारों के संरक्षण से वंचित हो जाएँगे। एक अंतर-राज्यीय नदी के उपयोग पर कानून।

176. इसके बाद न्यायाधिकरण ने बाद की घटनाओं पर ध्यान दिया

कावेरी नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए दोनों राज्यों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने के बाद समय के साथ दोनों राज्यों के बीच एक नए विवाद को जन्म दिया। जैसा कि न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया है, इस असहमति ने विवादों को जन्म दिया, ग्रिफिन पुरस्कार और अंततः *1924* के समझौते को लागू किया। न्यायाधिकरण ने आम तौर पर खंड *10 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (xi), (xiv)* और *(xv)* के विशेष संदर्भ के साथ समझौते को समग्र रूप से पारित किया।

कृष्ण राजा सागर जलाशय का संचालन; कर्नाटक के अनुलग्नक राज्य में उसके प्रमुख सचिव *v.* द्वारा निर्धारित विनियमन के नियमों के अनुसार उक्त जलाशय के माध्यम से और उससे निर्वहन को सख्ती से विनियमित करने के लिए मैसूर सरकार का दायित्व।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(I) समझौते के लिए; मैसूर और मद्रास में सिंचाई का भविष्य में विस्तार के साथ-साथ *1892* के समझौते की अनुसूची ए में उल्लिखित कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर जलाशयों का भविष्य में निर्माण; जलाशयों के संचालन का तरीका और तरीका ताकि कृष्ण राजा सागर जलाशय के लिए विनियमों के नियमों में स्वीकार किए गए मापकों द्वारा सूचित आपूर्ति में कोई भौतिक कमी न हो; संशोधनों और परिवर्धन के उद्देश्य से समझौते के निष्पादन की तारीख से *50* साल की समाप्ति पर खंड *(iv)* से *(viii)* में सन्निहित सीमाओं और व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार, जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हो; स्वतंत्रता

यदि मद्रास सरकार भवानी, अमरावती या नोय्यल नदियों में नए भंडारण जलाशयों के रूप में सिंचाई कार्यों का निर्माण करती है और समझौते की व्याख्या या संचालन या निष्पादन को लेकर दोनों सरकारों के बीच किसी भी विवाद के मध्यस्थता के संदर्भ के लिए प्रावधान करती है, तो मैसूर सरकार को मैसूर में कावेरी की सहायक नदियों में से एक पर मद्रास में नए जलाशयों के *60* प्रतिशत से अधिक क्षमता के भंडारण जलाशय का निर्माण करने के लिए, एक ऑफसेट के रूप में।

177. न्यायाधिकरण ने कृष्ण राजा सागर के विनियमन के नियमों के नियम *7* के उद्धरण को भी निर्धारित किया जिसमें न्यूनतम प्रवाह निर्धारित किया गया था।

कावेरी जिसे किसी भी घटना से पहले ऊपरी एनीकट में सुनिश्चित किया जाना था

कृष्ण राजा सागर जलाशय में घेराबंदी की गई थी। चाहे जो भी कहा जाए, हम पहले ही इसे पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं।

178. ट्रिब्यूनल ने इसके बाद *1892* और *1924* के समझौतों को स्कैन किया और दिनांकित *17.06.1929* के स्पष्टीकरण समझौते को समझने के लिए नोट किया कि

निश्चित स्तर या निर्वहन *(ए)* कृष्ण राजा सागर जलाशय से छोड़े गए पानी, *(*बी*)* कबिनी, सुवर्णवती, शिम्शा और अर्कावती सहायक नदियों से जो कृष्ण राजा सागर के नीचे मैसूर/कर्नाटक राज्य के भीतर कावेरी में मिल जाते हैं, के आधार पर बनाए रखा जाना था। जलाशय और *(*ग*)* मद्रास/तमिलनाडु में कावेरी की चार सहायक नदियां; *(i)* चिन्नार, *(ii)* नोय्यल, *(iii)* भवानी और *(iv)* अमरावती।

179. न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि केवल समझौता

उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर नए क्षेत्रों में सिंचाई के भविष्य के विस्तार के लिए विचार और प्रावधान किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त समझौते के निष्पादन के बाद, मद्रास राज्य को कावेरी नदी के पानी के निर्वहन और उन क्षेत्रों के बीच कोई संबंध या संबंध नहीं था जिन पर कोई निर्धारित अधिकार पहले ही प्राप्त कर लिया गया था या

यह वास्तव में मौजूद था और उक्त समझौते के निष्पादन से पहले कावेरी प्रणाली द्वारा सिंचाई के तहत कुल क्षेत्र को लेकर सूत्र तैयार किया गया था।

संदर्भ में, यह राय दी गई कि जब भी कोई विवाद उठाया जाता है, तो इसकी जांच न केवल खंड *10* में निर्धारित शर्तों के आलोक में की जानी चाहिए *((iv)* से *10 (viii)* तक, लेकिन खंड *10 (ii)* में निहित कृष्ण राजा सागर जलाशय के लिए विनियमन के नियमों का पालन करने के लिए मैसूर/कर्नाटक राज्य की ओर से प्रदान किए गए दायित्व और जनादेश के आलोक में भी।

181. इसने इस न्यायालय की टिप्पणियों का समर्थन किया कि हालांकि अंतर-राज्यीय नदी का पानी तटवर्ती राज्यों के क्षेत्रों से होकर गुजरता है, फिर भी ऐसा पानी किसी एक राज्य में स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रवाह की स्थिति में है, और इस प्रकार, कोई भी राज्य ऐसे पानी के अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है ताकि अन्य राज्यों को उनके न्यायसंगत हिस्से से वंचित किया जा सके। इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु राज्य के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि कावेरी नदी के पानी का आवंटन और विभाजन *1892* और *1924* के समझौतों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए, लेकिन इस टिप्पणी के साथ अलग हो गया कि अलग-अलग राज्यों में किए गए विकास पर विचार करते हुए इसकी शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पी. विभिन्न मुद्दों पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष पी. *1* निर्देशात्मक अधिकार और अन्य दावे

182. राज्यों द्वारा प्रस्तावित निर्देशात्मक अधिकारों और अन्य दावों के संबंध में, न्यायाधिकरण ने दोहराया कि *1924* का समझौता कृष्ण राजा सागर जलाशय के विनियमन के नियमों के साथ, जैसा कि इसमें जोड़ा गया है, उस प्रभाव के लिए कुछ भी संकेत नहीं दिया गया था और न ही उन क्षेत्रों के लिए कोई संदर्भ दिया गया था जिन पर कोई निर्देशात्मक अधिकार पहले प्राप्त किया गया था या मौजूदा था और न ही कोई प्रावधान किया गया था

इसे ध्यान में रखें। इसने इस संबंध में *1892* के समझौते को अलग किया, जिसमें *1924* के समझौते से पहले से प्राप्त और फिर मौजूद निर्देशात्मक अधिकारों के संबंध में जोर दिया गया था, जिसमें मद्रास राज्य या उसके किसानों के किसी भी मौजूदा निर्देशात्मक अधिकार का संदर्भ नहीं था। न्यायाधिकरण ने माना कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैसूर सरकार और मद्रास राज्य ने *1924* के समझौते में प्रवेश करते समय मैसूर राज्य के साथ-साथ मद्रास राज्य के भीतर कावेरी प्रणाली की सिंचाई के तहत कुल क्षेत्रों को मान्यता दी थी, भले ही मद्रास राज्य द्वारा सिंचाई के तहत किसी भी हिस्से या पूरे क्षेत्र पर किसी भी निर्धारित अधिकार का अधिग्रहण किया गया हो और इसने इसके बजाय अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य के भविष्य के विस्तार के लिए प्रावधान किया था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

नए क्षेत्रों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार सिंचाई करना। मैसूर के तत्कालीन दीवान द्वारा मैसूर के निवासी को संबोधित एक पत्र का उल्लेख करते हुए, जिसमें न्यायाधिकरण के अनुसार, मैसूर राज्य की ओर से यह स्वीकार किया गया था कि उस समय मद्रास में कावेरी प्रणाली के तहत सिंचित क्षेत्र *<ID2/-* एकड़ था, इसने तमिलनाडु राज्य के दावे को बरकरार रखा कि *1924* के समझौते के निष्पादन से पहले, इसका सिंचाई क्षेत्र *13,26,233* एकड़ था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि समग्र पृष्ठभूमि में, यह जांच करना व्यर्थ होगा कि तत्कालीन मद्रास राज्य में कुल क्षेत्रफल क्या था, जिस पर तमिलनाडु राज्य को पानी की मात्रा आवंटित करने के उद्देश्य से विहित अधिकार प्राप्त किए गए थे या अस्तित्व में थे और सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, मद्रास के विहित अधिकार के बारे में मुद्दा प्रस्तुत किया गया था।

अकादमिक।

पी. *2 1892* और *1924* के समझौतों का उल्लंघन और परिणाम

बिनि।

183. समझौतों के उल्लंघन और उसके परिणामों के अत्यधिक विवादास्पद मुद्दे से निपटने के लिए, न्यायाधिकरण ने रेखांकित किया

184. असहमति के इन क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए, संक्षेप में, न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से दोनों पक्षों के बीच आधिकारिक आदान-प्रदान/पत्राचार का उल्लेख किया। विभिन्न पहलुओं पर समझौते के निष्पादन के बाद दोनों राज्य *[2018] 5* एस. सी. आर.

उस पर, जिसके दौरान दोनों राज्यों ने अपनी परियोजनाओं को शुरू किया और आगे बढ़ाया, एक ही समय में, एक दूसरे के खिलाफ, समझौते से विचलन का आरोप लगाया। न्यायाधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि *1974* के बाद, जब कर्नाटक राज्य के अनुसार, *1924* का समझौता समाप्त हो गया, तो इसने विभिन्न जलाशयों में जल को जब्त करना शुरू कर दिया।

1924 के समझौते के किसी भी नियम या किसी भी शर्त का पालन किए बिना अपने क्षेत्रों के भीतर कावेरी की सहायक नदियों पर निर्माण किया गया और जिन क्षेत्रों को ऐसे जलाशयों से सिंचाई के तहत रखा जाना था और एनीकट जैसे कार्यों के अन्य मोड़, हर साल बढ़ गए। उल्लेख करते हुए

उसके समक्ष रखे गए चार्टों पर, न्यायाधिकरण ने यह भी चिह्नित किया कि कर्नाटक राज्य में हेमावती, कबिनी, सुवर्णवती और हारंगी की सहायक नदियों पर विभिन्न जलाशयों में पानी की मात्रा में वृद्धि हुई, जो निश्चित रूप से विवाद को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजे जाने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों में से एक था। मध्यस्थता संबंधी घटनाक्रमों के समग्र दृष्टिकोण पर न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के कथित उल्लंघनों या उल्लंघनों के लिए कौन दोषी और जिम्मेदार था, इस मुद्दे को समय के साथ अकादमिक बना दिया गया था और इसकी कोई व्यावहारिक प्रासंगिकता नहीं थी। हालाँकि, यह निर्धारित किया गया कि मैसूर ने *50* साल की अवधि की समाप्ति तक कृष्ण राजा सागर जलाशय के विनियमन के नियमों का पालन किया था।

1924 के समझौते के निष्पादन की तारीख से, लेकिन उसके बाद अपनी सीमाओं के भीतर कावेरी से बहने वाले पानी पर अपने क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करना शुरू कर दिया था। यह देखते हुए कि तमिलनाडु राज्य ने भी पिछले कुछ वर्षों में कावेरी सिंचाई प्रणाली के तहत अपना क्षेत्रफल *16* लाख से बढ़ाकर *28* लाख कर दिया है, न्यायाधिकरण का उद्देश्य था -

यह विचार कि राज्यों द्वारा कथित रूप से एक-दूसरे को किए गए उल्लंघन या चोट वास्तव में इतिहास का विषय था और काफी अवधि बीतने के बाद इसके मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रबंधनीय मानदंड की अवहेलना करता है।

समय की।

पी. *3* परिधीय मुद्दों ने केरल और केंद्र शासित प्रदेश के दावे किए

पांडिचेरी *(*वर्तमान में "पुडुचेरी" के रूप में नामित*)*

185. न्यायाधिकरण, इस मोड़ पर, शुरू करने से पहले

नदी तटीय राज्यों के बीच बंटवारे के उद्देश्य से उपलब्ध पानी की कुल उपज का पता लगाने के लिए कारकों की जांच ने केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के दावों से संबंधित कुछ परिधीय मुद्दों को संबोधित किया। केरल में, इसने दर्ज किया कि उसके हिस्से का दावा

कावेरी नदी का पानी मुख्य रूप से मद्रास राज्य से स्थानांतरित किए गए क्षेत्रों के कारण बनाया गया था। मालाबार जिला, जो राज्यों के पुनर्गठन से पहले, अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य का एक अभिन्न अंग था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

यह देखा गया कि मद्रास राज्य में न केवल कावेरी बेसिन का एक हिस्सा शामिल था, बल्कि दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों, काबिनी और भवानी का एक हिस्सा भी शामिल था, इसके अलावा एक अन्य सहायक नदी, पम्बर, जो पूर्ववर्ती त्रावणकोर कोचीन राज्य के भीतर थी, उन क्षेत्रों को भी इस तरह के पुनर्गठन पर नए राज्य केरल के साथ एकीकृत किया गया था। पूर्ववर्ती त्रावणकोर कोचीन राज्य इस समझौते का पक्षकार नहीं था

1924 में, लेकिन वर्ष *1956* में अपने गठन के बाद, केरल राज्य ने यह तर्क देते हुए जल के विभाजन का दावा करना शुरू कर दिया कि उक्त समझौता उस पर बाध्यकारी नहीं था और इसका निर्धारण करने के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।

शेयर करें। न्यायाधिकरण ने केरल राज्य की शिकायतों और मांगों को पेश करने वाले संचार की श्रृंखला का विस्तृत रूप से उल्लेख किया, सारतः यह असंगत था कि सह-नदी तटीय राज्य, मैसूर और मद्रास, कबिनी, भवानी और पम्बर सहायक नदियों में अपने हिस्से के पानी की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए अपनी परियोजनाओं पर मुकदमा चला रहे थे। आयोजित चर्चाओं में, इसने जोर देकर कहा कि कावेरी और उसकी सहायक नदियों में पानी के आवंटन के संबंध में कोई वैध या कानूनी समझौता नहीं था, क्योंकि वह इसमें कभी भी पक्षकार नहीं था। इसने दावा किया कि तीन सहायक नदियां, काबिनी, भवानी और अमरावती, जो केरल राज्य का हिस्सा बन गई थीं, ने पूरे कावेरी बेसिन में *680* टी. एम. सी. के कुल प्रवाह के मुकाबले लगभग *220* टी. एम. सी. का योगदान दिया और इस जल का व्यावहारिक रूप से कोई उपयोग नहीं किया गया था। इसने *86* टी. एम. सी. पर सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए अपना दावा दर्ज किया।

186. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के खेती के कुल क्षेत्र *43,000* एकड़ होने के दावे पर संज्ञान लिया गया। यह इस तथ्य पर आधारित था कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कराईकल क्षेत्र कावेरी बेसिन के भीतर स्थित था और सात

कावेरी की शाखाएँ उक्त क्षेत्र से होकर बहती थीं। न्यायाधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ भाग लिया कि पुडुचेरी क्षेत्र संघ, इस प्रकार, केवल कावेरी बेसिन में अपने हिस्से के पानी के आवंटन में रुचि रखता है क्योंकि यह नदी तटीय राज्यों के बीच अंतिम छोर पर है। इसने यह निर्देश देना उचित समझा कि मेट्टूर बांध को छोड़ी जाने वाली कुल मात्रा में से *6* टी. एम. सी. को पुडुचेरी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराना होगा।

कराईकल क्षेत्र में इसकी सिंचाई।

पी. *4* बंटवारे के लिए उपलब्ध सकल जल

पी. *4 (i)* जल का सतही प्रवाहः

187. इस प्रकार विवाद के प्रासंगिक पहलुओं को समझते हुए तथ्यात्मक प्रस्तावना रखने के बाद, न्यायाधिकरण ने *[2018] 5* एस. सी. आर. निर्धारित करने की ओर रुख किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावेदार राज्यों के बीच अंतिम आवंटन के लिए विश्वसनीय रूप से उपलब्ध पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए कावेरी नदी का सतही प्रवाह। उक्त उद्देश्य के लिए, इसने नदी की उपज से जांच शुरू की। इसने देखा कि एक नदी प्रणाली में पानी की उपज या कुल उपलब्ध मात्रा वर्षा पैटर्न, जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर थी।

मिट्टी और वनस्पति आवरण और बेसिन में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जलवायु मानकों सहित विशेषताएँ। इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि किसी दिए गए बेसिन की वार्षिक उपज वर्षा की घटना और उसके प्रभाव के आधार पर साल-दर-साल भिन्न होती है।

समय और स्थान में तीव्रता और वितरण। यह देखा गया है कि

कुल उपज के आकलन, विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की निकासी, यदि कोई हो, का असर पड़ा और यह कि नदी प्रणाली की उपज में से अंतिम स्थल पर ऊपर की ओर निकासी सहित कुल वार्षिक प्रवाह पर ध्यान देना आवश्यक था। इसने दर्ज किया कि वर्ष दर वर्ष एक नदी की वार्षिक उपज की परिवर्तनशीलता के कारण, वर्षा वितरण, परिणामी अपवाह और निकासी आदि के आधार पर, इस तरह के आंकड़े एक वर्ष के लिए एकत्र किए जाते हैं।

विश्वसनीय उपज का आकलन करने के लिए वर्षों की संख्या। इस स्तर पर, महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत का भी संदर्भ दिया गया था

संयुक्त राज्य अमेरिका का यह कथन कि रिपेरियन राज्यों को अपने क्षेत्रों से बहने वाले पानी पर अनन्य या संप्रभु अधिकार हैं और इसके कार्यान्वयन में इस सिद्धांत में विसंगति, विशेष रूप से उन मामलों में जहां संबंधित नदी का पानी सभी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त नहीं था।

राज्य जो उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर जल के उपयोग के अपने अनन्य अधिकार का दावा करता है, निचले तटवर्ती राज्य द्वारा ऐसी अंतर-राज्यीय नदी के पानी के उपयोग का अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। निचले तटवर्ती राज्यों का दूसरा चरम दावा कि वे ऐसी अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के लिए अपने प्राकृतिक प्रवाह में बिना किसी हस्तक्षेप और उनके चरित्र में परिवर्तन के हकदार थे, में वैमनस्य और विसंगति पैदा करने की क्षमता थी। ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्यों के ऐसे परस्पर विरोधी दावों को हल करने के लिए संतुलन बनाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कान्सास बनाम में प्रस्तावित न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत। कोलोराडो *(ऊपर)* पर ध्यान दिया गया। न्यायाधिकरण ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए हालांकि खुद से एक सवाल पूछा कि न्यायसंगत विभाजन क्या होगा, विशेष रूप से जहां उपलब्ध पानी विभिन्न नदी तटीय राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। *188.* न्यायाधिकरण ने इस संदर्भ में उल्लेख किया कि सतह के प्रवाह और वैकल्पिक राज्य कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी में उपलब्ध पानी की कुल मात्रा।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

विभिन्न राज्यों के दावे की तुलना में स्रोत बहुत कम थे और उनकी सिंचाई, बिजली, पेयजल और विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए उनकी आवश्यकता थी। इसने वर्ष *1972* में कावेरी तथ्य खोज समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट का फिर से उल्लेख किया, जिसमें इस मुद्दे पर शामिल राज्यों द्वारा भेजे गए कुल उपज के विवरण और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इसकी जांच के आधार पर और विभिन्न राज्यों में विभिन्न

स्थानों पर गेज और निर्वहन रीडिंग को ध्यान में रखते हुए, क्रमशः *50* प्रतिशत, *75* प्रतिशत और *90* प्रतिशत पर भरोसेमंद उपज *740* टी. एम. सी., *670* टी. एम. सी. और *623* टी. एम. सी. निर्धारित की गई। में। इन आंकड़ों पर पहुंचने पर समिति ने विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष *1901,1928,1956* और *1971* में कावेरी जल के उपयोग का उल्लेख किया। समिति ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं, भूमि उपयोग, कृषि क्षेत्रों और कृषि पद्धतियों, भूविज्ञान और खनिजों के साथ-साथ जलवायु, वर्षा और जल संसाधनों पर भी विचार किया। अभिलिखित पर मापन और निर्वहन अवलोकन

विशेष रूप से तमिलनाडु और मैसूर के स्थलों का भी उल्लेख किया गया था। कृष्ण राजा सागर, मेट्टूर और ग्रैंड एनीकट/लोअर एनीकट में मुख्य कावेरी के लिए उपलब्ध दीर्घकालिक रिकॉर्ड को देखते हुए, समिति ने उपज *50* प्रतिशत, *75* प्रतिशत और *90* प्रतिशत निर्भरता का अनुमान लगाया। समिति ने इस प्रकार कृष्ण राजा सागर और मेट्टूर जलाशयों के अस्तित्व को पर्याप्त महत्व दिया और तदनुसार, *1933-34* के आंकड़ों पर भरोसा किया जब ये दोनों जलाशय स्थिति में थे। इस प्रकार, समिति द्वारा बेसिन के अंतिम बिंदु, लोअर कोलरून एनीकट पर उपज का मूल्यांकन *50* प्रतिशत निर्भरता पर *740* टी. एम. सी., *75* प्रतिशत निर्भरता पर *670* टी. एम. सी. और *90* प्रतिशत निर्भरता पर *623* टी. एम. सी. किया गया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा विचार किया गया था, जिसके बाद वे कावेरी बेसिन के भीतर कुल उपज के निष्कर्ष से सहमत हुए।

189. उसी वर्ष, यानी *1973* में, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री

नदी तटीय राज्यों और भारत सरकार के सिंचाई मंत्री ने एक बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि सभी संबंधित राज्यों के लिए पानी के उपयोग में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना आवश्यक है ताकि कावेरी बेसिन में संभव अन्य परियोजनाओं की वैध जरूरतों को पूरा करना संभव हो सके। यह कहने के बाद कि अंत में, सिंचाई और बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री सी. सी. पटेल को कावेरी जल के उपयोग में अर्थव्यवस्था की गुंजाइश पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, श्री पटेल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने पर कुछ *[2018] 5* एस. सी. आर. का सुझाव दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट में ठोस प्रस्ताव। न्यायाधिकरण ने दर्ज किया कि तमिलनाडु राज्य ने किसी भी स्तर पर नदी के प्रवाह और कावेरी नदी की कुल उपज *50* प्रतिशत पर *740* टी. एम. सी. के संबंध में कावेरी तथ्य खोज समिति द्वारा किए गए आकलन पर विवाद नहीं किया।

निर्भरता, *75* प्रतिशत निर्भरता पर *670* टी. एम. सी. और *90* प्रतिशत निर्भरता पर *623* टी. एम. सी. और तीन नदी तटीय राज्यों, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल द्वारा उपयोग के बारे में भी स्वीकार किया था, जैसा कि समिति ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट में पाया है कि यह क्रमशः *566.60,176.82* और *5* टी. एम. सी. है।

कावेरी तथ्य खोज समिति का निष्कर्ष कि एक औसत वर्ष में कावेरी प्रणाली में *740* टी. एम. सी. पानी उपलब्ध था। द. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी यही रुख था। इस तरह के प्रचुर और विश्वसनीय अनुभवजन्य इनपुट को देखते हुए, न्यायाधिकरण ने कावेरी बेसिन की कुल उपज *50* प्रतिशत निर्भरता पर *740* टी. एम. सी. और *75* प्रतिशत निर्भरता पर *670* टी. एम. सी. को स्वीकार किया।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

पी. *4 (ii)* भरोसेमंद उपज की पहचानः

191. इसके बाद न्यायाधिकरण ने यह पहचानने की कोशिश की कि दोनों में से कौन सा *[2018] 5* एस. सी. आर.

विश्वसनीय उपज, अर्थात *50* प्रतिशत या *75* प्रतिशत को अंतिम विभाजन के उद्देश्य से अपनाया जाना था। इस संदर्भ में, यह अनुमान लगाया गया कि वर्ष दर वर्ष वार्षिक उपज की परिवर्तनशीलता का निर्धारण आवश्यक है।

टिकाऊ उपयोग योग्य प्रवाह जिसे अंतिम आवंटन के लिए स्वीकार किया जा सकता था, जिसके लिए उपलब्ध प्रवाह *(*उपज*)* की निर्भरता का जबरदस्त महत्व था। इस संबंध में, यह देखा गया कि सतह के बहाव से पानी की उपयोग करने योग्य मात्रा का आकलन सिंचाई आयोग, *1972* और राष्ट्रीय जल आयोग सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा किया गया था।

व्योमिंग राज्य बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। कोलोराडो राज्य *(*ऊपर*)* ने कहा कि वर्षों का सबसे कम प्राकृतिक प्रवाह परीक्षा नहीं है और उचित दृष्टिकोण यह है कि प्राकृतिक प्रवाह के संरक्षण और बराबरी के लिए अपनाए गए जलाशयों के माध्यम से आम तौर पर सबसे कम से अधिक भौतिक रूप से काफी स्थिर और भरोसेमंद प्रवाह प्राप्त किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों द्वारा *38* वर्षों की अवधि के दौरान *1934-35* से *1971-72* तक दी गई उपज श्रृंखला से, सबसे कम दर्ज की गई उपज *1952-53* अवधि के दौरान तमिलनाडु के अनुसार *523* टी. एम. सी. और कर्नाटक के अनुसार *516* टी. एम. सी. थी। इसने नोट किया कि कावेरी बेसिन में, प्रवाह में उतार-चढ़ाव उतना अधिक नहीं था जितना कि कृष्णा या नर्मदा बेसिन में था, सबसे कम उपज और भरोसेमंद उपज के बीच इस तरह का उतार-चढ़ाव *30* प्रतिशत के भीतर था, जबकि कृष्णा या नर्मदा के मामले में यह *56* प्रतिशत और *70* प्रतिशत था। न्यायाधिकरण ने तमिल राज्यों द्वारा निर्मित विभिन्न जलाशयों की भंडारण क्षमता पर ध्यान दिया कावेरी बेसिन में *1972* से पहले और बाद में तमिलनाडु और कर्नाटक। इसने केरल राज्य द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा, जिनमें से प्रत्येक में *1* टी. एम. सी. से अधिक का भंडारण है और बेसिन में कुल *19* टी. एम. सी. की भंडारण क्षमता है। तथ्य यह है कि इसके अलावा, कम क्षमता वाले अन्य छोटे जलाशयों से लगभग *12* टी. एम. सी. भंडारण क्षमता उपलब्ध थी।

1 से अधिक टी. एम. सी. का संज्ञान लिया गया। इस प्रकार न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कावेरी बेसिन में कुल भंडारण क्षमता *330* टी. एम. सी. *(*सकल*)* और *310* टी. एम. सी. *(*जीवित*)* थी। यह विचार था कि *740* टी. एम. सी. *(*यानी *50* प्रतिशत भरोसेमंद उपज*)* का लगभग *42* प्रतिशत कावेरी बेसिन के सभी भंडारण जलाशयों में संग्रहीत किया जा सकता है जो नदी बेसिन के जल संसाधनों के विकास और उपयोग में विचार के

लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। इसने निष्कर्ष निकाला कि उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर जांचे गए पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, दो मानसून मौसमों में सुदृढीकरण और पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पक्ष-राज्यों के बीच विभाजन के लिए *50* प्रतिशत भरोसेमंद प्रवाह को अपनाना उचित और उचित होगा।

महत्वपूर्ण जलाशयों के एकीकृत संचालन से इस प्रणाली को और मजबूत किया जा सकता है।

पी. *4 (iii)* जल का अतिरिक्त स्रोतः *192.* न्यायाधिकरण ने जल के एक अतिरिक्त/वैकल्पिक स्रोत की अपनी खोज में उप-सतही जल या भूजल पर ध्यान केंद्रित किया जो पृथ्वी के जल चक्र का एक हिस्सा है। यह इस आधार के साथ शुरू हुआ कि

भूजल सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सतह के पानी के रूप में उत्पन्न होता है जो वर्षा, धारा प्रवाह, झीलों और जलाशयों के प्राकृतिक पुनर्भरण से जमीन में घुस जाता है। इसने इस अभिलिखित तथ्य का उल्लेख किया कि भूजल का पुनर्भरण वर्षा और कृत्रिम साधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है, जैसे कि फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग, फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग, फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग,

महत्वपूर्ण स्रोत है और देश में कुल सिंचाई के *45* प्रतिशत से अधिक को पूरा करता है और यह कि स्व-उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भूजल सिंचाई का योगदान है।

पिछले तीन दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्तता रही है

असाधारण। इसने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि हालांकि भूजल एक वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है, फिर भी इसकी उपलब्धता में एकरूपता नहीं है।

स्थान और समय और हालांकि इसके विकास की योजना बनाने के लिए, भूजल संसाधन और सिंचाई क्षमता का एक सटीक अनुमान आवश्यक है।

पूर्व-आवश्यक, फिर भी इस तरह का अभ्यास अपेक्षाकृत कठिन है क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष माप के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट में आगे भूजल जलाशयों से आपूर्ति और निपटान की वस्तुओं की गणना की गई। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के तीन स्रोत हैं, अर्थात् वर्षा, किसी भी नदी का सतह प्रवाह जिसे नहर प्रणाली के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है और भूजल जिसे खुले कुओं या ट्यूबवेल के माध्यम से निकाला जा सकता है। कावेरी बेसिन की ओर लौटते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि दक्षिण-पश्चिम मानसून और कुछ वर्षों में उत्तर-पूर्व मानसून से वर्षा के समय और मात्रा में परिवर्तनशीलता से समस्याएं पैदा होती हैं

कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के सतही प्रवाह को प्रभावित करता है जो अपने आप में कृष्ण राजा सागर, मेट्टूर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों में भंडारण को प्रभावित करता है। न्यायाधिकरण ने रेखांकित किया कि इसी पृष्ठभूमि में भूजल की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसने क्षेत्र में किए गए शोध में हुए खुलासे का भी उल्लेख किया कि उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता वार्षिक पुनर्भरण तक सीमित थी जिसे वापस लिया जा सकता था और प्राकृतिक वर्षा/पुनर्भरण के कृत्रिम तरीकों से फिर से भरा जा सकता था ताकि किसी भी क्षेत्र में भूजल की वार्षिक निकासी उस क्षेत्र में भूजल की वार्षिक पुनःपूर्ति के साथ संतुलन में हो। इसने उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर संकेत दिया कि जलभृत से *(*यानी, जल वाहक चट्टान निर्माण*)* शुद्ध पुनर्भरण से अधिक दर पर की गई अधिक निकासी को भूजल का *"*खनन*"* के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह भूजल स्तर को स्थायी रूप से कम कर देता है जिस हद तक ये अधिक निकासी की जाती है जिससे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इसने नोट किया कि यदि अधिक निकासी की ऐसी प्रथा जारी रहती है जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर में गिरावट आती है, तो पानी की पम्पिंग अधिक गहराई से अधिक से अधिक महंगी हो जाएगी इस प्रकार *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थिति को जटिल बनाना। न्यायाधिकरण ने केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रकाशन *"*भारत के भूजल संसाधन*-1995"* को संबोधित करते हुए कहा कि जबकि कर्नाटक में खोदे गए कुएं, खोदे गए कुएं और बोरवेल हैं।

और बोरवेल मुख्य भूजल संरचनाएँ थीं जो संभव थीं, राज्य में सिंचाई के लिए भूजल विकास हाल ही में शुरू हुआ था। तमिलनाडु राज्य के संबंध में, यह देखा गया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भूजल विकास अधिक था जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में जल स्तर कम हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में लवणता के खतरों के कारण भूजल विकास के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

तथ्य यह है कि शोध अध्ययन और प्रयोगों ने उपलब्ध सतह के साथ भूजल के संयुग्म उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में संकेत दिया है

न्यायाधिकरण द्वारा जल पर भी ध्यान दिया गया। यह स्पष्ट रूप से इस समझ का संकेत था कि भूजल का उपयोग सतह के पानी की आपूर्ति के पूरक के लिए किया जा सकता है ताकि अधिकतम मांग को कम किया जा सके।

न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि भूजल का विकास ज्यादातर निजी क्षेत्र में हुआ है जहां मालिकों ने कई बार उपलब्ध भूजल संसाधनों का दोहन किया है जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी की घुसपैठ के खतरे के साथ जल स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है जिससे गुणवत्ता प्रदूषित हो रही है समुद्र तट के आसपास के भूजल का उपयोग करना और इस प्रकार, प्रभावित क्षेत्र में भूजल को न केवल मानव उपभोग के लिए बल्कि कृषि में उपयोग के लिए भी अनुपयुक्त बनाना। न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय जल नीति द्वारा निर्धारित वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधनों के अनुपात में भूजल विकास की सीमा को चिह्नित किया। यह पहलू कि हालांकि किसी राज्य के भूमिगत जल संसाधन थे

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ-साथ गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा एक अंतर-राज्यीय नदी प्रणाली के पानी के समान विभाजन के लिए एक प्रासंगिक कारक के रूप में स्वीकार किया गया, फिर भी उन्होंने भूजल की उपलब्धता और उसकी मात्रा के बारे में सवाल की जांच करने से इनकार कर दिया।

तकनीकी दृष्टिकोण से भूजल प्रवाह का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इस प्रकार कानूनी दृष्टिकोण से पूरी तरह से संज्ञानात्मक नहीं है।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

193. न्यायाधिकरण ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की गई जांच का उल्लेख किया

अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनःपूर्ति की कुल वार्षिक मात्रा

समय पर, डेल्टा में जलभृतों को पूर्वोत्तर मानसून वर्षा द्वारा फिर से चार्ज किया जा सकता था जिसका उपयोग अगले वर्ष जून से अक्टूबर की अवधि के दौरान किया जा सकता था। *194.* न्यायाधिकरण ने केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक टीम द्वारा भूजल के उपयोग के लिए किए गए अध्ययन पर ध्यान दिया

तमिलनाडु में डेल्टा क्षेत्र का विशेष संदर्भ जिसने संकेत दिया कि डेल्टा से उपलब्ध भूजल क्षमता *64* टी. एम. सी. की सीमा तक थी जिसमें गहरे जलग्रहण क्षेत्र *(100* मीटर तक*)* से *5* टी. एम. सी. शामिल थे।

गहरा*)*। न्यायाधिकरण ने कावेरी डेल्टा के भूजल संसाधनों पर विश्व बैंक के सलाहकार श्री डब्ल्यू. बार्बर की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें न केवल *1971* से *1983* तक कावेरी डेल्टा से सकल भूजल निष्कर्षण का संकेत दिया गया था, बल्कि उपलब्ध भूजल का अनुमान भी लगाया गया था। न्यायाधिकरण ने यू. एन. डी. पी., केंद्रीय भूजल बोर्ड और विश्व बैंक के श्री बार्बर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर कहा कि यह काफी हद तक तमिलनाडु के इस रुख का समर्थन करता है कि डेल्टा क्षेत्र में भूजल का पुनः प्रभार यह मुख्य रूप से

मेट्टूर जलाशय से छोड़े जाने के कारण था। हालाँकि, इसने अपनी दलीलों में राज्य की स्वीकारोक्ति को चिह्नित किया कि कुल भूजल

वर्ष *1989* के दौरान कावेरी उप-बेसिन में निष्कर्षण लगभग *28.4* टी. एम. सी., वेन्नार उप-बेसिन में *7.3* टी. एम. सी. और *(2018) 5* एस. सी. आर. में *11.3* टी. एम. सी. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्रैंड एनीकट नहर क्षेत्र *(*नया डेल्टा क्षेत्र*)* कुल *47* टी. एम. सी. तमिलनाडु ने अपनी दलीलों में कहा कि पुराने डेल्टा में *30* टी. एम. सी. तक भूजल के संयुग्म उपयोग की गुंजाइश थी। हालाँकि, तमिलनाडु ने देर से यू. एन. डी. पी. के निष्कर्षों पर सवाल उठाया कि वे सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और भूजल संसाधन अनुमान समिति द्वारा सुझाए गए जलभृतों के पुनर्मूल्यांकन के लिए बेहतर मापदंडों को देखते हुए। लेकिन न्यायाधिकरण ने इस संबंध में तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य के अभाव में, यू. एन. डी. पी. की रिपोर्टों को खारिज नहीं करना पसंद किया। न्यायाधिकरण द्वारा उगाई गई फसलों की विविधता और दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्व मानसून के माध्यम से प्राप्त वर्षा के संदर्भ में इस मुद्दे का परीक्षण किया गया था। सिंचाई आयोग के साथ-साथ कावेरी तथ्य खोज समिति की रिपोर्टों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर-पूर्वी मानसून अनियमित था और अक्सर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती संरचनाओं के साथ अक्सर विफल रहता था, जिसके परिणामस्वरूप उच्च बाढ़ के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सतह बहती थी और कई बार खड़ी धान की फसल को भी नुकसान होता था। यू. एन. डी. पी. और केंद्रीय की रिपोर्ट की जांच पर

भूजल बोर्ड, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्व के अनुसार, पुराने डेल्टा में भूजल का *39.2* टी. एम. सी. उपलब्ध था, जबकि बाद वाले के अनुसार, स्टॉक *30* टी. एम. सी. तक सीमित था। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि यह श्री नाई द्वारा अनुमानित *28.79* टी. एम. सी. की तुलना में था। इसने यह भी नोट किया कि नए डेल्टा में, यू. एन. डी. पी. ने *32.6* टी. एम. सी. का अनुमान लगाया था और श्री बार्बर ने *22.77* टी. एम. सी. का अनुमान लगाया था। पृष्ठभूमि में

विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए ऐसे विस्तृत अध्ययनों के बारे में, न्यायाधिकरण ने कहा कि एक सामान्य वर्ष में जब मेट्टूर से नियमित रूप से पानी छोड़ा जाएगा, कावेरी उप-बेसिन में भूजल में योगदान का बड़ा हिस्सा इस तरह के रिसाव से होगा, लेकिन किसी भी मामले में, सतह की सिंचाई और वर्षा के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सब इसके बावजूद, न्यायाधिकरण ने भूजल संसाधन के मूल्यांकन में गंभीर सीमा पर विचार करते हुए *20* टी. एम. सी. का एक सुरक्षित अनुमान लगाया

जिसका उपयोग तमिलनाडु द्वारा सतही जल के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह मात्रा पार्श्वीय घुसपैठ द्वारा नदी के पानी से भूजल पुनर्भरण के घटक को अलग करने के बाद आई है।

पी. *5* विभाजन के सिद्धांत

195. कावेरी के पानी के बंटवारे के सिद्धांतों, जो विवाद के प्रमुख कारण थे, ने ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित किया।

तथ्य यह है कि कर्नाटक के प्रमुख सचिव द्वारा अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय राज्य के वितरण के लिए ऐसे सिद्धांत *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

मानव जाति के लिए, ऐसी अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के बंटवारे के संबंध में संघर्ष और विवाद भी पैदा हुए। अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले पानी के प्रवाह पर पूर्ण अधिकार का दावा करने वाले ऊपरी नदी तटीय राज्यों और जल निकासी के अधिकार के सिद्धांत पर दावा करने वाले निचले नदी तटीय राज्यों के बीच बारहमासी मतभेद पर ध्यान दिया गया। *196.* न्यायाधिकरण ने तर्क दिया कि परिणामी विवाद और वैमनस्य ने सभी नदी तटीय राज्यों के हित को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान किया है, जिसका अंतर्निहित प्रश्न यह है कि किस राज्य को संबंधित नदी की कुल उपज में से कितना पानी मिलना चाहिए। यह देखते हुए कि विभिन्न राज्यों की मांगें जब विचाराधीन बेसिन में कुल उपलब्ध पानी की तुलना में बहुत अधिक होती हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि कावेरी जैसी कमी वाली नदी के पानी के बंटवारे के बारे में विवाद डेढ़ से अधिक था

एक शताब्दी पुराना जैसा कि अभिलिखित तथ्यों द्वारा प्रमाणित है। इसने कावेरी नदी के प्रवाह पर निर्धारित अधिकार के साथ-साथ पूर्व विनियोग के अपने अधिकार के आधार पर तमिलनाडु राज्य के दावे को ध्यान में रखा।

शासन, ऊपरी मालिक शायद ही कोई हिस्सा ले सकता था, सिंचाई के उद्देश्यों के लिए नदी के पानी के अपने उचित हिस्से से बहुत कम। तुलना में, विनियोग का सिद्धांत न्यायसंगत विभाजन के अनुरूप था बशर्ते कि पूर्व विनियोगकर्ता को उचित आवश्यकताओं को पार करने की अनुमति नहीं थी। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि यह सिद्धांत जनहित के विचारों द्वारा निर्धारित किया गया था। व्योमिंग राज्य बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। कोलोराडो राज्य *(*ऊपर*)* प्रभाव *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि सिद्धांत का प्रमुख नियम जो विनियोग की प्राथमिकता देता है

अधिकार की श्रेष्ठता को रेखांकित किया गया। न्यायाधिकरण ने माना कि विनियोग की प्राथमिकता एक ऐसी अवधारणा थी जो पानी के पिछले उपयोग से अलग थी

एक राज्य या दूसरे द्वारा बेसिन का। इसने नेब्रास्का राज्य बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण का भी उल्लेख किया। व्योमिंग राज्य *(*ऊपर दिया गया है*)* कि विनियोजित करने वाले राज्यों के बीच आवंटन को न्यायसंगत और न्यायसंगत बनाने के लिए, प्राथमिकता नियम का सख्ती से पालन संभव नहीं हो सकता है, हालांकि यह मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। न्यायाधिकरण ने दर्ज किया

कि पिछले उपयोग या मौजूदा उपयोग को भी किसी अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय नदी के पानी के विभाजन के लिए एक कार्यवाही में एक प्रासंगिक कारक के रूप में मान्यता दी गई थी और वैचारिक रूप से इसके इतिहास

से जुड़े नदी बेसिन के विकास और विकास का एक हिस्सा था। इसने यह भी उल्लेख किया कि हालांकि पिछले उपयोग और मौजूदा उपयोग विभाजन के मामले में एक प्रासंगिक कारक था, फिर भी अन्य नदी तटीय राज्यों में प्रचलित परिस्थितियां हो सकती हैं जो प्रचलित प्रथा से अधिक हैं।

ताकि ऐसी स्थिति में, इस तरह के अभ्यास या उपयोग को उचित तरीके से प्रतिबंधित या संशोधित करने की आवश्यकता हो। *197.* न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया, जिसका शीर्षक था "जल का संरक्षण"।

इस प्रभाव के लिए कि राज्यों के न्यायसंगत हिस्से को तय करने में, भविष्य के उपयोगों के दावों पर विचार करने से पहले ऐसे मौजूदा उपयोगों के दावों की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, यह दोहराया गया कि विनियोग की प्राथमिकता, हालांकि मार्गदर्शक नियम, न्यायसंगत आवंटन में निर्णायक नहीं थी। इसने नेब्रास्का राज्य बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को याद किया। व्योमिंग राज्य *(ऊपर)* जहाँ कोलोराडो के कनिष्ठ उपयोगों को वरिष्ठ उपयोगों पर हावी होने की अनुमति दी गई थी नेब्रास्का कोलोराडो के काउंटर-वीलिंग इक्विटी और पानी के मौजूदा उपयोगों के आधार पर स्थापित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की टिप्पणी कि न्यायसंगत विभाजन केवल संभावित उपयोगों के लिए ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकता है जो उपलब्ध आपूर्ति और अन्य राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित हैं, का उल्लेख किया गया था।

198. न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज की गई चर्चा का भी उल्लेख किया, जिसमें उसने

"संतुलन प्रक्रिया में प्रासंगिक कारक ", जहाँ, दूसरों के बीच,

विभिन्न निर्धारक जैसे नदी के प्रवाह पर नदी निवासियों की निर्भरता की सीमा, नदी के जलविभाजक या जल निकासी क्षेत्र का आकार और नियंत्रित उपयोग के माध्यम से निरंतर प्रवाह बनाए रखने की संभावना कर्नाटक राज्य द्वारा इसके प्रमुख सचिव *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

बाढ़ के पानी, मोड़ में मौसमी भिन्नता, भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता या उनके निर्माण की क्षमता, अन्य संसाधनों की उपलब्धता आदि की गणना की गई थी। न्यायाधिकरण ने रिपोर्ट में इस टिप्पणी पर ध्यान दिया कि न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत को संकीर्ण में नहीं रखा जा सकता है।

एक निश्चित सूत्र का स्ट्रैट-जैकेट और यह कि इच्छुक राज्यों के न्यायसंगत और उचित हिस्से को निर्धारित करने में, इन कारकों और उससे परे ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आवंटन उनकी सापेक्ष आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सके। इस संबंध में, धारा की मात्रा, पानी का उपयोग संबंधित राज्य द्वारा पहले ही किया जा चुका है, भूमि के संबंधित क्षेत्रों को अभी तक पानी नहीं दिया गया है, राज्यों की भौतिक और जलवायु विशेषताएँ, राज्यों में भूमि की सापेक्ष उत्पादकता, राज्यवार जल निकासी, जल आपूर्ति पर निर्भर जनसंख्या

और उनकी निर्भरता की मात्रा, प्रत्येक राज्य में वाष्पीकरण की सीमा और पानी के उपयोग में अनावश्यक अपशिष्ट से बचना भी लागू किए जाने वाले कारक थे।

199. न्यायाधिकरण ने गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण और रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया ताकि नदी के पानी में पूर्ण स्वामित्व अधिकारों के दावे पर उनके बीच न्याय स्थापित करने के लिए प्रतिद्वंद्वी राज्यों के समान अधिकारों की मान्यता की प्रधानता को रेखांकित किया जा सके। रिपोर्टों में समझाया गया कि समान अधिकार का मतलब पानी का समान विभाजन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है न्यायसंगत अधिकार।

नदी के लाभों का बंटवारा, प्रत्येक इकाई को उचित हिस्सा मिलना। *200.* तीसरे दृष्टिकोण के साथ जल विवादों के समाधान में मान्यता और अनुप्रयोग में वृद्धि हुई

एक अंतर-राज्यीय नदी के पानी के आवंटन और वितरण को दोहराते हुए न्यायाधिकरण ने कान्सास बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को नोट किया। कोलोराडो *(ऊपर दिया गया है)* कि बहते पानी का अधिकार भूमि में संपत्ति के लिए एक सही घटना है और यह एक अधिकार सार्वजनिक न्यायपालिका है और यह इस तरह के चरित्र का है कि हालांकि यह उन सभी के लिए समान और समान है जिनकी भूमि से यह चलता है और कोई भी इसे बाधित या मोड़ नहीं सकता है, फिर भी यह प्रोविडेंस के लाभकारी उपहारों में से एक है ताकि प्रत्येक मालिक को इसका न्यायसंगत और उचित उपयोग करने का अधिकार हो क्योंकि यह अपनी भूमि से तब तक गुजरता है जब तक कि यह पूरी तरह से बाधित या मोड़ नहीं है या इसके माध्यम से बहने वाले पानी का कोई बड़ा विनियोग नहीं किया जाता है। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि इसे गलत या हानिकारक नहीं कहा जा सकता है यदि कोई सामान्य मामला है तो एक मालिक नीचे आ जाता है। इस विषय को आगे कोलोराडो बनाम में विस्तृत किया गया था। कान्सास *(ऊपर)* इस विस्तार के साथ कि निचला राज्य आवश्यकता या उपयोग की परवाह किए बिना धारा के प्रवाह का हकदार नहीं है और यदि तब ऊपरी राज्य *[2018] 5* एस. सी. आर. समर्पित कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लाभप्रद उपयोग के लिए, सवाल यह होगा कि दोनों राज्यों में मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में, क्या और किस हद तक इसकी कार्रवाई, निचले राज्य और उसके नागरिकों को समान या वास्तव में मूल्यवान, लाभप्रद उपयोग से वंचित करके उन्हें नुकसान पहुंचाती है। यू. एस. सुप्रीम का अवलोकन

न्यू जर्सी राज्य *(ऊपर)* में न्यायालय ने कहा कि एक नदी एक खजाने के रूप में एक सुविधा से अधिक है और प्रतिस्पर्धी तटवर्ती राज्यों के इसमें वास्तविक और पर्याप्त हित हैं, जिसके लिए सर्वोत्तम सुलह की आवश्यकता होती है।

हाइलाइट किया गया। इसने कनेक्टिकट राज्य *(ऊपर)* में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन का उल्लेख किया कि पानी के आवंटन के संबंध में विवादों को निपटाने के लिए लागू "अधिकार की समानता" का अर्थ अंतर-राज्य धारा के पानी का समान विभाजन नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ यह होगा कि अधिकार और समानता के सिद्धांतों को "समान स्तर या स्तर" को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए, जिस पर सभी राज्य संवैधानिक प्रणाली के तहत शक्ति और अधिकार के मामले में खड़े हैं।

201. कोलोराडो राज्य बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्धारण। न्यू मैक्सिको राज्य *(ऊपर)* ने दर्ज किया कि प्राथमिकता के नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां यह वरिष्ठ उपयोगकर्ता को लाभ प्रदान करने की तुलना में कनिष्ठ उपयोगकर्ता को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उक्त निर्णय

में मुख्य न्यायाधीश बर्गर की राय है कि प्रत्येक राज्य जिसके माध्यम से नदी गुजरती है, को इसके लाभ का अधिकार है -

द हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, वॉल्यूम। *49 (2)* , पैराग्राफ *121* सह-रिपेरियन के अधिकारों में समानता को रेखांकित करने के लिए निकाला गया था। पानी के उचित आनंद और उपयोग के दावेदारः

एक रिपेरियन मालिक को पानी का उपयोग और उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि उसके सामने, उसके ऊपर या नीचे अपने पड़ोसियों को कोई भौतिक चोट या झुंझलाहट पैदा करना, जिनके पास इसके उपयोग के लिए समान अधिकार हैं।

पानी और उसके प्रति समान कर्तव्य। अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

202. ट्रिब्यूनल ने इसके बाद *1966* के हेलसिंकी नियमों के आगमन को चिह्नित किया जिसने हार्मोन सिद्धांत को खारिज कर दिया और इस पर जोर दिया

203. न्यायाधिकरण ने इस संबंध में याद दिलाया कि यह न्यायालय राष्ट्रपति के संदर्भ में है जिसमें "कर्नाटक कावेरी बेसिन" सिंचाई संरक्षण अध्यादेश, *1991* "ने विभिन्न तटवर्ती राज्यों के बीच एक अंतर-राज्यीय नदी के पानी के न्यायसंगत आवंटन को नियंत्रित करने के लिए एक ही कानून और सिद्धांतों को दोहराया था। उक्त कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुच्छेद *72* था

निकाला गया।

204. उपरोक्त व्याख्या की पृष्ठभूमि में, न्यायाधिकरण ने अभिलिखित किया कि जब तक नदी के प्रवाह को पूरी तरह से बाधित या मोड़ नहीं दिया जाता है या ऊपरी नदी तटीय राज्यों द्वारा पानी का विनियोग उचित और उचित उपयोग से अधिक नहीं है, तब तक इसे निचले नदी तटीय राज्य के अधिकार के लिए गलत या हानिकारक नहीं कहा जा सकता है। इसने कहा कि न्यायसंगत विभाजन, इस प्रकार, केवल उन अधिकारों की रक्षा करेगा जो उचित रूप से आवश्यक थे और विशेष रूप से उन मामलों में लागू होते थे जहां पानी की कमी या सीमित था। इसने इस बात पर जोर दिया कि एक नदी का पानी

एक अर्थ में खजाना होने के नाते, इसके व्यर्थ या अक्षम उपयोग को मंजूरी नहीं दी जा सकती है और केवल परिश्रम और सद्भावना ही विशेषाधिकार को जीवित रखेगी। हालाँकि, यह दर्शाता है कि न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत को पूर्व-कथित न्यायसंगत और न कि समान अधिकारों और किसी भी आदेश, दिशा, समझौते या संधि को ध्यान में रखना होगा।

विभिन्न नदी तटीय राज्यों की सामाजिक आवश्यकताएँ। इसने दोहराया कि जबकि

उचित और न्यायसंगत हिस्सेदारी का निर्धारण करते हुए, सभी प्रासंगिक कारकों पर संचयी रूप से विचार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

205. न्यायाधिकरण ने बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ के *71* वें सम्मेलन की रिपोर्ट पर भी विचार किया।

अगस्त *2004* जहाँ एक निर्धारित करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक कारक

न्यायसंगत और उचित उपयोग को फिर से रेखांकित किया गया। हेलसिंकी नियमों में उल्लिखित कारकों को एक अंतर-राज्य के पानी के न्यायसंगत और न्यायसंगत हिस्से के बंटवारे के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामूहिक विचार के सिद्धांत पर सटीक जोर देने के साथ बनाए रखा गया था।

नदी। "अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों पर आई. एल. ए. नियमों के कैंपियन समेकन, *1966-1999*", जिसने उपरोक्त सिद्धांतों को काफी हद तक दोहराया, की ओर इशारा करने के अलावा, न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय के फैसले को भी याद दिलाया कि यह एक स्वीकृत सिद्धांत था।

206. प्रासंगिक तथ्यों और उन पर स्थापित विवाद की ओर लौटते हुए, न्यायाधिकरण ने मौजूदा परिदृश्य का विश्लेषण किया और कहा कि वर्ष *1924* से पहले, कावेरी नदी इस मायने में प्रवाह की स्थिति में थी कि मैसूर और मद्रास राज्य में स्रोत और सहायक नदियों से जो भी पानी आता था, वह डेल्टा से गुजरता था और मैसूर राज्य के भीतर कावेरी के पानी का उपयोग कर्नाटक राज्य द्वारा उसके मुख्य सचिव *v* द्वारा नगण्य था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसकी तुलना में मद्रास राज्य में विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्र में। इसने आगे कहा कि जहां तक केरल का संबंध है, कावेरी जल का उपयोग लगभग शून्य था। मैसूर और मद्रास के मेट्टूर में जलाशयों के निर्माण के साथ स्थिति बदलने लगी, जिसके लिए कावेरी के पानी के प्रवाह को काफी हद तक नियंत्रित किया गया था।
207. न्यायाधिकरण ने स्वयं को पृष्ठभूमि से अवगत कराया और कहा कि *1924* से पहले कावेरी बेसिन का मुख्य विकास और उपयोग

मद्रास में ज्यादातर डेल्टा क्षेत्र में हुआ और यह निचले तटवर्ती राज्य होने के कारण कावेरी नदी के साथ-साथ इसकी सहायक नदियों का लगभग पूरा प्रवाह था। इसने नोट किया कि वर्ष *1972* में कावेरी तथ्य खोज समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, मैसूर और केरल के कराईकल क्षेत्र सहित तमिलनाडु द्वारा कावेरी के पानी का उपयोग क्रमशः *566.60 TMC, 176.82 TMC* और *5 TMC* हुआ करता था। *1892* और *1924* के समझौतों की पृष्ठभूमि में, न्यायाधिकरण ने सरकार के लगातार विरोध प्रदर्शनों को दोहराया।

कर्नाटक राज्य ने कावेरी नदी के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके लिए *1924* के समझौते के तहत भूमि की सिंचाई करना संभव नहीं था। यह याचिका न्यायिक रूप से घोषित इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि न तो ऊपरी नदी तटीय राज्य अपने अधिकार से अधिक पानी का उपयोग करने के सर्वोच्च

अधिकार का दावा कर सकता है। उचित आवश्यकता और न ही निचला नदी तटीय राज्य पानी के प्रवाह के लिए किसी भी निर्धारित अधिकार का दावा कर सकता है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने अपने मार्गदर्शक के रूप में इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि एक अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय नदी के पानी को न्यायपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से साझा किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक नदी तटीय राज्य की आवश्यकता और आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

पी. *6* तमिलनाडु में "सिंचित क्षेत्रों" का निर्धारण और

कर्नाटक

208. समझौते से पहले और बाद में कावेरी जल के बंटवारे के लिए पार्टी-राज्यों द्वारा सुझाए गए मानदंडों के संदर्भ में

1924 इस समय चरण के अनुरूप सिंचित क्षेत्रों के संदर्भ में, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित चार श्रेणियों की गणना की, सिंचाई की आवश्यकताएँ जिनके समाधान की आवश्यकता थीः

" (i) समझौते से पहले विकसित किए गए क्षेत्र

वर्ष *1924*।

((ii) जिन क्षेत्रों में विकास के लिए विचार किया गया है।

वर्ष *1924* के समझौते की शर्तें।

[2018] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) वे क्षेत्र जो *1924* से समझौते के बाहर विकसित किए गए हैं, संविधान के गठन की तारीख *2.6.1990* तक।

न्यायाधिकरण। *(* अर्थात *1924* से *1990* तक*)*

((iv) ऐसे क्षेत्र जिन्हें समान बंटवारे के सिद्धांत पर सिंचित करने की अनुमति दी जा सकती है।

209. 1924 के समझौते से पहले, उसके तहत और उसके बाद प्रतिस्पर्धी राज्यों में सिंचाई के लिए विकसित क्षेत्रों के विवेक के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत करने के बाद और उन क्षेत्रों को भी जिन्हें अनुमति दी जा सकती थी

न्यायसंगत बंटवारे के सिद्धांत पर सिंचित, न्यायाधिकरण ने लिया

प्रतिद्वंद्वी राज्यों के दावों को एक के बाद एक बढ़ाना।

210. मद्रास/तमिलनाडु द्वारा विकसित क्षेत्रों के आधार पर, इसने मुख्य रूप से *1924* के समझौते के खंड *10 (v), 10 (xii)* और *10 (xiv)* की कसौटी पर प्रशासनिक प्रावधानों के साथ हकदारी का फैसला किया।

रिपोर्ट, सी. एफ. एफ. सी. रिपोर्ट, *1972*, सी. सी. पटेल समिति रिपोर्ट के साथ-साथ सिंचाई आयोग और राष्ट्रीय कृषि आयोग, *1976* की रिपोर्ट। *1924* के समझौते से पहले और उसके संदर्भ में उगाए गए सिंचित क्षेत्रों में दूसरी फसल के लिए पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इससे परे के क्षेत्रों के लिए इसकी अनुमति नहीं थी। कावेरी बेसिन में जल संसाधनों की कमी और न्यायसंगत बंटवारे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इसने नोट किया कि दोहरीकरण की प्रथा एक कृषि मौसम के दौरान एक ही खेत में फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार, जिन क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि अधिक है और पानी की उपलब्धता एक बाधा है, परियोजनाओं को हल्के सिंचित फसलों की खेती के लिए बड़े क्षेत्रों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसने देखा कि चूंकि धान पानी की अधिक खपत करने वाली फसल है, इसलिए यह अर्ध-शुष्क फसलों की तुलना में छोटे क्षेत्रों को कवर करती है, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्षेत्र का विस्तार कभी-कभी *2* से *3* गुना हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत जैसे देश में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि में लगा हुआ था, सरकार की नीति यथासंभव बड़े क्षेत्र को शामिल करने की थी, एक अवधारणा जिसे "व्यापक सिंचाई" के रूप में जाना जाता है। यह विचार था कि कावेरी जैसे जल की कमी वाले बेसिन में, सिंचाई की वार्षिक तीव्रता *(*सिंचाई की वार्षिक तीव्रता का अर्थ है एकड़-सिंचाई के तहत क्षेत्र*)* एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और बड़ी संख्या में छोटे किसानों को उनकी आजीविका के लिए ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई की वार्षिक तीव्रता को *100%* तक सीमित करना उचित समझा गया और तदनुसार, पानी की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक राज्य में क्षेत्रों की सिंचाई की अनुमति दी गई। इसने तमिलनाडु के संबंध में सी. एफ. एफ. सी. की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें उसने अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक का उल्लेख किया है।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कुरुवाई, सांबा और थालाडी की फसलों के बारे में यह देखा गया कि *(i)* दोहरी फसल वाले धान के क्षेत्र को सीमित करने*; (ii)* सांबा के स्थान पर कम अवधि की किस्म की शुरुआत और *(iii)* कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को उगाने से बचत की जा सकती है।

211. इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने जहां तक संभव हो, दोहरी फसल क्षेत्र को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता निर्धारित की। इसके अलावा, की सिफारिश

राष्ट्रीय कृषि आयोग, *1976* इस आशय के लिए कि चावल की खेती बिना वर्षा वाले क्षेत्र या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही की जानी चाहिए यदि उपलब्ध हो। इस खोज के समर्थन में अन्य फसलों के लिए सिंचाई आपूर्ति का अधिक आर्थिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसने तमिलनाडु राज्य के लिए गवाह डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की राय का भी उल्लेख किया।

212. न्यायसंगत और न्यायसंगत हिस्सेदारी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इसने व्यक्त किया कि उचित जल आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए, पहले उन क्षेत्रों की सीमा पर विचार करना आवश्यक होगा जो पहले से ही समझौते के तहत अनुमत विकास की तुलना में विकसित किए जा चुके हैं और उसके बाद सिंचाई के लिए विकास के न्यायसंगत और निष्पक्ष दावे पर विचार करना आवश्यक होगा जैसा कि पक्ष-राज्यों द्वारा उसके समक्ष रखा गया है। इसने नोट किया कि क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए पार्टी-राज्यों के कुल दावे ने बहुत कुछ किया जल की उपलब्धता को पार करना जिसमें अनिवार्य प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि तमिलनाडु राज्य में अतीत और भविष्य का पूरा विकास धान की खेती पर

आधारित था, जो पानी की अधिक खपत करने वाली फसल थी और राज्य लगभग अंतिम स्तर पर पहुंच गया था

1974 तक इसके सिंचाई विकास की क्षमता जैसा कि सी. एफ. एफ. सी. रिपोर्ट से स्पष्ट था और जैसा कि उसने दावा किया था। इसके विपरीत, कर्नाटक में, न्यायाधिकरण ने कहा कि अतीत में, यह जहां भी सिंचाई की सुविधा मिल सकती थी, वहां धान की खेती कर रहा था, लेकिन *1974* तक *1924* के समझौते के तहत विचार किए गए विकास को पूरा नहीं कर सका। हालाँकि, इसने नोट किया कि कर्नाटक राज्य ने *1924* के समझौते के *50* साल पूरे होने से कुछ साल पहले जलाशय योजनाओं का निर्माण शुरू किया था और जलाशयों की प्रगति के साथ, सिंचाई के लिए नए खोले गए क्षेत्रों में पानी छोड़ना जारी रखा ताकि वर्ष *1990* तक, इसका अनुमानित विकास लगभग तीन गुना हो।

1974 में हासिल किया गया विकास। तथ्य यह है कि इसकी तुलना में, केरल *1990* तक लगभग *50,000* एकड़ के कुल क्षेत्र में लघु सिंचाई के अलावा सिंचाई का शायद ही कोई विकास कर सका। न्यायाधिकरण ने विकास की उस सीमा का पता लगाने का कार्य शुरू किया जिसकी अनुमति पक्ष-राज्यों को दी जा सकती है और इसके लिए फसल जल की आवश्यकता है ताकि अधिशेष जल का उचित और उचित आवंटन *[2018] 5* एस. सी. आर. बन जाए।

संभव है। इसने पाया कि न्यायसंगत वितरण के लिए, विचार में से एक सिंचाई का मौजूदा विकास होना चाहिए। रखते रहें।

इसे ध्यान में रखते हुए, *1924* के समझौते के प्रावधानों से परे विकसित दोहरी फसल, चाहे वह तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में, पर ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में न्यायाधिकरण इस तथ्य से भी प्रेरित था कि समानता की मांग थी कि कृषक परिवारों के पास कम से कम एक फसल होनी चाहिए जिसे वे सिंचाई सुविधाओं के समर्थन से अपनी आजीविका के लिए उगा सकते हैं और इस तरह प्राकृतिक नदी जल संसाधनों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सभी के लिए समान था। इस संबंध में, न्यायाधिकरण ने रेखांकित किया कि धान की फसल को इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए ताकि कावेरी बेसिन क्षेत्र में बरसात के मौसम का अधिकतम लाभ उठाया जा सके, हालांकि छूट उन क्षेत्रों में दी जा रही है जिन पर दूसरी धान की फसल होती है।

1924 के समझौते से पहले उगाई जा रही है और साथ ही उक्त समझौते द्वारा अनुमति प्राप्त दूसरी फसल को विस्तार के रूप में उगाया जा रहा है। *1924* के समझौते में विचार किए गए अधिकारों से परे तमिलनाडु राज्य में विकसित या विकास के दौर से गुजर रहे क्षेत्रों की पहचान करते हुए, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मानदंडों को लागू किया, अर्थात् *1924* के समझौते में कोई दोहरी फसल/बारहमासी फसल नहीं; ग्रीष्मकालीन धान के लिए कोई क्षेत्र नहीं; *1924* से पहले उगाए गए ग्रीष्मकालीन धान के क्षेत्र को अर्ध-शुष्क फसल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; सिंचाई की वार्षिक तीव्रता *100%* तक सीमित की जाएगी; सिंचाई के मौसम के भीतर फसल की अवधि को प्रतिबंधित किया जाएगा, अर्थात। *1* जून से *31* जनवरी तक और महत्वाकांक्षी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को हतोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा

न्यायाधिकरण ने कावेरी बेसिन से परे के क्षेत्रों के साथ-साथ गन्ना जैसी उच्च जल खपत वाली फसल के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों को बाहर कर दिया। रखते रहें।

पानी की आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने समकालीन आंकड़ों के आधार पर, कुछ योजनाओं के तहत आनुपातिक रूप से क्षेत्रों को भी कम किया, लेकिन संबंधित परियोजनाओं द्वारा सूखे क्षेत्रों को पूरा करने की मांग की।

213. इन सिद्धांतों को आम तौर पर लागू करना, एक विस्तृत अवधि के बाद

प्रासंगिक तथ्यों का विश्लेषण करते हुए, इसने मद्रास/तमिलनाडु के लिए उपर्युक्त चार श्रेणियों के तहत क्षेत्रों को निर्धारित किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) 1924 से पहले मद्रास/तमिलनाडु में सिंचाई के तहत क्षेत्र

समझौता *= 15.193* लाख एकड़।

((ii) 1924 के समझौते के प्रावधानों के अनुसार विकास के लिए क्षेत्र *= 6* लाख *19* हजार एकड़। *(iii) 1924* और *1990 = 2.06* लाख एकड़ के बीच *1924* के समझौते में विचार किए गए अधिकारों से परे विकसित/चल रहे विकास के तहत क्षेत्र।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

214. इस प्रकार, उपरोक्त तीन शीर्षों के तहत न्यायाधिकरण ने लघु सिंचाई के तहत विकसित क्षेत्र के साथ मिलकर, जिसे उसने निर्धारित किया

1.25 तमिलनाडु में *1924* से पहले विकसित किए गए कुल क्षेत्र के साथ-साथ चल रहे विकास के तहत विकसित किए गए कुल क्षेत्र का निर्धारण किया गया।

राज्य में *1924* के समझौते के तहत *1990* तक विचार की गई पात्रता से परे एक लाख एकड़ में विकास। जैसा कि इस प्रभाव के विवरण से पता चलता है, न्यायाधिकरण ने समग्र रूप से इस क्षेत्र का निर्धारण करते समय फसल के स्वरूप, संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं/नहरों आदि के संदर्भ में बेसिन में इसके स्थानों और लघु सिंचाई के तहत विकसित क्षेत्र पर ध्यान दिया।

215. कावेरी बेसिन में राज्य में सिंचित क्षेत्रों के विकास के संबंध में कर्नाटक राज्य के दावे की जांच की प्रक्रिया में, तमिलनाडु के मामले की तरह न्यायाधिकरण ने उन्हीं चार श्रेणियों पर अपनी जांच की, अर्थात्, *1924* के समझौते से पहले विकसित किए गए क्षेत्र; जिनके बारे में इसके संदर्भ में विकास के लिए विचार किया गया था; जो समझौते के बाहर विकसित किए गए थे और जिन्हें समान विभाजन के सिद्धांत पर सिंचित करने की अनुमति दी जा सकती थी। इसने नोट किया कि शताब्दी की शुरुआत में, तत्कालीन मैसूर राज्य में सिंचाई मुख्य रूप से नदियों से सीधे मोड़ने वाले चैनलों के साथ-साथ टैंक सिंचाई की प्रणाली थी जो उल्लेखनीय रूप से काफी व्यापक थी। चूंकि कोई जलाशय नहीं था, इसलिए कावेरी और उसकी सहायक नदियों जैसे कबिनी, हेमावती, हारंगी और सुवरनवती का पानी राज्य से होकर बहता था, लेकिन उनका अंतिम गंतव्य तत्कालीन मद्रास राज्य का डेल्टा क्षेत्र था। न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि *1924* के समझौते से पहले, मैसूर में सिंचाई ज्यादातर एनीकट नहर और लघु सिंचाई के माध्यम से की जाती थी और जैसा कि तमिलनाडु राज्य ने अपने

बयान में स्वीकार किया है, कर्नाटक ने *1924* तक केवल *3* लाख *14* हजार एकड़ भूमि का विकास किया था। हालाँकि, कर्नाटक ने कहा कि *1924* के समझौते के समय परियोजनाओं के तहत उसका सिंचित क्षेत्र *3.1* लाख एकड़ था जो *1928* में बढ़कर *3.14* एकड़ हो गया। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विश्लेषण पर न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया कि *1924* से पहले कर्नाटक राज्य का सिंचित क्षेत्र *3.43* लाख था।

एकर, जिसमें निश्चित रूप से लघु सिंचाई द्वारा कवर किए गए क्षेत्र शामिल थे।

216. राज्यों की पात्रता के संबंध में

1924 के समझौते में न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से खंड *10 (iv), (xii), (xiii)* और *(xiv)* का उल्लेख किया ताकि सिंचाई के नए विकास और उसके तहत सिंचाई के विस्तार को निर्धारित किया जा सके। इसने नोट किया कि *[2018] 5* एस. सी. आर. के विभिन्न खंडों के तहत सिंचाई के परिकल्पित विकास के लिए कोई समय सीमा नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता और इस आधार पर आगे बढ़े कि एक बार किसी भी अवधि/खंड के तहत परिकल्पित परियोजना पर निर्माण शुरू हो जाने के बाद, इसे अनुमेय माना जाना चाहिए, भले ही इसकी पूर्णता की तारीख *1974* से अधिक हो गई हो। समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पक्षकारों के अधिकारों को वापस लेने के लिए संदर्भित किया गया था, जिससे आने वाले समय में सिंचाई के लिए क्षेत्रों के विस्तार/विकास की अनुमति मिल सके। इस दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार करने के लिए कि एक परियोजना को ध्यान में रखना अनुमेय था, जिसका निर्माण *1924* के समझौते के किसी भी अवधि/खंड के तहत शुरू किया गया था, हालांकि इसकी पूर्णता तिथि *1974* के बाद थी, न्यायाधिकरण ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया। कोलोराडो राज्य *(ऊपर)* के साथ-साथ हेलसिंकी नियमों के अनुच्छेद *VIII (2) (ए)* में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि कोई परियोजना उस तारीख से प्राथमिकता का हकदार है जब निर्माण का वास्तविक काम शुरू हुआ था, न कि उस समय से जब इसे शुरू करने और इसे पूरा करने का एक निश्चित और निश्चित उद्देश्य था। इस आधार पर, तमिलनाडु राज्य की याचिका

इसके विपरीत अस्वीकार कर दिया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिन सभी परियोजनाओं पर *1974* से पहले निर्माण शुरू हुआ था, उन्हें पूरा होने की तारीख की परवाह किए बिना श्रेणी *II (1924* समझौते की शर्तों के तहत पात्रता*)* के तहत शामिल किया जाएगा, बशर्ते वे परियोजनाएं समझौते के किसी भी खंड के तहत अन्यथा योग्य हों। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, न्यायाधिकरण ने नोट किया कि कर्नाटक द्वारा *1924* के समझौते के तहत *1974* तक खंड *10 (iv), (xii), (xiii)* और *(xiv)* के तहत कुल मिलाकर *2* लाख *15* हजार एकड़ भूमि हासिल की गई थी, हालांकि यह *7* लाख *45* हजार भूमि प्राप्त करने का हकदार था।

एकड़। इसने यह भी दर्ज किया कि नियोजित सिंचित क्षेत्र का दावा किया गया है

समझौते के तहत कर्नाटक *14.18* एकड़ *(शुद्ध)*, यानी एकल फसल और *17.04* लाख एकड़ *(सकल)* एकल *+* दूसरी फसल को दर्शाता है। ये

आंकड़े *1974* से पहले और बाद के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह ध्यान दिया गया कि राज्य ने परियोजनाओं के तहत दूसरे फसल क्षेत्र का दावा किया था

सिंचाई के सकल योजना क्षेत्र को *17.046* लाख एकड़ के रूप में निर्धारित करते समय शामिल किया गया जिसमें *2.862* लाख एकड़ को दूसरी फसल क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था।

217. न्यायाधिकरण ने उपरोक्त खंडों के तहत दावे की वैधता की जांच करने के लिए एक विस्तृत अभ्यास किया

समझौता किया गया और *1924* के समझौते के तहत सिंचाई के विकास के लिए अनुमेय क्षेत्र को स्वीकार किया गया, यानी श्रेणी *II 7.23* लाख एकड़ होगा। जैसा कि तालिका से स्पष्ट होगा, इस आंकड़े को स्वीकार करते हुए, न्यायाधिकरण ने इसमें शामिल फसलों की विविधता और उनके क्षेत्र/क्षेत्रफल *(*जिसमें खरिफ धान भी शामिल था*)* को ध्यान में रखा।

बारहमासी फसलें, खरिफ अर्ध-शुष्क फसल, रबी-अर्ध-शुष्क फसल*)*।

ट्रिब्यूनल स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

यह दर्ज किया गया कि तमिलनाडु की तरह, कर्नाटक राज्य ने लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई का विस्तार किया था और *1974* के बाद मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के तहत नए क्षेत्रों का विस्तार किया गया था।

218. विकसित/चल रहे विकास के तहत क्षेत्रों की दृष्टि से

राज्य में *1924* के समझौते में वर्ष *1990* तक विचार किए गए अधिकारों से परे, न्यायाधिकरण ने विभिन्न परियोजनाओं के तहत कर्नाटक राज्य के दावे को *20.98* लाख एकड़ के रूप में चिह्नित किया। ध्यान रखें।

219. कर्नाटक राज्य द्वारा जून, *1990* में नियोजित विकास के क्षेत्र के संबंध में किए गए दावे के संबंध में न्यायाधिकरण ने कहा कि इसमें *1924* के समझौते से पहले विकसित किए गए क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें उक्त समझौते के संदर्भ में अनुमति दी गई थी और जून, *1990* तक समझौते के बाहर विकास के लिए विकसित या प्रतिबद्ध किया गया था, हालांकि ऐसे क्षेत्रों की योजना बनाई गई थी और योजनाओं को कट-ऑफ वर्ष से बहुत पहले निष्पादित किया गया था। कर्नाटक राज्य द्वारा जून *1990* में अपने विकास के क्षेत्र के समर्थन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से न्यायाधिकरण ने पाया कि अतिरिक्त क्षेत्र जो सिंचाई विकास के लिए प्रगति पर था। उस समय तक समझौता *10.30* लाख एकड़ था।

220. इस शीर्ष के तहत दावे के सत्यापन की प्रक्रिया में, यानी *1924* के समझौते के तहत और वर्ष *1990* तक पात्रता से परे विकसित या चल रहे विकास के तहत, न्यायाधिकरण ने प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना के प्रासंगिक तथ्यों की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि कर्नाटक राज्य *6.91* लाख एकड़ के क्षेत्र का हकदार है। इसके लिए लघु *(2018) 5* एस. सी. आर. के तहत एक लाख *26* हजार एकड़ के क्षेत्र की अनुमति दी गई थी।

सिंचाई। इस प्रकार, कुल मिलाकर, न्यायाधिकरण ने श्रेणी *I, II* और *III,* यानी *1974* से पहले सिंचाई के तहत मौजूद क्षेत्र के तहत *1* लाख एकड़ क्षेत्र की अनुमति दी, जिसे समझौते के विभिन्न प्रावधानों और *1924* से *1990* की अवधि के दौरान क्षेत्र और लघु सिंचाई कार्यों के तहत विकसित करने की अनुमति दी गई।

221. इस आंकड़े पर पहुंचने पर न्यायाधिकरण ने पानी की कमी को देखते हुए दूसरी फसल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। आधार और दावे की प्रत्येक वस्तु पर योग्यता और समानता के मापदंड पर विचार किया गया, समझौते के तहत अधिकारों की कसौटी और जमीनी वास्तविकताओं पर निर्णय लिया गया। कई मामलों में, इसने वर्षा के स्वरूप और समर्थन को ध्यान में रखा और फसल की विविधता को सीमित किया।

उसका समय। सिंचाई और आयकट्टों *(सिंचित)* की वार्षिक तीव्रता के सूचकांक पर कई परियोजनाओं का दायरा सीमित/कम किया गया था।

गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों*)* को आम तौर पर अनुमति दी गई थी और जो लिफ्ट योजनाओं द्वारा प्रभावित थे उन्हें बाहर रखा गया था। जल की खपत की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, फसल पैटर्न का भी सुझाव दिया गया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि यद्यपि चार श्रेणियों में सिंचाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के संबंध में राज्यों के दावों की जांच की गई थी, लेकिन इनमें से किसी को भी आवंटन के मामले में दूसरे पर कोई प्राथमिकता या वरीयता नहीं मिलनी थी।

जल और सभी को संबंधित आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार समान रूप से उपचारित किया जाना था।

पी. *7* तमिलनाडु में "सिंचाई की जरूरतों" के लिए पानी का आकलन

और कर्नाटक

222. इसके बाद न्यायाधिकरण ने प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए सिंचाई के लिए आवश्यक पानी का आकलन करने की कवायद शुरू की। इसने नोट किया कि ऐसी आवश्यकता के पहलू पर, राज्यों ने निम्नलिखित में प्रदान की गई जानकारी सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे:

सामान्य प्रारूप और उन गवाहों की जांच की थी जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यह विशेष रूप से संकेत दिया गया था कि राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए, यानी तमिलनाडु द्वारा *566* टी. एम. सी., कर्नाटक द्वारा *466* टी. एम. सी., केरल द्वारा *100* टी. एम. सी. और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा *9* टी. एम. सी.

740 टी. एम. सी. पर *50* प्रतिशत निर्भरता पर गणना की गई बेसिन की कुल उपज को देखते हुए कटौती अपरिहार्य थी। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि प्रत्येक राज्य के लिए न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित विचारों को अपनानाः

" *i)* तमिलनाडु राज्य में तीन धान की फसलें थीं।
डेल्टा क्षेत्र के साथ-साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में।

उसी क्षेत्र में ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

बाकी, सांबा फसल जो पकने में अधिक समय लेती है, उगाई जा रही थी। अभिलेखों की जांच करने के बाद यह पता चला कि डेल्टा क्षेत्र में वर्ष *1924* के समझौते से पहले मद्रास/तमिलनाडु में कुरुवाई के बाद लगभग *95,000* एकड़ में थालाडी था। *1924* के समझौते से इसके साथ पढ़ें

अनुलग्नक से यह प्रतीत होता है कि मद्रास राज्य को एक ही खेत में *90,000* एकड़ *(*पुराने डेल्टा में *70,000* एकड़ और मेट्टूर परियोजना क्षेत्र में *20,000* एकड़*)* तक दोहरी फसल उगाने की अनुमति दी गई थी। कुल *1,85,000* एकड़ है। *95, 000* एकड़ के उपरोक्त क्षेत्र में किसानों द्वारा दोहरी फसल उगाने की प्रथा का पालन फसल के निष्पादन से बहुत पहले किया जा रहा था। समझौता; उस प्रथा को बंद करने का निर्देश देना मुश्किल है। अब तक *90,000* एकड़ के शेष हिस्से की यही स्थिति है क्योंकि समझौते की शर्तों के तहत इसकी अनुमति दी गई थी और कावेरी में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

मेट्टूर परियोजना रिपोर्ट *(1921)* भी। इन सभी पहलुओं पर पहले के अध्यायों में चर्चा की गई है। लेकिन यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मद्रास/तमिलनाडु राज्य ने पानी के प्रचुर प्रवाह के साथ विभिन्न क्षेत्रों में एक ही खेत में धान की दोहरी फसल उगाना शुरू कर दिया है। ऐसे कुल क्षेत्रों की चर्चा पहले के अध्यायों में की गई है। इसी तरह कर्नाटक ने भी दोहरी फसलें उगाने की प्रथा का पालन किया, जिसकी कर्नाटक सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। समझौता। इस पृष्ठभूमि में न्याय के अंत में यह आवश्यक माना जाता है कि उसी कृषि वर्ष में उसी खेत में दूसरी धान की फसल या किसी अन्य फसल को उगाने के संबंध में अंतर-राज्यीय नदी कावेरी के पानी को विभाजित करने के उद्देश्य पर ध्यान न दिया जाए, सिवाय उन क्षेत्रों के जिनमें *1924* के समझौते से पहले इन प्रथाओं का पालन किया जा रहा था या समझौते की शर्तों के तहत विशेष रूप से अनुमति दी गई थी।

(ii) समझौते की शर्तों के तहत कर्नाटक राज्य

वर्ष *1924* में केवल *40,000* एकड़ में गन्ना उगाने की अनुमति दी गई थी जिसे बढ़ाकर लगभग *70,000* से *90,000* एकड़ कर दिया गया है। यह सर्वविदित है कि गन्ना जैसी फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पानी का समान वितरण प्रभावित होता है। इसलिए, गन्ने के लिए केवल *40,000* एकड़ तक के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसा कि समझौते में पानी के बंटवारे के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।

अंतर-राज्यीय नदी कावेरी।

iii) यह माना जाता है कि दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी से ग्रीष्मकालीन धान सहित ग्रीष्मकालीन फसल होती थी। जब बेसिन में पानी की इतनी कमी होती है, तो उन्हें कुछ को छोड़कर किसी भी ग्रीष्मकालीन धान को उगाने से प्रतिबंधित करना पड़ता है।

जिस क्षेत्र में यह *1924* के समझौते से पहले उगाया जा रहा था, उसे भी सिंचाई के भीतर किसी भी हल्की सिंचित फसल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

मौसम।

iv) धान सहित विभिन्न फसलों के संबंध में दोनों राज्यों की ओर से दावा किए गए पानी के डेल्टा को कम करना होगा।

धान की नई किस्म और अन्य आदानों का अवलोकन जो हाल ही में विकसित किए गए हैं, जिनके लिए पानी के कम डेल्टा की आवश्यकता होती है।

v) ट्रांस-बेसिन डायवर्जन बेसिन के पानी को दूसरे बेसिन में ले जाता है। इस प्रकार अंतर-राज्यीय नदी कावेरी के जल में प्रत्येक राज्य की आवश्यकता और न्यायसंगत हिस्से को निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी भी पार-बेसिन मोड़ के संबंध में जो पहले से ही किया गया है या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है।

अतिरिक्त पानी।

vi) जल आवंटन के लिए लिफ्ट योजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

1920) धान के बीजों की नई किस्म के साथ कम हो गए हैं और अर्ध-सूखी और सूखी फसलें दर्ज की गई हैं। कर्नाटक राज्य द्वारा यह स्थिति ली गई कि वह नई परियोजना क्षेत्रों में अधिक पानी की खपत करने वाली गीली फसल नहीं उगाएगा और इसके बाद केवल अर्ध-सूखी फसलें ही उगाई जा सकेंगी और उसके अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं की आवश्यकताओं को भी नोट किया गया। राज्यों द्वारा पेश किए गए विशेषज्ञ गवाहों की जांच के बाद और दलीलों के क्रम में, न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक *1* के आदेश द्वारा राज्यों से पानी की आवश्यकता के विवरण के साथ-साथ शपथ पत्र दाखिल करने की अपेक्षा की।

जिन फसलों को वे न्यूनतम के संकेत के साथ उगा रहे थे

कावेरी नदी में पानी की कमी को देखते हुए फसल के पानी की आवश्यकता। नतीजतन, तमिलनाडु ने अपना हलफनामा *08.07.2004 (*एक्स्ट। टी. एन. *1665)* और कर्नाटक ने *28.03.2003 (*एक्स्ट। के. ए. आर. *518)* विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न मौसमों में आवश्यक डेल्टा *(*पानी की गहराई*)* सहित पानी की आवश्यकताओं का विवरण प्रदान करता है और विभिन्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत डेटा का भी समर्थन करता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि तमिलनाडु के शपथ पत्र की स्वीकृति साइमन शुद्ध कारण पर पहले भी गंभीरता से पूछताछ की गई है कि कर्नाटक राज्य अपने प्रमुख सचिव बनाम।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

प्रतिनिधि को प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। हलफनामे के बचाव में, यह तमिलनाडु राज्य का रुख है कि यह उन सभी का संकलन था जो पहले रिकॉर्ड में लाए गए थे। हम पहले भी इसी से निपट चुके हैं। हम केवल यह दोहराते हैं कि किसी भी सार्वजनिक रिपोर्ट में पहले से ही जो दर्ज किया गया है, उसे ही देखा जाएगा। *224.* न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि *1928* तक मैसूर और मद्रास राज्यों ने सदियों पुरानी धान की खेती का सहारा लिया था, जहां बेसिन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और जहां मैसूर में धान की खेती को एनीकट नहरों या तालाबों के माध्यम से सिंचाई प्रदान की गई थी, वहीं तमिलनाडु में भी यही स्थिति थी, जहां धान की खेती का बड़ा हिस्सा ग्रैंड एनीकट द्वारा और कावेरी, भवानी और अमरावती में अन्य एनीकटों के माध्यम से किया जाता था और बाद में *1924* के समझौते के प्रावधानों के अनुसार कृष्ण राजा सागर जलाशय *(*केआरएस*)* और मेट्टूर जलाशय की स्थापना के साथ।

मैसूर और मद्रास ने क्रमशः नए क्षेत्रों में अपनी सिंचाई का विस्तार किया। न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं की सुविधा प्रदान करने वाले इन दो प्रमुख जलाशयों के निर्माण के बाद, दोनों राज्यों में खेती का बड़ा हिस्सा धान की फसल तक ही सीमित रहा, फिर भी कर्नाटक में गन्ना जो एक बारहमासी फसल है, का भी सहारा लिया गया।

225. ट्रिब्यूनल ने इसके बाद मौजूदा फसलों को रिकॉर्ड में लिया

दो राज्य अपने सामान्य प्रारूपों में दी गई जानकारी के अनुसार। तमिलनाडु में, यह दर्ज किया गया कि कावेरी डेल्टा प्रणाली के संबंध में, धान और सांबा फसलों की "कुरुवाई" और "थलाडी" फसलें लगाई जा रही थीं।

बड़ा हो गया। राज्य की अन्य परियोजनाओं में गन्ना, केला और अन्य फसलें *(*मूंगफली और उद्यान फसल*) 1980* से शुरू की गई थीं।

इसके अलावा, एनीकट प्रणाली में, कुछ परियोजनाओं में ग्रीष्मकालीन धान भी शुरू किया गया था। तमिलनाडु ने अपने सामान्य प्रारूप में यह भी संकेत दिया कि कावेरी बेसिन में सामान्य रूप से जून में "कुरुभाई" के रूप में जानी जाने वाली अल्पकालिक धान की पहली फसल उगाई जानी थी, जिसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून का पानी नदी में बहता था, जिसके बाद उसी क्षेत्र में मध्यम अवधि की धान की दूसरी फसल, जिसे "थलाडी" के रूप में जाना जाता है, उगाई गई थी, जिसमें जनवरी-फरवरी तक उत्तर-पूर्वी मानसून की कटाई का लाभ था। यह कहा गया था कि शेष क्षेत्रों में, "सांबा" के रूप में जानी जाने वाली लंबी अवधि की धान की केवल एक ही फसल थी। जुलाई/अगस्त से उगाया जाता है और दिसंबर/जनवरी में काटा जाता है। इसके अलावा, आपूर्ति की उपलब्धता के अधीन अन्य नदी मार्गों में, दो धान की फसलें उगाई जा रही थीं, जिसके बाद हरे चना और काले चना जैसी नकदी फसल उगाई जा रही थी।

वर्षा पोषित परिस्थितियों में फसलें *(*मानसून फसलें*)* और कुछ क्षेत्रों में, जहां स्थिर मिट्टी के क्षेत्र थे या जहां देर से बारिश हुई थी, कुछ रबी फसलें जैसे जावर, बंगालग्राम और कपास की खेती की जा रही थी। खेती की जाती है। यह भी संकेत दिया गया था कि बारिश की विफलता बहुत आम थी

इन क्षेत्रों में, जो गंभीर रूप से सूखा प्रवण थे, जिसके लिए उपज की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने में मदद करने के लिए सिंचाई की उचित खुराक आवश्यक थी। यह समझाया गया कि कावेरी बेसिन में, विशेष रूप से कर्नाटक में पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में, चावल और

गन्ना सिंचाई के तहत मुख्य फसलें थीं, लेकिन अपर्याप्त मानसून के वर्षों में, चावल को हतोत्साहित किया गया और रागी जैसी हल्की सिंचित फसलें,

मूंगफली आदि रबी/गर्मियों में उगाए जाते थे। कर्नाटक ने आगे बताया कि नई सिंचाई परियोजनाओं में सीमित क्षेत्रों को छोड़कर सीमित सीमा तक खरिफ के मौसम में भी धान उगाने का कोई प्रावधान नहीं था। यह रेखांकित किया गया कि कावेरी बेसिन परियोजनाओं सहित राज्य में सिंचाई का उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पानी का गहन उपयोग करने के बजाय व्यापक उपयोग करना था। यह भी उल्लेख किया गया कि सभी नई परियोजनाओं में हल्की सिंचित फसलों को उगाने पर जोर दिया गया था और

फसल का स्वरूप काफी हद तक खरिफ और सीमित सीमा तक रबी था। कर्नाटक ने कहा कि सिंचित क्षेत्रों में, चावल प्रमुख फसल थी, जबकि हल्के सिंचित क्षेत्रों में, रागी मुख्य फसल थी, उसके बाद मक्का और आलू थे और पानी की उपलब्धता के आधार पर गन्ना, शहतूत, नारियल और अन्य फलों की फसलें भी उगाई जाती थीं। न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को संदर्भित किया कृषि विभाग, *1976*, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत में सभी फसलों के तहत लगभग *40* प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में चावल उगाया जाता था और कुल सिंचाई आपूर्ति का *50* प्रतिशत हिस्सा चावल की फसल का होता था, इसके बाद *15* प्रतिशत खपत गेहूं की होती थी, इसके बाद अन्य अनाज का होता था जो सिंचाई आपूर्ति का *12* प्रतिशत था। रिपोर्ट में, जैसा कि न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया है, अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्ज किया गया है कि दक्षिणी राज्यों में, जहां भी भारी काली कपास की मिट्टी घाटियों में स्थित थी और हल्की लाल मिट्टी ऊपर की ओर थी, वहां यह अच्छी थी।

घाटियों में चावल उगाने को सीमित करने और हल्की सिंचित फसलों के लिए हल्की मिट्टी को आरक्षित करने की व्यवस्था, अन्यथा अधिक पानी की खपत के अलावा, अधिक रिसाव के नुकसान के कारण, रिसाव वाला पानी भारी मिट्टी को नीचे की ओर गीली कर देगा, जिससे यह चावल के अलावा किसी भी फसल को उगाने के लिए अयोग्य हो जाएगी।

न्यायाधिकरण ने अपने प्रमुख सचिव बनाम द्वारा कर्नाटक राज्य के दृष्टिकोण को नोट किया। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

1924 के समझौते के साथ-साथ *1924* के समझौते द्वारा अनुमत क्षेत्रों में। हालाँकि, बेसिन में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए, इसने दोहराया कि उपरोक्त दो श्रेणियों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों से परे दूसरी फसल की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कर्नाटक के संदर्भ में, न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि धान और गन्ना पानी की अधिक खपत करते थे फसल, वे *1924* से पहले की अवधि के लिए क्षेत्रों तक सीमित थे और साथ ही समझौते की शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी। कर्नाटक राज्य के विशेषज्ञ गवाह डॉ. आई. सी. महापात्रा के साक्ष्य पर ध्यान दिया गया कि राज्य में एक उपयुक्त फसल पद्धति में रागी, दाल, तिलहन, गन्ना और चावल की एक फसल के साथ-साथ फलों, फूलों और उपयोगी क्षेत्रों की बागवानी फसलें शामिल होंगी। इस प्रभाव की उनकी गवाही कि चावल की दो फसलें जो कुछ हिस्सों में उगाई जा रही थीं

कर्नाटक को भी हतोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने इस गवाह के बयान को इस आशय से दर्ज किया कि तमिलनाडु में राज्य के विभिन्न हिस्सों में चावल की दो या तीन फसलें थीं *[2018] 5* एस. सी. आर.

क्योंकि कावेरी डेल्टा में तापमान एक सीमित कारक नहीं था। हालाँकि, गवाह ने डिजाइन करने के लिए वर्षा के पैटर्न पर जोर दिया

पानी की उपलब्धता के संबंध में फसल मॉडल। एक सवाल के जवाब में, इस गवाह ने देखा कि तमिलनाडु के किसान कुरुवाई फसल उगाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि यह एक अल्पकालिक फसल थी और खेतों में पौधे

लगाने आदि में इसकी खेती की प्रक्रिया जून के अंत तक शुरू की जा सकती थी। न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि कुरुवाई उगाने के लिए तमिलनाडु राज्य मुख्य रूप से कर्नाटक द्वारा मेट्टूर जलाशय को पानी छोड़ने पर निर्भर था।

227. न्यायाधिकरण ने इसके बाद के साक्ष्य को स्वीकार किया

जिन्होंने अपने हलफनामे में राज्य में स्थित कावेरी बेसिन में सूखे वाले क्षेत्रों में कृषि के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। यह. *20* प्रतिशत से अधिक *750* मिमी से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र

वर्ष सूखा क्षेत्रों के रूप में जहां सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत संवर्धित क्षेत्र के *30* प्रतिशत से कम था। इस तथ्य पर कि कर्नाटक के *28* तालुकों की पहचान कावेरी बेसिन के भीतर सिंचाई आयोग द्वारा सूखा-प्रवण क्षेत्रों के रूप में की गई है, न्यायाधिकरण ने ध्यान दिया।

विशेष रूप से गवाह के शपथ पत्र में दिए गए विवरण के संदर्भ में। डॉ. कंवर की इस बात की गवाही कि कर्नाटक की भूमि ज्यादातर लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी थी, जिसमें कम जल धारण क्षमता होती है, जिसके लिए कृत्रिम आपूर्ति के माध्यम से कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता होती है, न कि वर्षा के पैटर्न से, जैसा कि राज्यों के सूखे वाले क्षेत्रों में उपलब्ध है और इस प्रकार *28* सूखा प्रवण तालुकों को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक रूप से संरक्षित सिंचाई की आवश्यकता होती है, पर ध्यान दिया गया।

228. न्यायाधिकरण ने पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक पानी की गहराई के रूप में भारत सरकार के दिशानिर्देशों में प्रदान की गई "फसल जल आवश्यकता" की परिभाषा को चिह्नित किया। इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि फसल के पानी की आवश्यकता भूमि की स्थलाकृति, मिट्टी की विशेषताओं और जलवायु स्थितियों के अलावा इसकी सिंचाई क्षमता वर्ग पर ध्यान देती है। इसने दोनों राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति के संबंध में सी. एफ. एफ. सी. की टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा। मैसूर में ज्यादातर सारी फसलें सिर्फ ख़रीफ़ के मौसम में और रबी और गर्मियों के मौसम में उगाई जाती थीं।

फसल बहुत छोटी थी, और रागी, ज्वार, दलहन आदि के तहत क्षेत्र, जो

अधिकतर वर्षा-पोषित थे, प्रमुख थे। मैसूर के लिए, सी. एफ. एफ. सी. ने निष्कर्ष निकाला कि रागी प्रमुख फसल थी जो क्षेत्र का *44* प्रतिशत है।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसके बाद धान ने *21* प्रतिशत का दावा किया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में धान के लिए फसल का मौसम जून-जुलाई से दिसंबर-जनवरी तक था। *229.* तमिलनाडु के संदर्भ में, कावेरी तथ्य खोज समिति ने व्यक्त किया कि कावेरी डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है

पटरी और लगभग पूरा क्षेत्र धान के नीचे था। यह उल्लेख किया गया था कि डेल्टा में कृषि कार्य नए लोगों के आगमन के साथ शुरू होते हैं

(दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ नदी में ताजे पानी की भीड़*)* और मेट्टूर जलाशय को केवल सिंचाई के लिए खोला जाता है। जब उक्त मानसून सक्रिय रूप से प्रवेश करता है। इसने पुष्टि की कि

कुछ क्षेत्रों में, धान की पहली फसल "कुरुवई" *105* दिनों की अवधि के साथ उगाई जाती है और इस फसल की कटाई के बाद, दूसरी कम अवधि की फसल को "कुरुवई" के रूप में जाना जाता है।

" 'तलादी' उगाई जाती है। इसमें *180* दिनों की अवधि की दीर्घकालिक फसल "सांबा" का भी उल्लेख किया गया है जो डेल्टा में एक प्रमुख फसल थी। न्यायाधिकरण ने उपरोक्त आधार पर कहा कि इस प्रथा का होना आवश्यक था

केवल अर्ध-शुष्क फसल उगाने का उल्लेख किया गया था। तमिलनाडु के बारे में, न्यायाधिकरण दर्ज किया गया है कि कावेरी डेल्टा प्रणाली के मामले में, जो प्रमुख सिंचित क्षेत्र को कवर करती है, डेल्टा *5.3* फीट से भिन्न होता है। *1901* में *4* फुट से *1971* में *4* फुट तक और कावेरी मेट्टूर परियोजना, निचली भवानी और मेट्टूर नहरों जैसी नई परियोजनाओं में, *1971* में डेल्टा *4* फुट की सीमा में आया था। *5. 9* फीट तक। बचत को प्रभावी बनाने के लिए कावेरी तथ्य खोज समिति की निम्नलिखित सिफारिशों पर भी ध्यान दिया गयाः

(क*)* दोगुनी फसल वाले धान के क्षेत्र को सीमित करना।

(ख*)* साम्बा के स्थान पर अल्पावधि किस्म की शुरूआत।

(ग*)* कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें उगाना।

230. पक्षकारों की दलीलों और उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, न्यायाधिकरण को यह प्रतीत हुआ कि अत्यधिक पानी *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्ष राज्यों द्वारा फसलों को उगाने के लिए उपयोग किया गया, इसने सुनवाई के दौरान, *12.11.2002* पर, उन्हें और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को कृषि के लिए पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए पहले से ही उठाए गए कदमों का खुलासा करते हुए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया और निकट भविष्य में उठाए जाने की संभावना है जो न्यूनतम डेल्टा का संकेत देता है जो उनके क्षेत्रों में विभिन्न फसल किस्मों के लिए आवश्यक होगा।

231. तदनुसार, दोहराने के लिए, कर्नाटक और तमिलनाडु ने अतिरिक्त के रूप में चिह्नित अपने-अपने हलफनामे दायर किए। केएआर-*518* और एक्स्ट। टी. एन.-*1665* जिसमें उन्होंने फसल के पानी की आवश्यकता की गणना में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले मापदंडों का विवरण प्रस्तुत किया, अर्थात, फसल की अवधि, ई. टी. फसल, गड्ढे की आवश्यकता, रिसाव नुकसान, प्रभावी वर्षा और प्रणाली दक्षता। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संकलनों में राज्यों ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं/प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताया। जहां तमिलनाडु ने लघु सिंचाई के तहत एक लाख एकड़ के क्षेत्र के लिए *68.9* टी. एम. सी. और जलाशय वाष्पीकरण नुकसान की गणना पर *10* टी. एम. सी. की अलग मांग के साथ अपनी फसल जल की आवश्यकता <आई. डी. *5* लाख एकड़ के क्षेत्र के लिए <आई. डी. *4* टी. एम. सी. दर्ज की, वहीं कर्नाटक ने लघु सिंचाई के तहत *3* लाख एकड़ के क्षेत्र के लिए *71.3* टी. एम. सी. सहित <आई. डी. *3* लाख एकड़ के फसल क्षेत्र के लिए <आई. डी. *2* टी. एम. सी. का दावा दर्ज किया। इसके अलावा, कर्नाटक ने अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए *28.158* टी. एम. सी. की मांग की एक लाख एकड़ का क्षेत्र, जिस पर न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इन प्रस्तावित परियोजनाओं को मौजूदा और चल रही परियोजनाओं, घरेलू जल, औद्योगिक जल,

पर्यावरणीय जरूरतों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पानी की उपलब्धता के अधीन माना जा सकता है।

232. राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पानी की आवश्यकता की वास्तविक गणना करने से पहले, न्यायाधिकरण ने कावेरी नदी या उसकी सहायक नदियों के पानी के पार बेसिन मोड़ के पहलू पर विचार किया। इस संबंध में, इसका विचार था कि सामान्य रूप से, एक नदी बेसिन में उपलब्ध सभी पानी का उपयोग बेसिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, जैसे कि मानव और पशु आबादी के लिए पीने का पानी, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन, औद्योगिक उपयोग और पर्यावरण संरक्षण आदि।

आवश्यकताएँ, यदि अभी भी पानी का कोई अधिशेष है, तो इसे अन्य जरूरतमंद बेसिनों में स्थानांतरित करने के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें

कावेरी में उपज विभिन्न नदी तटीय राज्यों के दावों की तुलना में बहुत कम होने की स्वीकार की गई स्थिति पर, न्यायाधिकरण ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि राज्यों द्वारा पहले से किए गए या किसी भी उद्देश्य के लिए प्रस्तावित ट्रांस बेसिन डायवर्जन के लिए किए गए दावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

कर्नाटक राज्य में उसके प्रमुख सचिव वी. स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

यह निर्णय, इसने नोट किया कि हालांकि *1966* के हेलसिंकी नियमों में, बेसिन राज्यों का संदर्भ दिया गया था, फिर भी यह राय थी कि अन्य निचले नदी तटीय राज्यों द्वारा उनकी सिंचाई, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कीमत पर नदी तटीय राज्यों में से किसी एक द्वारा मोड़ का सहारा नहीं लिया जा सकता था।

और सामाजिक आवश्यकताएँ। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त विचार, सार में, यह है कि पानी को दूसरे वाटरशेड में मोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन सामान्य रूप से

किसी समझौते के अभाव में, विवेकपूर्ण तरीका यह हो सकता है कि बेसिन क्षेत्रों की तात्कालिक जरूरतों के लिए उदारतापूर्वक अनुमति देने के बाद बचे हुए अतिरिक्त पानी की ओर मोड़ को सीमित किया जाए। न्यू जर्सी राज्य बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन का भी संदर्भ दिया गया था। न्यूयार्क राज्य *(*ऊपर*)* कि स्पष्ट रूप से एक अलग वाटरशेड में पानी को हटाने की अनुमति कभी-कभी दी जानी चाहिए, जब तक कि राज्यों को औपचारिक आधार पर सबसे अधिक लाभकारी उपयोग से वंचित नहीं किया जाना है। विशेषज्ञ की टिप्पणी

कावेरी जल के उपयोग में अर्थव्यवस्था, कि चूंकि बेसिन स्वयं था पानी की कमी, ट्रांस-बेसिन स्थानांतरण वांछनीय नहीं थे, साथ ही उचित वजन भी दिया गया था।

233. न्यायाधिकरण, क्षेत्रों को निर्धारित करने के बाद

कावेरी बेसिन, जिस पर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सिंचाई के हकदार थे और साथ ही साथ उगाई जाने वाली और उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति को निर्धारित करते हुए, लागू मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, यानी *1924* के समझौते में कोई दोहरी फसल/बारहमासी फसल नहीं, कोई ग्रीष्मकालीन धान और *1924* से पहले मौजूद ग्रीष्मकालीन धान के तहत क्षेत्र को किसी भी अर्ध-सूखी फसल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, सिंचाई के लिए कावेरी जल का विभाजन करने के लिए आगे बढ़े। न्यायाधिकरण ने अपनी कवायद शुरू करते हुए राज्यों द्वारा मुख्य रूप से दो श्रेणियों की फसलों, यानी धान और उसकी किस्मों और अर्ध-सूखी

फसलों *(*खरिफ और रबी मौसम के दौरान*)* के संबंध में प्रस्तुत किए गए विभिन्न मानकों के विवरण पर ध्यान दिया। मापदंडों की गणना इस प्रकार की गई थीः

अर्ध-शुष्क फसलें

धान

1. फसल की अवधि

फसल की अवधि

मैदान की मुख्य तैयारी

2. पुडिंग

ई. टी. फसल

ई. टी. फसल

3 .

(इवापो-वाष्पोत्सर्जन*)*

(इवापो-वाष्पोत्सर्जन*)*

[2018] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4 .

परकोलेशन हानि

5 .

बारिश का असर

बारिश का असर

6. प्रणाली दक्षता

प्रणाली दक्षता।

234. आदेशों के अनुसार तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य

न्यायाधिकरण ने भी अपने फसल कैलेंडर दाखिल किए। तमिलनाडु में, धान की तीन किस्मों की अवधि इस प्रकार दिखाई गईः

105 दिन।

((i) कुरुवाई

135 दिन।

((ii) तलादी

(iii) साम्बा

150 दिन।

235. न्यायाधिकरण, विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापन के साथ

साम्बा धान के बीजों ने देखा कि उक्त फसल की अवधि को घटाकर *135* दिन या उसके करीब कर दिया जाना चाहिए। यह भी राय थी कि दिसंबर के पहले सप्ताह और मार्च के अंतिम सप्ताह के बीच उगाई जाने वाली तमिलनाडु की "नवराई" फसल को किसी भी प्रकाश से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

जून-जनवरी के सिंचाई मौसम के भीतर सिंचित फसल। यह पहलू कि अमरावती में जल की समान अर्थव्यवस्था का अभ्यास किया जाना चाहिए और

लोअर भवानी परियोजना पर भी जोर दिया गया। न्यायाधिकरण ने याद दिलाया कि कर्नाटक में कावेरी बेसिन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खरिफ धान, अर्ध-सूखी, यानी रागी, मक्का आदि थीं। रबी में गन्ने जैसी बारहमासी फसलों के साथ अर्ध-शुष्क, यानी मूंगफली, दालें आदि।

ग्रीष्मकालीन फसलों के अलावा शहतूत, उद्यान फसलें आदि, यानी रबी/ग्रीष्मकालीन धान और रबी ग्रीष्मकालीन अर्ध-शुष्क। पानी की कमी को देखते हुए न्यायाधिकरण ने ग्रीष्मकालीन धान और ग्रीष्मकालीन अर्ध-सूखी फसलों को बाहर रखा और

इस विचार को दर्ज किया कि कर्नाटक की ओर से मध्यम अवधि की धान की फसल के लिए जाना विवेकपूर्ण होगा जो अधिक उपज देगा। यह तथ्य कि राज्य सरकार ने किसानों को *120* से *130* दिनों की अल्पकालिक धान की किस्म शुरू करने के लिए सफलतापूर्वक राजी किया था, जिसके परिणामस्वरूप किस्म की मध्यम अवधि की तुलना में लगभग *10* प्रतिशत पानी की बचत हुई। इसने सुझाव दिया कि कर्नाटक राज्य सरकार को भी जहां तक संभव हो, प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

रागी द्वारा ख़रीफ़ धान का क्षेत्र जो एक ख़रीफ़ अर्ध-सूखी फसल है। उक्त विश्लेषण के आधार पर, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से पानी का आर्थिक और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए फसल की अवधि को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके साथ ही फसल के स्वरूप में संशोधन का भी सुझाव दिया।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

236. न्यायाधिकरण ने विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक संबंधित चरणों की तुलना में पानी की विभिन्न मात्राओं के लिए राज्यों द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखा, अर्थात्:

1. नर्सरी की तैयारी

2. मुख्य खेत की तैयारी करते समय गड्ढा बनाना।

3. इवापो ट्रांसपिरेशन

4. परकोलेशन नुकसान

5. प्रभावी वर्षा और
6. प्रणाली दक्षता

237. यह ध्यान दिया गया कि एक फसल के लिए आवश्यक उचित डेल्टा *(*पानी की गहराई*)* तय करने में, इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस पर

भूमि की तैयारी के पहलू पर, न्यायाधिकरण ने कहा कि कर्नाटक के अनुसार, अर्ध-शुष्क फसलों के संबंध में फसल के पानी की आवश्यकता फसल बोने से पहले अर्ध-शुष्क फसलों के संबंध में खेत की तैयारी के लिए लगभग *100* मिमी थी और आम तौर पर बीज बोने का कार्य तब किया जाता था जब खेत गीला होता था ताकि आसानी से जुताई की जा सके और फसल को गीला किया जा सके।

वर्षा द्वारा मिट्टी निश्चित नहीं थी क्योंकि यह प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती थी, मिट्टी को गीला करने का प्रावधान किया जाना था ताकि फसल कैलेंडर के अनुसार फसल की बुवाई संभव हो सके। न्यायाधिकरण ने इस संबंध में इन फसलों के लिए समग्र डेल्टा को अपनाया जैसा कि कर्नाटक की परियोजना रिपोर्टों में संकेत दिया गया है।

238. गड्ढों के संबंध में, न्यायाधिकरण ने इस कारक के लिए पानी की आवश्यकता पर तमिलनाडु के जोर को चिह्नित किया क्योंकि डेल्टा सहित बेसिन के अधिकांश क्षेत्र धान उगाते हैं। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को स्वीकार कर लिया-अपने-अपने राज्यों में बयानों को उचित माना गया।

239. इवापो-ट्रांसपिरेशन-ई. टी. क्रॉप के मानदंड पर, न्यायाधिकरण ने कहा कि इस मापदंड की वैज्ञानिक गणना निर्भर करती है

विभिन्न कारकों पर, अर्थात् *(i)* दिन और रात के साथ तापमान मौसम की स्थिति*; (ii)* क्षेत्र की ऊँचाई/ऊँचाई*; (iii)* सौर विकिरण*; (iv)* धूप के घंटे*; (v)* हवा का वेग*; (vi)* आर्द्रता, आदि।

240. मई*, 1984* में जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों से यह पता चला कि फसल के पानी की आवश्यकताओं पर जलवायु का प्रभाव वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में दिया गया था। इसने सूत्र *[2018] 5* एस. सी. आर. का उल्लेख किया।

ईवापो की गणना करने के लिए-किसी विशेष फसल का इस अवलोकन के साथ वाष्पोत्सर्जन कि किसी विशेष फसल के लिए उक्त कारक अलग-अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है।

एक या अधिक या कई अवयवों में भिन्नता के कारण क्षेत्र अलग-अलग होंगे। हालाँकि न्यायाधिकरण ने असहमति पर ध्यान दिया

खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार की प्रयोज्यता के संबंध में दोनों राज्यों के बीच दिशानिर्देश, फिर भी इसने अंततः तमिलनाडु द्वारा अपनाए गए गुणांक *(*वाष्पोत्सर्जन की गणना के लिए लागू एक कारक*)* को स्वीकार कर लिया जैसा कि काम किया गया था।

कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किए गए डेल्टा की तुलना में कम डेल्टा उत्पादन किया।

241. जहां तक रिसाव के नुकसान का संबंध है, इसने ध्यान दिया

कर्नाटक द्वारा उद्धृत विशेषज्ञ गवाह, डॉ. आई. सी. महापात्रा का अवलोकन कि खेत के उचित गड्ढे से इसे काफी कम किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि पानी का रिसाव नुकसान मिट्टी की प्रकृति, जलवायु स्थिति आदि पर निर्भर करता है। इसने याद दिलाया कि कर्नाटक की मिट्टी ज्यादातर लाल मिट्टी थी और कई स्थानों पर रेतीली प्रकृति की थी।

तमिलनाडु की मिट्टी के विपरीत जो विशेष रूप से डेल्टा में रेतीली दोमट थी, जो सदियों से गाद के जमा होने से बनी थी और कर्नाटक की तरह छिद्रपूर्ण नहीं थी। द्वारा प्रदत्त गणनाओं को ध्यान में रखने के बाद

242. प्रभावी वर्षा की गणना करने के लिए, निम्नलिखित मान्यता प्राप्त कारक, अर्थात् *(i)* भूमि की स्थलाकृति*; (ii)* सिंचित होने के लिए प्रस्तावित भूमि की मिट्टी की विशेषताएं*; (iii)* भूमि की प्रारंभिक मिट्टी की नमी की मात्रा*; (iv)* भूजल की विशेषताएं*; (v)* फसल की विविधता द्वारा उपभोग्य उपयोग की दर*; (vi)* वर्षा की तीव्रता, समय और अवधि*; (vii)* वर्षा की आवृत्ति और वितरण*; (viii)* जलवायु की स्थिति*; (ix)* फसल की विविधता और इसके विकास का चरण*;* और *(x)* प्रथाओं के जल संरक्षण आदि पर ध्यान दिया गया।

243. सिंचाई और जल निकासी का उल्लेख करने के बाद पेपर नं। *25*

1974 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित "सिंचित कृषि में प्रभावी वर्षा" पर प्रभावी वर्षा के मापन और इसके प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य के विभिन्न तरीकों के मूल्यांकन से संबंधित।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसके संबंध में, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि प्रभावी वर्षा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होगी और इसलिए, इसका संगणित मूल्य तदनुसार बदल जाएगा। इस संबंध में, न्यायाधिकरण ने नोट किया कि दोनों राज्यों ने अपनी फसल के पानी की आवश्यकता को प्रस्तुत किया है जिसमें प्रभावी वर्षा भी शामिल है। विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी परियोजनाएं।

244. प्रणाली दक्षता के पहलू पर, न्यायाधिकरण ने पंजीकृत किया

कि इन दोनों राज्यों ने अपने द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दावा किया कि उन्होंने अपनी फसल के पानी की आवश्यकता को इष्टतम रूप से पूरा कर लिया है अलग-अलग फसलों के लिए आवश्यक। राष्ट्रीय कृषि आयोग, *1976* की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, फसल विकास के उचित चरणों में एक बड़े फसल क्षेत्र को इष्टतम संख्या से कम पानी देने से समग्र कृषि

उत्पादन में वृद्धि होगी और इसलिए, इष्टतम डेल्टा *(*पानी की गहराई*)* के साथ परियोजनाओं की योजना बनाने से पानी की अधिक मांग होगी और कम पानी के लिए सिंचाई प्रणाली की तुलना में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है, जो बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकती है और अधिक समग्र उत्पादन सुनिश्चित कर सकती है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण का विचार था कि पक्ष-राज्यों को अपने फसल जल प्रबंधन में सुधार करना चाहिए

ऐसी प्रथाएँ जो वांछित परिणाम प्राप्त करने में शामिल कई मापदंडों को जोड़ती हैं। इसने सुझाव दिया कि दोनों राज्यों को मौजूदा परियोजनाओं में प्रणाली दक्षता में *65* प्रतिशत तक सुधार करना चाहिए जो संभव था।

और उपयुक्त। इस संबंध में, इसने वर्ष *1972* की सी. सी. पटेल विशेषज्ञ समिति के सुझाव का उल्लेख किया कि दोनों राज्यों में दक्षता *67* प्रतिशत होनी चाहिए।

245. तमिलनाडु राज्य के लिए, न्यायाधिकरण,

65 प्रतिशत की प्रणाली दक्षता ने पुराने डेल्टा क्षेत्र और लोअर कोलरून प्रणाली में धान की फसल की *3* किस्मों के लिए डेल्टा पर काम किया।

ए. पुराना डेल्टा क्षेत्रः डेल्टा *(*पानी की गहराई*)*

((i) कुरुवई

4.00 फीट।

((ii) साम्बा

3.40 "

(iii) तलादी

2.50 "

ख. निचला कोलरून क्षेत्रः

((i) कुरुवई

3.80 फीट।

((ii) साम्बा

3.20 "

(iii) तलादी

246. उसी मापदंड पर नए डेल्टा के लिए, निम्नलिखित डेल्टा का निर्णय लिया गया थाः

((i) कुरुवाई

4.10 फीट।

((ii) साम्बा

3.90 फीट।

(iii) तलादी

3.20 फीट।

247. अन्य परियोजना क्षेत्रों के लिए डेल्टा की गणना भी की गई थी

65 प्रतिशत पर प्रणाली दक्षता लागू करके और अंत में, तमिलनाडु राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, मुख्य फसलों के लिए इस तरह से गणना किए गए डेल्टा को अपनाकर और आवश्यकता के आधार पर तैयार किए गए फसल क्षेत्रों में इसे लागू करके, *10* टी. एम. सी. के जलाशय नुकसान सहित *24.71* लाख एकड़ के क्षेत्र के लिए *390.85* टी. एम. सी. पर निर्धारित किया गया था। इस आंकड़े पर पहुंचने पर, न्यायाधिकरण ने कर्नाटक की इस दलील को खारिज कर दिया कि मांग को *242* टी. एम. सी. तक सीमित किया जाना चाहिए जैसा कि *1921* की कावेरी मेट्टूर परियोजना रिपोर्ट में बताया गया था। यह, दूसरों के बीच, स्वीकार करके था तमिलनाडु का स्पष्टीकरण कि राज्य की जल आवश्यकता केवल बहुत उच्च शुल्क कारकों के आधार पर अनुमानित थी जो अव्यावहारिक और मनमाना साबित हुई और आगे प्रत्येक राज्य की फसल जल आवश्यकता का मूल्यांकन वर्तमान मानकों पर किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, न्यायाधिकरण का विचार था कि दोनों राज्यों द्वारा किए गए पानी के दावे पर इस तरह से काम किया जाना चाहिए कि न तो फसलें भूख से मरें और न ही उपलब्ध पानी का बंटवारा एक असंभव काम बन जाए।

248. जल की आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया में

कर्नाटक, न्यायाधिकरण ने नोट किया कि उसके द्वारा गणना भारत सरकार के दिशानिर्देशों को अपनाते हुए की गई थी। यह बताते हुए कि मिट्टी की प्रकृति के साथ-साथ कर्नाटक में उगाई जाने वाली फसलें तमिलनाडु से अलग थीं और धान और गन्ने की बहुत आवश्यकता होती है। न्यायाधिकरण ने मौजूदा परियोजनाओं के लिए प्रणाली दक्षता में *65* प्रतिशत और चल रही परियोजनाओं के लिए *70* प्रतिशत तक सुधार का सुझाव दिया और विभिन्न विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए रिसाव के नुकसान को *3* मिमी प्रति दिन तय किया। डेल्टा की गणना के लिए, खरिफ धान की खेती के संबंध में, बेसिन में कर्नाटक राज्य के भीतर परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, *(i)* कृष्ण राजा सागर जलाशय से ऊपर आने वाली परियोजनाएं जहां वर्षा अधिक थी; *(ii)* कृष्ण राजा सागर जलाशय से नीचे आने वाली परियोजनाएं *(*कृष्ण राजा सागर कमान सहित*)* जहां वर्षा की घटना तुलनात्मक रूप से कम थी।

249. मौजूदा परियोजनाओं के लिए, खरिफ धान के लिए डेल्टा था

4. 6 फीट तक काम किया। और चल रही परियोजनाओं के लिए *4.25* फीट। केआरएस सहित कृष्ण राजा सागर जलाशय के नीचे आने वाले क्षेत्रों के लिए

आदेश दें। कृष्ण राजा सागर के ऊपर पड़ने वाले क्षेत्रों से संबंधित डेल्टा को *4.3* फीट माना गया था। मौजूदा परियोजनाओं और *4* फीट के लिए। चल रही परियोजनाओं के लिए। इसी तरह, खरिफ और रबी दोनों मौसमों में खेती की जाने वाली अर्ध-सूखी फसलों के संबंध में अन्य परियोजनाओं के डेल्टा पर काम किया गया। गन्ने की बारहमासी फसल के लिए, साढ़े सात फीट। डेल्टा की अनुमति दी गई थी। *1* शहतूत की खेती के लिए टी. एम. सी. पानी की भी अनुमति दी गई थी। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर, पानी की आवश्यकता

कर्नाटक की गणना *18.85* लाख एकड़ के लिए *250.62 TC* के रूप में की गई थी। यद्यपि मूल्यांकनकर्ताओं ने अन्यथा सलाह दी थी, फिर भी न्यायाधिकरण का विचार था कि पानी को भंडारण के उद्देश्य से रखने के बजाय, प्रत्येक राज्य की अपनी प्राथमिकता के अनुसार किसी भी लाभकारी उद्देश्य के लिए संबंधित राज्यों द्वारा उपयोग के लिए समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के बीच इसे आवंटित करना बेहतर होगा।

पी. *8* "घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों" के लिए जल का आकलन

तमिलनाडु और कर्नाटक में

250. इसके बाद न्यायाधिकरण ने घरेलू मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़े

और कर्नाटक और तमिलनाडु की औद्योगिक जल आवश्यकताएँ। इसने देखा कि एक अंतर-राज्यीय नदी प्रणाली के पानी के लाभकारी उपयोग के तहत, पीने के पानी की आवश्यकता को न केवल हमारी राष्ट्रीय जल नीति में बल्कि विभिन्न देशों के न्यायालयों द्वारा भी पहली प्राथमिकता दी गई है। इसने तमिलनाडु द्वारा अपने नोट में प्रस्तुत भारतीय मानक-"जल आपूर्ति जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकता संहिता" *(*चौथा संशोधन*)* में दर्ज की गई जल आपूर्ति आवश्यकता का उल्लेख किया, जिसमें न्यूनतम *72* से *100* लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन *(*संक्षेप में "पी. एच. पी. डी"*.)* को शहरी समुदायों की घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त माना गया है। उक्त संहिता ने समुदायों को जनसंख्या के आधार पर और इसके प्रकार के आधार पर भी विभाजित किया।

जल आपूर्ति वितरण प्रणाली जल आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है जो नीचे दी गई है:

अधिक जनसंख्या वाले समुदायों के लिए

40 (न्यूनतम*)*।

1)

20, 000 तक और बिना फ्लशिंग सिस्टम के।

70 100 लीटर तक। पीएचपीडी

ए*)* स्टैंडपोस्ट के माध्यम से पानी की आपूर्ति

ख*)* हाउस सर्विस के माध्यम से पानी की आपूर्ति

जुड़ाव।

आबादी वाले समुदायों के लिए

2)

100 150 तक

एलटीएस। पीएचपीडी

20,000 पूर्ण के साथ *1,00,000* तक

फ्लशिंग सिस्टम।

150 200 लीटर तक। पीएचपीडी

आबादी वाले समुदायों के लिए

3)

ऊपर *1,00,000* पूर्ण के साथ

फ्लशिंग सिस्टम।

251. न्यायाधिकरण ने शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-मई *1999* द्वारा संशोधित और अद्यतन जल आपूर्ति और उपचार नियमावली *(*तीसरा संस्करण*)* में प्रस्तुत आंकड़ों पर भी ध्यान दिया, जिसमें योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं:

अनुशंसित

एस. एल. नं.

कस्बों का वर्गीकरण /

शहरों

अधिकतम पानी

आपूर्ति स्तर

(एलपीसीडी*)*

शहरों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जाती है लेकिन

70

1.

सीवर प्रणाली के बिना

2.

जिन शहरों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जाती है

135

मलजल निकासी प्रणाली मौजूद/विचाराधीन है।

प्रदान किए गए महानगर और मेगा शहर

3.

150

पाइप द्वारा जलापूर्ति जहाँ मल-निकास प्रणाली है

विद्यमान/विचाराधीन।

252. कावेरी बेसिन में विभिन्न कस्बों और शहरों आदि की आबादी और जल आपूर्ति वितरण प्रणालियों के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी सटीक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण, इसने शहरी आबादी की पेयजल आवश्यकता का आकलन इस प्रकार किया:

इसके नीचे:

(i) शहरी आबादी का *25* प्रतिशत, *135* लाख। पीएचपीडी
((ii) शहरी आबादी का शेष *75* प्रतिशत *100* लाख पर होना। पीएचपीडी

253. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इसने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रकाशन अध्याय-*I* में *40* लीटर पर अपनाए गए मानदंडों का उल्लेख किया। इस प्रकार एक ब्रेकअप के साथ पी. एच. पी. डी.*:*

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

मात्रा *(*पी. एच. पी. डी.*)*

उद्देश्य

शराब पीना।

खाना बनाना।

5

नहाना।

15

बर्तन और घर धोना

7

धुलाई

10

इसके अलावा, *30* लीटर। जिन क्षेत्रों में उल्लेख किया गया है, उनमें गर्म और ठंडे रेगिस्तान/पारिस्थितिकी तंत्र में जानवरों के लिए पी. एच. पी. डी. की सिफारिश की गई थी। द.

पक्षकार-राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पशुधन आंकड़ों की अनुपस्थिति में न्यायाधिकरण ने यह अनुमान लगाया कि पशुओं की संख्या ग्रामीण मानव आबादी के बराबर है और *30* लाख रुपये का प्रावधान किया। जानवरों के लिए पीएच. पी. डी. और *40* एल. टी. एस.। *70* एल. टी. एस. कुल मिलाकर मनुष्यों के लिए पी. एच. पी. डी. सभी में पी. एच. पी. डी.

आर

254. न्यायाधिकरण का विचार था कि पीने के पानी के रूप में

आवश्यकता बेसिन के पूरे क्षेत्र में फैली होगी, यह आकलन करना उचित होगा कि पेयजल की आवश्यकता का *50* प्रतिशत

भूजल स्रोतों से पूरा किया जाएगा क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं और ट्यूबवेल काफी हद तक पानी की आपूर्ति करते हैं।

कहा जरूरत है। इसने स्वीकार किया कि हालांकि राज्यों को पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए *2000* से *2025* की अवधि के लिए अपनी आबादी का अनुमान लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसने *2011* को पैमाना मानते हुए इस तरह का आकलन करना उचित माना क्योंकि यह पर्याप्त था। इसने यह भी देखा कि शुरू में घरेलू उपयोग के लिए उठाए गए पानी की *100* इकाइयों में से केवल *20* इकाइयों की खपत होती है और शेष *80* इकाइयां नदी बेसिन में वापस आ जाती हैं। इस प्रभाव के लिए, न्यायाधिकरण ने सी. एफ. एफ. सी. रिपोर्ट के साथ-साथ गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट को संदर्भित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक उपयोग के प्रतिशत को पुनः प्रस्तुत किया गया था।

उपयोग के शीर्ष नीचे दिए गए हैं:

उपयोग करें।

मापन

100 परिवर्तित या उठायी गई मात्रा का

प्रतिशत

(i) सिंचाई का उपयोग

नदी या किसी भी सहायक नदी या किसी भी जलाशय, भंडारण या नहर से और इन भंडारों में वाष्पीकरण के नुकसान का *100* प्रतिशत।

100 वाष्पीकरण हानि का प्रतिशत

((ii) बिजली का उपयोग

भंडारण।

(ग) घरेलू और

20 नदी या उसके किसी भी हिस्से से डायवर्ट या उठाए गए पानी की मात्रा का प्रतिशत

नगरपालिका का पानी

सहायक नदियाँ या किसी जलाशय, भंडारण या

के भीतर आपूर्ति

बेसिन

नहर

2.5 पानी की मात्रा का प्रतिशत मोड़ दिया गया

((iv) औद्योगिक उपयोग

या नदी या उसके किसी भी हिस्से से उठाया गया

बेसिन के भीतर।

सहायक नदियाँ या किसी जलाशय, भंडारण या

नहर।

(v) बाहर के सभी उपयोग

100 परिवर्तित या उठायी गई मात्रा का प्रतिशत

बेसिन।

नदी या उसकी किसी सहायक नदी या किसी जलाशय, भंडारण या नहर से।

255. तथ्य यह है कि उपरोक्त टिप्पणियों को भी उद्धृत किया गया था

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था।

256. बेंगलुरू शहर की आवश्यकता के अनुसार,

न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कर्नाटक द्वारा दी गई जानकारी से, शहर का *64* प्रतिशत क्षेत्र बेसिन के बाहर है और इसका केवल *36* प्रतिशत इसके भीतर आता है। इसलिए यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि शहर का एक तिहाई क्षेत्र बेसिन के भीतर और दो तिहाई क्षेत्र उससे आगे स्थित है। कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत सामग्री का उल्लेख करने के बाद जो मौजूदा और जारी है

पेयजल योजनाएं और बेंगलुरु शहर के लिए *20* से *25* वर्षों के अनुमान में *30* टी. एम. सी. के रूप में इसकी मांग, इसने *1990* में अपनी मौजूदा आवश्यकताओं के आधार पर *14.52* टी. एम. सी. होने का अनुमान लगाया। न्यायाधिकरण का विचार था कि चूंकि बेंगलुरु शहर का दो तिहाई हिस्सा बेसिन से बाहर है, इसलिए शेष बेसिन क्षेत्र के साथ-साथ कावेरी बेसिन के भीतर और शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पीने के पानी की आवश्यकताओं के लिए इसकी पेयजल आवश्यकता की गणना वर्ष *2011* के लिए बेसिन की आबादी का अनुमान लगाकर की जानी चाहिए। इसने याद दिलाया कि *25* प्रतिशत शहरी आबादी को *135* लाख की अनुमति दी गई थी। पी. एच. पी. डी. और उसका *75* प्रतिशत *100* लीटर। कावेरी में आने वाले शहरों और कस्बों की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए पीएच. पी. डी.

बेसिन। इसने *150* एल. टी. निर्धारित किए। बेसिन के भीतर आने वाले बेंगलुरु शहर क्षेत्र के लिए पीएच. पी. डी. और शहरी आबादी के लिए पानी की आवश्यकता पर काम किया *8. 70* टी. एम. सी. होना चाहिए। *70* लाख की दर से ग्रामीण आबादी की तुलना में।

पी. एच. पी. डी., स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

पानी की आवश्यकता को *8.82* टी. एम. सी. पर निर्धारित किया गया था, इस प्रकार पीने के पानी की कुल आवश्यकता *17.72* टी. एम. सी. हो गई। यह मानते हुए कि पीने के पानी की आवश्यकता का *50* प्रतिशत भूजल से पूरा किया जाएगा, यह अनुमान लगाया गया था कि पारगमन नुकसान सहित नदी आपूर्ति का घटक *8.75* टी. एम. सी. होगा। इस प्रकार, पशुधन सहित मानव आबादी के लिए उपभोग्य उपयोग, यानी कुल का *20* प्रतिशत, *1.75* टी. एम. सी. माना गया।

257. समान मानदंडों को अपनाकर, कुल मिलाकर, तमिलनाडु राज्य के लिए घरेलू पानी की आवश्यकता की गणना की गई थी। *2011* की अनुमानित आबादी के लिए पीने के पानी की कुल आवश्यकता *21.98* टी. एम. सी. निर्धारित की गई थी, जिसमें से *50* प्रतिशत को राज्य द्वारा पूरा किया जाना था। भूजल स्रोतों और सतह के पानी से *50* प्रतिशत जो *10.99* टी. एम. सी. में आया। *20* प्रतिशत की दर से उपभोग्य उपयोग को देखते हुए, तमिलनाडु को सतही जल से *2.20* टी. एम. सी. आवंटित किया गया था।

258. न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु की औद्योगिक जल आवश्यकता के संबंध में *2001* के दौरान *74.3* टी. एम. सी. की अपनी मांग दर्ज की और *13.60* *2025* में टी. एम. सी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक विकास

ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश सहित कई कारकों पर निर्भर करते हुए, यह विचार था कि राज्य द्वारा किया गया अनुमान उच्च पक्ष पर था। न्यायाधिकरण ने यह राय व्यक्त की कि वर्ष *2011* के लिए औद्योगिक जल की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

259. जहां तक कर्नाटक का संबंध है, न्यायाधिकरण ने *2000* और *2025* के लिए अनुमानित मांग *5.71* टी. एम. सी. और *8.02* टी. एम. सी. के साथ अपनी मौजूदा औद्योगिक आवश्यकता को *1.4* गुना वृद्धि अनुपात देते हुए नोट किया। यह देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास ने राज्य में और औद्योगिक जल के रूप में अच्छी गति पकड़ी है। वर्ष *2011* के लिए आवश्यकता को बेंचमार्क के रूप में लागू किया गया था, न्यायाधिकरण ने आवश्यकता की इस वस्तु के लिए *6.40* टी. एम. सी. *(3.20 x 2)* का निर्णय दिया। यह ध्यान दिया गया कि राज्य ने संकेत दिया था कि वर्तमान में लगभग *2.58* टी. एम. सी. की पूर्ति भूजल स्रोतों से की जाएगी, जो दर्शाता है कि कुल औद्योगिक *(2018) 5* एस. सी. आर.

कावेरी बेसिन से पानी की आवश्यकता *3.82* टी. एम. सी. *(6.40-2.58)* होगी और कुल आवश्यकता के *2.5%* की दर से उपभोग्य उपयोग की अनुमति देने से, उपभोग्य पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। *10* टीएमसी।

260. इस प्रकार, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकताओं की मात्रा *1.85* टी. एम. सी. और

2.73 टी. एम. सी.

पी. *9* तमिलनाडु और कर्नाटक में "पर्यावरण संरक्षण और समुद्र में अपरिहार्य पलायन" के लिए जल का आकलन

261. पर्यावरण संरक्षण और समुद्र में अपरिहार्य पलायन के लिए पानी की आवश्यकता के पहलू पर, न्यायाधिकरण ने इसके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिक व्यवस्था का संतुलन और शुद्धता बाधित हो जाती है।

मनुष्य द्वारा उपलब्ध संसाधनों का अनुचित उपयोग जो जनसंख्या के विस्फोट और उपभोक्तावाद की ओर उन्मुख विकृत जीवन शैली से और बढ़ जाता है। इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि औद्योगिक विकास के कारण नदी जल प्रदूषण, वनों की कटाई के कारण जलाशयों में गाद, सिंचाई के पानी का अत्यधिक उपयोग, जलभराव और लवणता आदि इतने चिंता के विषय थे कि सिंचाई के पानी के असंवेदनशील उपयोग के परिणामस्वरूप उपजाऊ भूमि को नुकसान हुआ है

जलभराव और लवणता से। इसने प्रतिस्पर्धी राज्यों के विभिन्न लाभकारी उपयोगों के लिए उपलब्ध आपूर्ति को विभाजित करने की अपनी भूमिका की याद दिलाई।

और ऐसा करते समय पर्यावरणीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना और कावेरी नदी के मुहाने तक अपनी विभिन्न पहुंच में नदी शासन को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में पानी आरक्षित करना। यह विचार था कि फसल के मौसम के दौरान, जलाशयों से विनियमित रिसाव न केवल नहर प्रणाली में, बल्कि नदी के निचले हिस्से में भी प्रवाहित होगा, जो आम तौर पर नदी के शासन और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन गैर-सिंचाई के मौसम के दौरान जो फरवरी से मई तक गैर-मानसून गर्मी के महीनों के साथ मेल खाता है, जागरूक था।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी कि प्रणाली में कम से कम प्रवाह चल रहा हो, विशेष रूप से डाउनस्ट्रीम में। इसने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. बी. बी. सुंदरेसन की गवाही का उल्लेख किया कि पर्याप्त नदी प्रवाह की कमी कावेरी के मुहाने में मैंग्रोव के क्षरण में योगदान करने वाला एक भारी कारक है क्योंकि मैंग्रोव केवल ताजे पानी-समुद्री जल इंटरफेस पर पनपते हैं। न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु के रुख को नोट किया और

इस संबंध में कर्नाटक ने *1924* के बाद से ही अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

262. समुद्र में अपरिहार्य पलायन के कारण, न्यायाधिकरण ने दर्ज किया कि उत्तर-पूर्व मानसून के मौसम के दौरान वर्षा होती है शुष्क अवधि के साथ कुछ दिनों के लिए भारी बारिश के साथ चक्रवाती तूफानों का रूप और इस तरह, डेल्टा क्षेत्र में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान भारी सतह प्रवाह के परिणामस्वरूप बाढ़ के प्रवाह के रूप में समुद्र में बहिर्वाह होता है। न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन और विभिन्न विशेषज्ञों की राय पर ध्यान देते हुए निष्कर्ष निकाला कि केवल वे पलायन जो सामान्य या सामान्य से कम वर्षा के वर्षों के दौरान लोअर कोलरून एनीकट में अधिशेष के रूप में समुद्र में बहते हैं, उन्हें अपरिहार्य पलायन के रूप में गिना जा सकता है और उस प्रभाव के लिए मात्रा को *4* टी. एम. सी. के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

विभाजन के लिए उपलब्ध *740* टी. एम. सी. की सामान्य उपज से कटौती की गई।

पी. *10* केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जल आवंटन

पांडिचेरी *(*वर्तमान में "पुडुचेरी" के रूप में नामित*)*

263. न्यायाधिकरण, इस मोड़ पर, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए आवंटन निर्धारित करने के लिए बदल गया।

264. केरल राज्य के हिस्से को विभाजित करते हुए, न्यायाधिकरण ने कावेरी तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और

अभिलिखित है कि जहाँ तक पहली और दूसरी फसलों का संबंध है, सिंचाई की आवश्यकताएँ नाममात्र थीं। साप्ताहिक वाष्पोत्सर्जन और वर्षा को दर्शाने वाली रिपोर्ट के साथ संलग्न चार्ट से यह निष्कर्ष निकला कि वर्षा मई से नवंबर के महीनों में इतनी समान रूप से वितरित की गई थी और वाष्पोत्सर्जन से अधिक थी कि छोटी अवधि में कुछ विफलताओं की स्थिति में केवल कभी-कभार कृत्रिम सिंचाई द्वारा सहायता की आवश्यकता थी। इसने अपने बयान में केरल के रुख को देखा कि कबिनी, भवानी और पम्बर बेसिनों में लोगों का मूल व्यवसाय

कृषि है, जिसमें कम ऊंचाई पर मुख्य फसल धान है, और मध्य और अधिक ऊंचाई पर वृक्षारोपण की फसलें उगाई जा रही हैं। केरल ने दावा किया था कि सिंचाई परियोजनाओं से सुनिश्चित जल आपूर्ति के अभाव में, सीमित आयकट की सेवा करने वाले कुछ छोटे सिंचाई कार्यों को छोड़कर, कावेरी बेसिन में कृषि फसलें निर्भर थीं *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कावेरी जल की उपलब्धता और उपयोग करने की क्षमता के बावजूद, मालाबार क्षेत्र सिंचाई परियोजनाओं को शुरू नहीं कर सका। केरल की मांग काबिनी, भवानी और पम्बर उप-बेसिनों को कवर करने वाले विभिन्न शीर्षों के तहत मामले का बयान *92.9* टी. एम. सी. था। न्यायाधिकरण ने देखा कि पानी की इस मात्रा में से *35* टी. एम. सी. की मांग केरल द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए पार-बेसिन मोड़ के लिए की गई थी। वास्तव में, इसने दावा किया कि कावेरी बेसिन में इसका योगदान *740* टी. एम. सी. की कुल उपज का लगभग *20* प्रतिशत था और इस प्रकार, एक अधिक आबादी वाले और औद्योगिक रूप से कम विकसित राज्य के रूप में इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए, पानी का इसका हिस्सा *99.8* टी. एम. सी. है, जिसमें पम्बर एच. ई. योजना-*5.6* टी. एम. सी., कोयम्बटूर के लिए सिरुवानी जल आपूर्ति योजना-*1.3* टी. एम. सी. का गैर-उपभोगी उपयोग शामिल है।

92. 9 टी. एम. सी. के उनके दावे के अलावा। राज्य की यह मांग कि वह जहां भी संभव हो, धान की फसल के लिए सिंचाई के लिए कावेरी के पानी का उपयोग करने का हकदार है और पनबिजली के उत्पादन के लिए इस तरह के पानी के उपयोग के अलावा पहाड़ी ढलानों में फसलें लगाने का हकदार है।

न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों के बीच *1969* के एक समझौते के आधार पर केरल के दावे को सीमित करने के तमिलनाडु के रुख पर ध्यान दिया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया और निर्णय लिया कि पानी के अपने हिस्से के लिए उसका दावा

योग्यता के आधार पर विचार किया जाना था। केरल की मांग पर निर्णय देते हुए, न्यायाधिकरण ने कर्नाटक के इस रुख पर ध्यान दिया कि दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश को देखते हुए, पहली दो धान की फसलों, विरिपु और मुंडकन को किसी भी सिंचाई सहायता की आवश्यकता नहीं है; *1975* से ग्रीष्मकालीन धान की फसल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

राज्य में धान की खेती के तहत कुल क्षेत्र घट रहा था और कुल मिलाकर, इसमें बड़ी संख्या में पर्याप्त पनबिजली क्षमता थी और इस तरह, पार बेसिन मोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केरल की परियोजना रिपोर्टों के आधार पर कर्नाटक के विरोध का भी हिसाब रखा गया कि उसने सभी परियोजनाओं में तीन फसलें रखने का प्रस्ताव रखा था। न्यायाधिकरण ने इस संदर्भ में केरल द्वारा वर्षों से अपनी परियोजनाओं को असफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों और कम विकसित किए गए वायनेड और अट्टापट्टी के पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केरल की मांग की स्थिरता की जांच करने से पहले, न्यायाधिकरण ने पहले इसके व्यापक प्रमुखों को निम्नानुसार निर्धारित कियाः

ए. टी. ई. ऑफ कर्नाटका बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

वस्तुएँ

टीएमसी

पनबिजली के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं

1.

35.0

सिंचाई के लिए उत्पादन और आकस्मिक उपयोग

कावेरी बेसिन के बाहर ट्रांस शामिल है

बेसिन डायवर्जन।

कवर के लिए मध्यम सिंचाई योजनाएं

2.

38.8

बेसिन के भीतर के क्षेत्र। लघु सिंचाई कार्य *(*मौजूदा, चल रहे और

6.1

3.

प्रस्तावित*)*।

4.

घरेलू जल आपूर्ति *(*अंतिम*)*

5.5

आवश्यकता*)*। औद्योगिक उपयोग *(*अंतिम आवश्यकता*)*।

5.

7.5

6.

पम्बर हाइड्रो के लिए गैर-उपभोग्य उपयोग

5.6

बेसिन के भीतर विद्युत योजना।

सिरुवानी पीने के लिए प्रतिबद्ध उपयोग

7.

1.3

तमिलनाडु के लाभ के लिए जल आपूर्ति।

कुल

99.8

265. प्रथम मद के संबंध में, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य नदी का पानी बेसिन के भीतर प्रत्येक राज्य की उचित आवश्यकताओं और आवश्यकता के अनुसार सभी नदी तटीय राज्यों द्वारा उपयोग के लिए था। यह रेखांकित करते हुए कि सिंचाई को हमेशा पनबिजली उत्पादन के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई थी, जब तक कि पानी अधिशेष न हो।राष्ट्रीय जल निकाय द्वारा निर्धारित जल आवंटन प्राथमिकताओं को पूरा किया

2002 की नीति नीचे दी गई है:

पीने का पानी
सिंचाई

- पनबिजली

अर्गो-उद्योग और गैर-कृषि उद्योग
नौवहन और अन्य उपयोग।

266. पूरे राज्य की आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर पार बेसिन क्षरण के समर्थन में केरल की ओर से याचिका को खारिज करते हुए, न्यायाधिकरण *[2018] 5* एस. सी. आर.

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि किसी विशेष नदी तटीय राज्य के न्यायसंगत हिस्से का निर्धारण करते समय, पड़ोसी बेसिन में पानी की कमी पर भी विचार किया जाना है, जो विचाराधीन बेसिन के बाहर है, तो यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति का कारण बन जाएगा। इसके विचार में, हालांकि *1966* के हेलसिंकी नियमों में, बेसिन राज्यों का एक संदर्भ है, फिर भी अन्य निचले नदी तटीय राज्यों द्वारा उनकी सिंचाई, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जरूरतों को प्रभावित करने की कीमत पर नदी तटीय राज्यों में से एक द्वारा मोड़ने की प्रक्रिया को निष्पादित नहीं किया जा सका। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की इस आशय की टिप्पणी कि किसी समझौते के अभाव में, विवेकपूर्ण तरीका यह हो सकता है कि इस दिशा में परिवर्तन को सीमित किया जाए।

बेसिन क्षेत्रों की तात्कालिक जरूरतों को उदारतापूर्वक अनुमति देने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को दोहराया गया। न्यू जर्सी राज्य बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां। न्यूयॉर्क राज्य *(ऊपर)* भी दर्ज किया गया थाः

"जब तक राज्यों को औपचारिक आधार पर सबसे अधिक लाभकारी उपयोग से वंचित नहीं होना है, तब तक स्पष्ट रूप से एक अलग वाटरशेड में पानी को हटाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में पानी के मोड़ को अविश्वास के साथ देखा जाता है और बेसिन की आबादी द्वारा इसका विरोध किया जाता है।

267. न्यायाधिकरण ने तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्री सी. सी. पटेल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति के अवलोकन का भी उल्लेख किया। सिंचाई और बिजली मंत्रालय, जल की कमी वाले बेसिन में पार-बेसिन डायवर्जन के खिलाफ। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि पानी की कमी के कारण,

किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से किए गए या प्रस्तावित किए जाने वाले किसी भी पार-बेसिन मोड़ के संबंध में पानी के विभाजन के लिए राज्यों द्वारा किए गए दावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने जल के पार बेसिन मोड़ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पानी आवंटित करने से इनकार कर दिया। *268.* सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जल उपयोग की मांग को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने सामान्य प्रारूप में प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों की जांच पर निम्नलिखित पहलुओं को सूचीबद्ध कियाः

"*(i)* प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं में से केवल एक योजना यानी कारापुड़ा परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी।

भारत से।
((ii) जबकि राज्य मसाला और वृक्षारोपण पर जोर देता रहा है।

मांग रखते हुए, इसने केवल मुख्य रूप से धान और सब्जी की फसल के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी, इसके अलावा पनबिजली परियोजनाओं के साथ-साथ घरेलू और औद्योगिक उपयोग की मांग का संकेत दिया था।

इसमें जल का अंतः बेसिन हस्तांतरण शामिल है।

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(iii) जहां तक संवर्धन योग्य कमान क्षेत्र *(*सी. सी. ए.*)* और आयकट का संबंध है। अलग-अलग परियोजनाओं के तहत, प्रस्तावित आयकट का विस्तार सी. सी. ए. की तुलना में बहुत कम था क्योंकि क्षेत्र की भौतिक प्रकृति, जो चरित्र में लहरदार थी।

(iv) कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य फसल धान थी, जबकि मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यह वृक्षारोपण फसलें थीं, जिनके लिए उचित आवश्यकताओं का आकलन किया जाना था, ताकि राज्य के लिए सिंचित क्षेत्र को सी. सी. ए. के बराबर बनाया जा सके, कबिनी उप-बेसिन के लिए दो धान की फसलें और एक सब्जी की फसल प्रस्तावित की गई है। जबकि पहली फसल "विरिप्पू" मई से सितंबर के दौरान उगाई गई थी, जिसकी पानी की आवश्यकता दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरी की गई थी, दूसरी फसल "मुंडकन" सितंबर के अंत से जनवरी के अंत तक पूर्वोत्तर मानसून के समर्थन से उगाई गई थी। पहली वर्षा पोषित फसल थी और दूसरी मुख्य रूप से सिंचित फसल थी। जनवरी के अंत से मई की शुरुआत तक उगाई जाने वाली

तीसरी फसल "पंच" एक ग्रीष्मकालीन फसल थी, जिसे वर्षा समर्थन की अनुपलब्धता के कारण अनुमति नहीं दी जा सकी।

(v) यद्यपि राज्य ने भवानी उप-बेसिन में अपनी अट्टापडी परियोजना में तीन धान की फसलों का प्रस्ताव दिया था, यह देखते हुए कि इस बेसिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा होती थी, जो कमजोर थी, उत्तर के दौरान केवल एक धान की फसल की अनुमति दी जानी थी।

पूर्वी मानसून, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्रस्तावित धान की फसल को किसी भी अर्ध शुष्क फसल से बदलने की सिफारिश की गई थी। पम्बर उप-बेसिन के लिए भी, हालांकि राज्य ने दो धान की फसलों का प्रस्ताव दिया था, एक धान की फसल और एक अर्ध सूखी फसल का सुझाव दिया गया था।

((vii) घरेलू और औद्योगिक जल उपयोग की मांग अत्यधिक थी। औद्योगिक उपयोग की अत्यधिक मांग *2011* तक परियोजना विकास के लिए मौजूदा वास्तविक उपयोग की मात्रा के *33* प्रतिशत तक सीमित थी। *(viii)* न्यायाधिकरण ने अपनी उपरोक्त प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य में कावेरी बेसिन क्षेत्र में पर्याप्त आदिवासी आबादी है, सामाजिक-आर्थिक जरूरतों, कृषि-जलवायु स्थितियों और खेती के लिए भूमि की उपलब्धता के आधार पर परियोजना-वार आवंटन तैयार किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

269. इसके बाद के विश्लेषण से पता चलता है कि न्यायाधिकरण ने किया था

कबिनी, भवानी और पम्बर बेसिनों में विभिन्न परियोजनाओं की मांग की उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के संदर्भ में जांच करें और

फसल के पानी की आवश्यकता। ऐसा करते समय, न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं की व्यवहार्यता की भी जांच की और उन परियोजनाओं को बाहर कर दिया जो व्यवहार्य नहीं थीं। किए गए दावों का आकलन करते समय, न्यायाधिकरण विशेष रूप से वर्षा समर्थन के विशिष्ट संदर्भ के साथ फसल के स्वरूप, सिंचाई की वार्षिक तीव्रता, डेल्टा आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखता था। इसके अलावा, उपरोक्त बेसिनों में लघु सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं की मांग और अंत में, कावेरी बेसिन, भवानी बेसिन और पम्बर बेसिन की सिंचाई जल आवश्यकता का हिसाब रखा गया। इसका मूल्यांकन इस प्रकार किया गया थाः

काबिनी बेसिन-*19.43* टी. एम. सी

भवानी बेसिन-*5.52* टी. एम. सी

पम्बर बेसिन-*2.95* टी. एम. सी.

270. उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण ने उपरोक्त तीन उप-बेसिनों के लिए फसल जल की आवश्यकता का आकलन करते हुए, इसके लिए आवंटन की अनुमति दीः

" कबिनी उप-बेसिन के लिए विरिप्पू और मुंडकन धान की फसलें; अर्ध-शुष्क और विविध, भवानी उप-बेसिन के लिए मुंडकन और बारहमासी फसल और अर्ध-शुष्क और विविध और पम्बर उप-बेसिन के लिए मुंडकन।

271. घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकता पर काम करते हुए, न्यायाधिकरण ने *2011* के लिए जनसंख्या अनुमान पर विचार किया और *30* के अनुपात में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को अपनाया। *70 . 120* लीटर की सपाट दर पर पीने के पानी की आवश्यकता के विपरीत। पूरी आबादी के लिए पी. एच. पी. डी., न्यायाधिकरण ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मांग को विभाजित करना उचित समझा और इसकी मात्रा *120* लाख आंकी। शहरी आबादी के लिए पी. एच. पी. डी. और *70* लाख। ग्रामीण आबादी के लिए पीएच. पी. डी.

(मानव-*40* एलटीएस होना। पी. एच. पी. डी. *+* मवेशी *30* एल. टी. पी. एच. पी. डी.*)*, जिससे काबिनी, भवानी और पम्बर उप-बेसिनों के लिए उपरोक्त मानदंडों पर पीने के पानी की आवश्यकता का निर्णय एक साथ *1.53* टी. एम. सी. पर किया जाता है। चूंकि उपरोक्त में से वास्तविक उपभोग्य उपयोग केवल *20* प्रतिशत तक सीमित होगा और शेष *80* प्रतिशत धीरे-धीरे नदी प्रणाली में वापस आ जाएगा। इस प्रकार, इस शीर्ष पर वास्तविक आवंटित हिस्से का आकलन किया गया था। *31* तीन उप-बेसिनों के लिए टी. एम. सी.

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

272. औद्योगिक जल आवश्यकता से निपटने के लिए, न्यायाधिकरण ने काबिनी बेसिन में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मौजूदा औद्योगिक जल उपयोग को ध्यान में रखा। *50* टी. एम. सी. जिसके होने की उम्मीद थी वर्ष *2011* तक इसमें और *33* प्रतिशत की वृद्धि हुई। *69* टीएमसी। उसी तर्ज पर काम करते हुए, भवानी उप के लिए औद्योगिक पानी की आवश्यकता है

बेसिन और पम्बर उप-बेसिन का मूल्यांकन किया गया था। *21* टीएमसी और। *26* टी. एम. सी. क्रमशः *1.16* टी. एम. सी. की कुल संख्या बना रही है। हालाँकि, चूंकि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपभोग्य उपयोग मात्रा के ढाई प्रतिशत तक सीमित था, इसलिए न्यायाधिकरण ने इस गिनती पर हिस्सेदारी का निर्धारण किया। *04* टी. एम. सी.

शेष थोक नदी प्रणाली में वापस आ जाएगा।

273. न्यायाधिकरण ने राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर केरल को *45.08* टी. एम. सी. की बचत में से *1.51* टी. एम. सी. का अधिनिर्णय दिया।

ताकि वह जनहित में अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग कर सके। इस प्रकार, केरल की कुल पानी की आवश्यकता, मांग के सभी शीर्षों को ध्यान में रखते हुए, *30* टी. एम. सी. तक कुल *29.76* टी. एम. सी. पर निर्धारित की गई थी। विभाजन में, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि आवंटन स्थापित और स्वीकृत आवश्यकताओं पर आधारित था और इसके द्वारा किसी भी परियोजना की मंजूरी का संकेत नहीं था, क्योंकि कानून के तहत इसकी मंजूरी दी जानी थी

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया। इन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि केरल को अपने पूर्ण आवंटित हिस्से का उपयोग करने में कुछ समय लगेगा ताकि उसके हिस्से से कुछ अप्रयुक्त पानी काबिनी, भवानी और अमरावती जलाशयों में बह सके और यह याद करते हुए कि न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु के दूसरे/दोहरे फसल के कुल एकड़ के सिंचित क्षेत्र के दावे पर ध्यान नहीं दिया था, यह प्रावधान किया गया था कि जब तक केरल अपने आवंटित हिस्से के पानी का उपयोग करने की स्थिति में नहीं होगा, तब तक उसके

हिस्से से अप्रयुक्त पानी का उपयोग तमिलनाडु द्वारा करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि तमिलनाडु द्वारा अप्रयुक्त जल के उपयोग की यह अस्थायी व्यवस्था

हालाँकि, केरल का हिस्सा इस पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

274. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र के दावे को स्वीकार करते हुए, न्यायाधिकरण ने दर्ज किया कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और समुद्र के करीब होने के कारण, भूजल आम तौर पर खारा था और पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त था। केंद्र शासित प्रदेश का पानी की आवश्यकता के लिए दावा और यहाँ निकाली गई फसल के बारे में दावा नीचे देखा गया है:

एस. नहीं।	फसल	पानी की आवश्यकता क्षेत्र *(हेक्टेयर)*	*(एम. सी. एफ. टी)*
	साम्बा *(एकल)*		
(1)		*4760*	*3006*
	फसल*)*		
			2868
		6230	
(2)			
	कुरुवाई *(खरिफ)*		
	दोहरी फसल*)*		
(3)			
	थलाडी *(रबी -*		

6230

3366

दोहरी फसल*)*

कुल

9240

275. इस प्रकार, कुल क्षेत्रफल *42,533* एकड़ और कुल

पीने के पानी के लिए *115* एम. सी. एफ. टी. सहित पानी की आवश्यकता *9.355* टी. एम. सी. अनुमानित थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि वास्तव में, पक्ष द्वारा दावा किए गए सिंचित क्षेत्र से कोई इनकार नहीं किया गया था-राज्य, हालांकि कर्नाटक ने अपने प्रत्युत्तर में, अपने फसल पैटर्न को अनुमानित और संबंधित पानी की आवश्यकता के रूप में स्वीकार नहीं किया। यह तथ्य कि *43000* एकड़ के सिंचित क्षेत्र को भी कावेरी तथ्य खोज समिति द्वारा उचित रूप से अनुमोदित किया गया था

नोट किया। इसके अलावा, यह पहलू कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, अपनी मजबूरियों के कारण, उक्त के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं थी क्षेत्र ने भी न्यायाधिकरण का ध्यान नहीं छोड़ा और इस प्रकार, उपरोक्त विचारों की समग्रता पर, दूसरी फसल के लिए इसके दावे की अनुमति दी गई।

विशेष रूप से भौगोलिक और जलवायु स्थितियों और क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए।

276. ध्यान देने योग्य बात यह है कि तमिलनाडु राज्य अपनी मांग पर बहस करते हुए

जल के साथ-साथ सिंचाई के तहत क्षेत्र ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में अपने रुख का संकेत दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की समग्र आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान किए थेः

पांडिचेरी

सेक्टर

एस. नहीं।

पानी में

क्षेत्र

एक लाख एकड़ जमीन की जरूरत

टीएमसी

(1)

(2)

(4)

(3)

ए.

घरेलू और पशुधन की आवश्यकताएँ

0.356

पर्यावरण/पारिस्थितिकीय

बी.

0.000

कर्नाटक राज्य को उसके प्रमुख सचिव *v* की आवश्यकता है। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

सिंचाई की आवश्यकता

एस.

6.840

0.430

प्राथमिकता के तहत क्षेत्र-*I* से *IV*

एस.

औद्योगिक और बिजली

0.070

कुल

0.430

7.266

277. इससे न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि न केवल तमिलनाडु ने स्वीकार किया कि पुडुचेरी में सकल सिंचित क्षेत्र *43000* एकड़ था।

लेकिन इसकी कुल पानी की आवश्यकता *7.266* टी. एम. सी. भी मापी गई।

278. विशेष रूप से पुडुचेरी की फसल जल आवश्यकता के संबंध में, न्यायाधिकरण ने कहा कि कुरुवाई, सांबा और थलाडी के तहत क्षेत्र का विस्तार क्रमशः *15,388,11,757* और *15,388* एकड़ था

जिसमें से पहली फसल *(*कुरुवाई और सांबा*) 27,145* एकड़ में फैली थी। और दूसरी फसल *(*तलादी*) 15,388* एकड़ में उगाई गई थी। न्यायाधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र शासित प्रदेश के कराईकल क्षेत्र

पुडुचेरी तमिलनाडु डेल्टा प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थित था और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, इसे तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा प्रणाली का प्राकृतिक विस्तार माना जा सकता है और इसलिए, फसल के पैटर्न के साथ-साथ फसलों के लिए पानी की आवश्यकता भी व्यापक रूप से मेल खाती थी। हालाँकि, यह संकेत दिया गया था कि कराईकल क्षेत्र समुद्र के निकट था जिसके लिए कृषि योग्य क्षेत्र पर समुद्री जल का प्रभाव एक ऐसा पहलू था जिस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी। यह, जैसा कि न्यायाधिकरण ने रेखांकित किया, यह सुनिश्चित करने के लिए था कि खारा पानी फसल जड़ क्षेत्र से काफी नीचे रहे, जिसके लिए सिंचाई के पानी के लिए उदार प्रावधान की आवश्यकता थी। यद्यपि इसने नोट किया कि उत्तर-पूर्वी मानसून भूमि के साथ-साथ उप-मिट्टी में जमा नमक को निक्षालन करने में मदद करता है, फिर भी उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, फसल के पानी की आवश्यकता के रूप में *6.35* टी. एम. सी. की मात्रा की अनुमति दी गई थी।

279. केंद्र शासित प्रदेश की घरेलू और औद्योगिक पानी की आवश्यकता के लिए, न्यायाधिकरण ने नोट किया कि *2011* के लिए अनुमानित इसके कराईकल क्षेत्र की कुल आबादी को लागू किया जाना था। इसका अर्थ है कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात *35* है: *65* और शहरी घरेलू जल आपूर्ति आवश्यकता के लिए *120* एल. पी. सी. डी. और पशुधन सहित ग्रामीण आबादी के लिए *70* एल. पी. सी. डी. के मानदंड को लागू करके, इसने कुल घरेलू जल आवश्यकता को पूरा किया। *225* टीएमसी। हालांकि घरेलू जल आपूर्ति का *80* प्रतिशत आम तौर पर नदी प्रणाली में वापस आने की उम्मीद थी, फिर भी कराईकल क्षेत्र के मामले में, इस मानक को लागू नहीं किया गया क्योंकि पानी *[2018] 5* एस. सी. आर. होगा।

उस मार्ग पर नहीं जाता है लेकिन खारे उप-मिट्टी में या समुद्र में बह जाएगा। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने पूर्ण मात्रा की अनुमति दी। *225* घरेलू जल आवश्यकता के लिए टी. एम. सी.

280. अपनी औद्योगिक जल आवश्यकता के संबंध में, संघ

पुडुचेरी क्षेत्र ने अपने सामान्य प्रारूप में अपनी मांग का संकेत दिया

बनो। *034* टीएमसी। न्यायाधिकरण का विचार था कि *2011* तक यह मांग लगभग *33* प्रतिशत बढ़ जाएगी। *045* टीएमसी। घरेलू जल की आवश्यकता के लिए तर्क के सादृश्य के रूप में, नदी प्रणाली से उपयोग के लिए लिया गया औद्योगिक जल उसमें वापस नहीं आएगा और इसलिए, पूरी मात्रा, यानी। *045* टी. एम. सी. को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए कुल पानी की आवश्यकता का आकलन *6.62* टी. एम. सी. किया गया था।

281. इसके अलावा, *45.08* टी. एम. सी. के शेष पानी में से

बचत, वर्ष *1991* में इसकी जनसंख्या के अनुसार, बेंच मार्क का उपयोग किया जाता है

अन्य राज्यों में, इसका हिस्सा निर्धारित किया गया था। *22* टीएमसी। इन सभी मामलों में पुडुचेरी के लिए पानी का कुल आवंटन *6.84* टी. एम. सी. था जो कुल मिलाकर *7* टी. एम. सी. था। यह उल्लेख किया गया था कि कराईकल को आवंटित इस कोटे को *7* नदियों के अंतर-राज्य पार बिंदुओं *(*तमिलनाडु और कराईकल के बीच*)* पर सात स्थानों पर वितरित करने की आवश्यकता थी, अर्थात्, नंदलार, नत्तर, वंजियार, नूलर, अरसालार, तिरुमलैराजनार और प्रवदयनार। मासिक वितरण के संबंध में

आपूर्ति के मामले में, यह नोट किया गया कि तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच एक समझौता हुआ था जो संतोषजनक रूप से काम कर रहा था और इस प्रकार, यह आदेश दिया गया था कि यह जारी रहेगा। यह संकेत दिया गया था कि किसी भी असहमति के मामले में, मामले को कावेरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा हल किया जा सकता है।

पी. *11* प्रतिस्पर्धी राज्यों के बीच अंतिम जल आवंटन

282. अलग-अलग राज्यों के लिए आवंटन से निपटने के बाद

ऊपर, अंतिम गणनाओं को एक सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

राज्यों

कुल

केरल कर्नाटक तमिल केंद्र शासित प्रदेश

में से

पोन्सीडेरी

नाडू

(i) क्षेत्र

24.71 0.43

1.93

18.85

45.92

(ii) सिंचाई

27.90

250.62

390.85 6.35

675.72

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य की आवश्यकता *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

iii) घरेलू *0.35*

1.85

2.73 0.27

5.20

और औद्योगिक पानी।

आवश्यकताएँ

के लिए अनुमानित

2011 (iv)

10.00

पानी।

के लिए आवश्यकता

पर्यावरण

सुरक्षा

v) अपरिहार्य

4.00

-जीवी

आई.

सागर *vi) 1.51* में हिस्सेदारी

पानी का संतुलन

270.11 419.29

कुल

29.76

कहो।

30.00

270.00 419.00

7.00

726 + 14

= 740

283. सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिस्पर्धी राज्यों के अंतिम आवंटित शेयर

पर्यावरण संरक्षण और समुद्र में अपरिहार्य पलायन के प्रावधानों के साथ, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, इस प्रकार परिलक्षित हो सकता है:

1. केरल

30 टीएमसी

270

2. कर्नाटक

3. तमिलनाडु

419

4. केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी

7

5. पर्यावरण संरक्षण

10

6. समुद्र में अपरिहार्य पलायन

4

740 टीएमसी

284. महत्वपूर्ण रूप से, *45.08* टी. एम. सी. की शेष मात्रा की गणना में

जिसे न्यायाधिकरण ने संबंधित जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर वितरित किया, न्यायाधिकरण ने इस मात्रा को कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए *10* टी. एम. सी. के प्रस्तावित कैरी ओवर भंडारण के लिए जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अनुशंसित किया गया था और साथ ही *25.08* टी. एम. सी. की मात्रा जो आवंटन में निर्धारित सीमाओं को देखते हुए उपलब्ध थी।

न्यायाधिकरण के अनुसार, विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर, *20* टी. एम. सी. *(10* टी. एम. सी. *x 2)* को कैरी ओवर स्टोरेज के रूप में रखने का निर्णय लिया गया, ताकि इसे दूसरे *25.08* के साथ आवंटित किया जा सके।

टी. एम. सी. समानता के सिद्धांत पर राज्यों के लिए उपलब्ध है, जिससे वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पी. *12* अंतर-राज्य संपर्क पर पानी की आपूर्ति के लिए मासिक अनुसूची

अंक

285. न्यायाधिकरण ने आगे प्रवाह की मासिक अनुसूची पर विचार किया

विभिन्न फसल मौसमों में सफलतापूर्वक फसल उगाने के लिए समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर। यह देखा गया कि जिन खेतों में तमिलनाडु राज्य द्वारा धान उगाया जाता था, उनके लिए जून के मध्य से जुलाई के मध्य के बीच नर्सरी को खेत में रखा जाता था और उसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान प्रत्यारोपण किया जाता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु में "कुरुवाई" की पहली फसल सितंबर में कटाई की गई थी, उसके बाद दूसरी फसल "थलाडी" जनवरी-फरवरी में कटाई की जानी थी और मुख्य फसल "सांबा" को अगस्त-सितंबर के महीने में प्रत्यारोपित किया जाता है और दिसंबर में कटाई की जाती है, न्यायाधिकरण ने कृषि क्षेत्र में जून के मध्य से जनवरी के अंत तक मासिक रिलीज की एक अनुसूची तैयार की।

मौसम ताकि तमिलनाडु के दोनों राज्यों के हित और

कर्नाटक का ध्यान रखा गया। पानी छोड़ने की मासिक अनुसूची तैयार करते समय, न्यायाधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखा कि सामान्य वर्षों में, इस तरह के पानी छोड़ने से कर्नाटक राज्य को कोई कठिनाई नहीं होगी और साथ ही यह तमिलनाडु की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। अंतर-राज्य संपर्क बिंदुओं की गणना इस प्रकार की गई थी:

(i) केरल और कर्नाटक के बीचः काबिनी जलाशय स्थल

केरल और तमिल के बीच

(ख)

नाडू

चावडियूर जी. डी. साइट

(क) भवानी उप-बेसिन के लिए

बताया जाता है कि चावडियूर
गेज साइट का संचालन किया जा रहा था

केरल राज्य द्वारा जो

अंतर-राज्य के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है
अवलोकन।

(ख) पम्बर उप-बास के लिए

अमरावती जलाशय स्थल

iii)

: बिलीगुंडुलु जी. डी. साइट/कोई भी

कर्नाटक और तमिल के बीच

नाडू

अन्य

साझा साइट

बीओआरडीईआर

तमिलनाडु और के बीचः सात संपर्क बिंदु "

(iv)

पांडिचेरी स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

286. यह उल्लेख किया गया था कि चिन्हित अंतर-राज्य संपर्क बिंदु

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बिलीगुंडुलु गेज पर था जहाँ

नदी मापन तकनीकों में उचित विशेषज्ञता रखने वाले केंद्र सरकार के एक स्वतंत्र संगठन, केंद्रीय जल आयोग द्वारा निर्वहन स्थल का रखरखाव किया गया था। न्यायाधिकरण की राय थी कि गेज और निर्वहन अवलोकन केंद्र जहां प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं

एक जलाशय स्थल की तुलना में एक बेहतर स्थान होगा जहां माप केवल अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जा सकता है। हालाँकि, नियामक प्राधिकरण को अपने विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया था कि यदि आवश्यक हो, तो केंद्रीय जल आयोग को राज्य सरकारों के परामर्श से, आम सीमा पर नया गेज और निर्वहन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। केरल राज्य को आवंटित अप्रयुक्त जल, जो निचले राज्यों, अर्थात् कर्नाटक और तमिलनाडु में बह रहा होगा और काबिनी, भवानी और अमरावती के मौजूदा जलाशयों, जिनसे वितरण का आदेश दिया गया था, की निगरानी कावेरी द्वारा की जानी थी

प्रबंधन बोर्ड। तथ्य यह है कि *7* टी. एम. सी. का वार्षिक आवंटन

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को तमिलनाडु द्वारा एक वर्ष की अवधि में *7* अलग-अलग संपर्क बिंदुओं पर वितरित करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था। अंतर-राज्यीय स्थल पर वितरित किए जाने के लिए आवश्यक प्रवाह की गणना का सारांश नीचे दिया गया हैः

टीएमसी

50 प्रतिशत पर बेसिन

" 1) से ताल तक की उपज

740

निर्भरता
मेट्टूर जलाशय में उपज।

2)

508

(संदर्भः टी. एन. डी. सी. खंड। *XV,* पृष्ठ *87* और टीएन

कथन *No.57,* मद *1* दिनांकित *10.2.2005)*

ऊपर के तमिलनाडु क्षेत्र में उत्पन्न उपज

25

3)

मेट्टूर जलाशय

(संदर्भः टी. एन. कथन *No.57,* मद *4* और टी. एन.

कथन *86,* मद *1)*

4)

(a) मेट्टूर के नीचे उपलब्ध उपज *(740-508)*

232

(संदर्भः टी. एन. नोट *46,* अनुलग्नक*-3,* पृष्ठ *54;*

टी. एन. कथन *83,* मद *1)*

i) केरा ला इन को आवंटन
भवानी उप-बेसिन

6 टीएमसी

(ii) केरल को आवंटन
पाम बार उप-बेसिन

3 टीएमसी

iii) केंद्र शासित प्रदेश को आबंटन

20

पांडिचेरी

7 टीएमसी

(iv) अपरिहार्य पलायन

समुद्र में

4 टीएमसी

(ग*)* तमिलनाडु में उपयोग के लिए उपलब्ध शेष राशि *212*

(232-20)

राजा *23*

5)

तमिल में उपयोग के लिए उपलब्ध कुल पानी

(212 + 25)

नाडू

287. वहाँ से कटौती करना और आवंटित हिस्से को ध्यान में रखना।

419 टी. एम. सी. में से, न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि शेष *182* टी. एम. सी. *(419-237) + 10* टी. एम. सी. पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी *192* टी. एम. सी. कर्नाटक राज्य द्वारा अंतर-राज्य सीमा पर वितरित किया जाना था। इस संबंध में, कर्नाटक राज्य द्वारा अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर पानी की वार्षिक मात्रा में योगदान करने वाले तीन घटकों की पहचान नीचे की गई है:

काबिनी जलाशय के नीचे की ओर काबिनी उप-बेसिन का जलग्रहण,
नीचे कावेरी नदी की मुख्य धारा का जलग्रहण

कृष्णराजसागर, शिम्शा, अर्कावती से अनियंत्रित प्रवाह

और सुवर्नवती उप-बेसिन और विभिन्न अन्य छोटी धाराएँ।

(ii) कबिनी जलाशय से विनियमित निर्गमन; और
(iii) कृष्णराजसागर जलाशय से नियमित रूप से पानी छोड़ा जाता है।

288. यह भी स्पष्ट किया गया कि *192* टी. एम. सी. की डिलीवरी

अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर पानी को सामान्य वर्ष में बनाए रखा जाना था और यदि प्रवाह की मात्रा में कोई कमी थी, तो कावेरी प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण के लिए प्रवाह को उपयुक्त रूप से समायोजित करने के लिए खुला होगा। बिलिंगुंडुलु में मूल्यांकनकर्ताओं के परामर्श से और उनकी सलाह के आधार पर अंत में डिलीवरी की मासिक अनुसूची इस प्रकार तैयार की गई थीः

टी. एम. सी महीना

टीएमसी

" महीना

10

दिसंबर

जून

8

जुलाई

34

3

जनवरी

2.5

अगस्त

50

फरवरी

मार्च

2.5

सितंबर

40

अक्टूबर

अप्रैल

22

2.5

नवंबर

15

2.5

मई

कुल

192 टी. एम. सी. "स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

289. यह स्पष्ट करते हुए कि कबिनी का केरल के आवंटित हिस्से से तमिलनाडु तक अप्रयुक्त जल का प्रवाह मासिक अनुसूची के अनुसार *192* टी. एम. सी. के प्रवाह के अतिरिक्त होगा, जब तक कि केरल इसका उपयोग करने की अपनी क्षमता विकसित नहीं कर लेता, कावेरी नदी।

प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण को भी अपना तंत्र स्थापित करने और तमिलनाडु द्वारा केरल से प्राप्त किए जाने वाले अप्रयुक्त पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनी विधि तैयार करने की आवश्यकता थी।

काबिनी और उसकी सहायक नदियां और तमिलनाडु में साझा सीमा पर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करें। विनियामक प्राधिकरण को कृष्ण राजा सागर जलाशय के साथ-साथ कृष्ण राजा सागर के नीचे बिलिगुंडुलु स्थल तक कबिनी से मिलने वाली कबिनी और अन्य सहायक नदियों के प्रवाह की निगरानी करने की भी आवश्यकता थी। यह फिर से स्पष्ट किया गया कि वितरण की मासिक अनुसूची एक सामान्य वर्ष में प्रवाह के आधार पर थी, जो *50* प्रतिशत निर्भरता पर *740* टी. एम. सी. की कुल वार्षिक उपज देती थी, जो विभिन्न परियोजनाओं की फसल जल की आवश्यकता और उसके लिए गणना की गई निकासी के आधार पर एक सैद्धांतिक गणना थी, जिसमें विभिन्न जलाशयों में प्रवाह के आंकड़ों के साथ-साथ पार्टी-राज्यों द्वारा उनके सामान्य प्रारूपों में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, न्यायाधिकरण इस तथ्य से बेखबर नहीं था कि किसी भी मानसून के मौसम के दौरान वर्षा स्थान और समय में और तीव्रता और अवधि में भी भिन्न होने की संभावना थी, जिसका विभिन्न उप-बेसिनों में प्रवाह के पैटर्न पर प्रभाव पड़ेगा और जो उपरोक्त अनुसूची को तैयार करने के लिए विचार किए गए प्रवाह के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। इस आधार पर, न्यायाधिकरण ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण नामक एक इकाई का सुझाव दिया, जो कावेरी विनियमन समिति और

संबंधित राज्य प्राधिकरणों की मदद से, वर्षा की प्रवृत्ति के साथ-साथ कावेरी बेसिन में उपलब्ध भंडारण की स्थिति की निगरानी करे।

संभावित प्रवाह के बारे में एक आकलन जो इसके लिए उपलब्ध हो सकता है

दल के बीच वितरण-राज्यों को सुझाव के अनुसार जल वितरण की समग्र अनुसूची के भीतर। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि संकटग्रस्त वर्ष में उपज कम होती है, तो विनियामक प्राधिकरण द्वारा शामिल राज्यों के बीच आवंटित शेयरों को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई का मौसम *1* जून से शुरू होता है और केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख एक ही तारीख की होती है, इसलिए उक्त मानसून के आने में किसी भी देरी से जल प्रवाह प्रभावित होगा और इसके परिणामस्वरूप समय-सारिणी बाधित होगी।

कृष्ण राजा सागर और कबिनी जलाशयों से पानी छोड़े जाने पर न्यायाधिकरण ने यह सलाह दी कि हर साल मई के अंत में उतना ही भंडारण किया जाए। एक अच्छे वर्ष के दौरान जितना संभव हो सके, उसे सचेत रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मासिक प्रसव की अनुसूची का पालन करने में मदद मिलेगी।

हालाँकि, न्यायाधिकरण ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण को डिलीवरी के कार्यक्रम में ढील देने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया

लगातार दो संकट वर्षों की स्थिति में खराब मानसून वर्ष के किसी भी कठोर प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों के माध्यम से एकीकृत तरीके से जलाशयों का संचालन किया जाता है। कावेरी प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण को पांच साल की अवधि के लिए बिलीगुंडुलु/अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर वितरित किए जाने वाले मासिक प्रवाह की अनुसूची की तुलना में भंडारण और वर्षा के पैटर्न की मासिक उपलब्धता के पूरे स्पेक्ट्रम की निगरानी करने और पक्ष-राज्यों के परामर्श से और केंद्रीय जल आयोग की मदद से मासिक अनुसूची में आवश्यक समायोजन करने की आवश्यकता थी, हालांकि, पक्षों को दिए गए वार्षिक आवंटन में बदलाव किए बिना। इन उपायों का सुझाव देते हुए, न्यायाधिकरण इस बात से अवगत था कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं पर मानव नियंत्रण का कोई तत्व नहीं है और किसी भी वर्ष में प्रवाह की उपलब्ध मात्रा का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने और विभिन्न भंडारण जलाशयों से निकलने वाले पानी को एकीकृत करके पूरे बेसिन के लाभ के लिए इसे वितरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऊपरी नदी तटीय राज्य को किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए एक चेतावनी भी दी गई थी ताकि निचले नदी तटीय राज्यों को पानी की निर्धारित आपूर्ति प्रभावित हो सके।

प्र. कार्यान्वयन के लिए तंत्र *(*कावेरी प्रबंधन बोर्ड*)*

न्यायाधिकरण के निर्णय

290. न्यायाधिकरण ने इसके लिए तंत्र भी तैयार किया

इसके अंतिम निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन और ऐसा करने में, *1980* के अधिनियम *45* द्वारा *1956* के अधिनियम में शुरू की गई धारा *6* ए पर ध्यान दिया गया, जो केंद्र सरकार को इस तरह के कार्यान्वयन के संबंध में योजनाएँ, यदि कोई हों, बनाने के लिए सशक्त करती है। इसने संशोधन पर भी ध्यान दिया

अधिनियम की धारा *6* के अनुसार, जिसके तहत धारा *6 (2)* के संदर्भ में, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय का वही बल होना था जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या डिक्री का था। इस वैधानिक पृष्ठभूमि में, न्यायाधिकरण का विचार था कि अपने निर्णय के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार करने के किसी भी निर्देश के परिणामस्वरूप एक विसंगत स्थिति पैदा होगी। हालाँकि, इसके विचार में, चूंकि अंतर-राज्य जल विवाद *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1980* में तंत्र के गठन और उसके कार्यों के संबंध में विवरण प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए इसके पास निहित शक्ति थी अपने निर्णय को लागू करने के लिए उस संबंध में सिफारिशें करना। इस प्रकार, इसने सिफारिश की कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन भाकरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाए।

सरकार। इसने रेखांकित किया कि जब तक एक उपयुक्त तंत्र स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक इसके निर्णय के कार्यान्वयन की संभावना सुरक्षित नहीं होगी।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसने आगे सिफारिश की कि इसके पुरस्कार में आपूर्ति का विनियमन शामिल है।

विभिन्न जलाशयों और अन्य महत्वपूर्ण नोडल बिंदुओं/मोड़ संरचनाओं से, यह अनिवार्य था कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड तंत्र को जलाशयों के संचालन की निगरानी और उनसे पानी छोड़ने के विनियमन का कार्य सौंपा जाए।

कावेरी जल विनियमन समिति *(*बोर्ड द्वारा गठित*)* की सहायता। इसके बाद इसने कावेरी के गठन का सुझाव दिया प्रबन्धन बोर्ड, एकर संरचना, एकर व्यवसायक मद आदि। इसने कावेरी जल नियामक की संरचना की भी सिफारिश की।

समिति ने अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार की। कावेरी प्रबंधन बोर्ड

प्रत्येक वर्ष *30* सितंबर से पहले चार पक्षों-राज्यों को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी। न्यायाधिकरण ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए जो इसके अलावा संपूर्ण का उद्देश्य आवंटित शेयरों में से आपूर्ति से संबंधित कार्यात्मक विवरणों को स्पर्श करना था। हम न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को बताने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि हम *1956* के अधिनियम की धारा *6.1* के तहत परिकल्पित योजना की अवधारणा का विश्लेषण करते समय कई पहलुओं पर ध्यान देंगे।

आर. न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश

291. उपरोक्त अभ्यासों की परिणति पर, न्यायाधिकरण ने विवाद के सभी पहलुओं पर अपने निर्धारण और निर्देशों के साथ अपना अंतिम आदेश तैयार किया। जैसा कि अंतिम क्रम का लेआउट चित्रित करता है किए गए निर्णय का सारांश, तत्काल संदर्भ के लिए इसे उद्धृत करना उचित होगाः

"कावेरी जल विवादों का अंतिम आदेश और निर्णय

न्यायाधिकरण

खंड-*I* यह आदेश समय-समय पर संशोधित अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* की धारा *6* के तहत आधिकारिक राजपत्र में इस न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

खंड-*II*

वर्ष *1892* और *1924* के समझौतेः

वर्ष *1892* और *1924* के समझौते जो थे मैसूर और मद्रास की तत्कालीन सरकारों के बीच निष्पादित को अमान्य नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से लगभग *[2018] 5* एस. सी. आर. के अंतराल के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रमशः *110* और *80* वर्ष से अधिक। दोनों समझौतों के निष्पादन से पहले, मद्रास और मैसूर की तत्कालीन सरकारों के बीच पूर्ण परामर्श होता था। हालांकि, *1924* के समझौते में *1974* के बाद के कुछ खंडों की समीक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, हमने विभिन्न प्रकार की समीक्षा और पुनः जांच की है। न्यायसंगत और न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांतों पर समझौते के प्रावधान।

खंड-*III* यह आदेश हटा दिया जाएगा।

i) 1892 का तत्कालीन मद्रास सरकार और मैसूर सरकार के बीच समझौता जहां तक कावेरी नदी प्रणाली से संबंधित है।

(ii) तत्कालीन सरकार के बीच *1924* का समझौता।

न्यायाधिकरण एतद्वारा यह निर्धारित करता है कि निचले कोलेरून एनीकट स्थल पर कावेरी के पानी की उपयोग करने योग्य मात्रा *50* प्रतिशत निर्भरता का आधार *740* हजार मिलियन क्यूबिक फीट टी. एम. सी. *(20,954 M.cu.m)* होना चाहिए।

खंड-वी

न्यायाधिकरण एतद्वारा आदेश देता है कि कावेरी नदी का पानी तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में उनके लाभकारी उपयोगों के लिए आवंटित किया जाए, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया हैः

(i) केरल राज्य

30 टीएमसी

(b) कर्नाटक राज्य

270 टीएमसी

(iii) तमिलनाडु राज्य

419 टीएमसी

iv) पांडिचेरी का यू. टी.

7 टीएमसी

आई.

726 टीएमसी

इसके अलावा, हम कुछ मात्रा में पानी *(i)* पर्यावरण संरक्षण और *(ii)* पर्यावरण में अपरिहार्य पलायन के लिए आरक्षित करते हैं। समुद्र नीचे की तरहः

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(i) पर्यावरण के लिए आरक्षित मात्रा-*10* टी. एम. सी.

सुरक्षा

((ii) अपरिहार्य-*4* टी. एम. सी. के लिए निर्धारित मात्रा

समुद्र में पलायन

14 टीएमसी

कुल *(726 + 14) 740* टी. एम. सी

खंड-*VI*

केरल राज्य को कुल *30* टी. एम. सी. का हिस्सा आवंटित किया गया है, जिसका वितरण विभिन्न सहायक घाटियों में निम्नानुसार हैः

(i) कबिनी उप-बेसिन

21 टीएमसी

((ii) भवानी उप-बेसिन

6 टीएमसी

(iii) पम्बर उप-बेसिन

3 टीएमसी

खंड-*VII*

यदि किसी संकटपूर्ण वर्ष में कावेरी बेसिन की उपज कम होती है, तो आवंटित शेयरों को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी।

खंड *VIII*

जल वितरण की निगरानी के लिए निम्नलिखित अंतर-राज्य संपर्क बिंदुओं की पहचान की गई हैः

(i) केरल और कर्नाटक के बीचः काबिनी जलाशय स्थल *2)* केरल और तमिल के बीच

चावडियूर जी. डी. साइट

नाडू

क*)* भवानी उप-बेसिन के लिए यह है

बताया कि चावडियूर

गेज साइट का संचालन किया जा रहा था

केरल राज्य द्वारा जो

अमरावती जलाशय

अंतर-राज्य के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है
अवलोकन।

साइट

ख*)* पम्बर उप-बेसिन के लिए

iii)

बिलीगुंडुलु जी. डी.

कर्नाटक और तमिल के बीचः

साइट/किसी अन्य साइट पर

नाडू

साझा सीमा

सात संपर्क बिंदु

(iv)

तमिलनाडु और के बीचः

पांडिचेरी

जैसे पहले से ही

चूंकि कावेरी जल में प्रमुख शेयरधारक कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं, इसलिए हम कर्नाटक राज्य द्वारा सामान्य वर्ष के दौरान अस्थायी मासिक वितरण को अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर उपलब्ध कराने का आदेश देते हैं, जिसे वर्तमान में बिलीगुंडुलु गेज और निर्वहन स्टेशन के रूप में पहचाना जाता है, जो आम सीमा पर स्थित हैः

टीएमसी

महीना

महीना

टीएमसी

10

दिसंबर

8

जून

34

जुलाई

जनवरी

3

अगस्त

50

फरवरी

2.5

सितंबर

40

2.5

मार्च

अक्टूबर

अप्रैल

22

2.5

नवंबर

15

2.5

मई

192 टीएमसी

192 टी. एम. सी. पानी की उपरोक्त मात्रा में तमिलनाडु के आवंटित हिस्से से *182* टी. एम. सी. और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए आवंटित *10* टी. एम. सी. पानी शामिल है।

उपरोक्त मासिक रिलीज को नियामक प्राधिकरण द्वारा *10* दैनिक अंतरालों में विभाजित किया जाएगा।

प्राधिकरण पांच साल की अवधि के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रीय जल आयोग की मदद से मासिक अनुसूची के कामकाज की उचित रूप से निगरानी करेगा और यदि उसके बाद अनुसूची में किसी संशोधन/समायोजन की आवश्यकता होती है, तो इसे पक्ष राज्यों और केंद्रीय जल आयोग की मदद से वार्षिक अनुसूची में बदलाव किए बिना भविष्य में अपनाने के लिए तैयार किया जा सकता है।

दलों के बीच आवंटन। खंड *X*

एक जल वर्ष के दौरान उपलब्ध उपयोग योग्य जल में पिछले जल वर्ष से अनुमानित जल शामिल होगा।

1 जून को *3* की प्रभावी भंडारण क्षमता वाले सभी जलाशयों में उस तारीख को उपलब्ध संग्रहीत जल के आधार पर टी. एम. सी. और उससे ऊपर।

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

खंड-*XI*

कोई भी ऊपरी नदी तटीय राज्य ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे निचले नदी तटीय राज्यों को पानी की निर्धारित आपूर्ति प्रभावित हो। तथापि, संबंधित राज्य आपसी सहमति से और विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से जल वितरण के स्वरूप में कोई भी संशोधन कर सकते हैं।

खंड-बारहवाँ

किसी भी नदी तटीय राज्य और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भूमिगत जल के उपयोग को कावेरी नदी के पानी के उपयोग के रूप में नहीं माना जाएगा। उपरोक्त घोषणा किसी भी तरह से किसी भी निजी व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण के अधिकारों, यदि कोई हो, को उस समय लागू कानून के तहत किसी भी तरह से नहीं बदलेगी।

खंड-*XIII*

कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों ने हमारे ध्यान में लाया कि आम पहुंच सीमा में कुछ पनबिजली परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पनबिजली निगम *(*एन. एच. पी. सी.*)* के साथ बातचीत की जा रही है। इस संबंध में, हमें केवल यह देखना है कि जब भी ऐसी किसी पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाता है और कावेरी का पानी जलाशय में संग्रहीत किया जाता है, तो

डाउनस्ट्रीम रिलीज हमारे आदेश के अनुरूप होनी चाहिए ताकि सिंचाई की आवश्यकताएँ खतरे में न पड़ें।

खंड-*XIV*

पानी के उपयोग को किसी भी तरह से कावेरी नदी के पानी में कमी की सीमा से मापा जाएगा, जिसमें इसकी सहायक नदियां भी शामिल हैं।

जलाशयों से वाष्पीकरण हानि। वार्षिक वाष्पीकरण हानि को छोड़कर कावेरी नदी प्रणाली की किसी भी धारा में किसी भी जलाशय में भंडारण उपलब्ध जल का हिस्सा होगा। किसी भी जल वर्ष के दौरान किसी राज्य द्वारा अपने उपयोग के लिए किसी भी जलाशय से डायवर्ट किए गए पानी को उस जल वर्ष में उस राज्य द्वारा उपयोग के रूप में माना जाएगा। घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति के साथ-साथ औद्योगिक उपयोग के लिए भी माप किया जाएगा।

नीचे बताए गए तरीके से:

उपयोग करें।

मापन

घरेलू और नगरपालिका जल मात्रा का *20* प्रतिशत

पानी का मोड़ना या ऊपर उठाना

आपूर्ति

नदी या उसकी कोई सहायक नदी

या नहर।

मात्रा का *2.5* प्रतिशत

औद्योगिक उपयोग

पानी का मोड़ना या ऊपर उठाना

नदी या उसकी कोई सहायक नदी

या किसी जलाशय, भंडारण से

या नहर।

खंड-*XV*

किसी भी नदी तटीय राज्य या पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में किसी विशेष जल वर्ष में किसी भी महीने के दौरान अपने आवंटित हिस्से के किसी भी हिस्से का उपयोग करने में सक्षम नहीं है और निर्दिष्ट जलाशयों में इसके भंडारण के लिए अनुरोध करता है, यह उसी जल वर्ष के दौरान किसी अन्य महीने में अपने अप्रयुक्त हिस्से का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। बशर्ते कि यह व्यवस्था कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो।

किसी भी जल वर्ष के दौरान किसी भी राज्य को आवंटित पानी के कुछ हिस्से का उपयोग करने में असमर्थता का अर्थ किसी भी बाद के जल में अपने हिस्से के पानी को जब्त करना या छोड़ना नहीं होगा। यदि ऐसे राज्य ने उस जल का उपयोग किया है तो न ही यह अगले वर्ष में अन्य राज्य के हिस्से में वृद्धि करेगा।

खंड-*XVII*

इसके अलावा, ऐसे सभी आदेशों, निर्देशों, सिफारिशों, सुझावों आदि पर ध्यान दिया जाएगा, जिनका विस्तृत विवरण दिया गया है। उचित कार्रवाई के लिए निर्णय के साथ रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों/खंडों में पहले।

खंड *18*

इस न्यायाधिकरण के आदेश की कोई भी बात किसी भी राज्य के अपनी सीमाओं के भीतर विनियमन के अधिकार या शक्ति या अधिकार को बाधित नहीं करेगी।

जल का उपयोग, या उस राज्य के भीतर जल का लाभ इस तरह से प्राप्त करना जो इस न्यायाधिकरण के आदेश से असंगत न हो।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

खंड-*XIX*

इस क्रम में, *(* क*)* "सामान्य वर्ष" का अर्थ होगा वह वर्ष जिसमें कुल उपज

कावेरी बेसिन *740* टी. एम. सी. है।

(ख*)* किसी भी व्यक्ति द्वारा कावेरी नदी के पानी का उपयोग या किसी राज्य के क्षेत्रों के भीतर किसी भी प्रकृति की इकाई

उस राज्य द्वारा उपयोग के रूप में गिना जाएगा।

(ग*)* "जल वर्ष" पद का अर्थ होगा आरंभ होने वाला वर्ष।

1 जून को और *31* मई को समाप्त होता है।

(घ*)* "सिंचाई का मौसम" का अर्थ होगा शुरू होने वाला मौसम। *1* जून को और अगले वर्ष *31* जनवरी को समाप्त होता है।

(ई*)* अभिव्यक्ति "कावेरी नदी" में मुख्य धारा शामिल है

कावेरी नदी, उसकी सभी सहायक नदियाँ और अन्य सभी धाराएँ

कावेरी नदी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी का योगदान देना।

खंड*-XX* इसमें निहित कुछ भी परिवर्तन, संशोधन को नहीं रोकेगा।

या सभी या पूर्वगामी खंडों में से किसी का संशोधन

पक्षों के बीच समझौता।

[जोर दिया गया*]*

एस. कर्नाटक राज्य की ओर से दिए गए तर्क

विभिन्न शीर्षों पर पानी का आवंटन

एस. *1* श्री फली एस. नरीमन की प्रस्तुतियाँः

292. यह विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

कर्नाटक राज्य की ओर से पेश होते हुए, कि न्यायाधिकरण के समक्ष तमिलनाडु के दावे के बयान में कहा गया है कि उसने *1974* से पहले *2* लाख एकड़ सिंचाई विकसित की थी, लेकिन न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश ने केवल *1* लाख एकड़ भूमि विकसित करने के तमिलनाडु के अधिकार को मान्यता दी। हालांकि, न्यायाधिकरण ने अनुचित और असमान तरीके से तमिलनाडु को अतिरिक्त *3* लाख *32* हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी आवंटित किया।

"योग्यता और समता" का आधार। *32, 000* एकड़ के लिए यह अतिरिक्त आवंटन पूरी तरह से *1924* के समझौते के दायरे से बाहर था और *[2018] 5* एस. सी. आर. हो सकता है।

न्यायसंगत विभाजन नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा, न्यायाधिकरण द्वारा जल का आवंटन हेलसिंकी नियम, *1966* में विस्तृत न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि इस तरह का विभाजन एक बेसिन राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सह-बेसिन राज्य को पर्याप्त नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने आवंटित किया

1924 के समझौते के आधार पर जल, जो पक्षों की स्थापित और तुलनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं बल्कि प्रवाह पर आधारित था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के समक्ष कर्नाटक का रुख हमेशा यह रहा है कि पानी के प्रवाह के बजाय राज्यों की ज़रूरतें विभाजन का आधार होनी चाहिए। यह आवश्यकता-आधारित विभाजन प्रत्येक राज्य द्वारा नदी घाटी में पानी के योगदान, नदी बेसिन में प्रत्येक राज्य की आबादी और बेसिन में प्रत्येक राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिसमें फसलों को उगाने के लिए पानी के उपयोग की आवश्यकता होती है। न्यायाधिकरण द्वारा इनमें से किसी भी कारक को उचित महत्व नहीं दिया गया था, भले ही इस न्यायालय द्वारा इन री में उन्हें उजागर किया गया थाः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*)*।

293. उन्होंने प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु में भूमि को ध्यान में रखते हुए इतनी मात्रा में पानी आवंटित किया गया था जो राज्य के बाहर था। *1924* के समझौते का दायरा और दायरा। तमिलनाडु ने खुद

न्यायाधिकरण ने कर्नाटक के पूर्ववर्ती राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों पर विचार करने में विफल रहकर कर्नाटक के साथ भी अनुचित व्यवहार किया था। जल आबंटन करते समय कर्नाटक की आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। न्यायाधिकरण ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु को कई रियायतें दी हैं

और अभिलेख पर साक्ष्य के बावजूद तमिलनाडु को अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक और *1924* के समझौते के दायरे से बाहर पानी भी दिया। उन्होंने सल्दान्हा समिति की रिपोर्ट, *1977* का उल्लेख करते हुए इस पहलू पर प्रकाश डाला, जिसमें पानी के मौजूदा उपयोग में बड़ी बचत की सिफारिश की गई थी और न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित बड़ी मात्रा के विपरीत तमिलनाडु को केवल *393* टी. एम. सी. पानी आवंटित किया गया था।

294. उन्होंने तर्क दिया कि वैकल्पिक रूप से, समान अधिकारों को बहाल करके पानी का आवंटन समान रूप से और न्याय के अनुसार किया जा सकता है

पार्टी के लिए-राज्य। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु समान राज्य हैं और पानी आवंटित करते समय दोनों के साथ न्याय किया जाना चाहिए, एक ऐसा तथ्य जिसे न्यायाधिकरण मान्यता देने में विफल रहा है।

उन्होंने अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v* प्रस्तुत किया। स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कि हेलसिंकी नियम, *1966* में निर्धारित विभिन्न लागू कारक दोनों राज्यों के बीच कमोबेश समान रूप से संतुलित थे।

इन्हें ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अलावा, इस सिद्धांत के आधार पर कि समानता समानता थी, केरल और पुडुचेरी के हिस्से को घटाने के बाद और उसके बाद उपलब्ध पानी की शेष या शेष मात्रा।

अपव्यय के लेखांकन को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए था। उनकी गणना के अनुसार, कर्नाटक और तमिलनाडु में से प्रत्येक को *339.5* टी. एम. सी. पानी मिलेगा।

एस. *2* श्री एस. एस. जवाली का प्रस्तुतिकरणः

295. श्री नरीमन के तर्क के पूरक के रूप में कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जवाली ने कहा कि

न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्षों को साक्ष्य के बजाय अनुमानों और अनुमानों के आधार पर दर्ज किया था। उन्होंने इस न्यायालय को कार्यवाही के रिकॉर्ड के माध्यम से इस बात को उजागर करने के लिए लिया कि कैसे न्यायाधिकरण ने कई मामले बनाए थे।

अवलोकन जो अभिलेख पर सामग्री पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु को एक हलफनामा दायर करने की भी अनुमति दी। *1665)* के बारे में

फसल के पानी की आवश्यकता साक्ष्य के समापन के चरण के बहुत बाद और वास्तव में, पानी आवंटित करते समय उक्त हलफनामे पर निर्भर थी। कर्नाटक को उक्त हलफनामे पर तमिलनाडु से जिरह करने की भी अनुमति नहीं दी गई और तमिलनाडु ने कर्नाटक पर अन्यायपूर्ण रूप से बढ़त हासिल की। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु यह स्थापित करने में विफल रहा कि कर्नाटक के कार्यों के कारण उसे नुकसान हुआ था, शिकायत को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त। उन्होंने कई अन्य पहलुओं को भी छुआ जिन पर न्यायाधिकरण विचार करने में विफल रहा, जिनमें बेंगलुरु शहर के लिए पीने का पानी, तमिलनाडु के लिए पहले से उपलब्ध अतिरिक्त पानी, कर्नाटक की जल परियोजनाओं और उसके सूखे वाले क्षेत्रों और कुल मिलाकर, कर्नाटक के दावों की हताशा और कर्नाटक को पूर्ण न्याय से वंचित करना शामिल हैं। न्यायाधिकरण उपरोक्त सभी कमियों को दूर करने में विफल रहा और इसका अंतिम निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन था।
296. उन्होंने इन रे में दिए गए फैसलों पर भरोसा कियाः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*)*, भारत संघ और एक अन्य *v.* तुलसीराम पटेल *3 3 2*, सत्यवीर सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *3 3*, ए. के. कौल और एक अन्य बनाम। भारत संघ

और अन्य *3 4*, एनिस्मिनिक लिमिटेड *v.* विदेशी मुआवजा *3*, गंगा

34 (1995) 4 एससीसी *73* *35 [1969] 1* सभी ई. आर. *208 [2018] 5* एस. सी. आर.

कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य *3,6*, पी. एस. आर. साधनानथम बनाम। अरुणाचलम और अन्य *31*, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता बनाम। उनके कर्मचारी *3 8 38*, जोस दा कोस्टा और एक अन्य बनाम। बास्कोरा सदाशिव सिनाई नार्कोर्निम और अन्य। *39* , राम प्यारी बनाम।

भगवंत और अन्य ", फुलचंद एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम। *0.0. 0* . पैट्रियट *1 1*, क्रॉम्पटन पार्किंसन *(*वर्क्स*)* प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, बॉम्बे बनाम। इसके कार्यकर्ता और अन्य *42*, वशित नारायण शर्मा बनाम। देव चंद्र और अन्य *4 3*, राम भरोसे अग्रवाल बनाम। हर स्वरूप माहेश्वरी और जमशेद होरमुसजी वाडिया बनाम। न्यासी मंडल, पोर्ट ऑफ मुंबई और एनोथेरा,

एस. *3* श्री मोहन वी. कटारकी द्वारा उठाया गया तर्कः

297. कर्नाटक राज्य की ओर से पेश श्री कटारकी ने आग्रह किया कि हलफनामे *(Ext.1665)* में कहा गया है कि फसल के पानी की आवश्यकताएँ

तमिल नाडु के परामर्श से इसमें उल्लिखित अनुमान लगाया गया था

कृषि विश्वविद्यालय; हालाँकि, इस तरह के परामर्श को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। शपथ-पत्र में उल्लिखित कुछ सूत्र *(*विस्तार। *1665)* फसल के पानी की आवश्यकताओं पर पहुंचने के लिए भी गलत थे। हलफनामे में किए गए दावे *(*विस्तार से। *1665)* विशेष रूप से फसलों के वाष्पीकरण के अधिक अनुमान और प्रभावी वर्षा के कम अनुमान के संबंध में, स्पष्ट रूप से गलत थे। तमिलनाडु ने भी अपने मामले को मजबूत करने के प्रयास में कर्नाटक के साक्ष्य की गलत व्याख्या की। तमिलनाडु ने भी अपने हलफनामे को सही ठहराने का प्रयास किया। *1665)* यह तर्क देते हुए कि वाष्पीकरण के संबंध में की गई गणनाएँ आधारित थीं

भारत सरकार *(*जी. ओ. एल.*)* के दिशा-निर्देश, *1984* पर जबकि कर्नाटक ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन *(*एफ. ए. ओ.*)* के दस्तावेजों पर भरोसा किया था। तमिलनाडु ने गलत तर्क दिया कि इस तरह के संघर्ष में, गोल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी. ओ. एल. दिशानिर्देशों और एफ. ए. ओ. के पत्रों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस तरह की गणना करने में तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को भी पढ़ा जाना चाहिए। बहुत सामान्य था। इस तरह की सामान्य कार्यप्रणाली को मामले के विशिष्ट तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सका। प्रतिपरीक्षा के दौरान, तमिलनाडु का अपना

36 (2005) 6 एससीसी *211*

41 (2011) 10 एससीसी *300* *42 (1959)* पूरक *(2)* एस. सी. आर. *936 43 (1955) 1* एस. सी. आर. *509*

44 (1976) 3 एस. सी. सी. *435*

45 (2004) 3 एस. सी. सी. *214* कर्नाटक राज्य अपने प्रमुख सचिव द्वारा *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

गवाह ने कहा कि तमिलनाडु की पानी की आवश्यकता केवल *242* टी. एम. सी. थी और इस आधार पर, मेट्टूर जलाशय पर कर्नाटक द्वारा प्रदान किए जाने वाले पानी की गणना केवल *137* टी. एम. सी. होनी चाहिए थी, जबकि तमिलनाडु ने *377* टी. एम. सी. का दावा किया था।

298. उन्होंने इस न्यायालय को तथ्यात्मक पहलुओं के माध्यम से लिया कि कैसे

वर्षा की मात्रा ने नदी के प्रवाह को प्रभावित किया। भारी वर्षा के परिणामस्वरूप अधिक पानी बहने लगा जिससे नदी में पानी भर गया, जबकि मध्यम या कम वर्षा के परिणामस्वरूप कम पानी बहने लगा क्योंकि पानी नदी में रिस जाएगा।

भूमिगत जल का स्तर बढ़ाएँ।

299. इसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण कावेरी तथ्य खोज समिति के समक्ष तमिलनाडु की इस स्वीकारोक्ति को भी ध्यान में रखने में विफल रहा कि

साम्बा फसल को मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी मानसून द्वारा खिलाया जाता था। तमिलनाडु ने अपने हलफनामे में जानबूझकर इस बारिश के योगदान को कम करके दिखाया है *(एक्स. 1665)* यह दावा करने के लिए कि ऐसी फसल की सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है। न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु के लगभग संपूर्ण हलफनामे *(एक्स. 1665)* अपने अंतिम क्रम में केवल मामूली सुधार करते हुए फसल के पानी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए।

300. उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु ने कर्नाटक में जल परियोजनाओं के विकास में बाधा डाली, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक में भूमि का बड़ा हिस्सा अविकसित रह गया। तमिलनाडु ने *1892* और *1924* के समझौतों के तहत अपनी सहमति प्राप्त करने के लिए कर्नाटक के तथाकथित दायित्व को गलत तरीके से लागू किया और कबिनी परियोजना के मामले में, तमिलनाडु ने अपने स्वयं के तकनीकी अधिकारियों के सहमत होने के बाद भी अपनी सहमति नहीं दी। तमिलनाडु ने भी पूर्ववर्ती कुर्ग राज्य की सहमति पर गलत तरीके से जोर देकर हारंगी परियोजना को रोक दिया।

समझौतों के तहत एक आवश्यकता भी नहीं थी।

301. इसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी-राज्यों को आवंटित किए जाने वाले पानी का समान हिस्सा नदी के प्रवाह के बजाय जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी राज्य को अंतर-राज्यीय नदी के प्राकृतिक प्रवाह का कोई अधिकार नहीं था और आवश्यकताओं का आकलन करते समय कई कारकों पर विचार किया जाना था, जैसे कि बेसिन कारक, सूखा क्षेत्र और जनसंख्या। उन्होंने हमें हार्मोन सिद्धांत, प्राकृतिक प्रवाह सहित कई सिद्धांतों और सिद्धांतों के माध्यम से ले जाया। उनकी बात पर जोर देने के लिए सिद्धांत और हेलसिंकी नियम, *1966*। उन्होंने न्यू जर्सी बनाम के फैसले पर भी भरोसा किया। न्यूयॉर्क *(ऊपर)*।

302. उन्होंने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक के मामले में, उपरोक्त कारकों को *1924* के समझौते के तहत कर्नाटक के दावे के साथ संयुक्त रूप से देखा जाना चाहिए। कर्नाटक में काफी हद तक सूखा प्रवण क्षेत्र थे जिनके लिए उपयुक्त आवंटन *[2018] 5* एस. सी. आर. की आवश्यकता थी।

पानी से। कर्नाटक ने जहां एक लाख एकड़ की सिंचाई के लिए *408* टी. एम. सी. की मात्रा का दावा किया, वहीं न्यायाधिकरण ने कर्नाटक को पानी आवंटित करते समय मनमाने ढंग से केवल दो लाख एकड़ के क्षेत्र पर विचार किया। न्यायाधिकरण ने समान विभाजन के नियमों के विपरीत प्राथमिकता के नियम को लागू किया और *1924* के समझौते की गलत व्याख्या के आधार पर भूमि के बड़े क्षेत्र को बाहर कर दिया और कमजोर तर्क के आधार पर विभिन्न जल परियोजनाओं को आवंटित पानी को भी कम कर दिया। कर्नाटक में बाधाओं के आधार पर विभिन्न जल परियोजनाओं के लिए पानी के आवंटन को कम करके

जल की उपलब्धता/अत्यधिक जल-कमी वाले बेसिन, न्यायाधिकरण के पास *45.08* टी. एम. सी. पानी बचा था, जिसे पानी की "शेष राशि" कहा जाता था, जिसे बाद में सभी राज्यों के बीच वितरित किया जाता था। पानी की यह कमी और पुनर्वितरण पूरी तरह से अनुचित था और समानता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। अन्य राज्यों के लिए पानी की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक की परियोजनाओं से "पानी की शेष मात्रा" की

इतनी मात्रा ली गई थी और फिर सभी राज्यों के बीच अनुचित तरीके से वितरित किया गया था। कर्नाटक के अनुसार

गणना के अनुसार, तमिलनाडु को आवंटित किए जाने वाले पानी की वास्तविक मात्रा न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित *390.85* टी. एम. सी. के विपरीत *311.6* टी. एम. सी. होनी चाहिए थी।

303. इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु को कानून या वास्तव में संरक्षित उपयोग के आधार पर पानी का दावा करने का अधिकार नहीं है। वह. प्रस्तुत किया कि "मौजूदा उपयोग" की अवधारणा को एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल न्यायसंगत विभाजन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में माना जा सकता है। मौजूदा उपयोग राज्य के कानूनी रूप से संरक्षित हित के रूप में उत्पन्न होना था और घरेलू कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उचित नहीं था। हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय कानूनों ने मौजूदा उपयोग के लिए प्रावधान किया, उन मामलों में से प्रत्येक में, यह स्पष्ट था कि संभावित उपयोग के साथ मौजूदा उपयोग को, सबसे अच्छा, एक योगदान कारक के रूप में माना जाना था न कि एक अधिकार के रूप में। मौजूदा उपयोग की सीमा को लाभकारी उपयोग की अवधारणा से मापा जाना था न कि मोड़ या प्राकृतिक प्रवाह से। तमिलनाडु का *28.2* लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी के मौजूदा उपयोग का दावा असमर्थनीय था। विवादित समझौतों के आधार पर पूरे प्रवाह/प्राकृतिक प्रवाह की अवधारणा भी मैसूर पर थोपी गई थी। उन्होंने इन रे में अधिकारियों के लिए हमारी सराहना की हैः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल*)*

विवाद न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*),* नेब्रास्का राज्य बनाम। व्योमिंग राज्य *(* ऊपर*),* कोलोराडो राज्य बनाम। न्यू मैक्सिको राज्य *(*ऊपर*),* वाशिंगटन राज्य पारिस्थितिकी विभाग बनाम। क्लेरेंस ई. और पेगी वी.

ग्रिम्स *46* और इन रेः हेग बनाम। नेफी सिंचाई *Co.47*।

46 121 धोएँ। *2* डी। *459* *47 16* यूटा *421,52* पी. *765 (1898):*

41 एल. आर. ए. *311* स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

304. उन्होंने आगे तर्क दिया कि कर्नाटक *1990* में न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावे के बयान में निर्धारित अपनी मौजूदा और चल रही जल परियोजनाओं के पैमाने को देखते हुए *407.70* टी. एम. सी. के जल आवंटन का हकदार था। तमिलनाडु ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि वर्तमान में ये जल परियोजनाएं हैं

अस्तित्व में था और चल रहा था, बल्कि इसने केवल यह तर्क दिया कि वे अनधिकृत, अवैध और *1892* और *1924* के समझौतों के तहत कथित रूप से अनिवार्य रूप से इसकी सहमति लिए बिना काम कर रहे थे।

305. इसके बाद उन्होंने कहा कि कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों में स्थित तटवर्ती राज्यों के क्षेत्रीय परिवर्तन भौतिक रूप से प्रभावित हुए हैं

1924 के समझौते के तहत मद्रास और मैसूर के अधिकारों और दायित्वों का आधार। उन्होंने विस्तार से बताया कि *1892* और *1924* के समझौतों के आधार पर कैसे कई क्षेत्र ऊपरी या निचले तटवर्ती थे। संविधान के प्रारंभ और बाद में *1956* के अधिनियम के बाद, नया मैसूर राज्य, जो मूल रूप से एक मध्य-नदी तटीय राज्य था, एक ऊपरी नदी तटीय राज्य बन गया और मद्रास राज्य, जो पहले ऊपरी और निचले दोनों नदी तटीय राज्य था, एक निचले नदी तटीय राज्य बन गया।

306. उन्होंने तमिलनाडु के इस तर्क को चुनौती दी कि कर्नाटक को उसकी फसल के लिए आवंटित पानी को कम किया जाना चाहिए। कर्नाटक का फसल जल

आवश्यकता को किसी भी राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और इसके विपरीत कोई भी तर्क केवल एक विचार के बाद था। इसके अलावा, तमिलनाडु का पूरा तर्क इस आधार के इर्द-गिर्द घूमता था कि कर्नाटक की मिट्टी सिंचाई के लिए अनुत्पादक थी और धान की खेती के लिए टिकाऊ नहीं थी। यह तमिलनाडु ने अपनी दलीलों में स्वीकार किया कि कर्नाटक की मिट्टी "फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला को उगाने के लिए अनुकूल" थी। इसके अलावा, हेलसिंकी नियम, जो न्यायसंगत विभाजन के लिए आधार निर्धारित करते हैं, मिट्टी की स्थिति या गुणवत्ता को प्रासंगिक मानदंड के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।

न्यायसंगत आवंटन में कारक। प्रासंगिक कारक खेती योग्य भूमि या क्षेत्र का अस्तित्व और फसल के उपभोग्य उपयोग को पूरा करने के लिए वर्षा की कमी थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक नदी तटीय राज्य का पानी का उत्पादक उपयोग दूसरे नदी तटीय राज्य के हिस्से से वंचित करने का कोई आधार नहीं है।

307. उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि न्यायाधिकरण ने कर्नाटक की जल परियोजनाओं, विशेष रूप से हेमवती परियोजना के लिए अत्यधिक पानी आवंटित नहीं किया था। उन्होंने आग्रह किया कि कर्नाटक *67.5* टी. एम. सी. की उपयोग क्षमता के साथ *45* टी. एम. सी. के जलाशय के निर्माण का हकदार है। चूँकि हेमवती जलाशय की वर्तमान सकल क्षमता केवल *37.1* टी. एम. सी. थी और न्यायाधिकरण ने केवल *43.67* टी. एम. सी. आवंटित किया था, इसलिए किसी भी तरह का कोई सवाल ही नहीं था।

कर्नाटक को अत्यधिक पानी आवंटित किया जा रहा है। तमिलनाडु के इस तर्क के संबंध में कि *[2018] 5* एस. सी. आर. में धान उगाने के लिए दिनों की संख्या पर विचार किया जाना चाहिए।

कर्नाटक को *145* दिनों से घटाकर *120* दिन कर दिया जाना चाहिए और जल आवंटन को तदनुसार कम किया जाना चाहिए, साथ ही तर्क भी दिया जाना चाहिए।

कि गड्ढों की आवश्यकता को *267* मिमी से घटाकर *150/-* किया जाना चाहिए। *200* एमएम, उन्होंने जवाब दिया कि इन तथ्यों और आंकड़ों को, वास्तव में, न्यायाधिकरण के निष्कर्षों और द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा रद्द कर दिया गया था

न्यायाधिकरण जिनके निष्कर्ष उक्त तर्क के विपरीत थे।

308. उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष तमिलनाडु की इस दलील को भी चुनौती दी कि कर्नाटक को चावल की खेती के लिए अत्यधिक पानी आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चावल की खेती सूखे वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसकी तुलना तमिलनाडु के गैर-सूखे वाले क्षेत्रों में उगाए जाने वाले चावल से नहीं की जा सकती क्योंकि रिसाव और गड्ढे में नुकसान जैसे योगदान कारकों में पर्याप्त अंतर था। जलवायु संबंधी बाधाओं ने सूखे वाले क्षेत्रों में उच्च जल आवंटन को उचित ठहराया। इसी कारण से, तमिलनाडु की पानी के अधिक आवंटन की मांग भी अनुचित और अनुचित थी। वास्तव में, तमिलनाडु में दोहरी फसल की खेती मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से असंगत थी क्षेत्र में। तमिलनाडु की कुरुवाई फसल, जिसे उत्तर-पूर्वी मानसून द्वारा प्रदान किए गए पानी से लाभ होता, को मुख्य रूप से कर्नाटक से सिंचाई आपूर्ति द्वारा

बनाए रखा गया था क्योंकि इसकी खेती बारिश शुरू होने से बहुत पहले की गई थी। कार्रवाई का एकमात्र समझदारी भरा तरीका यह होगा कि तमिलनाडु की कुरुवाई दोहरी फसल की अनुमति न दी जाए और केवल सांबा एकल फसल की अनुमति दी जाए।

एस. *4* श्री श्याम दीवान के प्रस्तावः

309. कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दीवान ने भूजल के महत्व को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

उपलब्ध जल संसाधनों का आवंटन करते हुए। भूजल एक नवीकरणीय संसाधन है और यदि नियमित रूप से नहीं निकाला जाता है, तो अंतर्निहित जलभृत की अवशोषण क्षमता कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप वर्षा जल/सतही जल प्राप्त होगा। रन-ऑफ के रूप में बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार, भूजल का निष्कर्षण उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग है।

310. उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने भूजल के लिए तर्क को खारिज करते हुए गलती से एक बड़े तटीय क्षेत्र को बाहर कर दिया था। वह.

यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने विफल होकर एक पेटेंट त्रुटि की

तमिलनाडु में *20* टी. एम. सी. भूजल की उपलब्धता और सतह के पानी के साथ इसके संयुग्म उपयोग को पहचानने के बावजूद तमिलनाडु को आवंटित पानी की मात्रा को कम करना। जमीन की ऐसी मात्रा

सिंचाई के उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु में पानी को एक उपलब्ध/अतिरिक्त संसाधन के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

311. "सिंचाई आवश्यकता" शीर्षक के तहत तमिलनाडु को आवंटित पानी की मात्रा को उपलब्ध भूजल की मात्रा से *47* टी. एम. सी. *(*न्यायाधिकरण की अंतिम रिपोर्ट में दर्ज तमिलनाडु के प्रत्युत्तर के अनुसार*)* या *30* टी. एम. सी. *(*तमिलनाडु की दलीलों के अनुसार*)* या बहुत कम से कम *20* टी. एम. सी. *(*न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के अनुसार*)* कम किया जाना चाहिए था और तदनुसार, कर्नाटक द्वारा अंतर-राज्य सीमा पर प्रदान किए जाने वाले पानी की मात्रा को भी आनुपातिक रूप से कम किया जाना चाहिए था। सतही जल की तुलना में भूजल के उपयोग की दक्षता बहुत अधिक थी और भूजल की उपलब्ध मात्रा और इसकी अधिक उपयोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए, *47/30/20 TC* के उपरोक्त आंकड़ों को क्रमशः *72/46/30 TC* तक बढ़ाया जाना चाहिए।

312. उन्होंने तब प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने पूरी तरह से

अपने अंतिम क्रम में बेंगलुरु शहर के लिए पानी की आवश्यकताओं की अनदेखी की। बढ़ती आबादी वाला महानगर होने के कारण बेंगलुरु को सुई जेनरिस माना जाना चाहिए था और पानी आवंटित किए जाने के दौरान विशेष व्यवस्था दी जानी चाहिए थी। बेंगलुरु के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह से कावेरी नदी से की जाती थी, लेकिन इसके उपयोग को एक पार-बेसिन मोड़ के रूप में नहीं माना जा सकता था, जैसा कि तमिलनाडु ने गलती से दावा किया था, जो अपने क्षेत्र के भीतर *3.29* लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी के पार-बेसिन मोड़ के लिए खुद जिम्मेदार था। न्यायाधिकरण ने कर्नाटक को *"2011* के लिए अनुमानित

घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकता" शीर्षक के तहत *1.85* टी. एम. सी. की एक छोटी राशि आवंटित की, जबकि घरेलू उद्देश्यों के लिए *20* प्रतिशत और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए *2.5* प्रतिशत उपभोग्य उपयोग पर पहुंचा। उन्होंने उपभोग्य उपयोग के प्रतिशत को चुनौती नहीं दी; बल्कि उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने बेंगलुरु शहर के लिए वास्तविक जल आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया था। *313.* उन्होंने तब तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने इस आधार पर बेंगलुरु की केवल एक तिहाई आबादी के लिए पानी के आवंटन पर गलत विचार किया था

कि शहर का *36* प्रतिशत बेसिन के भीतर था। तमिलनाडु द्वारा प्रदान किए गए असत्यापित आंकड़ों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा पानी की इस मात्रा को और भी कम कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने बेंगलुरु को आवंटित पानी की मात्रा को भी इस आधार पर कम कर दिया कि इसकी *50* प्रतिशत जरूरतों को पूरा किया जा सके।

उस प्रभाव के लिए किसी भी साक्ष्य या अभिवचन पर भरोसा किए बिना भूजल। बेंगलुरु के लिए, भूजल को सबसे अच्छा माना जा सकता है

प्राथमिक स्रोत के बजाय पूरक/पूरक स्रोत। राज्यों को पानी आवंटित करते समय, पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन न्यायाधिकरण इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा था। तदनुसार,

बेंगलुरु को *10.14* टी. एम. सी. का बढ़ा हुआ जल आवंटन दिया जाना चाहिए।

314. उन्होंने तर्क दिया कि बेंगलुरु के लिए पानी की आवश्यकताएँ

2025. इस तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद, न्यायाधिकरण वर्ष *2011* तक अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ा। जल आबंटन करते समय अभिवचन प्रस्तुत करने और अंतिम आदेश के बीच का समय अंतराल एक प्रासंगिक कारक होना चाहिए था। *315.* उनके द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि न्यायाधिकरण ने कर्नाटक के दूसरी फसल के लिए पानी के दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।

दूसरी फसल के लिए तमिलनाडु का दावा। इस तरह की अस्वीकृति असमान थी और

अनुचित। न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु की थलाडी दूसरी फसल के लिए एक लाख *85* हजार एकड़ तक पानी के आवंटन की अनुमति इस तर्क के साथ दी थी कि *1924* से पहले लगभग *95,000* एकड़ जमीन का विकास किया गया था और *1924* के समझौते के अनुसार *90,000* एकड़ जमीन का विकास किया गया था। न्यायसंगत बंटवारे के आधार पर, कर्नाटक को कम से कम आवंटित किया जाना चाहिए था *1. 85* लाख एकड़ के समतुल्य क्षेत्र के लिए इतनी ही मात्रा में पानी, लेकिन न्यायाधिकरण ऐसा करने में विफल रहा। आश्चर्य की बात यह है कि *67,000* एकड़ तक की दूसरी फसल के लिए कर्नाटक की पात्रता को मान्यता देते हुए, न्यायाधिकरण इसके लिए कोई पानी आवंटित करने में विफल रहा।

316. न्यायाधिकरण इस तथ्य को भी ध्यान में रखने में विफल रहा कि कर्नाटक के किसान *1974* से बहुत पहले दूसरी फसल उगा रहे थे

और जब तक *2007* में अंतिम आदेश पारित किया गया, तब तक किसान दशकों से दूसरी फसल उगा रहे थे। इन किसानों ने दूसरी फसल के आधार पर अपनी प्रथाओं और अपेक्षाओं को विकसित किया था और कर्नाटक के दावे को अस्वीकार करना न्यायाधिकरण के लिए पूरी तरह से असमान था। उन्होंने कर्नाटक के इस रुख को भी दोहराया कि पानी के *45.08* टी. एम. सी. "संतुलन संसाधन" का अंतिम आंकड़ा गलत तरीके से सामने आया था। न्यायाधिकरण को पहले होना चाहिए

दूसरी फसल के लिए कर्नाटक के दावे के लिए पानी पर विचार किया गया और आवंटित किया गया, जिसके बाद यह उपलब्ध पानी की "संतुलित" मात्रा तक पहुंच सकता था।

317. यह उनका आगे का निवेदन है कि न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में लिफ्ट सिंचाई के लिए सभी योजनाओं को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। यह था।

कर्नाटक के लिए समस्या जो लिफ्ट सिंचाई पर निर्भर था, विशेष रूप से कबिनी क्षेत्र जैसे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में, लगभग *3* लाख *40* हजार एकड़ तक, जिसके लिए लगभग *18* टी. एम. सी. पानी की आवश्यकता होती है।

तमिल स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

दूसरी ओर, नाडु मुख्य रूप से प्रवाह सिंचाई और लघु सिंचाई पर निर्भर था और यहाँ कोई बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना नहीं थी। इस प्रकार, सभी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को खारिज करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश ने कर्नाटक को काफी प्रभावित किया, जबकि तमिलनाडु पर इसका न के बराबर प्रभाव पड़ा।

318. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने कावेरी के संबंध में तमिलनाडु को अनुचित रूप से अतिरिक्त मात्रा में पानी आवंटित किया था

मेट्टूर परियोजना। *31* लाख एकड़ के लिए तमिलनाडु को आवंटित पानी का *54.68* टी. एम. सी. तमिलनाडु के गवाह संख्या *1* और तमिलनाडु के हलफनामे *(*अतिरिक्त*)* के बयान पर आधारित था। *1665)*। तमिलनाडु के गवाह नंबर *1* के बयान ने कावेरी मेट्टूर परियोजना रिपोर्ट की सामग्री की पुष्टि की जिसमें संकेत दिया गया था कि तमिलनाडु की पानी की आवश्यकता है। वास्तव में *41.89 TC* था। दूसरी ओर, एक्सट। *1665* इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं था क्योंकि यह एक असत्यापित हलफनामा था जिसके लिए कर्नाटक ने कहा था

अवरोधक की पार-जांच करने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि न्यायाधिकरण ने भी संकेत दिया था कि समर्थन के लिए उक्त हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जाएगा

तमिलनाडु का मामला, बल्कि इसका उपयोग केवल एक स्वीकारोक्ति के रूप में किया जाएगा। एक्सट पर निर्भरता रखी गई है। *1665* यह गलत था और इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कावेरी मेट्टूर परियोजना के लिए पानी के आवंटन के लिए तमिलनाडु के गवाह संख्या *1* का प्रमाण एकमात्र मानदंड होना चाहिए था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण को उक्त परियोजना के लिए तमिलनाडु को *41.89* टी. एम. सी. से अधिक पानी आवंटित नहीं करना चाहिए था न कि *54.68* टी. एम. सी. जैसा कि अंतिम आदेश में किया गया था।

319. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण यह पहचानने में विफल रहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में जल आवंटन की आवश्यकता है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है

तमिलनाडु को तमिलनाडु में दो सिंचाई परियोजनाओं/प्रणालियों द्वारा कवर किया गया था और उस संबंध में *9.51* टी. एम. सी. की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई थी। सिंचाई योग्य क्षेत्रों का यह "दोहरा लेखांकन" गलत था और तमिलनाडु को आवंटित पानी को आनुपातिक रूप से कम करना पड़ा। तमिलनाडु के गवाह ए. मोहनकृष्णन ने स्वयं स्वीकार किया था कि मौजूदा दूसरा फसल क्षेत्र *70,000* एकड़ था जबकि न्यायाधिकरण ने इस क्षेत्र पर विचार किया था *87, 500* एकड़ हो। तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी इसी तरह के प्रवेश किए गए थे। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित पानी सिंचाई के लिए ऐसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक पानी से कहीं अधिक था।

टी. *1* श्री शेखर नाफड़े की दलीलें: *320.* विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नाफडे ने इस न्यायालय को कई *[2018] 5* एस. सी. आर. के माध्यम से लेकर तमिलनाडु राज्य की ओर से दलीलें शुरू कीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले के ऐतिहासिक पहलू और अभिलेख पर साक्ष्य। उन्होंने इस न्यायालय को *1956* के अधिनियम के दायरे और विस्तार के माध्यम से भी लिया और अधिनियम की कई धाराओं के बीच परस्पर क्रिया की ओर इशारा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *1956* के अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* में उल्लिखित 'समझौता' शब्द में अधिनियम के लागू होने से पहले निष्पादित सभी समझौते शामिल थे और कि इस धारा के तहत किसी भी प्रकार के समझौते पर कोई सीमा नहीं थी। *1947* से पहले भी अंतर-राज्यीय जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में समझौतों को इस दायरे में लाया गया था। इस प्रकार, कर्नाटक का कहना है कि *1892* और *1924* के समझौते इसके दायरे में नहीं थे

उक्त अधिनियम आधारहीन था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नदी एक जलशास्त्रीय इकाई थी और राजनीतिक सीमाओं से अप्रभावित रही।

321. इसके बाद उन्होंने इस न्यायालय को कुछ सांख्यिकीय आंकड़ों और साक्ष्यों के माध्यम से लिया, जिसके आधार पर पानी का बंटवारा किया जाना चाहिए।

राज्यों को। उन्होंने कहा कि हेलसिंकी नियम, *1966* में निर्धारित सूत्र के अनुरूप पानी का समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। घनत्व

कर्नाटक की तुलना में तमिलनाडु में जनसंख्या बहुत अधिक है, इस प्रकार सभी क्षेत्रीय उपयोगों के लिए पानी की अधिक मांग है। उन्होंने कहा कि मेट्टूर बांध तक कावेरी बेसिन दक्षिण-पश्चिम से प्रभावित है।

आंकड़ा। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि कर्नाटक को पानी के भंडारण की और क्षमता दी जाती है, तो इस तरह के अतिरिक्त जल प्रतिधारण राज्यों के बीच आगे के विवादों का कारण बनेंगे। *322.* दोनों राज्यों में मिट्टी की क्षमता के पहलू पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मिट्टी है जो धान की खेती के लिए आदर्श है।

कर्नाटक में लाल, दोमट/लेटराइट मिट्टी है जो सूखी फसल के लिए अधिक उपयुक्त है।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उन्होंने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कर्नाटक के गवाहों के बयानों सहित कई सबूतों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है कि कहा कि कर्नाटक को अपनी चावल की फसल को सीमित करना चाहिए और एक सेकंड भी नहीं उगाना चाहिए

धान की फसल। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में धान उगाने के लिए पानी की आवश्यकता कर्नाटक में उतनी ही मात्रा में धान उगाने की आवश्यकता से काफी कम है और तमिलनाडु में धान की फसल उगाने की उत्पादकता अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि सी. सी. पटेल समिति द्वारा की गई सिफारिशें पुरानी हो गई थीं और उस पर कर्नाटक की निर्भरता अनुचित थी।

323. उन्होंने यहाँ उगाई जाने वाली तीन मुख्य प्रकार की धान की फसल का भी उल्लेख किया।

यह ऐसी फसल उगाने के लिए आदर्श था। उन्होंने कहा कि मिट्टी के प्रकारों के साथ संयुक्त फसल पैटर्न के कारण, तमिलनाडु में धान की दूसरी फसल उगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि कर्नाटक को चावल की दूसरी फसल उगाने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और यहां तक कि इसकी पहली चावल की फसल भी सीमित होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की कबिनी और हेमवती जल परियोजनाओं के संबंध में आंकड़ों और साक्ष्यों पर भरोसा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परियोजनाओं ने *1892* और *1924* के समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और तमिलनाडु के पानी के मौजूदा उपयोग को प्रभावित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना हेमवती परियोजना का निर्माण किया और *1892* और *1924* के समझौतों के तहत तमिलनाडु को परियोजना के बारे में विवरण प्रदान करने में भी विफल रहा। हेमवती जलाशय को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भंडारण के लिए प्रावधान किए बिना इसकी पूरी भंडारण क्षमता को कम किया जा सके जिससे किसी भी अतिरिक्त पानी को छोड़े जाने से रोका जा सके। तमिलनाडु के लिए। कर्नाटक ने कबिनी परियोजना का प्रस्ताव इस तरह से रखा कि बांध के स्थल पर पानी की पूरी उपज का उपयोग किया जाए जिससे निचले तटवर्ती राज्यों को पानी से वंचित किया जा सके। काबिनी जलाशय

तमिलनाडु की ओर बहने वाले पानी का प्रवाह कम हो गया, जिससे प्रभावित हुआ

तमिलनाडु का मौजूदा उपयोग। कर्नाटक ने लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के साथ इस परियोजना से पानी के पूरक के लिए कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए, लेकिन न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद, कर्नाटक ने आगे बढ़कर कबिनी उप-बेसिन में एक लिफ्ट सिंचाई योजना को लागू किया और तमिलनाडु को पानी छोड़ने से इनकार करते हुए इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया।
324. उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने कर्नाटक को कुल मिलाकर एक लाख एकड़ के लिए पानी आवंटित किया था, लेकिन उस आंकड़े में *(2018) 5* एस. सी. आर. शामिल थे।

34, 40, 000 एकड़ का क्षेत्र जिसे योग्यता के आधार पर गलती से अनुमति दी गई थी, बिना किसी सबूत या सामग्री के। इस प्रकार, कुल मिलाकर *18.853* लाख एकड़ का आंकड़ा *3.4* लाख एकड़ कम होने के योग्य है। यह इस तर्क के प्रति पूर्वाग्रह के बिना था कि जिस क्षेत्र पर विचार किया जाना था, उसे जून *1990* में

न्यायाधिकरण के विचार के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में मौजूदा क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाना था। इसके अलावा, कर्नाटक के खरिफ धान के लिए विचाराधीन क्षेत्र को कम करना होगा।

और खेती के लिए दिनों की संख्या भी *145* से घटाकर *125* करनी पड़ी। उन्होंने अभिलेख पर साक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि एक अनियंत्रित विशेषज्ञ राय है जो स्पष्ट रूप से बताती है कि कर्नाटक बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार था और कर्नाटक को अपनी धान की फसल को कम करना चाहिए। न्यायाधिकरण द्वारा इस साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक को प्रमुख जलाशयों से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ,

बारहमासी फसल और घरेलू जरूरतों को छोड़कर गर्मियों के मौसम में हारंगी, हेमवती, कृष्ण राजा सागर और कबिनी और इसकी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि

कर्नाटक को अपनी जल समस्याओं को हल करने के लिए सीमा पर मेट्टूर के ऊपर एक और बांध बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए।

325. उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि बेंगलुरु का लगभग *64* प्रतिशत हिस्सा बेसिन के बाहर है और न्यायाधिकरण ने केवल एक तिहाई हिस्से पर विचार करना सही था।

अपनी जल आपूर्ति का निर्धारण करते समय बेंगलुरु की आवश्यकताएँ। बेंगलुरु को और पानी की आपूर्ति करना न्यायसंगत विभाजन, राष्ट्रीय जल नीति और हेलसिंकी नियम, *1966* के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में पार-बेसिन मोड़ के बराबर होगा। इस तरह के ट्रांस-बेसिन डायवर्जन हानिकारक है और अराजकता का कारण बन सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कर्नाटक का यह तर्क कि न्यायाधिकरण को वर्ष *2025* के लिए जल अनुमानों पर विचार करना चाहिए था, आवश्यक रूप से यह संकेत देगा कि तमिलनाडु के क्षेत्रों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए जल संसाधनों को भी उसी प्रकाश में वितरित किया जाना चाहिए। कर्नाटक ने नगर योजना अधिनियम/नियमों का पालन नहीं किया और बेंगलुरु को अनियंत्रित और अनियोजित रूप से बढ़ने दिया और बेंगलुरु की जल आपूर्ति के विकास के लिए योजना बनाने में भी विफल रहा, एक तथ्य जो *1976* के अपने मास्टर प्लान से स्पष्ट किया गया है, जिसमें बेंगलुरु की घरेलू जल आवश्यकताओं को प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से चूक की गई है। इसके अलावा, कर्नाटक ने बेंगलुरु द्वारा छोड़े गए सीवेज के पानी का उपचार नहीं किया और इस तरह के सीवेज को कावेरी में छोड़ा जा रहा था, जो बदले में तमिलनाडु की ओर बह रहा था। कर्नाटक बड़ी मात्रा में खरीद करने में सक्षम होगा

अगर बेंगलुरु इस तरह के सीवेज के पानी को शोधित करता है तो उसके लिए पानी।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

326. उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक के पास पहले से ही बेंगलुरु के लिए पर्याप्त और वैकल्पिक जल संसाधन हैं, जिनमें भूजल, नेत्रावती नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा शामिल हैं। इन संसाधनों का कम उपयोग किया गया था और इसका उपयोग बेंगलुरु को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता था। इसके विपरीत, जल संसाधनों की कमी और खराब वर्षा के कारण चेन्नई में पानी की कमी थी। तमिलनाडु को इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों से पानी को चेन्नई की ओर मोड़ना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि बेंगलुरु की जल आपूर्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ तमिलनाडु पर बोझ डालना अनुचित था, जबकि

कर्नाटक ने खुद इसके लिए योजना बनाने में लापरवाही बरती गई, विशेष रूप से जब कावेरी बेसिन एक सूखा बेसिन था और तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा भी सूखा प्रवण था।

327. उन्होंने खाद्य और कृषि संगठन *(*एफ. ए. ओ.*)* के दिशानिर्देशों पर आधारित दिशानिर्देशों के रूप में फसल के पानी की आवश्यकताओं की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली तमिलनाडु की विधि पर भी जोर दिया, जो खाद्य और कृषि संगठन *(*एफ. ए. ओ.*)* के दिशानिर्देशों में भी दर्ज किए गए थे।

भारत सरकार *(*जी. ओ. एल.*)* दिशानिर्देश, *1984* उन्होंने इस न्यायालय को इन दिशानिर्देशों के तहत शामिल विभिन्न कारकों और गणनाओं के माध्यम से लिया, जिसमें वाष्पोत्सर्जन, रिसाव हानि, गड्ढे और नर्सरी की आवश्यकताएं, प्रणाली दक्षता और प्रभावी वर्षा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि

तमिलनाडु ने एफ. ए. ओ. के आधार पर उपरोक्त कारकों के लिए गणना को अपनाया था और कर्नाटक का यह तर्क कि तमिलनाडु ने वाष्पोत्सर्जन और प्रभावी वर्षा की सीमा का गलत अनुमान लगाया था, निराधार था।

दूसरी फसल के लिए बड़े क्षेत्र की अनुमति नहीं है, भले ही क्षेत्र में प्रचलित कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ दो फसलों को उगाने के लिए आदर्श थीं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु ने सकल सिंचाई आवश्यकता की गणना करते समय *60* प्रतिशत समग्र दक्षता को अपनाया है, जो अधिकतम संभव स्तर की अनुमति थी, लेकिन न्यायाधिकरण ने *65* प्रतिशत के उच्च आंकड़े को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने इस न्यायालय को साक्ष्य और रिकॉर्ड के माध्यम से यह प्रस्तुत करने के लिए लिया कि न्यायाधिकरण को तमिलनाडु को अधिक मात्रा में पानी आवंटित करना चाहिए था और कर्नाटक को आवंटित मात्रा को कम करना चाहिए था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *1924* के समझौते के तहत, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को केवल सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। खंड *10 (iv)* और *10 (v)* के तहत अनुमत क्षेत्र के अलावा, उपयोग किए गए पानी की मात्रा में किसी भी वृद्धि के बिना शुल्क। कर्नाटक ने *1974* तक *1924* के समझौते का सख्ती से पालन किया लेकिन उन क्षेत्रों के लिए पात्रता का दावा किया जो *[2018] 5* एस. सी. आर.

1974 के बाद भी इसका विकास नहीं हुआ था। तमिलनाडु ने समझौते के तहत प्राप्त मात्रा के अलावा कभी भी पानी की किसी भी अतिरिक्त मात्रा का दावा नहीं किया। उन्होंने अनुकूल जलवायु और मिट्टी की स्थिति के कारण तमिलनाडु में दोहरी फसल की अनुमति देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

329. इसके बाद उन्होंने कर्नाटक की इस दलील का विरोध किया कि भूजल एक अतिरिक्त संसाधन है और कहा कि इस तरह की जल आपूर्ति कर सकते हैं। इसे एक अतिरिक्त संसाधन के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि यह सतह के पानी द्वारा रिचार्ज किया गया था और वर्षा और मिट्टी जैसे विभिन्न कारकों के अधीन था।

विशेषताएँ। पूरे वर्ष भूजल स्तर सुसंगत नहीं था और कर्नाटक की जल परियोजनाओं के निर्माण ने मेट्टूर जलाशय में पानी के प्रवाह को भी कम कर दिया था, जो बदले में काफी कम हो गया था।

तमिलनाडु के लिए उपलब्ध भूजल पुनर्भरण स्तर को कम कर दिया।

भूजल के स्तर का अनुमान लगाना वैज्ञानिक रूप से जटिल था और भारी मात्रा में डेटा और क्षेत्र अन्वेषण की आवश्यकता थी। वास्तव में, भूजल का निर्धारण करने के लिए कोई एकल व्यापक तकनीक नहीं थी और कर्नाटक के अपने गवाह ने कहा था कि यह संभव नहीं था

भूजल के पुनर्भरण घटक का अनुमान तब लगाएं जब इसे सतह के प्रवाह और वर्षा द्वारा पुनर्भरण किया गया था। एन. डब्ल्यू. डी. टी. और के. डब्ल्यू. डी. टी. जैसे अन्य जल न्यायाधिकरणों ने पानी का बंटवारा करते समय भूजल को एक कारक नहीं माना था, एक तथ्य जो न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया था। द.

कर्नाटक द्वारा अपने तर्क को स्थापित करने के लिए यू. एन. डी. पी. रिपोर्ट पर भरोसा करना वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं था क्योंकि वह पुरानी हो गई थी और प्रवाह व्यवस्था में पर्याप्त बदलाव आया था। केंद्रीय जल बोर्ड भी यू. एन. डी. पी. रिपोर्ट के मूल्यांकन से सहमत नहीं था, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि भूजल के उपयोग को कावेरी नदी के पानी के उपयोग के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में विश्व बैंक, *1985* के डब्ल्यू. बार्बर द्वारा किए गए अध्ययन और यू. एन. डी. पी. अध्ययन रिपोर्ट, *1973* का भी उल्लेख किया।

330. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में, फरवरी से जून/जुलाई तक, पूरे डेल्टा क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

वनों वाले महीनों के दौरान घरेलू और पशुधन के उपयोग के लिए और इस प्रकार, इस तरह के पानी का उपयोग सिंचाई के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, डेल्टा क्षेत्र में भूजल का उपयोग सुरक्षात्मक सिंचाई और प्रारंभिक नर्सरी विकसित करने के लिए किया जाता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर साक्ष्य अपने प्रमुख सचिव बनाम द्वारा कर्नाटक राज्य को दर्शाता है।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, सतह के प्रवाह में कमी के परिणामस्वरूप भूजल पुनर्भरण कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप अंततः समुद्र से खारे पानी की घुसपैठ हुई। उपलब्ध भूजल की गुणवत्ता अंततः खराब, खारा/खारा और उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी।

331. उन्होंने कहा कि कर्नाटक तमिलनाडु को आवंटित *10* टी. एम. सी. में से *5* टी. एम. सी. पानी की मांग नहीं कर सकता है।

88 टी. एम. सी. पानी समुद्र में जा रहा था और बर्बाद हो रहा था, इस संबंध में विचार करने के लिए कई कारक थे और तमिलनाडु यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक ध्यान रख रहा था कि कोई बर्बादी न हो। एक निश्चित न्यूनतम कटाव को रोकने, खारे पानी की घुसपैठ को कम करने और समुद्री जीवन और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहिर्वाह के मानक को बनाए रखना था। इसके अलावा, डेल्टा क्षेत्र की स्थलाकृति ऐसी थी कि इस जल के संरक्षण के लिए कोई व्यवहार्य भंडारण क्षेत्र नहीं बनाया जा सका। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्वी मानसून, अनियमित होने के कारण, भारी बारिश होगी, जिनमें से सभी को संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

332. इसके अलावा, कर्नाटक का यह तर्क कि दोनों राज्यों के बीच पानी का समान बंटवारा होना चाहिए, असमर्थनीय था। उन्होंने भरोसा किया।

नर्मदा और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणों द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कि समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि राज्यों के बीच पानी का समान विभाजन होना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि राज्यों को समान विचार और समान आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। इस तरह की समानता के परिणामस्वरूप जरूरी नहीं कि पार्टियों को समान मात्रा में पानी प्रदान किया जाए।

333. उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को जून से महीनेवार पानी छोड़ने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी कुरुवाई फसलों की सिंचाई हो। *1974* के बाद, कर्नाटक अपने जलाशयों में पानी रोक रहा था और तमिलनाडु में पानी के प्रवाह में देरी कर रहा था और तर्क दे रहा था कि किसी भी कमी को मौसम के अंत में समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जून से अपनी फसलों की सिंचाई के लिए एक विशेष समय पर पानी की आवश्यकता होती है और मौसम के अंत में पानी छोड़ने से सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे पानी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

334. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी जल *[2018] 5* एस. सी. आर. के अपने हिस्से का उपयोग करने से रोकने के लिए लगातार अवज्ञाकारी रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

336. अन्यथा भी, केरल द्वारा प्राप्त की जाने वाली सिंचाई अत्यधिक थी और इसे ध्यान में रखे बिना किया गया था। मिट्टी और स्थलाकृति के संबंध में सीमाएँ जिनके उपयोग के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। केरल एक कमी वाले बेसिन से पानी का उपयोग करके गर्मियों और बारहमासी फसलों को उगाने की कोशिश कर रहा था जो कि कर्नाटक का एक अनुपयुक्त राज्य था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

प्रस्ताव। केरल में पहले से ही एक अच्छी सिंचाई प्रणाली थी और इस तरह की सिंचाई को वर्षा द्वारा पूरक किया गया था जो इसे प्राप्त होती है। केरल

कर्नाटक का दावा किया गया सूखा क्षेत्र अत्यधिक अतिरंजित है, लेकिन यदि न्यायाधिकरण को पानी आवंटित करते समय कर्नाटक के सूखा क्षेत्र पर विचार करना है, तो तमिलनाडु को भी अपने सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी का आनुपातिक हिस्सा दिया जाना चाहिए। टी. *2* श्री राकेश द्विवेदी द्वारा उठाए गए तर्क:

338. तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री द्विवेदी ने अन्य पहलुओं के अलावा तर्क दिया जो हमारे पास पहले से हैं।

कर्नाटक के कार्यों के कारण तमिलनाडु को हुई चोट/प्रतिकूल प्रभाव के पहलू पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि *1974* के बाद कर्नाटक के अपस्ट्रीम एब्स्ट्रैक्शन ने तमिलनाडु के लिए उपलब्ध क्षेत्र और पानी की मात्रा को काफी कम कर दिया। कर्नाटक ने वृद्धि की

सिंचाई का क्षेत्र *1924* के समझौते के दायरे से बहुत अधिक था, जिसने बदले में तमिलनाडु की मौजूदा सिंचाई को प्रभावित किया और इसके लिए साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पानी का मौजूदा उपयोग न्यायसंगत विभाजन का एक पहलू था और कर्नाटक यह साबित करने में विफल रहा कि पानी के नियोजित मोड़ से मौजूदा, स्थापित उपयोग को नुकसान नहीं होगा। तमिलनाडु का दावा पानी के प्रवाह के संबंध में नहीं था, जैसा कि कर्नाटक द्वारा गलत दावा किया गया था, बल्कि यह *1892* और *1924* के समझौतों के तहत स्थापित मौजूदा उपयोग के संरक्षण पर आधारित था।

339. उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक की यह दलील कि तत्कालीन मद्रास राज्य के पास अपनी जल परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से वीटो शक्ति थी, असमर्थनीय थी। किसी भी जल परियोजना के निर्माण से पहले मद्रास से सहमति लेने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिंचाई खतरे में न पड़े और अन्यथा भी, ऐसी परियोजनाओं का निर्माण करते समय हमेशा निचले नदी तटीय राज्य से सहमति की आवश्यकता होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई करते समय न्यायाधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधिकरण ने प्रत्येक *[2018] 5* एस. सी. आर. का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया था।

और अंतिम क्रम को पारित करते समय आवश्यकतानुसार ऐसे मापदंडों में उपयुक्त परिवर्तन किए। तमिलनाडु का हलफनामा *(एक्स. 1665)* केवल अभिलेख पर पहले से उपलब्ध सामग्रियों का एक संग्रह था। विशेष रूप से, कर्नाटक ने स्वयं तर्क दिया कि न्यायाधिकरण के मूल्यांकनकर्ता नहीं थे

फसल के पानी की आवश्यकता का आकलन करने में सक्षम क्योंकि वे अतिरिक्त पर निर्भर थे। *1665* लेकिन फिर अपनी फसल के पानी की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की सिफारिश पर भरोसा किया।

340. श्री नाफडे और श्री द्विवेदी दोनों ने न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय की शक्ति के दायरे और विस्तार को छुआ। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय को इस तरह की शक्ति का उपयोग करने का विवेकाधिकार था और हालांकि इस शक्ति का विस्तार विस्तार में व्यापक है, इस न्यायालय ने पारंपरिक रूप से

और मामले में लंबी सुनवाई के दौरान वर्तमान विवाद पर लागू वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता पर भरोसा किया। न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम निर्णय देते समय सामाजिक आर्थिक कारकों और जनहित पर भी विचार किया है। उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक सिद्धांतों की पूरी समझ के साथ-साथ विज्ञान में एक प्रासंगिक विषय को लागू करने के लिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है और यह एक ऐसा अभ्यास है जो न्यायिक रूप से प्रबंधनीय के स्वीकृत सिद्धांत में फिट नहीं होगा।

मानक।

341. श्री नाफड़े और श्री द्विवेदी ने अपने रुख को मजबूत करने के लिए कई निर्णयों पर भरोसा किया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है और कुछ का जहां आवश्यक हो वहां उल्लेख किया जाएगा।

यू. केरल राज्य की ओर से तर्क दिए गए

342. केरल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि केरल ने लगभग *147* का योगदान दिया है। टी. एम. सी. ने कावेरी बेसिन को लगभग *20* प्रतिशत पानी दिया और *99.8* टी. एम. सी. का दावा करके पानी के आनुपातिक हिस्से की मांग की थी। न्यायाधिकरण,

हालांकि, केरल को उसकी जरूरतों के लिए *30* टी. एम. सी. पानी आवंटित किया गया था, जो लगभग *4* प्रतिशत था। इस तरह का आवंटन बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया यह कि राज्यों के बीच जल के आवंटन को समानता नहीं, बल्कि समानता से नियंत्रित किया जाना चाहिए और यह कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य होना अनुचित था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित पानी की पूरी राशि का बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। इक्विटी की अवधारणा को हेलसिंकी नियम, *1966* में मान्यता दी गई है और इस तरह के विभाजन को नियंत्रित करने वाले कारकों का भी उसमें उल्लेख किया गया है, जिसे बाद में बर्लिन नियमों में पुष्टि की गई है।

343. उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर इस न्यायालय को समझाया कि कैसे केरल, जो *1892* और *1924* में पक्षकार नहीं था समझौते, विवाद के लिए पेश किए गए। उन्होंने कहा कि

कर्नाटक और तमिलनाडु पूरी तरह से कावेरी बेसिन के प्रतिनिधि नहीं थे और केरल भी बेसिन का एक अभिन्न अंग था।

पानी का एक बड़ा प्रतिशत। मैसूर और मद्रास के बीच *1892* और *1924* में किए गए समझौते केरल को बाध्य नहीं करते थे, जो इसमें पक्षकार नहीं था। केरल के पूर्ववर्ती राज्यों में से कोई भी नहीं। , कावेरी बेसिन के तटवर्ती राज्यों के बीच विवादों के दौरान त्रावणकोर, कोचीन या मालाबार को इच्छुक पक्षों के रूप में मान्यता दी गई थी और इन तटवर्ती राज्यों ने भी विवाद में केरल की भागीदारी पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि *1956* के अधिनियम में दी गई परिभाषाओं के अनुसार भी केरल को अपने पूर्ववर्ती राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके पूर्ववर्ती राज्य *1924* के समझौते में पक्षकार नहीं थे। चूंकि *1892* और *1924* के समझौते दो संप्रभु संस्थाओं के बीच की गई संधियों के रूप में थे, इसलिए न्यायाधिकरण के पास उन्हें लागू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि जब केरल ने इस मामले में शामिल होने की आवश्यकता के बारे में इस अदालत के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाई, तो उसे तब तक कार्यवाही से दूर रहने के लिए कहा गया जब तक कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।

344. उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा पानी का आवंटन कुछ कारकों पर आधारित होना आवश्यक है और इस तरह का आवंटन एक विशेष तरीके से किया जाना चाहिए। सबसे पहले, न्यायाधिकरण को सतह और भूजल सहित बेसिन के पानी की कुल उपज निर्धारित करनी थी। फिर, पानी की कुल उपज को विभाजित करना था और इस तरह के पानी को छोड़ने के लिए एक तंत्र होना था। अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली की आवश्यकता थी कि इस तरह से पानी ठीक से छोड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पानी का आवंटन आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरण को उपभोग और गैर-उपयोग पर विचार करना चाहिए था।

इस तरह का आवंटन करते समय उपभोग्य आवश्यकताएँ। *345.* उन्होंने कहा कि हालांकि कावेरी की काबिनी और भवानी सहायक नदियां मद्रास के पूर्ववर्ती मालाबार जिले से होकर बहती हैं।

फिर भी उस क्षेत्र में कोई विकासात्मक गतिविधि नहीं की जा सकी। *1956* में त्रावणकोर को मिलाकर केरल राज्य के गठन के बाद भी, *[2018] 5* एस. सी. आर.

कोचीन और मालाबार, तमिलनाडु और कर्नाटक के विरोध के कारण मालाबार क्षेत्र में कोई भी विकासात्मक गतिविधि नहीं कर सके, जिन्होंने तर्क दिया कि *1924* के समझौते की समीक्षा केवल *1974* में की जा सकती है। *1974* के बाद भी, केरल की सभी परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि केरल में कावेरी बेसिन में एक उच्च शीर्ष और खड़ी ढाल थी, इस प्रकार यह क्षेत्र पनबिजली उत्पादन के लिए आदर्श बना। अपने भूगोल और स्थलाकृति के कारण, केरल में पनबिजली उत्पन्न करने की उच्च क्षमता/क्षमता है। यह तथ्य न्यायाधिकरण के समक्ष साबित हो गया था। केरल में भी एक तीव्र रोग है। बिजली की कमी एक ऐसी समस्या है जिसने इसके औद्योगिक विकास को बाधित किया है और राज्य में जल परियोजनाओं की क्षमता का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। वैकल्पिक प्रकार की बिजली स्थापित करने में भी असमर्थता थी

क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण परमाणु ऊर्जा जैसे संयंत्र। इसके अलावा, केरल में वर्षा का वितरण ऐसा था कि गर्मियों में बारिश नहीं होती है और राज्य के भीतर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं जिससे पानी की कमी हो जाती है। इन सभी कारकों ने आवश्यक बना दिया है

केरल में जल परियोजनाओं का निर्माण।

346. उन्होंने तर्क दिया कि केरल की जल परियोजनाओं को अनुमति देने से न्यायाधिकरण का इनकार इस गलत धारणा पर आधारित है कि ऐसी परियोजनाएं लागू होंगी।

इसके परिणामस्वरूप जल का पार-बेसिन मोड़ होता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है जिसके परिणामस्वरूप यह धारणा बनाई जा रही है कि कावेरी बेसिन उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए, पानी की कमी है। उन्होंने तर्क दिया कि कानूनी रूप से, पानी की कमी वाले बेसिन से पार-बेसिन मोड़ को रोकने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने स्थिरता के सिद्धांत की अवधारणा को भी छुआ और कहा कि हालांकि न्यायाधिकरण के पास राज्यों को पानी आवंटित करने का अधिकार क्षेत्र है, राज्यों को इस तरह से पानी का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे उचित समझें और न्यायाधिकरण यह निर्धारित नहीं कर सकता कि राज्यों ने इस तरह के पानी का उपयोग कैसे किया। इसके बाद, उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, ट्रांस-बेसिन डायवर्जन का उपयोग करने का सबसे किफायती तरीका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है

नदी का जल और यह कि एक बेसिन राज्य को उस जल का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसका वह हकदार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु और कर्नाटक में जल परियोजनाओं को आने की अनुमति दी थी, जिन्होंने वास्तव में कावेरी बेसिन से पानी मोड़ दिया है, लेकिन केरल के मामले में, जहां ऐसी परियोजनाओं की तत्काल और तत्काल आवश्यकता थी, न्यायाधिकरण ने केरल के

प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अंतरराज्यीय नदी जल में अधिकार बेसिन राज्य के निवासियों के हैं न कि बेसिन के निवासियों के।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

347. उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने गलती से तमिलनाडु में उपलब्ध *20* टी. एम. सी. भूजल को छोड़ दिया है। तमिलनाडु के पास भूजल संसाधनों तक पहुंच थी, जबकि केरल के पास कावेरी तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट में बताए अनुसार नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण बेसिन के जल विज्ञान, विशेष रूप से प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा पानी के योगदान का हिसाब देने में विफल रहा है। न्यायाधिकरण को केरल की बाणासुरसागर परियोजना, मनंतोडी योजना और केरल भवानी के लिए उचित मात्रा में पानी आवंटित करना चाहिए था।

योजना, राज्य में विकसित की जा रही अन्य जल परियोजनाओं के अलावा।

348. उन्होंने केरल से एक ही फसल वाले धान को अपनाने के न्यायाधिकरण के फैसले को भी चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी को तीन-फसल धान के साथ-साथ सूखी सिंचित फसलों के लिए भी पानी आवंटित किया गया था, जबकि केरल के किसानों को उनके पारंपरिक तरीके से उनकी फसलों की खेती करने से रोक दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण का निर्णय प्रचलित भूवैज्ञानिक, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु और जलवायु के विपरीत है।

राज्य में मिट्टी के पैटर्न प्रचलित हैं और केरल को इष्टतम फसल पैटर्न से प्रतिबंधित करने में भी त्रुटि है। न्यायाधिकरण के निर्णय के साथ संयुक्त

सभी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, न्यायाधिकरण के फैसले ने केरल को सीमित खेती के साथ छोड़ दिया। *349.* उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु जानबूझकर केरल को जल परियोजनाओं की स्थापना में बाधा डाल रहा है क्योंकि उसे न्यायाधिकरण के निर्णय में संक्रमणकालीन प्रावधानों से लाभ हो रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपनी जल परियोजनाओं के पूरा होने तक, केरल अपने लिए आवंटित *30* टी. एम. सी. पानी की पूरी राशि को बनाए रखने में असमर्थ है। न्यायाधिकरण ने केरल को *30* टीएमसी से अधिक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है।

केरल की जल परियोजनाओं में बाधा डाल रहा है। *350.* उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण अतिरिक्त पानी के लिए प्रावधान करने में विफल रहा है, जिससे केरल के जल आवंटन को *30* टी. एम. सी. प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया है।

अधिशेष के मामले में वर्ष। केरल के साथ अतिरिक्त जल साझा करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान की कमी के कारण इससे अन्य राज्यों को लाभ होगा। वह भी।

प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है और न्यायाधिकरण स्थिति को सुधारने में विफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केरल को अपने सिरुवानी जलाशय से कोयम्बटूर को आपूर्ति किए जाने वाले पानी के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इन रे के निर्णयों का उल्लेख कियाः राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद*)*

न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*)* और तमिलनाडु कावेरी नीरप्पासन *[2018] 5* एस. सी. आर.

विलाईपोरुलगल विवासाईगल नाला उरिमाई पधुगप्पु संगम बनाम। भारत संघ और अन्य अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए।

V. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की ओर से प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया

351. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नांबियार ने कहा कि पुडुचेरी ने *9* टी. एम. सी. का दावा किया था

जहां न्यायाधिकरण ने इसकी जरूरतों के लिए केवल *7* टी. एम. सी. पानी आवंटित किया था। पुडुचेरी अब जून महीने से केवल *1* टी. एम. सी. अतिरिक्त पानी आवंटित करने की मांग कर रहा था जिसे या तो तमिलनाडु द्वारा जारी किया जा सकता है या पर्यावरण उद्देश्यों के लिए न्यायाधिकरण द्वारा आरक्षित *10* टी. एम. सी. में से पुडुचेरी को आवंटित किया जा सकता है।

352. उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की स्थलाकृति, मिट्टी और जलवायु की स्थिति केवल धान की फसल की खेती के पक्ष में है और कोई अन्य फसल नहीं है।

यह क्षेत्र की मिट्टी में प्रचलित भारी मिट्टी में जीवित रह सकता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में स्थलाकृति समतल और नीरस होने के कारण, पानी को रखने के लिए भंडारण संरचनाओं को स्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और पुडुचेरी यह पूरी तरह से मेट्टूर बांध द्वारा छोड़े गए पानी पर निर्भर है। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि पुडुचेरी में *27,000* एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र है जो वर्षों से स्थिर है और इस तरह के क्षेत्र में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वर्षा अनियमित है जो मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व मानसून से होती है। इसके परिणामस्वरूप लंबे, सूखे मौसम के साथ भारी बारिश हुई। पानी के इस तरह के अचानक और भारी प्रवाह ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया और समुद्र में बह गया क्योंकि वहाँ कोई नहीं है

इस तरह के पानी के भंडारण में सक्षम सुविधा। इस प्रकार, पुडुचेरी के पानी का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत मेट्टूर बांध से है। हालांकि, मेट्टूर बांध से छोड़ा गया पानी कभी-कभी पुडुचेरी की जरूरतों के लिए अपर्याप्त होता है और पुडुचेरी की पूरी धान की फसल की सिंचाई करने में असमर्थ होता है। *353.* इसके बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी से खारे पानी की घुसपैठ के कारण इस क्षेत्र में कोई निकालने योग्य भूजल नहीं है

बंगाल की खाड़ी। उन्होंने कहा कि खारा पानी नदी के चैनलों के साथ *6* किलोमीटर की भूमि में घुस गया है और कुओं और उथले जलभृतों को सिंचाई और घरेलू जरूरतों के लिए अनुपयोगी बना दिया है। इसके आलोक में उन्होंने कहा कि नदी का पानी आवंटित करते समय भूजल को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण का निर्णय का दायरा अंतर-राज्यीय नदी जल तक सीमित है और भूजल को नदी जल के रूप में नहीं माना जा सकता है। जबकि बर्लिन के नियमों में कहा गया है कि नदी के पानी में भूजल शामिल है, संविधान या किसी अन्य भारतीय कानून में ऐसी कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है।

48 1990 (3) एस. सी. सी. *440* स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

354. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पुडुचेरी में फसल के लिए पानी के अधिक आवंटन की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कुरुवाई फसल है

जुलाई और सितंबर के बीच उगाया जाता है जिसके बाद उसी जमीन पर थलाडी की फसल उगाई जाती है और फिर सांबा की फसल उगाई जाती है। उन्होंने कहा कि कुरुवाई और सांबा की फसल केवल जमीन पर नमक फेंकने के बाद ही लगाई जा सकती है। जून में फसल लगाने से पहले लगभग *0.5TMC* पानी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने गलती से पुडुचेरी को वर्षा जल से आवश्यक पानी प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिसकी आपूर्ति न केवल अनियमित थी, बल्कि मुख्य रूप से अक्टूबर से भी हो रही थी।

355. उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा पुडुचेरी को *7* टी. एम. सी. पानी आवंटित करने के बावजूद, उसे इतनी मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि पुडुचेरी में पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है, इसलिए तमिलनाडु को सीमा पर इतनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

356. उन्होंने तर्क दिया कि पुडुचेरी ने न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत अपील दायर नहीं की है क्योंकि यह राय है कि यह न्यायालय अंतिम आदेश के खिलाफ ऐसी अपील पर विचार नहीं कर सकता है। इसलिए, पुडुचेरी ने इसके बजाय *1956* के अधिनियम की धारा *5 (3)* के तहत एक आवेदन दायर किया था, जो लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि यह न्यायालय अंततः मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा धारा *5 (3)* के तहत पुडुचेरी के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

357. उन्होंने यह भी कहा कि कावेरी के पानी को

प्रभावी उपयोग के लिए मुक्त प्रवाह होना चाहिए और उसी के आलोक में, कर्नाटक को इस तरह के प्रवाह को बाधित करने/बाधित करने के लिए कोई और संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

358. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि *1956* के अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य एक विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले जल विवादों के निर्णय के लिए तंत्र और यह कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। उन्होंने इस न्यायालय को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के माध्यम से अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए लिया कि एक संयुक्त

धारा *4,6,6* ए और *11* के पठन में जल विवादों की सुनवाई के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन, न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए एक योजना बनाने की शक्ति का प्रावधान है और आगे इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में ऐसे जल विवादों के संबंध में एक संवैधानिक बाधा है। इस तरह के व्यापक प्रावधान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।

359. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक बार जब न्यायाधिकरण का निर्णय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है, तो वही है

अंतिम और इस पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए तंत्र अधिनियम की धारा *6* ए में निर्धारित किया गया है और केंद्र सरकार को उक्त पुरस्कार को लागू करने के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार देता है। इस तरह की योजना को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाना था। केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए स्थापित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को तय करने का भी अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जो अनुमति देता है यदि फोरम इसे निष्पादित करने में असमर्थ था, तो उपभोक्ता फोरम के आदेश को निष्पादन के लिए दीवानी अदालत में भेजा जाना चाहिए, *1956* के अधिनियम के प्रावधान केवल न्यायाधिकरण के निर्णय को इस न्यायालय के आदेश के रूप में माने जाने और केंद्र सरकार की योजना के आधार पर लागू करने की अनुमति देते हैं।

360. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उपयोग किया गया शब्द "हो सकता है" के बजाय

"इसका एक उद्देश्य होगा क्योंकि कुछ स्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कारों के कार्यान्वयन के लिए कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उन्होंने हमें अवगत कराया है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार पारित किए गए थे और निर्णय के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तभी तैयार की गई थी जब आवश्यकता हो और केवल नर्मदा के मामले में।

जल विवाद न्यायाधिकरण और अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा पारित पुरस्कारों के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई गई थी। उनके अनुसार, एक योजना तैयार करना अनिवार्य नहीं है और केंद्र सरकार अपनी भूमिका के प्रति जागरूक होने के कारण उपयुक्त समय पर आवश्यक कार्य करेगी। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यह *1956* के अधिनियम का अधिदेश है कि धारा *6* ए के तहत बनाई गई योजना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए और इसलिए, इसे एक विधायी नीति के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, अदालत को ऐसी स्थिति में कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए। उन्होंने एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम में अधिकारियों से प्रेरणा ली है। हरियाणा राज्य *4 9*, सामान्य कारण *v.* भारत संघ और अन्य *50*, के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य *v.* कर्नाटक राज्य *31* और महालेखाकार, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। एस. के. दुबे और अन्य *52*। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने क़ानून कानून की व्याख्या पर क्रेज़ का भी उल्लेख किया है जिसे अनुमोदन के साथ देखा गया है

49 (1979) 2 एस. सी. सी *196*

50 (2003) 8 एससीसी *250* *51 (2011) 9* एससीसी *1*

52 (2012) 4 एस. सी. सी. *578* स्टेट ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

हुकुम चंद बनाम। भारत संघ *3 3* जो कहता है कि तीन हैं बिछाने के प्रकार, अर्थात् *(i)* आगे की प्रक्रिया के बिना बिछाना; *(ii)* नकारात्मक समाधान के अधीन रखना; और *(iii)* सकारात्मक के अधीन रखना।

संकल्प। "सकारात्मक समाधान के अधीन" पर जोर देते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल तर्क देंगे कि धारा *6 (7)* अनिवार्य रूप से आदेश देती है।

कि इस न्यायालय को कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से किसी विशेष समय या निर्धारित समय सीमा में कोई विशेष कानून बनाने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए। वह आगे आग्रह करेंगे कि धारा *6* ए अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इसलिए, इस न्यायालय को इसे केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

361. विद्वान महान्यायवादी द्वारा रखे गए प्रस्तावों के विरोध में, अन्य राज्यों के विद्वान वकील और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा

X. आवंटन के मुद्दों पर हमारे निष्कर्ष *X. 1* विभाजन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:

362. सर्वोपरि के मुद्दों से निपटने के बाद, माना जाता है

समझौतों की असंवेदनशीलता, *1956* के अधिनियम के लागू होने के बाद उन्हें जारी रखना और ऐसे समझौतों के अनुच्छेद *363* का उल्लंघन होने के आधार पर विवाद की गैर-रखरखाव, अब इस मोड़ पर, उपरोक्त विवादास्पद दावों की पृष्ठभूमि में, अंतर-राज्यीय कावेरी नदी के पानी के आवंटन के सिद्धांतों और एकरूपता के लिए उसके स्वरूप पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा, *1924* के समझौते के *50* साल बाद *1974* में समाप्त होने का तथ्य पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा ठीक ही कहा गया है, उक्त समझौते के निष्पादन के बाद की घटनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, समझौते के उल्लंघन और उल्लंघन के आरोपों को इस दूर के समय में अप्रासंगिक माना जाना चाहिए। इसके अलावा, सुनहरे पैमाने पर इसकी जांच और मूल्यांकन करने या हिस्से के आवंटन के निर्धारण के लिए इसके प्रभाव को तौलने के लिए सटीकता और सटीकता का अभ्यास शुरू करने के लिए कोई उद्देश्यपूर्ण और न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक नहीं है।

53 53 (1972) 2 एससीसी *601 [2018] 5* एस. सी. आर.

363. जैसा कि इस न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया हैः राष्ट्रपति

संदर्भ *(*कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण*) (*ऊपर*),* तटवर्ती राज्यों के गलियारों से गुजरने वाली अंतर-राज्यीय नदी का पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे किसी एक राज्य में स्थित नहीं कहा जा सकता है। प्रवाह की स्थिति में होने के कारण, कोई भी राज्य ऐसे जल के अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या एक निर्धारित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है ताकि अन्य राज्यों को उनके न्यायसंगत हिस्से से वंचित किया जा सके। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि बहते पानी का अधिकार भूमि में संपत्ति के लिए एक सही घटना है और इस तरह के चरित्र का एक सार्वजनिक अधिकार है, कि यह उन सभी के लिए समान और समान है जिनकी भूमि के माध्यम से यह चलता है और कोई भी इसे बाधित या मोड़ नहीं सकता है, फिर भी प्रकृति के लाभकारी उपहारों में से एक के रूप में, प्रत्येक लाभार्थी को इसका न्यायसंगत और उचित उपयोग करने का अधिकार है। हम परिचर दृष्टिकोण में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि नदी तटीय राज्यों के बीच पानी के वितरण और आवंटन का स्वीकृत सिद्धांत उनके न्यायसंगत हिस्से के आधार पर किया जाना चाहिए, चाहे वह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर हो।

364. संक्षिप्तता के लिए, हम अंतर-राज्य के पानी के बंटवारे के इस पहलू पर न्यायिक उदाहरणों पर नए सिरे से विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

नदी का विकास और/या उससे संबंधित सिद्धांतों का "सामंजस्य सिद्धांत" से न्यायसंगत विभाजन की ओर स्थानांतरण,

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और उससे संबंधित विवादों के समाधान में लागू किया जा रहा है। न्यायसंगत बंटवारे का यह सिद्धांत जो अब आम तौर पर दो या दो से अधिक राज्यों में फैले अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के पानी के बंटवारे की खोज में अंतर्निहित है, यह भविष्यवाणी करता है कि प्रत्येक नदी तटीय राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी के उचित हिस्से का हकदार है, इस दर्शन से प्रेरित है कि एक नदी प्रकृति द्वारा पूरे समुदाय के सामान्य लाभ के लिए प्रदान की गई है, जिसके क्षेत्र से वह बहती है, भले ही उन क्षेत्रों को कानून में प्रतिपादित सीमाओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है। विशेष रूप से *1966* के हेलसिंकी नियमों के संदर्भ में, इससे पहले यह व्याख्या की गई है कि अनुच्छेद *IV* और *V* इसके न्यायसंगत उपयोग को मान्यता देते हैं -

प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा जल, कारकों को निर्धारित करते हुए, हालांकि संपूर्ण नहीं, समग्र रूप से सामूहिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। तर्कों के दौरान इस विचार पर जोर दिया गया है कि समानता का सिद्धांत पानी के समान विभाजन का संकेत नहीं देता है, बल्कि सह-बेसिन राज्यों के समान विचार और समान आर्थिक अवसर का संकेत देता है और उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। यह कल्पना करना कि समानता एक अंकगणितीय सूत्र के भीतर पानी के समान बंटवारे पर टिकी हुई है, मौलिक रूप से न्यायसंगत विभाजन की स्थापित अवधारणा का उल्लंघन होगा क्योंकि कर्नाटक का राज्य अपने प्रमुख सचिव *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

उक्त अवधारणा कई कारकों को समाहित करती है। इसे संबोधित करना न्यायाधिकरण का दायित्व है और इस न्यायालय का कर्तव्य उक्त निर्णय के औचित्य के अनुमेय मापदंडों के भीतर निर्णय लेना है। को।

दोहराते हुए, उपरोक्त प्रस्तावों के साथ-साथ *1956* के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, असहमति को राज्यों की समान स्थिति और समानता के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में संबोधित किया जाना चाहिए। *365.* हालांकि इससे पहले पारित होने में देखा गया है, एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के पानी के न्यायसंगत विभाजन का प्रयास करने के लिए मार्गदर्शक उपदेशों के रूप में प्रचलित नियम और एक अंतर-राज्यीय नदी तक वैचारिक रूप से विस्तार योग्य कुछ हद तक विस्तृत जांच के योग्य हैं।

366. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के उपयोग पर हेलसिंकी नियमों में बाध्यकारी प्रकृति का वैधानिक दर्जा नहीं है, फिर भी इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ द्वारा अपनाया गया है। अगस्त, *1966* में हेलसिंकी में आयोजित इसके सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के पानी के समान उपयोग को निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे। चूँकि इसके प्रासंगिक हिस्से को इससे पहले निकाला गया है

समान पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। हालाँकि, इसे संदर्भित करने के लिए पर्याप्त है

वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक खंड। अनुच्छेद *I* में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियम, जैसा कि नियमों वाले अध्यायों में निहित हैं, एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के पानी के उपयोग पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि इसके द्वारा अन्यथा प्रदान किया जा सकता है।

जल निकासी बेसिन एक भौगोलिक क्षेत्र है जो दो या दो से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, जो सतह और भूमिगत जल सहित जल प्रणाली की जलविभाजक सीमाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो एक सामान्य टर्मिनस में बहता है। अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिन का विचार कुछ विरासत में मिला है। जल प्रणाली की जल-विभाजक सीमाओं द्वारा अलग किए गए घटक राज्यों की तुलना में बेसिन का पहचान योग्य लचीलापन इतना अधिक है कि एक गंभीर तथ्य की स्थिति में बेसिन को किसी दिए गए राज्य में तुरंत उससे सटे क्षेत्र तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थितिजन्य स्थलाकृति के आधार पर बेसिन के लाभ के हकदार संबंधित राज्य के अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद *III* में स्पष्ट रूप से "बेसिन राज्य" की धारणा एक राज्य है, जिसके क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन का एक हिस्सा शामिल है और इसे एक एकल संश्लेषित क्षेत्रीय घटक के रूप में पेश करता है। अनुच्छेद *IV* के अनुसार, नियमों के अध्याय *II* के तहत, प्रत्येक बेसिन राज्य अपने क्षेत्र के भीतर, एक अंतरराष्ट्रीय *[2018] 5* एस. सी. आर. के पानी के लाभकारी उपयोग में उचित और न्यायसंगत हिस्से का हकदार है।

जल निकासी बेसिन। अनुच्छेद *V* अनुच्छेद *IV* के अर्थ के भीतर उचित और न्यायसंगत हिस्से को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारकों की गणना करता है, जो संपूर्ण या सीमित नहीं हैं। इन कारकों को अनिवार्य रूप से निकालने की आवश्यकता है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

" *1.* बेसिन का भूगोल, विशेष रूप से विस्तार सहित
प्रत्येक बेसिन राज्य के क्षेत्र में जल निकासी क्षेत्र का;

2. बेसिन का जलविज्ञान, विशेष रूप से

प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा जल का योगदान;

3 . बेसिन को प्रभावित करने वाली जलवायु;
4. बेसिन के पानी का पिछला उपयोग, जिसमें शामिल हैं

विशेष रूप से मौजूदा उपयोग;

5. प्रत्येक बेसिन राज्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएँ;

6. प्रत्येक में बेसिन के पानी पर निर्भर आबादी

बेसिन राज्य;

8. अन्य संसाधनों की उपलब्धता;
9. उपयोग में अनावश्यक अपशिष्ट से बचना

बेसिन का पानी;

10. एक या अधिक कंपनियों को मुआवजे की व्यवहार्यता

उपयोगों के बीच संघर्ष को समायोजित करने के साधन के रूप में बेसिन राज्य; और

11. एक बेसिन राज्य की आवश्यकताएँ किस हद तक हो सकती हैं

एक सह-बेसिन राज्य को पर्याप्त नुकसान पहुँचाए बिना संतुष्ट।

[जोर दिया गया*]*

367. अनुच्छेद *V* स्पष्ट रूप से बताता है कि वजन होना चाहिए

ऊपर दिए गए प्रत्येक कारक को अन्य प्रासंगिक कारकों की तुलना में इसके महत्व से निर्धारित किया जाना है, लेकिन यह निर्धारित करने में कि उचित और न्यायसंगत हिस्सा क्या है, सभी प्रासंगिक कारकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए और समग्र के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। उपरोक्त कारक, हालांकि संपूर्ण नहीं हैं, एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन में पानी के उचित और न्यायसंगत हिस्से का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले माने गए हैं। उक्त सिद्धांतों को अंतर-राज्यीय नदी विवादों में पानी का न्यायसंगत वितरण करते हुए कार्यात्मक गतिशीलता के रूप में माना जा सकता है।

इन सभी कारकों की मुख्य विशेषता कर्नाटक का राज्य इसके प्रमुख सचिव *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्निहित परिवर्तनशीलता और अपरिहार्य लचीलापन होना, क्योंकि उपलब्ध का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्विवाद और सामान्य जोर को नजरअंदाज करना मुश्किल है।

एक बेसिन राज्य के लिए और तार्किक रूप से अपनी आश्रित आबादी के लिए आर्थिक और सामाजिक जरूरतों द्वारा आवश्यक संसाधन। यह कहा जा सकता है, जबकि

उक्त आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, पानी के पिछले और मौजूदा उपयोग को ध्यान में रखना होगा। उसी के प्रति बेखबर रहना प्रेसेन्टी में न्यायसंगत वितरण के सिद्धांत के साथ खेल खेलने के बराबर होगा। निर्धारकों की उल्लेखनीय सार यह है कि यथार्थवादी, उचित, विवेकपूर्ण और न्यायसंगत नियमों के आधार पर जरूरतों के समायोजन में एक नाजुक संतुलन के लिए भविष्यवाणी इतनी अधिक है कि एक बेसिन राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, एक सह-बेसिन राज्य को कोई महत्वपूर्ण नुकसान न हो। यद्यपि अनुच्छेद *VI* के संदर्भ में और

VII, उपयोगकर्ताओं की कोई भी अन्य श्रेणी किसी भी अन्य उपयोग या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी पर किसी भी अंतर्निहित वरीयता का हकदार नहीं है, फिर भी एक सह-बेसिन राज्य के प्रस्तावित भविष्य के उपयोग पर एक बेसिन राज्य के मौजूदा उचित उपयोग की प्राथमिकता को मान्यता दी गई है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद *VIII* के संदर्भ में, एक मौजूदा उचित उपयोग तब तक जारी रह सकता है, जब तक कि इसकी निरंतरता को उचित ठहराने वाले कारक अन्य कारकों से अधिक न हों, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसे संशोधित या समाप्त किया जाए ताकि एक प्रतिस्पर्धी असंगत उपयोग को स्पष्ट रूप से समायोजित किया जा सके जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक मौजूदा उपयोग भी संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है और आवश्यकता आधारित समायोजन के अधीन है।

368. काफी हद तक इसी तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन पर आई. एल. ए. नियमों का कैंपियन समेकन *1966-1999 (*इसके बाद*)* है। "कैम्पियोन नियम" के रूप में संदर्भित किया जाना*)*। इन नियमों की विशिष्ट विशेषता जलभृत यानी भूमिगत जल को शामिल करना है।

जल या "जीवाश्म जल" दो या दो से अधिक राज्यों के बीच की सीमा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूजल के रूप में इतना बाधित होता है कि यह उचित न्यायसंगत हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बेसिन या प्रासंगिक कारकों का निर्माण करेगा। इन नियमों में भूमिगत जल और अन्य जल की परस्पर निर्भरता का मानदंड शामिल है, जिसमें जलभृतों के बीच कोई भी परस्पर संबंध और बेसिन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में गतिविधियों के कारण जलभृतों में कोई भी रिसाव शामिल है। *369. 1987* और *2002* की राष्ट्रीय जल नीति से पहले, अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी बेसिन पर नियमों का एक और समूह है

इसे वर्ष *2004* में अपने बर्लिन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ द्वारा अपनाए गए बर्लिन नियम कहा जाता है। न्यायसंगत उपयोग के पहलू पर, इसके अनुच्छेद *12* में प्रावधान है कि बेसिन राज्य अपने *[2018] 5* एस. सी. आर. में ऐसा करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित क्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के पानी का न्यायसंगत और उचित तरीके से प्रबंधन करते हैं, अन्य बेसिन राज्यों को महत्वपूर्ण नुकसान न पहुँचाने के दायित्व को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से, बेसिन राज्य, बेसिन के पानी का विकास और उपयोग करेंगे ताकि इसका इष्टतम और टिकाऊ उपयोग प्राप्त किया जा सके। अन्य बेसिन राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

370. नियमों के अनुच्छेद *13* में एक बेसिन राज्य के न्यायसंगत और उचित उपयोग को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारकों को सूचीबद्ध किया गया है। जबकि

हेलसिंकी नियमों द्वारा निर्धारित नियमों को संक्षेप में दोहराते हुए, विचार करने के लिए अतिरिक्त पहलू पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है। इन नियमों के अनुच्छेद *14* में कहा गया है कि एक न्यायसंगत और उचित उपयोग का निर्धारण करने में, राज्य पहले महत्वपूर्ण मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी का आवंटन करेंगे और उपयोग के किसी भी अन्य उपयोग या श्रेणी को किसी अन्य उपयोग या उपयोग की श्रेणी पर अंतर्निहित प्राथमिकता नहीं होगी। अनुच्छेद *17* में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से सुलभ और किफायती पानी तक पहुंच का अधिकार है और यह राज्यों का दायित्व है कि वे गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पानी तक पहुंच के अधिकार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। *371.* इन नियमों से समझने योग्य सामान्य सूत्र एक अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के पानी के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और व्यवहार्य उपकरण के रूप में न्यायसंगत उपयोग के सिद्धांत की सार्वभौमिक स्वीकृति है।

372. वर्तमान में, हम राष्ट्रीय जल नीति का उल्लेख करेंगे, जो हमारे अनुमान में, नेतृत्व करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

जल संसाधनों की योजना और विकास। अपने *1987* के संस्करण में, इसने एक सीमा चेतावनी दी कि पानी एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। बुनियादी मानव आवश्यकता और एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति। इस

बात पर जोर देते हुए कि यह संसाधन विकास योजना में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, नीति ने घोषणा की कि यह एक दुर्लभ और कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है जिसे संबंधित राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत पर्यावरण के आधार पर नियोजित, विकसित और संरक्षित किया जाना है। इसने रेखांकित किया कि पानी के मामले में संसाधन योजना एक के लिए की जानी चाहिए

जल विज्ञान इकाई जैसे कि संपूर्ण जल निकासी बेसिन या एक उप-बेसिन के लिए और सभी व्यक्तिगत विकास परियोजनाओं और प्रस्तावों को राज्यों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और एक बेसिन या उप-बेसिन के लिए ऐसी समग्र योजना के ढांचे के भीतर विचार किया जाना चाहिए ताकि विकल्पों का सर्वोत्तम संभव संयोजन किया जा सके।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

373. जैसा कि नीति से स्पष्ट है, इसमें आदेश दिया गया है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से स्थानांतरित करके पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए

जिसमें क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एक नदी बेसिन से दूसरे में स्थानांतरण शामिल है। इसके अलावा, पीने के पानी का प्रावधान करना एक प्राथमिक विचार होना चाहिए, जिस पर भी प्रकाश डाला गया। जहां तक भूजल संसाधनों का संबंध है, यह चिह्नित किया गया था कि उनका दोहन इस प्रकार किया जाना चाहिए

पुनर्भरण संभावनाओं को पार न करने के साथ-साथ सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और मीठे पानी के जलभृतों में समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए विनियमित। योजना और प्रणालियों के संचालन के क्षेत्र में, जल आवंटन

प्राथमिकताओं को मोटे तौर पर *(ए)* पेयजल, *(*बी*)* सिंचाई, *(*सी*)* पनबिजली, *(*डी*)* नौवहन और *(*ई*)* औद्योगिक और अन्य उपयोगों के रूप में परिभाषित किया गया था।

374. जहाँ तक आबंटन का संबंध है, उपयोगों को सवार द्वारा नियंत्रित किया जाना है कि इन प्राथमिकताओं को क्षेत्र विशिष्ट विचारों के संदर्भ में, यदि आवश्यक हो, तो विशेष क्षेत्र में संशोधित किया जाना चाहिए। में। निष्कर्ष में, नीति ने इस बात पर जोर दिया कि मानव और पशु जीवन के लिए पानी के महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सभी प्रकार की आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए और इसकी बढ़ती कमी को देखते हुए, इस संसाधन की योजना और प्रबंधन और इसका इष्टतम, किफायती और न्यायसंगत उपयोग अत्यंत तात्कालिकता का विषय बन गया है। इसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय जल नीति की सफलता

यह पूरी तरह से राष्ट्रीय सर्वसम्मति के विकास और रखरखाव और इसके अंतर्निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, यह नीति, जो अपने अनुशासित और विवेकपूर्ण कार्यों के लिए जल संसाधनों की योजना और विकास के लिए एक राष्ट्रीय चार्टर है उपयोग संबंधित राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल आधार पर विकसित, संरक्षित और नियोजित उपयोग के लिए प्रकृति के दुर्लभ और मूल्यवान उपहार के रूप में मान्यता देता है और स्वीकार करता है। इस प्रकार यह नीति हेलसिंकी नियमों, कैम्पियोन नियमों और बर्लिन नियमों में विचार किए गए बेसिन राज्य की अवधारणा को बनाए रखती है।

375. यह ध्यान देने योग्य है कि यह महत्वपूर्ण रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों को एक नदी बेसिन से दूसरे में स्थानांतरित करके सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

अन्य ऐसे क्षेत्रों/बेसिनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। उपयोग की श्रेणी में पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हालांकि भूजल संसाधनों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी इसके विनियमित दोहन पर प्रकाश डाला गया है, जो पुनर्भरण संभावनाओं से अधिक नहीं है।

कृषि उद्योग, यह योग्यता रखते हुए कि क्षेत्रों/क्षेत्रों के विशिष्ट विचारों के आधार पर गणना की गई प्राथमिकताओं को संशोधित या जोड़ा जा सकता है। पेयजल की प्रधानता को दोहराया गया। भूजल विकास के पहलू पर, यह कहा गया कि उपलब्ध जल की गुणवत्ता और इसके निष्कर्षण की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर भूजल क्षमता का आवधिक पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भूजल के अत्यधिक दोहन के खिलाफ भी यही सावधानी बरती गई। यह अनिवार्य किया गया था कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूरी आबादी को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जहां पीने के पानी का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है, वहां पीने के पानी के घटक को हमेशा इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि मनुष्यों और जानवरों की पीने के पानी की आवश्यकता किसी भी उपलब्ध पानी पर पहला शुल्क होना चाहिए। सिंचाई के लिए, नीति में कहा गया है कि या तो एक व्यक्तिगत परियोजना में या समग्र रूप से एक बेसिन में योजना बनाने के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता, पानी के सभी उपलब्ध स्रोतों से संभव लागत प्रभावी सिंचाई विकल्प और जल उपयोग दक्षता को अनुकूलित करने के लिए उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को भी रेखांकित किया गया कि सिंचाई की तीव्रता ऐसी होनी चाहिए कि अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का लाभ अधिक से अधिक कृषक परिवारों तक पहुँचाया जा सके। यह सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रदान किया गया था कि राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण जल संसाधनों की उपलब्धता और नदी बेसिन के भीतर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इसलिए यह नीति बेसिन राज्य के भीतर के क्षेत्रों में पानी के बंटवारे या आवंटन पर रोक नहीं लगाती है। अंत में, नीति ने दर्ज किया कि इसकी सफलता पूरी तरह से राष्ट्रीय सहमति और इसके अंतर्निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता को विकसित करने और बनाए रखने पर निर्भर करेगी। इसने समुदाय की उन जरूरतों पर भी जोर दिया जिन्हें जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

377. इसलिए, उपरोक्त देश की राष्ट्रीय नीतियां स्पष्ट रूप से हेलसिंकी के नियमों का पूरक और समेकित हैं। अंतर-राज्यीय नदी में पानी के उचित और न्यायसंगत हिस्से के निर्धारण के मामले में नियम, शिविर नियम और बर्लिन नियम।

दोहराते हुए, हेलसिंकी नियम और अन्य नियम एक अंतर-राज्यीय नदी के न्यायसंगत विभाजन के मुद्दे पर एक बेसिन राज्य की परिकल्पना करते हैं। यद्यपि नियम भविष्यवाणी करते हैं कि एक बेसिन राज्य के हिस्से को निर्धारित करने में, अन्य सह-बेसिन राज्यों को पर्याप्त नुकसान नहीं होगा, फिर भी राज्य की आबादी और सिंचाई के क्षेत्र में, उसके किसान समुदाय की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जाता है। निसन्देह, विभाजन का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होगा।

किसी राज्य में नदी बेसिन। एक अंतर-राज्यीय नदी का बंटवारा, जैसा कि वितरण के घोषित मानदंडों से पता चलता है, सामंजस्यपूर्ण भावना के साथ होना चाहिए।

स्वभाव और सर्वसम्मत वितरण। मानदंड या कारक

सुझाए गए सुझाव, स्पष्ट रूप से, कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते हैं और आवश्यकता-आधारित अनुप्रयोग और आम भलाई के लिए पारस्परिक समायोजन पर एक अंतर-राज्यीय नदी में जल संसाधनों का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केवल व्यावहारिक उपायों का एक संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रीय चार्टर में निहित गारंटी से बंधे कल्याणकारी राज्य के शासन में, पानी जैसी किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण के लिए कोई भी पैमाना अनिवार्य रूप से उसे आगे बढ़ाने में होना चाहिए। नियमों में पहचाने गए मानदंड और राष्ट्रीय नीतियों द्वारा अक्षर और भावना में पूरक, हालांकि काफी विस्तार से, केवल उदाहरण के रूप में माने जा सकते हैं और इसे एक जलडमरूमध्य सूत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है या किसी अंतर-राज्यीय नदी के पानी के वांछनीय विभाजन को प्रभावित करने के लिए किसी अन्य विचार या आवश्यकता को बाहर करने के लिए गणितीय सटीकता के एक डिब्बे में नहीं रखा जा सकता है। प्रचलित संभावनाएँ। भौगोलिक, हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोजियोलॉजिकल, जलवायु, पारिस्थितिक और अन्य नदी जल को ध्यान में रखते हुए

समय पर परिवेशक घटनाएँ, प्राथमिकताओं का दायरा और उनसे जुड़े कारक अलग-अलग होने के लिए बाध्य हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा जाए कि हालांकि कोई सटीक सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है, लेकिन निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत पर आधारित वैश्विक रूप से स्वीकृत मानदंडों और स्थानीय आवश्यकताओं का एक तर्कसंगत समामेलन करने के लिए एक ईमानदार और व्यावहारिक प्रयास होना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले से ही गिने गए कारक, जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर एक के ऊपर दूसरे की प्राथमिकता की मांग कर सकते हैं, अंतिम परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक बेसिन राज्य के पक्ष में उसके आधार पर आवंटन सह-बेसिन राज्यों के लिए काफी हानिकारक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय नीति में निर्धारित आवश्यकता के क्षेत्रों में वरीयता का क्रम, राष्ट्रीय नीति के उचित और न्यायसंगत हिस्से का पता लगाने के लिए स्वीकृत निर्धारकों के साथ असंगत नहीं है।

अंतर-राज्यीय नदी। फिर भी, आवश्यकता की एक वस्तु का महत्व किसी दी गई स्थिति में उसकी मात्रा और प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, जिससे *[2018] 5* एस. सी. आर. के प्रस्थान में एक को दूसरे पर वरीयता देने की आवश्यकता होगी।

पॉलिसी में निर्धारित अनुक्रम। यह फिर से अन्यथा पहचाने गए के अनुप्रयोग के दृष्टिकोण में परिवर्तनशीलता की विशेषता को रेखांकित करने के लिए है।

मानदंड, अंतिम लक्ष्य संसाधनों का समान विभाजन है। यह अवधारणा अधिक महत्व प्राप्त करती है जहां संसाधन की कमी होती है और इसकी मांग अपर्याप्त होती है। यह विवाद के रूप में उचित है

इसमें एक राज्य के निवासी और दूसरे राज्य के निवासी शामिल होते हैं। वैधानिक आदेश द्वारा इस तरह की भागीदारी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए स्थितिजन्य समायोजन प्राप्त करने के सिद्धांत को शामिल करती है। उपरोक्त प्रमुख परिप्रेक्ष्य में, हमारे अनुमान में, हेलसिंकी नियमों में निर्धारित और समर्थन के साथ-साथ कैंपियोनी द्वारा पूरक कारक

नियम और बर्लिन नियम और उपरोक्त हमारी राष्ट्रीय नीतियों द्वारा और अधिक समेकित करने के लिए कुशल, तर्कसंगत, उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक दिशानिर्देश हैं।

कावेरी जैसी अंतर-राज्यीय नदी के पानी में बेसिन राज्यों के उचित और न्यायसंगत हिस्से को निर्धारित करने के लिए कोई भी अभ्यास करना।

वर्तमान मामला।

378. इन दिशानिर्देशों के साथ, प्रयास अनिवार्य रूप से वास्तविक प्रतिस्पर्धी का एक उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए।

बेसिन राज्यों की मांगें और हित। संतुलन को व्यावहारिक और व्यवहार्य तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह अंततः कार्यात्मक हो और नदी तटीय राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ऐसी कार्य प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों का समायोजन करना पड़ता है। इसके अलावा, समावेशी भावना और बहुलवादी लोकाचार को ध्यान में रखते हुए उपयोगितावादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को वास्तव में समतावादी दृष्टि के साथ सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रकार देखा और समझा जाता है, आपूर्ति के लिए संसाधनों पर असर डालने वाली उपरोक्त प्राकृतिक और पर्यावरणीय घटनाओं में परिवर्तन द्वारा योग्य आवंटन को अद्यतन करने के लिए आवधिक समीक्षाएँ और

बेसिन राज्यों की अंतर-आवश्यकताओं के परिणामी पुनर्विन्यास को समय पर निरंतर करना होगा।
379. यह कहने की आवश्यकता है कि प्रतिद्वंद्वी दावों की गंभीरता न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांतों के गलत अनुप्रयोग से फैली हुई है।

मामले के तथ्यों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी राज्यों द्वारा पंजीकृत आवश्यकताओं के आधार पर अभिलेख पर सामग्री का दोषपूर्ण मूल्यांकन, विशेष रूप से फसल जल की आवश्यकता, भूजल की उपलब्धता और उपयोग के आधार पर मानकों के मूल्यांकन के मामले में दोषपूर्ण दृष्टिकोण और विभिन्न परियोजनाओं की अपरिवर्तित अस्वीकृति शामिल अंतर-राज्यीय नदी के पानी के परिणामी गलत आवंटन के सही दावों की गवाही के रूप में। जैसा कि यहाँ पहले विस्तार से बताया गया है, न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय से यह प्रदर्शित होगा कि उसने अपने मुख्य सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य का एक विस्तृत अभ्यास किया था।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

पक्षों की दलीलों के आधार पर, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें कई समकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल हैं और

वर्षों से जल अनुसंधान और उपयोग के क्षेत्र में विभिन्न प्रशंसित विशेषज्ञों की गवाही द्वारा पूरक आंकड़े। को ध्यान में रखते हुए

अधिकारिता का प्रयोग किए जाने पर, इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, हम विवाद की व्यापक विशेषताओं और उस पर लागू स्थापित कानूनी अभिधारणाओं के आधार पर प्रतिस्पर्धी तर्कों का परीक्षण करेंगे और किसी भी स्पष्ट रूप से दूषित करने वाली दुर्बलता की स्थिति में हस्तक्षेप करेंगे, जिससे न्यायाधिकरण की न्यायिक खोज को अक्षम्य रूप से प्रभावित किया जाएगा, जिससे किसी भी मुद्दे पर रिकॉर्ड पर सामग्री के मूल्यांकन के साथ-साथ अंतिम निर्धारण स्पष्ट रूप से अस्थिर होगा।

X. 2 तमिलनाडु में 'सिंचित क्षेत्रों' का निर्धारण और

कर्नाटकः

380. जैसा कि हम देखते हैं, न्यायाधिकरण ने न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत को अपनाने के बाद, बेसिन राज्यों के उचित और न्यायसंगत शेयरों की गणना करने की प्रक्रिया में पहली पहल के रूप में, राज्यों के सिंचित क्षेत्रों का निर्धारण किया और ऐसा करते हुए, वर्ष *1972* में प्रस्तुत कावेरी तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट से नोट किया कि -

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, मैसूर और केरल के कराईकल क्षेत्र सहित तमिलनाडु के जल का उपयोग *566.60* टी. एम. सी. था। *176.82* टी. एम. सी. और *5* टी. एम. सी. क्रमशः। *1892* और *1924* के समझौतों की पृष्ठभूमि से पता चलता है कि कर्नाटक राज्य में

नदी के पानी के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसके लिए उसने आरोप लगाया कि *1924* के समझौते में परिकल्पित भूमि की सिंचाई करना उसकी ओर से संभव नहीं था। यह स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रों के भीतर प्राकृतिक प्रवाह के अपने निर्धारित अधिकार का प्रयोग करके पानी पर अपना प्रभुत्व हासिल करने के तमिलनाडु के प्रयासों के खिलाफ अपने प्रदर्शन के माध्यम से था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत, जैसा कि समय के साथ विकसित हुआ है, पक्ष द्वारा विवादित नहीं किया गया है और न ही उचित रूप से, प्रेजेंटी में आवंटन के लिए मापदंड के रूप में। इस तथ्य को देखते हुए कि नदी

नदी तटीय राज्यों की मांगों की तुलना में कावेरी में पानी की मात्रा में कमी है, इसके उपयोग के मामले में प्रतिबंध और बचत न केवल आवश्यक हैं बल्कि प्राकृतिक परिणाम भी हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध कम सतह प्रवाह के उपयोग की सीमा को ध्यान में रखते हुए, फसल के स्वरूप और इसकी उपयुक्तता के साथ समय के साथ सिंचाई के तहत क्षेत्रों की पहचान करना अनिवार्य है। विभिन्न *[2018] 5* एस. सी. आर. की रिपोर्टों के आधार पर।

समितियों और ऊपर उल्लिखित अभिलिखित आंकड़ों, विशेष रूप से घटनाओं के बढ़ने पर *1924* के समझौते के प्रभाव को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु की तुलना में, उस सिंचित क्षेत्र को तैयार करने के लिए प्रतिबंधों को लागू किया, जिसमें वह अपने हिस्से का दावा करने का हकदार होगा। आबंटन, अर्थात्, ग्रीष्मकालीन धान के लिए

कोई क्षेत्र नहीं; *1924* से पहले उगाए गए ग्रीष्मकालीन धान के क्षेत्र को अर्ध-सूखी फसल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; सिंचाई की वार्षिक तीव्रता को *100%* तक सीमित किया जाएगा; सिंचित मौसम के भीतर फसल की अवधि को सीमित किया जाएगा, अर्थात। , *31* जून से *31* जनवरी और महत्वाकांक्षी लिफ्ट

सिंचाई योजनाओं को हतोत्साहित किया जाए। इस प्रकार, इसने तमिलनाडु के लिए ऐसे क्षेत्र को उसके *2* लाख एकड़ के दावे के मुकाबले *1* लाख एकड़ के बराबर कर दिया। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, न्यायाधिकरण ने देखा कि *1924* के समझौते से पहले के युग में तत्कालीन मैसूर राज्य में सिंचाई मुख्य रूप से प्रणालियों के साथ नदियों से सीधे डायवर्जन चैनलों से की जाती थी

तालाब सिंचाई और किसी भी जलाशय के अभाव में, कावेरी और उसकी सहायक नदियों जैसे काबिनी, हेमावती, हारंगी और

सुवरनवती राज्य से होकर बहती थी, लेकिन उनका अंतिम गंतव्य तत्कालीन मद्रास राज्य का डेल्टा राज्य था, जिसके परिणामस्वरूप, तमिलनाडु राज्य द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद, कर्नाटक *1924* तक केवल *3* लाख *14* हजार एकड़ भूमि का विकास कर सका। कावेरी के पानी के वैध हिस्से और उपयोग से लगातार वंचित रहने की पृष्ठभूमि में सिंचाई के लिए अपनी भूमि विकसित करने में कर्नाटक राज्य की असमर्थता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह एक अभिलिखित तथ्य है कि हालांकि *1924* के समझौते के तहत, कर्नाटक को इसके प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में *1974* तक *7* लाख *45* हजार एकड़ भूमि विकसित करनी चाहिए थी, लेकिन यह केवल *2* लाख *15* हजार एकड़ भूमि प्राप्त कर सका। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने कुल मिलाकर कर्नाटक को *1974* से पहले सिंचाई के तहत एक लाख एकड़ क्षेत्र की अनुमति दी, जबकि उसके दावे के अनुसार यह एक लाख एकड़ था। कर्नाटक के मामले में भी, न्यायाधिकरण ने वर्षा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बेसिन में पानी की कमी को देखते हुए दूसरी फसल के विकास को बाहर रखा और फसल की विविधता और उसकी अवधि पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया। जिन प्रासंगिक सामग्रियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, उन पर समग्र रूप से विचार करने पर हमारा विचार है कि जल की खपत की अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। बाहर निकलने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गलती पाई जाए

X. 3 तमिलनाडु में "सिंचाई की जरूरतों" के लिए पानी का आकलन

और कर्नाटकः

381. हम बेसिन राज्यों की फसल जल आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए वर्तमान मांग का विश्लेषण कर सकते हैं, इसके प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य की प्रासंगिक जानकारी *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

जो उनके द्वारा विशेषज्ञों की मौखिक गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पूरक सामान्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने आवंटन के लिए अपनी मांग नीचे दर्ज की हैः

तमिलनाडु-*566* टी. एम. सी

कर्नाटक-*466* टी. एम. सी

केरल *100* टी. एम. सी.

केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी-*9* टी. एम. सी

न्यायाधिकरण ने दोहराया कि प्रत्येक राज्य के लिए न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू किए गए:

(i) समझौते से पहले केवल क्षेत्रों में दोहरी फसल

वर्ष *1924* और उक्त समझौते के तहत अनुमति के अनुसार और

इससे आगे नहीं।

(ii) कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन फसल प्रतिबंधित है जहां इसे *1924* के समझौते से पहले उगाया गया था, जिसे सिंचाई के मौसम में किसी भी हल्की सिंचित फसल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
(iii) धान की नई किस्म और विकसित तकनीकों को देखते हुए डेल्टा को कम किया जाएगा, जिसके लिए पानी के कम डेल्टा की आवश्यकता होती है।

(iv) कोई ट्रांसबेसिन डायवर्जन नहीं।
(v) कोई लिफ्ट योजना नहीं है।

382. जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है, न्यायाधिकरण द्वारा आवश्यक विशेषज्ञ गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद, राज्यों ने न्यूनतम फसल के संकेत के साथ पानी की आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके द्वारा उगाई गई फसलों का विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने हलफनामे दायर किए।

पानी की आवश्यकता। तमिलनाडु की ओर से दायर किए गए हलफनामे को एक्स्ट के रूप में चिह्नित किया गया था। टीएन *1665* और कर्नाटक का एक्सटेंट के रूप में। केएआर *518*। इसलिए, हम न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण का विश्लेषण करेंगे और इसके अंतिम औचित्य की जांच करेंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक्स्ट को लेकर काफी विवाद हुआ है। *1665* और विवाद का क्षेत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन, प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान न करने, साक्ष्य में शपथ पत्र की स्वीकार्यता और सबसे बढ़कर, तमिल राज्य द्वारा औचित्य की भावना के उल्लंघन से संबंधित है।

नाडू। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो पहले से ही अभिलेख पर उपलब्ध था, उस पर हलफनामे के तथ्यात्मक दावों से विचार किया जा सकता है। जो भी हो, इस न्यायालय द्वारा एक निर्णय होना चाहिए और *[2018] 5* एस. सी. आर. की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लड़ाई को निरंतरता में रखने के लिए मुख्य नायक राज्य। न्यायाधिकरण ने, जैसा कि उसके सामने समग्र सामग्री के आधार पर, अन्य बातों के अलावा, फसल के स्वरूप, फसलों की अवधि, पानी की खपत, उसके लिए अनुकूल मिट्टी की स्थिति, वर्षा के स्वरूप, डेल्टा और प्रणाली की दक्षता के साथ-साथ कर्नाटक की सूखे की स्थिति पर ध्यान दिया, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के विशेषज्ञ गवाहों की गवाही के साथ, और घाटे वाले बेसिन के पानी के किफायती उपयोग के हित में, कर्नाटक को उसके

सिंचित क्षेत्र *18.85* लाख एकड़ के लिए *390.85* टी. एम. सी. और तमिलनाडु को इसके सिंचित क्षेत्र *24.71* लाख एकड़ के लिए *390.85* टी. एम. सी. आवंटित किया। विशेष रूप से, यह ध्यान देने योग्य है, इस संदर्भ में,

प्रभावी वर्षा और प्रणाली दक्षता। स्वीकृत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि न तो न्यायाधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण और न ही उससे संबंधित निष्कर्षों को किसी के द्वारा अविश्वसनीय माना जा सकता है। मानक। समर्थनकारी कारणों के साथ अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा कुछ मापदंडों की पूरी तरह से जांच की गई है और इसलिए, इस आधार पर निष्कर्ष को इस न्यायालय के निर्णय के अभ्यास में असमर्थनीय वारंट हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत अधिकार क्षेत्र। हम स्पष्ट करने के लिए यहाँ रुक सकते हैं। हमारे पहले फैसले में, जो अपीलों को बनाए रखने योग्य ठहराते हुए विशेष अनुमति द्वारा अपीलों की रखरखाव की परिसीमन से संबंधित था, हमने इसे बाद के चरण में विज्ञापन के लिए खुला रखा था, इस मुद्दे पर कि क्या व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए या संकीर्ण। इसके बाद

सभी पक्षों को विस्तार से सुनकर, इस मोड़ पर, हम यह कहने के लिए इच्छुक हैं कि ऐसी प्रकृति के मामले का निर्णय करते समय हम पूरी तरह से "व्यापक" या असाधारण विवेकाधीन या "संकीर्ण" या प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण से निर्देशित नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक मध्यस्थ दृष्टिकोण रखना उचित समझते हैं क्योंकि विवाद *100* से अधिक वर्षों की अवधि को कवर करता है जिसमें सीमाओं में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और बाद की घटनाएं शामिल हैं। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यद्यपि अनुच्छेद *136* की प्रयोज्यता के मानदंड सामग्री की सराहना करने और उठाए गए विवरण के आधार पर न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा प्रशंसा के तरीके की जांच करने के लिए व्यापक हो सकते हैं। विशेष अनुमति द्वारा पसंद की जाने वाली वर्तमान अपीलों में, हम सोचते हैं कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्तरदायी है जो न तो व्यापक है और न ही संकीर्ण है, बल्कि इसके प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक का एक राज्य है।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

जटिल स्थिति। भूमि की सिंचाई पहले ही की जा चुकी है। यह जमीनी हकीकत के स्तर पर निर्वाह का मुद्दा है। इस केंद्र पर पानी के आवंटन को कम करना असमान होगा। इसलिए, तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, हमारी समझ में, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, इसमें शामिल जटिलताओं की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर सामग्री की विस्तृत सराहना पर आधारित न्यायाधिकरण के अन्यथा सुविचारित निष्कर्षों को हटाने के लिए गहन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, हम इस संबंध में उसके द्वारा किए गए दृढ़ संकल्प को परेशान करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जिन सामग्रियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, उनकी समग्र जांच पर हम न्यायाधिकरण द्वारा किए गए दृष्टिकोण और मूल्यांकन और उसके आधार पर उसके द्वारा की गई कटौती से सामान्य रूप से सहमत हैं। बयानबाजी और भावनात्मक रूप से आकर्षक प्रस्तुतियों के बिना, हम पाते हैं कि प्रतिद्वंद्वी दलीलें समान रूप से संतुलित हैं और दोहराने के लिए, रिकॉर्ड पर सामग्री के समग्र विचार पर, हम न्यायाधिकरण के निर्णय से भिन्न होने के लिए राजी नहीं हैं। *X. 4* केरल राज्य के लिए जल आवंटनः

ताकि बारिश में कमी के मामलों में और वह भी छोटी अवधि के दौरान कृत्रिम सिंचाई द्वारा कभी-कभार समर्थन की आवश्यकता हो। खिलाफ विभिन्न शीर्षों के तहत *99.8* टी. एम. सी. की अपनी मांग के तहत, इसने पनबिजली उत्पन्न करने के लिए पार बेसिन मोड़ के लिए *35* टी. एम. सी. की मांग की थी। द.

न्यायाधिकरण ने पनबिजली परियोजनाओं के लिए पार बेसिन मोड़ के लिए राज्य के अनुरोध को खारिज कर दिया, जो *2002* की राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में, अन्यथा पीने के पानी और सिंचाई की तुलना में यह और भी कम था। न्यायाधिकरण ने राज्य के हिस्से का फैसला करते हुए कहा कि वह अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में इतना असफल रहा है कि पूरा होने और उनका उपयोग होने तक, कावेरी प्रबंधन बोर्ड/नियामक प्राधिकरण द्वारा स्थापित तंत्र के अधीन, तमिलनाडु को आवंटित अप्रयुक्त जल प्राप्त होगा। न्यायाधिकरण ने सामान्य प्रारूप में उसके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की और निर्णय लिया कि कबानी, भवानी और पम्बर बेसिनों में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित उनकी *[2018] 5* एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए, अपनी मांग को ध्यान में रखते हुए, इसे अपने हिस्से के रूप में *30* टी. एम. सी. तक बढ़ाया गया था।

साथ ही *2011* के लिए जनसंख्या अनुमान के साथ। के निष्कर्ष न्यायाधिकरण को उसके समर्थन में सामग्री से धोखा नहीं मिलता है और इसलिए हम इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

X. 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए जल आबंटनः

385. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के दावे के संबंध में

कराईकल क्षेत्र के लिए, यह एक रिकॉर्ड की बात है कि समुद्र के करीब होने के कारण, भूजल अपनी प्रकृति के लिए अनुपयुक्त है।

पीने और सिंचाई के उद्देश्यों और इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने अपने *43000* एकड़ के सिंचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए आवेदन किए गए मानदंड से हटकर अपनी दूसरी फसल की अनुमति दी और फसल जल की आवश्यकता के माध्यम से *6.35* टी. एम. सी. की अनुमति दी। इसने केंद्र शासित प्रदेश को *20* प्रतिशत उपभोग्य उपयोगिता सूत्र के अनुप्रयोग से भी राहत दी।

इसकी घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकताओं का आकलन करना। अन्यथा निर्धारित करने के लिए किसी भी ठोस कारण के अभाव में, इस संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

X. 6 तमिल में एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में भूजल की मान्यता

नाडूः

386. एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में भूजल की संभावना की खोज करते हुए नदी के सतह के प्रवाह के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए

कावेरी, तथ्यात्मक मैट्रिक्स, अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर, बताता है कि इसका योगदान प्राकृतिक पुनर्भरण, धारा प्रवाह, झीलों और जलाशयों के माध्यम से जमीन में घुसपैठ के माध्यम से सतह के पानी से है। भूजल का पुनर्भरण मुख्य रूप से वर्षा के साथ-साथ कृत्रिम साधनों से होता है, जैसे कि फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग, अपने स्थानों पर धाराओं के उफान के कारण क्षेत्रों में बाढ़ और बिना लाइन वाली नहरों, तालाबों और अन्य स्रोतों से रिसाव। जल संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भूजल, भारत सरकार देश में *45* प्रतिशत से अधिक सिंचाई का प्रमाण देती है।

तमिलनाडु के इस रुख के विपरीत कि उसके डेल्टा क्षेत्रों के भीतर भूजल मुख्य रूप से मेट्टूर बांध की आपूर्ति से पुनर्भरण के माध्यम से है, जो वास्तव में कावेरी नदी के सतही प्रवाह का एक घटक है और आगे यह कि किसानों द्वारा मेट्टूर से पानी छोड़ने से पहले जल्दी नर्सरी बनाने और मेट्टूर से पानी छोड़ने के बंद होने के बाद देरी से फसलों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के अलावा विस्तृत अध्ययन किए गए हैं।

संसाधन, भारत सरकार, सिंचाई आयोग, *1972* और इसके प्रमुख सचिव द्वारा संयुक्त राज्य कर्नाटक *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

डेल्टा क्षेत्र*)* कुल *47* टीएमसी। तमिलनाडु ने अपनी दलीलों में यह भी उल्लेख किया कि पुराने डेल्टा में जमीन के संयुग्म उपयोग की गुंजाइश थी। *30* टी. एम. सी. तक पानी। इन अभिलिखित और अनुभवजन्य सूचनाओं के आधार पर, न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष वापस किया कि एक सामान्य वर्ष में जब मेट्टूर से नियमित रूप से पानी छोड़ा जाएगा, कावेरी उप-बेसिन में भूजल में योगदान का बड़ा हिस्सा इस तरह के रिसाव से होगा, लेकिन किसी भी मामले में, सतह की सिंचाई और वर्षा के योगदान को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फायदे और नुकसान का आकलन करने और भूजल संसाधन के मूल्यांकन के लिए तंत्र में गंभीर सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने *20* टी. एम. सी. भूजल का एक अत्यंत सुरक्षित अनुमान लगाया, जो उसके विचार में, तमिलनाडु द्वारा सतही जल के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किया जा सकता है। स्पष्ट शब्दों में, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह मात्रा नदी के पानी से भूजल पुनर्भरण के घटक को अलग करने के बाद प्राप्त हुई थी

द्वीपक्षीय घुसपैठ। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध *20* टी. एम. सी. भूजल का अनुमान लगाया जो कावेरी नदी के सतही प्रवाह से किसी भी योगदान से स्वतंत्र था और इस प्रकार, इसे *740* टी. एम. सी. की उपज के साथ असंबद्ध उपलब्ध भंडार माना जा सकता है, अन्यथा आवंटन के लिए मात्रात्मक। यह इस संदर्भ में है कि कर्नाटक की ओर से यह दावा किया गया है कि भूजल एक नवीकरणीय संसाधन होने के नाते, यदि नियमित रूप से नहीं निकाला जाता है, तो अंतर्निहित जलभृत की अवशोषण क्षमता कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप वर्षा जल*/[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में पुनःपूर्ति योग्य भूजल की उपलब्धता को संदेह से परे प्रमाणित करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कई शोध अध्ययनों के बाद भारी अनुभवजन्य डेटा, न्यायाधिकरण द्वारा परिमाणित भूजल की *20* टी. एम. सी. अंत में कावेरी जल के हिस्से को आवंटित/विभाजित करने में एक प्रमुख रूप से सुरक्षित मात्रा है। इस विचार को व्यक्त करते हुए, हम तमिलनाडु के रुख और इस पहलू से बेखबर नहीं हैं कि पर्याप्त पुनःपूर्ति के अभाव में और तटीय क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक निष्कर्षण से आम तौर पर बचा जा सकता है। हालांकि, परिवेशक तथ्यों और परिस्थितियों में, सभी कारकों को संतुलित करके मुद्दे के सभी प्रासंगिक पहलुओं की अध्ययन जांच को देखते हुए, हमारा मानना है कि तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में उपलब्ध

कम से कम *10* टी. एम. सी. भूजल का अंत में निर्धारण किया जा सकता है। *740* टी. एम. सी. की उपज को छुए बिना अन्यथा कमी वाले कावेरी बेसिन के हिस्से का विभाजन।

387. याद करने के लिए, ऊपर चर्चा की गई राष्ट्रीय नीतियां, इस तरह, भूजल के संयोजी उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करती हैं, एकमात्र चेतावनी यह है कि

वैज्ञानिक आधार पर आवधिक मूल्यांकन और उक्त संसाधन के दोहन से बचाव करना ताकि पुनर्भरण की संभावनाओं को पार न किया जा सके। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों की श्रृंखला और भूजल की उपलब्धता की सीमा जैसा कि द्वारा संकेत दिया गया है

प्रयोगात्मक आँकड़े, हमारे विचार में, न केवल तमिलनाडु राज्य में डेल्टा में भूजल की उपलब्धता को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि *10* टी. एम. सी. का समायोजन, जैसा कि प्रस्तावित है, सुरक्षित रूप से अनुमत होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तमिलनाडु के डेल्टा में भूजल की उपलब्धता के क्षेत्र में जिस तरह का प्रयोग और अनुसंधान किया गया था, वह अभी तक नहीं किया गया है।

कर्नाटक में किया गया और उस राज्य के संबंध में कोई विश्वसनीय अनुभवजन्य डेटा नहीं है। *X. 7* घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तमिल में जल आवंटन

नाडूः

388. तमिलनाडु और कर्नाटक में घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की गणना और आवंटन के संबंध में, हम कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

शहरी और ग्रामीण लोगों की प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में न्यायाधिकरण द्वारा उल्लिखित और लागू किए गए सूत्रों के साथ सहमति में जनसंख्या। उपयोग के विभिन्न शीर्षों के वास्तविक उपयोग के प्रतिशत के संबंध में अभिधारणा से अलग होने का कोई कारण नहीं है,

अर्थात्, सिंचाई, बिजली, घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग, आदि, जैसा कि कावेरी तथ्य खोज की रिपोर्ट में संदर्भित है।

समिति, जो हमारे तत्काल उद्देश्यों के लिए, इंगित करती है कि आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा का *20* प्रतिशत वास्तव में घरेलू उपयोग में इस्तेमाल किया जाएगा, केवल *2.5* प्रतिशत का प्रभावी ढंग से बेसिन के भीतर औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाएगा और बाकी स्रोत, यानी नदी या उसकी सहायक नदियों या जलाशय, भंडारण और नहर, जैसा भी मामला हो, में वापस आ जाएगा। *X. 8* राज्य के घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल आवंटन

कर्नाटक काः

न्यायाधिकरण ने बेंगलुरु शहर के केवल एक तिहाई हिस्से का हिसाब रखा था। यह नदी बेसिन के भीतर आता है और इसके परिणामस्वरूप, इस शीर्ष के तहत इसके समग्र हिस्से में भारी कटौती हुई है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक ने अपने मामले के बयान में घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी के लिए अपना दावा दर्ज किया था।

बैंगलोर जलापूर्ति-*30* टी. एम. सी.

ग्रामीण जलापूर्ति-*6* टीएमसी
औद्योगिक उपयोग-*4* टीएमसी

टी. एम. सी.*)*-कुल *465* टी. एम. सी.। इसलिए कर्नाटक ने केवल बेंगलुरु शहर के लिए *30* टी. एम. सी. का दावा दर्ज किया। न्यायाधिकरण ने पहली बार में यह अनुमान लगाया था कि पीने के पानी की *50* प्रतिशत आवश्यकता को भूजल स्रोतों से पूरा किया जाएगा क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि कुएं और ट्यूब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं पीने के पानी की पर्याप्त आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह देखते हुए कि उसने सामान्य प्रारूप में जानकारी मांगी थी, जिसके तहत राज्यों को पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष *2000* और *2025* के लिए अपनी आबादी का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, न्यायाधिकरण ने, हालांकि, वर्ष *2011* में पेयजल की आवश्यकता का आकलन करने का निर्णय लिया। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, इसने माना कि *[2018] 5* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेंगलुरु शहर का केवल एक तिहाई हिस्सा कावेरी बेसिन के भीतर है।

तर्कों के दौरान आग्रह किया गया। इसलिए इसने बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकता पर अपने विचार को केवल उस क्षेत्र तक सीमित कर दिया जो कावेरी बेसिन के भीतर स्थित था। इसने देखा कि कर्नाटक ने कहा था कि शहर के लिए मौजूदा और चल रही पेयजल योजनाएं जून *1990* में *14.52* टी. एम. सी. के लिए थीं और यह भी कि उसने *2025* के लिए अपने अनुमान में बेंगलुरु शहर के लिए *30* टी. एम. सी. का दावा किया था। न्यायाधिकरण, जैसा कि बोधगम्य है, वर्ष *2011* के लिए बेसिन की जनसंख्या अनुमान के आधार पर शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पानी की आवश्यकता पर काम करने के लिए वर्ष *1981-1991* जनगणना के लिए प्रतिशत दशकीय वृद्धि, जिले के अनुसार और कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत किए गए कावेरी बेसिन के भीतर आने वाले प्रत्येक जिले के क्षेत्र को अपनाते हुए निपटाया गया था। तमिलनाडु द्वारा *2011* की जनगणना रिपोर्ट में बेंगलुरु शहर के जनसंख्या अनुमान पर भी ध्यान दिया गया। न्यायाधिकरण ने शहरी आबादी की पानी की आवश्यकता को *8.7* टी. एम. सी. और ग्रामीण आबादी के लिए *8.82* टी. एम. सी. निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने मात्रा निर्धारित करने के लिए कदम बढ़ाया।

शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पीने के पानी की कुल आवश्यकता *17.22* टी. एम. सी. *(8.7* टी. एम. सी. *+ 8.52* टी. एम. सी.*)* होनी चाहिए। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि पीने के पानी की आवश्यकता का *50* प्रतिशत भूजल से और शेष *50* प्रतिशत सतह के पानी से पूरा किया जाएगा। इस प्रकार, सतह के पानी को पूरा करने के लिए *8.75* टी. एम. सी. को अलग करके, इसने उपभोग्य उपयोग का काम किया।

यानी, जीवित स्टॉक सहित मानव आबादी का कुल *20* प्रतिशत *1.75* टी. एम. सी. *(8.75* टी. एम. सी. का *20* प्रतिशत*)* होगा।

390. इस तथ्य के अलावा कि शहरी आबादी के लिए पानी की आवश्यकता की मात्रा निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण के लिए कोई आधार नहीं है

कावेरी बेसिन के भीतर इसकी भौतिक इकाई के एक तिहाई हिस्से के स्थान को देखते हुए इसकी जनसंख्या सामान्य रूप से उनकी आवश्यकता का केवल एक तिहाई है जो जांच की मांग करती है। यह सच है, एक बेसिन की अवधारणा और इसके लाभकारी उपयोग इसके पानी का पता आम तौर पर बेसिन में स्थित स्थलों और आबादी से लगाया जाना चाहिए, फिर भी, विभाजन के सिद्धांत

और कर्नाटक के ऐसे राज्य के लिए उसके प्रमुख सचिव द्वारा उचित और न्यायसंगत हिस्से की अवधारणा।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

अपने पूरे समुदाय के लिए। अंतर-राज्यीय नदी बेसिन के लाभकारी उपयोग के विस्तार के लिए क्षेत्रीय या भौगोलिक सीमांकन का हमेशा सख्ती से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि एक बेसिन राज्य की धारणा इसमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण में लचीलेपन की डिग्री प्रदान करती है। इस तरह के कठोर दृष्टिकोण से एक वारंट योग्य लचीलेपन और प्रस्थान को सही ठहराने के लिए तथ्य स्थिति। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेंगलुरु शहर, एक स्पष्ट घटना के रूप में, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और आज एक उत्तरोत्तर परिष्कृत, विशाल, जीवंत और बहुत अधिक विकसित शहर बन गया है।

विशेष रूप से सूचना में बौद्धिक उत्कृष्टता का आकांक्षी स्थान

प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक विकास होता है। यह समकालीन महत्व के एक प्रमुख केंद्र में बदल गया है और इसकी आबादी प्रतिदिन बढ़ रही है, इस प्रकार, सभी नागरिक सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, यह कई मायनों में अतुलनीय है न केवल राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में, बल्कि उससे आगे भी। इसलिए, पीने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए समग्र रूप से इसकी आश्रित आबादी की आवश्यकताओं को, मौजूदा परिस्थितियों में, केवल नदी बेसिन के संदर्भ में इसकी भौतिक स्थिति पर विचार करने के लिए उनके पूर्वाग्रह के लिए न्यायोचित रूप से छोटा नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि बेंगलुरु शहर को अलग नहीं किया जा सकता है।

इसके निवासियों की आवश्यकताओं के उद्देश्यों के लिए संरचना और एकीकृत समग्र, विशेष रूप से जब यह उनके दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी के आवंटन से संबंधित है। यह अकल्पनीय होगा कि एक कृत्रिम सीमा हो और जनसंख्या को नकार दिया जाए

पीने के पानी की प्राथमिक आवश्यकता। हम इस मामले की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस शहर की वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा मानते हैं। मानव आवश्यकताओं पर जोर देने के आधार पर न्यायसंगत आनुपातिकता के सिद्धांत की सराहना करना।

391. इस मोड़ पर, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय जल नीतियों के अनुसार, न केवल पीने का पानी सबसे ऊपर रखा गया है।

प्राथमिकता के क्रम में अन्य आवश्यकताएँ, लेकिन यह भी भविष्यवाणी की गई है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूरी आबादी को पर्याप्त पेयजल सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और पीने के पानी पर प्राथमिक विचार किया जाना चाहिए। यह भी घोषित किया गया था कि किसी भी उपलब्ध पानी पर मनुष्यों और जानवरों की पीने के पानी की जरूरतों का पहला भार होना चाहिए। बर्लिन नियमों के अनुच्छेद *14* में यह भी कहा गया है कि एक न्यायसंगत और उचित उपयोग निर्धारित करने में, राज्य पहले महत्वपूर्ण मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी का आवंटन करेंगे।

ऊपर उल्लिखित परिस्थितियाँ। इस प्रकार, हमारा विचार है कि पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी का आवंटन पूरे बेंगलुरु शहर का हिसाब रखना होगा। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक ने जून, *1990* तक बेंगलुरु के लिए मौजूदा जल योजनाओं के लिए *6,52* टी. एम. सी. और शहर के लिए चल रही पेयजल योजनाओं के लिए *8* टी. एम. सी. का दावा किया था। इसने *30* टी. एम. सी. की मांग की थी।

2025 के अनुमान के साथ शहर के लिए पेयजल की आवश्यकता। न्यायाधिकरण द्वारा *2011* में अपनाए गए दशकीय विकास के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, बेंगलुरु शहर के लिए पेयजल की आवश्यकता के लिए कर्नाटक की मांग *24* टी. एम. सी. के आसपास होगी। न्यायाधिकरण द्वारा राज्य की शहरी आबादी की गणना *8.7* टी. एम. सी. को छोड़कर और वह भी बिना किसी आधार के और ग्रामीण आबादी की पानी की आवश्यकता को बिना किसी आधार के स्वीकार करते हुए, शहरी और ग्रामीण आबादी की पेयजल और घरेलू पानी की आवश्यकता को दर्शाने वाला कुल आंकड़ा *32.5* टी. एम. सी. होगा, जबकि कर्नाटक ने अपने बयान में *46* टी. एम. सी. का दावा किया था। इस धारणा को खारिज करने के बाद कि पीने के पानी की *50* प्रतिशत आवश्यकता भूजल से पूरी की जाएगी, यह *33* टी. एम. सी., हमारे अनुमान में, एक सुरक्षित और स्वीकार्य आंकड़ा होगा।

कर्नाटक राज्य की शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पीने और घरेलू पानी की आवश्यकता। उपभोग प्रतिशत को लागू करके

20 प्रतिशत की दर से कर्नाटक को आवंटित किए जाने वाले पानी की मात्रा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए *1.75* टी. एम. सी. के बदले *6.5* टी. एम. सी. होगी, यानी *4.75* टी. एम. सी. की वृद्धि।

393. ट्रांसबेसिन डायवर्जन के खिलाफ विचार, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि न केवल बेंगलुरु शहर के संदर्भ में, उद्धृत कारणों के लिए

इसके अलावा, इन-रिवर बेसिन की अवधारणा की सीमा से हटना उचित होगा, क्योंकि *1987* की राष्ट्रीय जल नीति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि पानी को पानी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में स्थानांतरण सहित अन्य क्षेत्रों से स्थानांतरण द्वारा छोटे क्षेत्र। यह बहुत स्पष्ट रूप से एक समावेशी समझ पर जोर देता है और बेंगलुरु शहर जैसे योग्य मामले में, यह उन कारकों के अक्षर और भावना के साथ असंगत नहीं होगा जो एक अंतरराज्यीय नदी में पानी के उचित और न्यायसंगत हिस्से के निर्धारण के साथ-साथ इसमें शामिल बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की योजना और विकास के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय नीतियों के बारे में सूचित करना चाहिए।

अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक राज्य *v.* स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

X. 9 पर्यावरण संरक्षण के लिए जल का आबंटनः *394.* पर्यावरण संरक्षण के लिए आवंटन के पहलू पर, न्यायाधिकरण ने जनसंख्या विस्फोट और विकृत जीवन शैली से मानव द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुचित

उपयोग को देखते हुए पर्यावरण और पारिस्थितिक व्यवस्था की शुद्धता को सुरक्षित करने के लिए और औद्योगिक विकास और वनों की कटाई के कारण होने वाले नदी जल प्रदूषण के खतरे को ध्यान में रखते हुए, जिससे जलाशयों में गाद हो जाती है, आदि को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय पहलुओं को पूरा करने के लिए सामान्य पूल से *10* टी. एम. सी. आरक्षित करने का काम सौंपा।

395. हम न्यायाधिकरण के प्रयास और पहल की सराहना करते हैं

पर्यावरण की शुद्धता के निर्वाह को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति हकदार है और साथ ही साथ पर्यावरणीय नैतिकता की भावना को विकसित करने में योगदान करने के लिए भी बाध्य है। यही वर्तमान की निरंतर आवश्यकता है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए *10* टी. एम. सी. की मात्रा के आवंटन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है।

10 प्रतिस्पर्धी राज्यों के बीच संशोधित जल आबंटनः

396. कावेरी नदी कर्नाटक में उत्पन्न होती है और अंततः बेसिन के अन्य तटवर्ती राज्यों के माध्यम से इसके पूर्ण प्रवाह के बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत के विकास के साथ, जो वास्तव में बेसिन राज्यों को समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के प्राकृतिक प्रवाह के लिए विहित अधिकार या अधिकार की अवधारणा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटक द्वारा झेली गई बाधाओं को दर्शाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कावेरी के सतह प्रवाह की सीमित पहुंच और उपयोग होता है। ऊपरी नदी तटीय राज्य तमिलनाडु, तब मद्रास प्रेसीडेंसी, साथ ही साथ इसके *28* जिलों/तालुकों में गंभीर सूखे की स्थिति की तुलना में, हम इसे कुल मिलाकर *14.75* टी. एम. सी., यानी *10* टी. एम. सी. *(*तमिलनाडु में भूजल की उपलब्धता के कारण*) + 4.75* टी. एम. सी. *(*पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए*)* की अतिरिक्त मात्रा में पानी देने के लिए इच्छुक हैं।

जिसमें पूरे बेंगलुरु शहर की ऐसी आवश्यकता भी शामिल है*)*। इन पर

इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम कर्नाटक को प्रतिस्पर्धी राज्यों में से अधिक योग्य मानते हैं। इनमें से *14.75* टी. एम. सी

तमिलनाडु के पक्ष में न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित राशि में से कटौती की जाएगी। दूसरे शब्दों में, इस निर्धारण को ध्यान में रखते हुए शेयरों का अंतिम आवंटन इस प्रकार होगाः

284.75 (270+ 14.75) टीएमसी

कर्नाटक

:

404.25 (419- 14.75) टीएमसी

तमिलनाडु

:

केरल

: 30 टीएमसी

पांडिचेरी का केंद्र शासित प्रदेश

7 टीएमसी

:

पर्यावरण संरक्षण

: 10 टीएमसी

समुद्र में अपरिहार्य पलायन

4 टीएमसी

:

कुल

: 740 टीएमसी

397. उपर्युक्त आबंटन के परिणामस्वरूप, राज्य

कर्नाटक को अब तमिलनाडु के साथ अंतरराज्यीय सीमा पर, यानी बिलीगुंडुलु में, बेसिन के लिए *177.25* टी. एम. सी. पानी उपलब्ध कराना होगा। ऊपर किए गए संशोधनों के अलावा, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों की जांच को देखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निर्धारण और निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

398. इस स्तर पर, हम पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं कि न्यायाधिकरण ने कैसे व्यवहार किया है

कर्नाटक राज्य द्वारा मासिक वितरण के साथ जो इस प्रकार हैः

कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों, हम अस्थायी आदेश देते हैं
सामान्य वर्ष के दौरान मासिक डिलीवरी उपलब्ध कराई जाएगी

वर्तमान में अंतर-राज्य संपर्क बिंदु पर कर्नाटक राज्य

पर स्थित बिलीगुंडुलु गेज और निर्वहन स्टेशन के रूप में पहचाना गया

साझा सीमा निम्नानुसार हैः

महीना

टीएमसी

महीना	टीएमसी
दिसंबर	*8*
जून	*10*
जुलाई	*34*
	3
जनवरी	*50*
	2.5
फरवरी	
अगस्त	
40 सितंबर	
मार्च	*2.5*
अक्टूबर	
अप्रैल	
22	
	2.5
15 नवंबर	
	2.5
मई	
	192 टीएमसी

192 टी. एम. सी. पानी की उपरोक्त मात्रा में *182* टी. एम. सी. शामिल हैं।

तमिलनाडु के आवंटित हिस्से से टी. एम. सी. और *10* टी. एम. सी.
पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए आवंटित जल।

ई ऑफ कर्नाटक बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *v.* स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

399. न्यायाधिकरण ने एक नियामक प्राधिकरण की नियुक्ति का निर्देश दिया

एरली की मदद से मासिक अनुसूची के काम की निगरानी करें

एन. ई. डी. राज्यों और केंद्रीय जल आयोग और आगे निर्देशई ऊपरी नदी तटीय राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा ताकि प्रभावित हो

इसने निचले नदी तटीय राज्यों को पानी की आपूर्ति की। दूसरे ने

जो न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए थे, हम सोचते हैं कि यह उचित है

रोडूस, निम्नानुसार हैं:

जल के उपयोग को इसकी कमी की सीमा से मापा जाएगा। कावेरी नदी का जल जिसमें उसकी सहायक नदियाँ भी शामिल हैं

तरीका जो भी हो; कमी में यह भी शामिल होगा कि जलाशयों से वाष्पीकरण हानि। किसी भी स्थान पर भंडारण

कावेरी नदी प्रणाली की किसी भी धारा पर जलाशय

वार्षिक वाष्पीकरण नुकसान उपलब्ध का हिस्सा होगा

पानी। किसी राज्य द्वारा किसी भी जलाशय से पानी को इसके लिए मोड़ दिया जाता है।

किसी भी जल वर्ष के दौरान स्वयं के उपयोग को उसके द्वारा उपयोग के रूप में माना जाएगा।

उस जल वर्ष में राज्य करें। खंड-*XV*

किसी भी नदी तटीय राज्य या पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा करने में सक्षम नहीं है किसी भी महीने के दौरान अपने आवंटित हिस्से के किसी भी हिस्से का उपयोग

विशेष जल वर्ष और निर्दिष्ट में इसके भंडारण के लिए अनुरोध

जलाशय अपने अप्रयुक्त हिस्से का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उसी जल वर्ष के दौरान किसी अन्य बाद के महीने में

बशर्ते कि यह व्यवस्था कार्यान्वयन द्वारा अनुमोदित हो

प्राधिकरण।

खंड-*XVI*

किसी भी राज्य की जल के कुछ हिस्से का उपयोग करने में असमर्थता

किसी भी जल वर्ष के दौरान इसे आवंटित किया जाना ज़ब्त नहीं होगा।

या बाद के किसी भी पानी में अपने हिस्से का पानी छोड़ना।

न ही यह बाद के वर्ष में अन्य राज्य के हिस्से में वृद्धि करेगा।

वर्ष यदि ऐसे राज्य ने उस पानी का उपयोग किया है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

खंड *18* इस न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ भी अधिकार को बाधित नहीं करेगा या

किसी भी राज्य की अपनी सीमाओं के भीतर विनियमन करने की शक्ति या अधिकार *[2018] 5* एस. सी. आर.

जल का उपयोग, या उस राज्य के भीतर जल का लाभ इस तरह से प्राप्त करना जो इस न्यायाधिकरण के आदेश से असंगत न हो। "

400. पानी की मात्रा में कमी को देखते हुए, जिसे अब कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के साथ अंतर-राज्य सीमा पर, यानी बिलीगुंडुलु में छोड़े जाने की आवश्यकता है, तार्किक रूप से, मासिक रिलीज में आनुपातिक कमी होगी जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। हालाँकि, इसके लिए उसी पैटर्न को बनाए रखा जाएगा, जैसा कि इसके द्वारा मॉडल किया गया है रिलीज को कम करें।

Y. 1956 के अधिनियम की धारा *6* ए की व्याख्या

401. अब हम *1956* के अधिनियम की धारा *6* ए के प्रावधानों पर विचार करेंगे। यह नीचे लिखा है:

"धारा *6* ए। लागू करने के लिए योजनाएं बनाने की शक्ति
न्यायाधिकरण का निर्णय।

(1) धारा *6* के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक योजना या योजनाएं बना सकती है जिसके द्वारा किसी न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकता है।

(2) उप-धारा *(1)* के तहत बनाई गई योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं -

(क) न्यायाधिकरण के निर्णय या निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्राधिकरण *(*चाहे वह समिति या अन्य निकाय के रूप में वर्णित हो*)* की स्थापना*;*
((ख) प्राधिकरण की संरचना, अधिकारिता, शक्तियाँ और कार्य, पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तें,

पालन की जाने वाली प्रक्रिया और भरने का तरीका

प्राधिकरण के सदस्यों के बीच रिक्तियां*;* *(*
ग*)* प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण की न्यूनतम बैठकों का आयोजन, ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति और प्रक्रिया

वहाँ*;*

((घ) किसी स्थायी, तदर्थ या अन्य समितियों की नियुक्ति।

प्राधिकरण द्वारा*;* *(ङ)* प्राधिकारी द्वारा सचिव और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और भत्ते और ऐसी सेवा की अन्य शर्तें।

कर्मचारी*;* इसके प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक का ई। स्टेट टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(च) प्राधिकारी द्वारा किसी निधि का गठन, ऐसी राशि जो ऐसी निधि में जमा की जा सकती है और वे व्यय जिन पर निधि का उपयोग किया जा सकता है*;*

(छ) प्राधिकरण द्वारा लेखा रखे जाने का प्रपत्र और तरीका*;*

(ज) प्राधिकरण द्वारा अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनाः *((i)* प्राधिकरण के निर्णय जो समीक्षा के अधीन होंगे।

(जे) ऐसी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन और ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया*;* और

(के) कोई अन्य मामला जो निर्णय या निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित हो सकता है

न्यायाधिकरण। *(3)* न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए प्राधिकरण की स्थापना के लिए उप-धारा *(1)* के तहत बनाई गई किसी भी योजना में प्रावधान करने में, केंद्र सरकार, इसे ध्यान में रखते हुए, कर सकती है।

ऐसे निर्णय और अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के अनुसार ऐसे प्राधिकरण में निहित होने के लिए अपेक्षित अधिकारिता, शक्तियों और कार्यों की प्रकृति के अनुसार, उक्त योजना में घोषणा करें कि ऐसे प्राधिकरण के पास, उक्त योजना में निर्दिष्ट नाम के तहत, संपत्ति का अधिग्रहण करने, धारण करने और निपटान करने, अनुबंध करने, मुकदमा करने और मुकदमा करने और ऐसे सभी कार्य करने की क्षमता होगी जो इसके उचित प्रयोग और निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

अधिकारिता, शक्तियाँ और कार्य।

(4) एक योजना प्राधिकरण को बनाने के लिए सशक्त बना सकती है,

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति, योजना के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए विनियम।

(5) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा *(1)* के तहत बनाई गई किसी भी योजना में जोड़, संशोधन या परिवर्तन कर सकती है।

(6) इस धारा के तहत बनाई गई प्रत्येक योजना का प्रभाव उस समय लागू किसी भी कानून *(*इस अधिनियम के अलावा*)* या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के गुण द्वारा प्रभावी किसी भी लिखत में कुछ भी निहित होने के बावजूद होगा।

(7) एक योजना के तहत बनाई गई प्रत्येक योजना और प्रत्येक विनियमन

इसे बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकता है, और यदि, सत्र या क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले

उपरोक्त, दोनों सदन योजना या विनियमन में कोई भी संशोधन करने के लिए सहमत हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हैं कि योजना

या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद योजना या विनियम का प्रभाव केवल ऐसे संशोधित रूप में होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। उस योजना या विनियमन के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ का।

402. हम पहले से ही विद्वानों की प्रस्तुतियों को नोट कर चुके हैंया जनरल। उनका निवेदन, अनिवार्य रूप से, यह है कि न्यायालय को केंद्र सरकार को कोई भी निर्देश देना चाहिए और उसके द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए जैसा कि प्रावधान शब्द का उपयोग करता है। जैसा कि हम पहले ब्लश पर देखते हैं, यह काफी आकर्षक या प्रभावशाली लग सकता है लेकिन वास्तव में पदार्थ परीक्षण का सामना नहीं कर सकता है। कर्नाटक में *(*ऊपर*)* उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए

रखरखाव के मामले में, हमने कहा थाः

"..... प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मूल संविधान द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के प्रदान और बहिष्करण और संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी बहिष्करण के बीच अंतर किया है। जो भी हो, उक्त पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल धारा *6 (2)* की व्याख्या करने की आवश्यकता है क्योंकि यह आज क़ानून की पुस्तक में मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय को मजबूती प्रदान करने के लिए उक्त प्रावधान जोड़ा गया है और यह केंद्र राज्य संबंधों *(1980)* पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सरकारिया का प्रासंगिक उद्धरण

आयोग की रिपोर्ट इस प्रकार हैः

"17.4.19 . 1980 में अधिनियम में संशोधन किया गया और धारा *6*-ए को जोड़ा गया। यह धारा न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण की स्थापना, उसके कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तों आदि का प्रावधान है। लेकिन केवल अपने प्रमुख सचिव द्वारा कर्नाटक के इस तरह के राज्य का निर्माण।

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

एक एजेंसी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगा

न्यायाधिकरण का पुरस्कार। धारा *6*-ए के तहत स्थापित कोई भी एजेंसी वास्तव में संबंधित राज्यों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा, एक न्यायाधिकरण के निर्णय को बाध्यकारी और प्रभावी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए, इसके पीछे वही बल और मंजूरी होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या डिक्री के रूप में होनी चाहिए। हम अनुशंसा करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

*

*

17.6.05 . अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के पीछे वही बल और मंजूरी हो जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री के पीछे हो।

न्यायाधिकरण के निर्णय को वास्तव में बाध्यकारी बनाना।

74. भाषा के रूप में आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया जाएगा,

प्रभावी ढंग से लागू करने योग्य। धारा *6 (2)* में प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का बल इस न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान होगा। एक आदेश या डिक्री के समान बल होने के बीच एक अंतर है न्यायालय और उचित निर्णय के बाद इस न्यायालय द्वारा एक डिक्री का पारित होना। संसद ने जानबूझकर उन शब्दों का उपयोग किया है जिनसे यह समझा जा सकता है कि एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है जिसके लिए कल्पना बनाई गई है और इससे आगे जाने का इरादा नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण के निर्णय का बाध्यकारी

प्रभाव और प्रवर्तनीयता की प्रभावशीलता है। इस प्रकार, इसे उद्देश्य के संबंध में संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए

यह सेवा करने के लिए है "।

403. हमने उपरोक्त परिच्छेदों का उल्लेख किया है क्योंकि ई-ट्रिब्यूनल के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। धारा *6 (2)* में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को इस तरह से मान्यता दी गई है कि कोई भी राज्य इस पर आपत्ति नहीं उठा सकता है और न्यायाधिकरण के निर्देशों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। योजना तैयार करने का उद्देश्य है -पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रूप से। सी द्वारा उद्धृत अधिकारी। हमें डर है कि रंजीत कुमार को वर्तमान संदर्भ में कोई मदद नहीं मिल रही है। यह कहने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि धारा का उद्देश्य उस तरीके से कार्य करना है जिसमें पुरस्कार पानी के आवंटन या बंटवारे के संबंध में विवाद का फैसला करता है।

केंद्र सरकार आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर ताकि योजना के तहत अधिकारी यह देख सकें कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित करने वाला वर्तमान निर्णय सुचारू रूप से किया गया है कार्यात्मक और हमारे द्वारा निर्धारित राज्यों के अधिकार अनुकूल हैं।

निष्पादित किया। जब हम ऐसा कहते हैं, तो हम यह भी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आवश्यकता आधारित मासिक रिलीज का सम्मान किया जाना चाहिए। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी आधार पर योजना तैयार करने के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

Z. सीरियाटिम में निष्कर्ष

404. अपने उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हम अपने निष्कर्ष दर्ज करते हैं

सीरियातिम में:

((i)

1947 के अधिनियम के लागू होने के बाद,
सर्वोच्चता में आवेदन के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि भारत सरकार पूर्ण संप्रभु प्राधिकरण बन गई है। इन दोनों

1892 और *1924* के समझौतों में न तो कोई राजनीतिक व्यवस्था थी और न ही भारत की संप्रभुता के किसी पहलू को छुआ गया था।

पूरी तरह से विलुप्त।
इस मामले में मुद्दों का कोई संबंध नहीं है, जो भी हो,

((ख)

भारत की संप्रभुता और अखंडता की अवधारणाओं के साथ और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद *363* के तहत प्रतिबंध

भारत आकर्षित नहीं है।

(iii)

भले ही हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि राज्य

समझौतों में प्रवेश करने के समय कर्नाटक के पास कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं थी, लेकिन कर्नाटक राज्य ने *1947* के अधिनियम के बाद और निश्चित रूप से भारत के संविधान के लागू होने के बाद उक्त सौदेबाजी की शक्ति हासिल कर ली। इसके बावजूद, कर्नाटक राज्य ने नहीं चुना
उक्त समझौतों की निंदा करना। इसलिए उक्त समझौतों को असहनीय नहीं कहा जा सकता है।

(iv) नवगठित राज्यों ने पुनर्गठन अधिनियम, *1956* के बाद *1892* और *1924* के समझौतों को कभी नहीं तोड़ा। इसलिए, दोनों समझौते होने के बावजूद लागू रहे

पुनर्गठन अधिनियम, *1956* का प्रभाव।

कर्नाटक अपने प्रमुख सचिव बनाम। स्टेट. अपने प्रमुख सचिव द्वारा *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

1924 के समझौते की जांच से पता चलता है कि उक्त समझौते का उद्देश्य कभी भी स्थायी चरित्र का नहीं था। इसके विपरीत, इसने *50* साल की एक निश्चित अवधि पर विचार किया। अतः उक्त समझौता *50* वर्षों के बाद वर्ष *1974* में समाप्त हो गया।

न्यायाधिकरण ने अपने दृष्टिकोण में मुख्य रूप से हेलसिंकी नियम, *1966* का उल्लेख किया, जिसने हार्मन सिद्धांत को खारिज कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के समान उपयोग पर जोर दिया। हमारी राय है कि न्यायाधिकरण अपने निर्णय में सही था।

दृष्टिकोण। उचित और न्यायसंगत शेयरों के निर्धारण के लिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक कारकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में शामिल विभिन्न जटिलताओं और भारत के संविधान द्वारा इस न्यायालय पर निर्धारित कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, यह मामला राज्यों की समान स्थिति और समानता के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेने योग्य है। नतीजतन, यह निवेदन कि तमिलनाडु राज्य की शिकायत किसी भी निर्णय की गारंटी नहीं देती है, किसी भी स्वीकृति की सराहना नहीं करता है।

इस न्यायालय ने पुनः: राष्ट्रपति का संदर्भ *(*कावेरी*)* जल विवाद न्यायाधिकरण*)* ने कहा है कि तटवर्ती राज्यों के गलियारों से गुजरने वाली अंतर-राज्यीय नदी का पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है और कोई भी राज्य इस पर दावा नहीं कर सकता है

इसके पानी का अनन्य स्वामित्व। इस संदर्भ में, हेलसिंकी नियमों, कम्पियोन नियमों और बर्लिन नियमों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त न्यायसंगत विभाजन के सिद्धांत, जिन्हें *1987* से *2002* की राष्ट्रीय जल नीतियों में भी शामिल किया गया है, को अंतर-राज्यीय नदी के पानी के विभाजन के विवादों को हल करने के लिए मार्गदर्शक कारक माना गया है। अभिलेख पर लाई गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार

करने के बाद, हमारा विचार है कि पानी की खपत की अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, अंतिम निर्धारण

तमिलनाडु के लिए न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त सिंचित क्षेत्र को गलत या गलत घोषित नहीं किया जा सकता है।

हम तमिलनाडु राज्य में घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी के आवंटन के संबंध में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में दृष्टिकोण की कोई विकृति नहीं पाते हैं। इसलिए, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(x)

सभी की कुल आबादी की पेयजल आवश्यकता

राज्यों को एक उच्च पायदान पर रखा जाना चाहिए क्योंकि हम इसे न्याय के एक पदानुक्रमित मौलिक सिद्धांत के रूप में मानते हैं।

वितरण

(xi) न्यायाधिकरण द्वारा पनबिजली परियोजनाओं के लिए पार-बेसिन मोड़ की मांग करने वाले केरल के रुख को अस्वीकार करना उचित है। न्यायाधिकरण ने कुल *30* टी. एम. सी. पानी आवंटित किया है।

केरल राज्य की समग्र आवश्यकताओं की ओर और हम

न्यायाधिकरण के उक्त निष्कर्ष से सहमत हों।

(xii) हम न्यायाधिकरण के निष्कर्षों से सहमत हैं कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और अपनी विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए "दूसरी फसल" का हकदार है।

सिंचित क्षेत्र लगभग *43,000* एकड़ है।

(xiii) केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पक्ष में पानी के आवंटन में और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। *(xiv)* पुष्टि करने वाले अनुभवजन्य आंकड़ों के साथ तथ्यों की स्वीकृति से पता चलता है कि तमिलनाडु में सतह के नीचे लगभग *20* टी. एम. सी. भूजल उपलब्ध है।

न्यायाधिकरण ने इसे एक अनुमान के रूप में उद्धृत करते हुए ध्यान में नहीं रखा है। हम, भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कर्षण से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, इसे *10* टी. एम. सी. उपयुक्त मानते हैं।

तमिलनाडु में कथित उपलब्ध भूजल का, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसके हिस्से के अंतिम निर्धारण में हिसाब किया जा सकता है।

(xv) न्यायाधिकरण ने घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए कर्नाटक के हिस्से को काफी कम कर दिया था क्योंकि बेंगलुरु शहर का केवल एक तिहाई हिस्सा नदी बेसिन के भीतर आता है और इस धारणा पर भी कि

पीने के पानी की आवश्यकता का *50* प्रतिशत भूजल आपूर्ति से पूरा किया जाएगा। न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया उक्त दृष्टिकोण पीने के पानी से संबंधित मूल सिद्धांत की अनदेखी करता है और इस प्रकार यह टिकाऊ नहीं है। शहर ने जो वैश्विक दर्जा हासिल किया है, उसे ध्यान में रखते हुए *4.75* टी. एम. सी. की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

कर्नाटक।

(xvi) पर्यावरण संरक्षण के लिए *10* टी. एम. सी. पानी आवंटित करने के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कर्नाटक का राज्य अपने प्रमुख सचिव द्वारा *v.*

स्टेट ऑफ टी. एन. बाय इट्स चीफ सेक्रेटरी *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इस तरह के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप अनुचित प्रदूषण हो सकता है और निरंतर पर्यावरणीय शुद्धता की अवधारणा को विफल कर सकता है।

(xvii) कुल मिलाकर, हम कर्नाटक राज्य को अतिरिक्त *14.75* टी. एम. सी. पानी, यानी *10* टी. एम. सी. *(*तमिलनाडु में भूजल की उपलब्धता के कारण*) + 4.75* टी. एम. सी. *(*पूरे बेंगलुरु शहर की आवश्यकता सहित पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए*)* देना उचित समझते हैं।

(xviii) कर्नाटक को अतिरिक्त *14.75* टी. एम. सी. पानी के आवंटन को देखते हुए, कर्नाटक राज्य को अब तमिलनाडु के साथ अंतर-राज्य सीमा पर, यानी बिलीगुंडुलु में *177.25* टी. एम. सी. पानी छोड़ना होगा। *(xix)* भारत संघ का तर्क है कि धारा *6* ए

1956 "मई" शब्द का उपयोग करके अधिनियम ने केंद्र सरकार के विवेक के लिए एक योजना तैयार करने के उद्देश्य से जगह नहीं छोड़ी है और आगे यह पदार्थ परीक्षण को पूरा नहीं करता है। तदनुसार, उक्त निवेदन खारिज किया जाता है। इसके अलावा, योजना की रूपरेखा विशेष रूप से पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए है या जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संशोधित किया जाता है।

(x) यह स्पष्ट किया जाता है कि *1956* के अधिनियम की धारा *6* ए के तहत तैयार की जाने वाली योजना के अधीन, वर्तमान निर्णय के संदर्भ में, मासिक रिलीज के संबंध में न्यायाधिकरण की सिफारिशें/निर्देश और इसमें तय की गई किसी भी चीज़ के साथ असंगत नहीं हैं, इसलिए *15 (*पंद्रह*)* वर्षों की अवधि के लिए वर्तमान के लिए समर्थन किया जाता है।

405. यह स्पष्ट रूप से कहना अनिवार्य है कि जल संसाधनों की भारी कमी और राज्यों के तीव्र विवादित दावों को देखते हुए,

यह उम्मीद की जाती है कि इसके द्वारा किए गए आवंटन का उपयोग निर्धारित और स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसे पूरा करने में कोई विचलन नहीं दिखाया गया है।

इस न्यायालय के फैसले को बाहर निकालें।

406. मामला छोड़ने से पहले, हम श्री फली एस. नरीमन, श्री एस. एस. जवाली के लिए अपनी अनारक्षित और निर्बाध प्रशंसा दर्ज करते हैं। श्री ए. एस. नांबियार, श्री राकेश द्विवेदी, श्री शेखर नाफड़े, श्री श्याम

दीवान, श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री रंजीत कुमार, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री मोहन वी. कटारकी,

श्री जी. उमापति, श्री एम. आर. नाइक और श्री एस. सी. शर्मा विद्वान वकील *1124*

ए उनकी सक्षम सहायता के लिए जिसके बिना हमारी ओर से यह निर्णय लिखना बेहद मुश्किल होता।

407. अंतिम विश्लेषण में, *2007* की सिविल अपील संख्या *2453* दायर की गई

कर्नाटक राज्य द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और अन्य सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

कल्पना के. त्रिपाठी